राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क २] चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का ७७ वां दिवस [संख्या ३८

बुधवार,

दिनांक ३ अप्रेल, १९६८

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.०३ पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(गृह, सा० निर्माण, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, विद्युत्, जन-स्वास्थ्य व स्वायत्त शासन विभाग)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या: १०६१।

कोतवाली चित्तौड़गढ़ में कन्जर की मृत्यु

१०६१. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक १३ अगस्त, १९६७ को चित्तौड़गढ़ कोतवाली स्थित श्री महेन्द्रसिंह थानेदार ने चोरी की नकबजनी के सिलसिले में कन्जरों को हिरासत में लिया था? यदि हां, तो कुल कितने कन्जर थे?

(२) क्या यह सही है कि हिरासत में लिये गये कन्जरों में से एक कन्जर को इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई? यदि हां, तो इस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(३) क्या यह सही है कि मृतक कन्जर का पोस्टमार्टम श्री वी०पी० माथुर, डाक्टर द्वारा किया गया? यदि हां तो उसकी डाक्टरी रिपोर्ट क्या है?

(४) क्या यह भी सही है कि डाक्टरी रिपोर्ट देने के पूर्व पोस्टमार्टम के समय स्थानीय एस० डी० एम० मौजूद थे? यदि हां, तो वे वहां पर किसलिये गये थे?

(५) क्या यह सही है कि जिलाधीश चित्तौड़गढ़ ने इसकी जांच के लिये किसी अफसर को नियुक्त किया था? यदि हां तो किन कारणों से जांच का आदेश जिलाधीश ने दिया? क्या जांच कर ली गई? यदि हां, तो उसका क्या रिजल्ट रहा?

उप-मन्त्री, गृह (श्री खेतसिंह) :

(१) यह बात इस संशोधन के साथ सही है कि दिनांक १२-८-६७ की रात को

(श्री खेतसिंह)

११ बजे (न कि १३-८-६६ को) डकैतियों की तफतीश के सिलसिले में सर्व श्री नजरिया, उदा व हवीबा कन्जर केवड़ियां को श्री महेन्द्रसिंह थानेदार कोतवाली चित्तौड़गढ़ में लाया था।

(२) यह सही नहीं है। तथ्य यह है कि उदा कन्जर को थाना पर लाने से पहले ही उसके शरीर पर चोटें थीं और उसकी पहले तबियत भी ठीक नहीं थी। रात को थाना पर उसकी ज्यादा तबितय खराब हुई और दिनांक १३-८-६७ को उपरोक्त कारणों से मृत्यु हो गई। कोतवाली पर उसको नहीं मारा गया। इस पर पुलिस विभाग के सूचना देने पर उप-जिलाधीश चित्तौड़गढ़ ने इस सम्बन्ध में जांच की।

(३) यह सत्य है। पोस्टमार्टम श्री बी० पी० माथुर डाक्टर द्वारा किया गया। डाक्टरी रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) यह सत्य है कि उप-जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ पंचायत नामा (इन्क्वैस्ट रिपोर्ट) तैयार करने व जांच करने गये थे।

(५) यह सही है। जिलाधीश चित्तौड़गढ़ ने उप-जिलाधीश चित्तौड़गढ़ को जांच के लिये नियुक्त किया था। चूंकि उदा कंजर की मृत्यु पुलिस कोतवाली में हुई थी। इसलिये धारा १७४ जा०फौ०के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उप-जिलाधीश को जांच हेतु नियुक्त किया था। जांच पूर्ण करली गई है। जाँच से श्री उदा की मृत्यु पुलिस कोतवाली चित्तौड़गढ़ द्वारा मारपीट करने से होना नहीं पाया गया।।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामकुमार : क्या यह सही है कि उदा कन्जर को जब गिरफतार किया गया था तब उसकी हालत ठीक नहीं थी ?

श्री खेतसिंह : जी हां, यह सही है।

श्री रामकुमार : क्या यह सही है कि उसके शरीर में गिरफ्तार होने के पहले चोटों के निशानात थे ?

श्री खेतसिंह : जी हां, उसके शरीर में चोटों के निशानात थे। पारसोली में उसका डॉक्टरी मुआयना किया गया था उसमें १० चोटों के निशान उसके शरीर पर पाये गये थे।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है ....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न कर्त्ता।

श्री रामकुमार : जब उसका पोस्ट-मार्टम किया गया तो उसके शरीर पर कितनी चोटों के निशानात थे ?

श्री खेतसिंह : पोस्ट-मार्टम में उन सारी चोटों का जिक्र है।

श्री रामकुमार : नहीं पोस्ट-मार्टम किया। उसमें चोटों के कितने निशान थे ? डॉक्टर की क्या रिपोर्ट थी ?

श्री खेतसिंह : डॉक्टर की रिपोर्ट थी कि करीब २४ चोटों के निशान थे।

श्री रामकुमार : जब गिरफ्तार किया गया, उस समय ११ चोटों के निशान थे और पोस्ट-मार्टम किया गया तो २४ चोटों के निशान आ गये। इतनी और चोटें आखिर कहां से आ गई ?

Page No. 3

श्री खेतसिंह : चोटें तो काफी हैं । इसकी जांच कर लेंगे ।

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : उपाध्यक्ष महोदय, इन चोटों की डिस्क्रिपेन्सी की वजह से होम सैक्रेटरी खुद जांच कर रहे है । उन्होंने पुलिस का रेकार्ड मंगा लिया है। हॉस्पिटल का रेकार्ड भी सील करके मंगवाया है । उसकी सूचना माननीय सदस्य को दे दी गई है ।

श्री नत्थीसिंह : जांच करने से पूर्व आपने कोई कार्यवाही की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या ?

श्री नत्थीसिंह : मेरा मतलब है कि पुलिस स्टेशन और हास्पिटल जाने के बीच में आपने थानेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब इस की मौत हो गई । कलक्टर ने एस०डी०एम० को मुकर्रर किया है, एन्क्वायरी करने के लिये । एस० डी० एम० की एन्क्वायरी नहीं आई है । पुलिस को निर्देश दे दिये गये हैं । माननीय सदस्य का स्थगन प्रस्ताव आया उस पर मैंने सारी रिपोर्ट मंगवाई और जो यह डिस्क्रिपेन्सी पाई गई है उस सम्बन्ध में होम सैक्रेटरी खुद जांच कर रहे हैं । एस० डी० एम० की कोर्ट से कागजात मंगा लिये हैं । हॉस्पिटल से भी पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट मंगवाई गई है, वह अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री नत्थीसिंह : कलक्टर सहाब को दोष नजर नहीं आया और आपको यह दोष नजर आगया कि थाने में गया उससे ज्यादा चोटें थीं । ११ के बजाय २४ हो गई । तो आपने जाँच के आदेश दिये उससे पहले थानेदार पर कोई कार्यवाही की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो चोटें है वह मामूली स्क्रेचेज ही हैं । रगड़ वगैरह के निशान हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या एस० डी० एम० ने धारा १६४ के अन्तर्गत इन इन्ज्यूरीज की डिस्क्रिपेन्सी के सम्बन्ध में कुछ कहा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १६४ नहीं है १७४ है ।

मैंने निवेदन किया कि एस० डी० एम० ने पुलिस को निर्देश दिये हैं ।

श्री खेतसिंह : गिरफ्तार करने के अधिकार थे । सर्किल इन्सपेक्टर ने कहा कि मैंने यह आर्डर दिये हैं कि इसको गिरफ्तार करके लाओ । एस० डी० एम० ने ···· ····

श्री भैरोंसिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

श्री खेतसिंह : कौनसा ?

श्री भैरोंसिंह : एस० डी० एम० ने जांच रिपोर्ट इन्ज्यूरीज में, जो अन्तर पाया गया है, उसके सम्बन्ध में कुछ लिखा है क्या ?

श्री नत्थीसिंह : एस० डी० एम० ने लिखा है क्या कि इसमें कॉज ऑफ इन्ज्यूरी क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही ···

Page No. 4

श्री दामोदर लाल व्यास : Cause of death could not be ascertained. Clothes have been sent for chemical examination जहां से रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है ।

श्री भैरोंसिंह : चोटों में जो अन्तर है, वह एस० डी० ओ० ने भी अपनी रिपोर्ट में ़न्शन किया है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एस० डी० एम० की पूरी रिपोर्ट पढ़कर सुनाना मुश्किल है लेकिन उस रिपोर्ट में पुलिस को निर्दोष पाया गया ।

I am not going to protect any officer who has committed any offence.

मैंने खुद ने होम सेक्रेटरी को इसके लिऐ डेप्यूट किया है कि इसकी जांच की जाय । इसका स्वश्चन नहीं था फिर भी मैंने इस मामले के लिए होम सेक्रेटरी को जांच करने को कहा । मुझे भी नेचर ऑफ इन्जरीज में जो डिटेक्ट की हैं । They are ordinery scretches. मेजर इन्जरीज में कोई फर्क नहीं बताया है। इसकी ओरीजनल रिपोर्ट मंगा ली है । होम सैक्रेटरी जाच कर रहे हैं

श्री रामकुमार नन्दवाना : क्या यह सही है कि यहां के सरकल इन्सपैक्टर को दूसरे सर्कल इन्सपैक्टर के क्षेत्र में जाकर उसको गिरफ्तार करने का कोई अधिकार था क्या जो वहां जाकर उसने उसको अरेस्ट किया ?

श्री खेतसिंह : वह क्षेत्र इसी सरकल इन्सपेक्टर की जुरिस्डिक्शन में आता है उसे मुल्जिम को गिरफ्तार करने का अधिकार था ।

श्री श्रवणलाल : प्राइमरी हैल्थ सैन्टर में जांच होने के बाद दुबारा जांच कितने दिन बाद करायी ?

श्री खेतसिंह : वहां १० तारीख को हुई उसके बाद पोस्ट-मार्टम १४ को हुआ था ।

श्री भगवानदास शास्त्री : पुलिस की कस्टडी में कितने वक्त तक रहा ?

श्री खेतसिंह : १२ और १३ तारीख को रहा ।

श्री भगवानदास शास्त्री : २४ घंटे से ज्यादा कस्टडी में रखने पर क्या मजिस्ट्रेट से रिमान्ड लिया गया ?

श्री खेतसिंह : इसको १२ तारीख को ११ पी० एम० को कस्टडी में लिया था और उसको दूसरे रोज प्रातः ६ बजे तबियत खराब हो जाने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया ।

श्री भगवानदास शास्त्री : उसके लिए रिमान्ड लिया या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : २४ घंटे तक तो पुलिस रख सकती है ।

श्री सत्योसिंह : जैसा उप-मन्त्रीजी ने कहा वह दो दिन तक रहा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : २४ घंटे से ज्यादा नहीं रहा है । रिमान्ड २४ घंटे बाद लेने का होता है उसी दिन रात को ११

Page No. 5

(श्री दामोदरलाल व्यास)

...जे कोतवाली में लाया और सवेरे ६ बजे उसकी तबियत खराब हो जाने के कारण अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। इसमें रिमान्ड लेने का सवाल ही नहीं। ११ बजे रात्रि से लेकर दूसरे रोज ११ बजे तक पुलिस उसको रख सकती थी।

श्री नत्थीसिंह : उप-मन्त्री जी ने कहा है दो रोज रखा गया ?

श्री खेतसिंह : ११ बजे एक रोज पहले और दूसरे रोज प्रात: ६ बजे इस तरह से दो रोज हो गए लेकिन घंटे तो २४ भी नहीं हुए।

श्री ओमदत्त भाटी : उसको मैडिकल वार्ड में भरती किया गया या सर्जिकल वार्ड में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह अस्पताल ही छोटा है वहां अलग अलग वार्ड नहीं हैं ?

प्रश्न संख्या १०६२

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुमेरसिंह

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत बीकानेर में हरिजनों द्वारा दिए गए प्रार्थना-पत्र

१०६३. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा सु०) : क्या गृह निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर में हरिजन परिवारों को अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत एक भी पैसा नहीं दिया गया है ? यदि हां तो क्यों ?

(२) वर्ष १९६६-६७ में कितने हरिजन परिवारों के जिलाधीश कार्यालय बीकानेर में ऋण के लिए प्रर्थाना-पत्र प्रस्तुत हुए और कितनों को ऋण मिला ?

(३) क्या सरकार हरिजनों के लिए उक्त प्रकार के ऋण की राशि सुरक्षित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

(मन्त्री महोदय द्वारा उत्तर नहीं दिए जाने पर)

श्री केसरीसिंह हाडा : मैंसवाड़ा साहब बोलिए ना।

उप-मन्त्री टाउन प्लानिंग (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : हालांकि गृह निर्माण विभाग मेरे पास नहीं है फिर भी मन्त्री जी कह रहे हैं इसलिए उत्तर दे रही हूं।

श्री भैरोंसिंह : कौन से मन्त्री जी आदेश दे रहे हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : भीखाभाई बैठे हैं।

(१) जी नहीं। बीकानेर में हरिजन परिवारों को अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत नहीं किया गया।

(२) जी हां। अभी किसी को नहीं मिला है। एक प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन है।

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(३) जी नहीं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या यह सत्य है कि बीकानेर जिले में लोन के लिये हरिजनों के प्रार्थना-पत्र एक हजार से ऊपर आये किन्तु खेद की बात है कि किसी को भी लोन नहीं दिया गया। क्या यह सत्य है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : हरिजनों को क्राउड-एक्ट के नीचे पट्टे दे देते हैं उनको आप लोन ग्रान्ट करते हैं क्या?

श्री भीखा भाई : यह अलग प्रश्न है।

श्री चुन्नीलाल : इसलिये मैंने खास-तौर से सवाल रखा था कि क्या बीकानेर जिले के लिये कोई सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत हाउसिंग के लिये लोन दिया जाय आज तक किसी भी हरिजन को लोन नहीं दिया गया।

(इसका जवाब नहीं दिया गया)

श्री नत्थीसिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बीकानेर जिले में इस योजना के अन्तर्गत कितने हरि-जनों को लोन दिया गया?

श्री भीखा भाई : इसका उत्तर नका-रात्मक है।

श्री भैरों सिंह : क्या यह सत्य है कि ६६-६७ के बजट में अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत कुछ रुपया रखा गया था?

श्री भीखा भाई : यह अलग से प्रश्न है।

श्री चुन्नीलाल : क्या यह सही है कि बीकानेर में ६६-६७ में अल्प आय गृह निर्माण योजना के लिये जो पैसा दिया गया था उसमें से हरिजनों को कुछ नहीं दिया गया?

श्री भीखा भाई : इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं लोन का रिजरवेशन भी किया जाय।

श्री भैरों सिंह : क्या यह सही है कि ६६-६७ में हाउसिंग स्कीम के तहत बीकानेर जिले के लिये कोई रकम निर्धारित नहीं की गई थी?

श्री भीखा भाई : यह तो वहां के कले-क्टर पर निर्भर है। वह आवश्यकतानुसार मांग करते हैं।

श्री चुन्नीलाल : ६६-६७ के लिये कितनी रकम थी?

श्री श्रवणलाल : अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत बीकानेर के लिये ६६-६७ में कितना रुपया स्वीकृत हुआ था?

श्री चुन्नीलाल : सरकार की इसमें बहुत लापरवाही है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया। नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०६४

राजवी श्री रूपसिंह!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इसका उत्तर कब मिलेगा? कल मिलना चाहिये। फिर तो पांच तारीख को सैशन समाप्त हो

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
जावेगा । कल मिलना चाहिये । आपने कब के लिये कहा ?

श्री उपाध्यक्ष : अगली टर्न ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अगली टर्न तो छः महीने के बाद आवेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज नैक्स्ट ।

आलनियावास, बिखरणिया कलां व जाखेड़ा के मिडिल स्कूलों में छात्रों तथा अध्यापकों की संख्या

१०६५. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मिडिल स्कूल आलनियावास जिला नागौर में इस वर्ष कुल कितने छात्र हैं ? तथा अध्यापकों की संख्या कितनी है ?

(२) मिडिल स्कूल बिखरणिया कलाँ व जाखेड़ा में इस वर्ष कितने कितने बच्चे व कितने २ अध्यापक हैं ?

(३) मिडिल स्कूल में अध्यापक साधारणतया कितने होने चाहिये ?

शिक्षा मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) (१) मिडिल स्कूल आलनियावास में इस वर्ष २१२ छात्र हैं और ६ अध्यापक है ।

(२) मिडिल स्कूल बिखरणियां कलां व जाखेड़ा में छात्र संख्या क्रमश: १८७ व २२७ है तथा अध्यापकों की संख्या क्रमश: ५ व ६ है ।

(३) माध्यमिक विद्यालय में साधारणतया प्रधानाध्यापक समेत दस अध्यापक (प्राथमिक शाला कक्षा एक से पांच तक के वास्ते ५ अध्यापक तथा माध्यमिक कक्षाओं के लिये ५ प्रधानाध्यापक सहित होने चाहिये ।

श्रीमती गौरी पूनिया : नौ अध्यापक कब से हुए हैं ? मेरी जानकारी के अनुसार तो आलनियावास में १३ और जाखेड़ा में सात हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : मेरी जानकारी के अनुसार बिखरणिया कलां में ५ जाखेड़ा में ६ और आलनियावास में ६ हैं ।

श्रीमती गौरी पूनिया : जब स्टेन्थ दस की होनी चाहिये तो कहीं १३ थे । ७

श्री शिवचरण माथुर : अगर ऐसा है तो इसकी मैं और जांच करवा लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठलप्रसाद ।

मनोहरथाना-चाचोड़ा सड़क निर्माण कार्य

१०६६ **श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा** (अकलेरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मनोहरथाना (झालावाड़) से चाचोड़ा (मध्यप्रदेश) की कितनी दूरी है और इसमें कितनी मील सीमा राजस्थान की एवं कितने मील मध्यप्रदेश की है ?

(२) उक्त रोड़ का बनाने का काम कब प्रारम्भ हुआ था ?

(३) उक्त रोड़ कब तक बन जाने की उम्मीद है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त रोड़ का कार्य गत वर्ष चालू हो गया था किन्तु अब बन्द कर दिया गया ? यदि हां तो क्यों ?

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

(५) क्या यह भी सही है कि उक्त रोड़ पर पड़े हुए डामर के भरे हुए ढोलों को वापस झालावाड़ मंगवा लिया गया ?

(६) क्या यह भी सही है कि अगले ५ वर्षों में सरकार का इस क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य करने का इरादा नहीं है ?

श्री उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा) : इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। स्थगित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित। सूचना प्राप्त नहीं हुई अभी।

चूरू में नसबन्दी के ऑपरेशन

१०६७. **श्री आलम अलीखां (फतहपुर)** : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) माह नवम्बर, सन् १९६७ में चूरू में नसबन्दी के कितने ऑपरेशन किये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रक्खें।

(२) क्या यह सच है कि इस नसबन्दी ऑपरेशन में कुछ फरजी आदमियों के नाम लिखाये गये और इसकी शिकायत भी की गई ? यदि हां, तो क्या इस शिकायत पर जांच की गई ? यदि हां तो इसका क्या परिणाम निकला ?

उप-मन्त्री स्वास्थ्य (श्री मुलकराज) : (१) माह नवम्बर, १९६७ में चूरू जिले में ११ नसबन्दी ऑपरेशन किये गये।

(२) माह नवम्बर, १९६७ में जो ऑपरेशन हुए उनमें फरजी आदमियों के नाम [illegible] गये थे। वैसे इस जिले में फरजी आदमियों की नसबन्दी हेतु शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी जिसकी आवश्यक जांच की जा रही है तत्कालीन जिला परिवार नियोजन अधिकारी को पदोवनत कर दिया गया है।

श्री चुन्नी लाल इन्दलिया : जब शिकायत सही नहीं तो रिवर्ट क्यों किया गया और जब रिवर्ट किया गया है तो निश्चित रूप से शिकायत सही है और अगर शिकायत सही पाई गई तो कितने ऑपरेशन फरजी पाये गये ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : नवम्बर के और पहले के आंकड़ों में फरक पाया गया। फेमिली प्लानिंग, के प्रशासनिक अधिकारी ने जांच की तो रिपोर्ट की कि प्राइमा-फेसी कुछ गड़बड़ मालूम होती है। इसलिए उसको तो रिवर्ट कर दिया गया। जांच अभी कर रहे हैं। इसका रिजल्ट निकलने पर जिसका कसूर होगा उसको सजा दी जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सूची सदन की मैंज पर नहीं रखी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको प्राप्त हुई कि नहीं ?

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : नहीं हुई।

श्री दामोदर लाल व्यास : जितनी संख्या थी वह बतादी।

प्राचीन चित्र और ग्रंथों की चोरी

१०६८. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(१) क्या यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों में प्राचीन चित्र और ग्रन्थों की राजकीय संस्थाओं से चोरियाँ हुई हैं ?

(२) यदि हाँ तो इस प्रकार की वारदातों से बचने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

(३) क्या यह सही है कि बीकानेर से लगभग बीस हजार प्राचीन ग्रन्थों का संग्रह राज्य के प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के सुपुर्द किया गया ?

(४) यदि हां तो इस समय इन ग्रन्थों को कहां रखा गया है ?

(५) क्या इन ग्रन्थों का स्टॉक रजिस्टर बना लिया गया है ?

(६) यदि हां, तो इन ग्रन्थों का मूल्यांकन पन्ने गिनकर तथा ऐसा समस्त विवरण उन रजिस्ट्रियों में दर्ज कर दिया गया है जिससे इन ग्रन्थों के बदले जाने की वारदातों का ज्ञान रहे ?

(७) यदि नहीं तो क्यों और अब कब किया जायेगा?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर):

(१) जी हां।

(२) सब प्रकार की सावधानी बरती जा रही है। कीमती ग्रन्थों को दुहरी तालाबन्दी करके रक्खा जा रहा है और उन्हें अब भी बाहर निकाला जाता है तो लिखा जाता है और वापिस रखने पर फिर लिखा जाता है और निकालने या रखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। जिन ग्रन्थों पर मुहर लगने पर खराब होने का भय नहीं हो उन पर मुहर लगा दी जाती है।

(३) २० हजार नहीं २१ हजार। इस वर्ष और ग्रन्थ भी अगले महीने में भेंट स्वरूप प्राप्त हो रहे हैं, उनकी संख्या लगभग १,५०० होगी।

(४) किराये के मकान में।

(५) जी हां।

(६) पन्ने गिनकर अंकित कर लिये गये। सचित्र ग्रन्थों का मूल्यांकन हो चुका है और शेष का जारी है। सभी ग्रन्थों का पूर्ण विवरण अंकित हो गया है।

(७) काम जारी है और लगभग १५ दिन में बिलकुल पूरा हो जायेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि कई चीजों की चोरी हुई है। क्या यह सही है कि जितनी चोरियां आज तक हुई हैं उनमें से एक का भी पता नहीं लगा ?

श्री शिवचरण माथुर: जी हां सही है चोरियों के बारे में पुलिस अब भी जांच कर रही है और पता लगा रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: पहले दो ताले नहीं लगते थे ?

श्री शिवचरण माथुर: ताले में भी हो सकती हैं चोरियां तो।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: किराये के मकान में डम्प करके डाल रक्खा है ?

श्री शिवचरण माथुर: सुरक्षित करके रखा गया है। विभाग की यह जिम्मेदारी है। सुरक्षित करके रखने की। उन्होंने सम्भाल करके रख दिया है। पन्नों की गिनती भी हो गई है मूल्यांकन भी हो गया है। कुछ का बाकी है जो १५ दिन में हो जावेगा।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत: कितने कमरे हैं उस मकान में ?

श्री शिवचरण माथुर: यह जानकारी मुझे नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : कमरों की कमी है, अलमारियों की कमी है, जिस ढंग से मैनुस्क्रिप्ट को रखा जाना चाहिये उसकी व्यवस्था कतई नहीं है। आप उस मकान का वर्गफीट आकार ही बता दीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : इस बारे में मैं, और जानकारी कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

कस्बा लाडनूं में डाक बंगले की जमीन

१०६६. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं में डाक बंगला बनाने के लिये विभाग ने कोई जमीन ले रखी है ? यदि हां, तो वहां पर कितनी जमीन कब ली गई थी और यह डाक बंगला कब तक बन सकेगा ?

(२) क्या इस जमीन का कोई भाग किसी को दे दिया गया है अथवा किसी ने नाजायज कब्जा कर लिया है ?

उपमन्त्री (श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा) :

(१) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(२) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : जब प्रश्न नहीं उठता तो जानकारी किस चीज की नहीं है ?

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा : आपके प्रश्न को आप खुद पढ़ें फिर पूछें।

श्री हरजीराम बुरडक : आप पहले पढ़कर फिर उत्तर दीजिये। मैंने तो लिखकर पूछा ही है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! अगला प्रश्न।

श्री आलम अली : तनखा मिलती है मन्त्री महोदय को इसकी भी जानकारी है कि नहीं ?

श्री माधोसिंह (भैंसवाड़ा): हमारे पास जमीन नहीं है, जब हमारी जमीन नहीं थी तो जानकारी कैसे हो सकती है।

श्री हरजीराम बुरडक : इसमें उत्तर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें सप्लीमेन्टरी बनता नहीं है।

श्री हरजीराम बुरडक : बनता है उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर डाक बंगला बनाने के लिये जमीन ली गई थी। विभाग

(श्री हरजीराम बुरडक)
द्वारा बोर्ड लगाया गया तहसील और स्टेशन के बीच में रोड़ पर कि साइट फॉर पी. डब्ल्यू. डी. रेस्ट हाउस।

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा : हमारे विभाग ने कोई बोर्ड नहीं लगाया। न जमीन ली है।

श्री हरजीराम बुरडक : आपके विभाग ने लगाया है। आपको पता नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : गलती से लगा लिया होगा तो हटा लेंगे।

श्री हरजीराम बुरडक : उस जमीन पर आप अपने विभाग का अधिकार नहीं समझते ?

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : कहीं यह बोर्ड पीछे लगा दिया गया हो और सरकार को पता नहीं हो ?

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा : जानकारी करूंगा कि बोर्ड किसने लगाया।

श्री नत्थोसिंह : आपके आदमियों ने लगा दिया। गलत बोर्ड लगा दिया इस लिये सवाल करना पड़ा।

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा : यह हमारे विभाग ने नहीं लगाया है।

श्री हरजीराम बुरडक : जमीन ऐक्वायर की गई है और आपको जानकारी नहीं है।

बीकानेर में जूआ खेले जाने सम्बन्धी जांच

१०७०. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) बीकानेर में कहां कहां जुआ चलता है ?

(२) क्या इसकी पुलिस ने कभी छानबीन की है ? यदि हां, तो उन्होंने अपनी जांच के अनुसार कहां कहां पर जुआ खेलना पाया और क्या क्या कार्यवाही की ?

उप-मन्त्री गृह (श्री खेतसिंह): (१) बीकानेर में जुआ निम्न मुहल्लों में चलने की सूचना मिलती रही है आचारयान, हमाखान, पठानान, कसाइयान की बाड़ी सट्टा बाजार।

(२) जी हां। पुलिस द्वारा उपर्युक्त स्थानों पर जुआ खेलना पाया गया जहां पुलिस ने समय समय पर छापे मारकर अभियुक्तों को पकड़ा व उनके खिलाफ चालान अदालत में पेश किये। गत: ३ वर्ष में १५१ व्यक्तियों को सजाएं हुई हैं।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि कोर्ट के सामने नरसिंहजी के मन्दिर के पास भी जुआ खेलते हैं ?

श्री खेतसिंह : मेरी जानकारी में तो यह नहीं है। आप देते है जानकारी तो मैं जांच करा लूंगा।

श्री हीरा भाई : क्या यह सही है कि अक्सर जुआ खेलने वाले पुलिस की शह से ही खेलते हैं और इसमें पुलिस विभाग का भी निश्चित हिस्सा है ?

श्री खेतसिंह : यह आपका खयाल है।

श्री नत्थीसिंह : हालांकि यह तथ्य है और खुद मन्त्री महोदय जानते हैं। यह बिल्कुल सोलह आना सही है कि जुआ जो लोग खेलते हैं वह पुलिस के सहयोग और साजिश से खेलते हैं। जब तक यह पता मन्त्री महोदय को नहीं होगा, वह इस बीमारी को मिटाना चाहते हैं तो उसे मिटावेंगे कैसे इसके बिना।

श्री उपाध्यक्ष : इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता।

श्री खेतसिंह : ज्योंही पुलिस को इत्तिला होती है फौरन ही धावा मारते हैं और फिर मैं निवेदन करूंगा कि यदि उनके ध्यान में ऐसा हो तो वह सूचना दें, हम जानकारी कर लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इस अड्डे में वह जगह भी शामिल है जहां स्टेक से ताश खेले जाते हैं ?

श्री खेतसिंह : यह तो मैंने बताया कि जुआ खेलने के स्थान थे, वह बताये। अब स्टेक से खेलते हैं या नहीं और स्टेक जुए में आता है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता रमी खेलते हैं वह जुए में आता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पैसों से ताश खेलते हैं उसको आप जुआ मानते हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : कानूनी प्रश्न है।

श्री हीराभाई : जो बांसवाड़ा जुआ खेलने वाली पार्टी आई मैंने उसकी इत्तिला पुलिस में दी फिर एस० पी० साहब ने कहा कि हीराभाई आप क्या करते हो जितने चुनाव लड़ते हैं वह भी जुआ है। इस तरह से कहा और जुआ खेलने वाली पार्टी को हमेशा पुलिस वाले मदद करते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ऐसी स्थिति में जब कि लाटरी के मामले में खुद सरकार जुआ खेलती है तो जुए को भी कानूनी मान्यता दे देनी चाहिए ?

श्री खेतसिंह : लाटरी जुआ नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में जुए को जब स्वाभाविक प्रवृत्ति माना है तो क्या उप-गृहमन्त्री जी इस सम्बन्ध में कोई कानूनी नियम लाने की बात सोचते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! अगला प्रश्न।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : क्या यह सत्य है कि कुछ जुआ खेलने वालों को गिरफ्तार किया उस दिन ७ पुलिस अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया था ?

श्री खेतसिंह : यह जानकारी मेरे पास नहीं है और यह अलग से प्रश्न है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : उस दिन ७ पुलिस अधिकारी शामिल थे और बाद में कोर्टगेट थाने में ले जाकर उन ७ को तो छोड़ दिया और बाकी को जेल में दे दिया।

श्री खेतसिंह : अगर आप स्पेसिफिक क्वश्चन पूछते तो जवाब दे देता।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ! श्री हरिवल्लभ शर्मा !

सवाई माधोपुर में काश्तकारों को बिजली के कनैक्शन्स

१०७१. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सहायक अभियन्ता, बिजली विभाग, सवाई माधोपुर के कार्यालय में सन् ६२ से सन् ६७ तक, काश्तकारों द्वारा किस किस तारीख को बिजली का कनैक्शन लेने हेतु शुल्क एवं सिक्योरिटी का रुपया जमा किया गया ? कृपया साल वार सूची नाम व तारीख सहित सदन की मेज पर रखें।

(२) कनैक्शन देने हेतु प्राथमिकता निश्चय करते वक्त क्या सिद्धान्त सहायक अभियन्ता द्वारा अपनाया गया और कितने मामलों में यह सिद्धान्त भंग किया गया और इसके क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम अजनोटी, सूरवाल, भगवतगढ़ तथा सवाई माधोपुर के काश्तकारों को तीन तीन साल सिक्योरिटी जमा कराये हुए हो गये किन्तु उन्हें कनैक्शन नहीं दिया गया और अब उनसे १५०० रुपये फी कनैक्शन बतौर एडवान्स अगेन्स्ट कन्जम्पशन मांगा जा रहा है ?

(४) क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा लिया गया यह निर्णय उन मामलों पर भी लागू होना राज्य सरकार की दृष्टि में उचित है कि जिनको स्वयं विभाग की त्रुटि के कारण इस नये सरक्यूलर से पहले कई वर्षों तक कनैक्शन नहीं दिया जा सका ?

(५) यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं, तो राज्य सरकार इन काश्तकारों को कनैक्शन दिलाने हेतु क्या कारगर कार्यवाही करेगी ?

राज्य मंत्री, विद्युत् (श्री जयकृष्ण शर्मा):

(१) सूची संलग्न है।

(२) कनैक्शन देने हेतु प्राथमिकता निश्चित करने के सिद्धान्त निम्न हैं:—

(क) सबसे पहले प्रार्थना-पत्र की प्राथमिकता शुल्क रसीद के अनुसार तथा प्रार्थना-पत्र के कार्यालय में इन्द्राज के अनुसार हरेक लोकेलिटी के लिये अलग अलग की जाती है।

(ख) उपरोक्त प्राथमिकता के अनुसार एस्टीमेट बनाये जाते हैं और यदि कनैक्शन तकनीकी तथा वित्तीय उचित होता है तो पैसा जमा कराने हेतु डिमाण्ड नोटिस दे दिया जाता है अतः दूसरी प्राथमिकता डिमाण्ड नोटिस के अनुसार पैसा जमा कराने पर निर्धारित की जाती है।

(ग) यदि कनैक्शन वित्तीय उचित नहीं होते तो उपभोक्ताओं को लाइन बढ़ोतरी के वित्तीय अनुचित (अनजस्टीफाइड़ कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन) अथवा मिनिमम गारन्टी (मिनिमम गारन्टी टू जस्टीफाई दी कैपीटल ईनवैस्टमैन्ट) का बांड जमा कराने हेतु सूचित किया जाता है।

Page No. 14

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(घ) डिमाण्ड नोटिस के अनुसार सर्विस लाइन चार्जेज जमा हो जाने पर लाइन का कार्य कराया जाता है।

(ङ) 'एल फार्म' तथा सिक्योरिटी आ जाने पर कनैक्शन दे दिया जाता है। यदि कोई काश्तकार जिसका कनैक्शन वित्तीय उचित नहीं होता है यह कार्यालय में आकर समय मांगता है और उसी लाइन पर कुछ और कनैक्शन लाने का वादा करता है तो ऐसे मामलों में काश्तकारों के हित को देखते हुए सिद्धान्तों में लचक दे दी जाती है।

(३) अजनोटी, सूरवाल, भगवतगढ़ तथा सवाई माधोपुर के काश्तकारों ने सिक्योरिटी की रकम प्रार्थना-पत्र दर्ज कराते समय जमा करादी थी, जिसकी आवश्यकता नहीं थी उपरोक्त लिखित सिद्धान्तों के अनुसार कनैक्शन देने के लिए लाईन की बढ़ौतरी का तकनीकी तथा वित्तीय उचित होना या विभाग के केपीटल इनवेस्टमेन्ट के अनुसार उपभोक्ता को मिनियम गारन्टी बाँड देना तथा सर्विस लाईन चार्जेज जमा कराना जरूरी है जिसके बिना कनैक्शन नहीं दिया जा सकता। सवाई माधोपुर क्षेत्र में केवल दो आदमियों ने १५००) रु० बतौर एडवांस कन्जेम्पशन जमा कराए हैं और इनमें से कोई भी भगवतगढ़, सूरवाल आजनोटी या सवाई माधोपुर का नहीं है। १५००) रु० केवल उस उपभोक्ता से मांगे जाते हैं जो जल्दी कनैक्शन लेना चाहते हैं और ऐसे लोगों की प्राथमिकता (प्रायोरिटी) अलग से रखी जाती है।

(४) इसका प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि प्राथमिकता के आधार पर आने देने की यह शर्त लागू नहीं होती जैसा कि ऊपर उत्तर दिया जा चुका है

(५) पैन्डिग प्रार्थना-पत्रों में से बहुतों को पैसा जमा कराने हेतु डिमान्ड नोटिस दिए जा चुके हैं और नियमानुसार कार्यवाही पूरी हो जाने पर जल्दी से जल्दी कनैक्शन दे दिया जावेगा तथा जिन उपभोक्ताओं के डिमान्ड नोटिस नहीं दिए गए हैं उन्हें शीघ्र डिमान्ड नोटिस भेज दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामकिशन : यह आपने उत्तर पढ़ा है या हनुमान चालीसा ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आपने प्रश्न संख्या २ के उत्तर में यह कहा है कि यह प्रार्थना-पत्र के साथ ही साथ काश्तकारों ने रुपया जमा करा दिया तो फिर डिमान्ड नोटिस देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आवश्यकता नहीं थी लेकिन जमा करा दिए विभाग ने जमा कैसे कर लिए जबकि आवश्यकता नहीं थी।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इसलिये ज़मा कर लिया कि उन्होंने आकर दरखास्तें दीं और ५ रुपये जमा कराने पड़ते हैं सिक्योरिटी के यह सवाल पैदा नहीं होता कि कोई आदमी अपना पैसा ट्रेजरी में जमा कराना चाहे तो उसको कोई मना नहीं किया जा सकता।

Page No. 15

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह रुपया विभाग में इलेक्ट्रिसिटी कार्यालय में जमा कर लिया है और वहीं की रसीद प्राप्त हुई है काश्तकारों को और कहने पर ही रुपया दिया गया है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : किनके कहने पर ?

श्री उपाध्यक्ष : विभाग के।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : असिस्टेन्ट इन्जीनियर इरीगेशनके आर्डर्स पर जमा कर लिये। प्रार्थना-पत्र के साथ ही रुपये दिये गये और जो सिक्योरिटी वगैरह मांगी थी प्रार्थना-पत्र के साथ ही ले ली यह आश्वासन देकर कि हम फौरन कनैक्शन दे रहे हैं।।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह जानकारी कर ली जायगी कि पैसे किस लिये ले लिए।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : तो जो १५०० रुपये लेने का सरकूलर जारी किया कि उनको प्राथमिकता दी जायेगी उसके बाद में दुबारा फिर इश्यू किये कि १५०० रुपये वालों की अलग प्रायोरिटी बना ली जाये और जिन्होंने पहले सिक्योरिटी दे दी है उनको प्राथमिकता अलग दी जायगी। पहले १५०० रुपयों वालों को दी जाय उसके बाद में बचे वह दूसरी लिस्ट के अनुसार जो प्राथमिकता में आयें उनको दी जाय तो इसके बारे में निवेदन यह है कि वहां पर इस सरकूलर का पालन नहीं होने के कारण यह किया जा रहा है कि १५०० रुपया जमा कराइये तभी कनैक्शन देंगे। इसीलिए यह प्रार्थना-पत्र पैंडिंग हैं। अगर इस प्रकार के स्पष्ट आदेश जारी कर दिये जायेंगे कि जो १५०० रुपये देने की स्थिति में नहीं हैं, और जिनका प्राथमिकता में नाम है उन्हें भी कनैक्शन दे दिया जाये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं और बता दूं कि 'एल फार्म' आने पर ही सिक्योरिटी जमा कराने की बात है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि वहां पर जो प्राथमिकता-१५०० रुपये की अलग दी जाती है और उसको अलग दी जाती है तो यह बात तो जानकारी करली जायगी। परन्तु १५०० रुपये उन लोगों के लिये लगाये जाते हैं जो प्राथमिकता के आधार पर नहीं आते हैं। 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व' उस पर नहीं आते उन लोगों से १५०० रुपये लिये जाते हैं ताकि जो प्राथमिकता वाले हैं उनके ऊपर वित्तीय स्थिति का भार न पड़े।

श्री दुर्गालाल बांदिदार : यह जो बिजली के कनैक्शन्स आप देते हैं वह 'एल फार्म' आता है इससे पहले आपकी विभाग की तरफ से टैस्टिंग के लिए असिस्टैन्ट इंजीनियर आता है उसकी फीस भी जमा कराते हैं। ऐसा है कि मैं मन्त्री महोदय के ध्यान में यह चीज लाना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से काश्तकारों के पास नोटिस गये हैं और टैस्टिंग के लिए १० रुपये या २० रुपये फीस के जमा कराने होंगे। इसमें आपके विभाग के इन्जीनियर्स जाते हैं और टैस्टिंग करते हैं अगर ऐसा प्रावधान है तो ऐसा क्यों है ? आप कहेंगे तो आपका नोटिस लाकर बता दूंगा।

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : आपने सूचना दी है उसके लिए तो धन्यवाद मगर एप्लीकेशन फी तो पहले देनी पड़ती है। वह एप्लीकेशन फी का रुपया जो भी हो

(श्री हरिदेव जोशी)
वह पहले दें उसके बाद में 'एल फार्म' जब दिया जाता है तब सिक्योरिटी का पैसा जमा करते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जब 'एल फार्म' आ जाता है तो उसका कनैक्शन देने से पूर्व कि वह उपयुक्त जगह है या नहीं तो आपके विभाग के इन्जीनियर्स मौका देखने की फीस के रूप में ऐसा लेता है ऐसी बात है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह १५००) रु० विशेष रुप से जमा कराने के बाद भी जो प्रायोरिटी लिस्ट है तो १५००) रु० जमा कराने वाला सुपर प्रायोरिटी लिस्ट में आजाएगा इस सबसे पहले क्या ? ऐसी स्थिति है क्या ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : ऐसी स्थिति नहीं है। लाइन पर कोई आदमी होता है और वित्तीय हालत पर कोई असर नहीं पड़ता है चाहे वह शेयर करे तो इसलिए ऐसा कोई आदमी है जो कि कनैक्शन लेना चाहता है और लाइन पर है, नजदीक पड़ता है तो १५००) रु० उससे खर्चे के लिए लेकर उसको कनैक्शन की प्राथमिकता दी जाती हैं। यह नहीं है कि बहुत बड़ी लाइन पर खर्चा करके १५००) रु० वाले को प्राथमिकता देने को तैयार हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक ट्रान्सफार्मर है उस पर १० कनैक्शन आप दे सकते हैं और १० एप्लीकेशन्स आपके पास में साधारण मौजूद हैं और ११ वां आदमी आता है और १५००) रु० जमा करता है तो उस ट्रान्सफार्मर पर इसको प्रायोरिटी देकर सबको बाद में देंगे या १० को पहले देंगे। क्या पोजीशन होगी ?

श्री हरिदेव जोशी : इसमें मिसअन्डरस्टैन्डिंग है। प्रायोरिटी की जो लिस्ट है तो टाप प्रायोरिटी उन्हीं लोगों को होती है जिन्होंने कि 'एल फार्म' दे रखा है और २५०) रु० सिक्योरिटी का पैसा जमा करा दिया है और जिनसे यह कह दिया गया है कि वे इस लिस्ट में हैं, जैसा कि आपने उदाहरण दिया है कि १० आदमियों को मिलेगा ही अगर फीजिबील है। फीजेबिलिटी तो है, किन्तु यदि कोई ऐसा एप्लीकैन्ट है जिसका कि पैसा जमा नहीं हुआ है और अगर वह प्रायोरिटी लिस्ट के अन्दर है तब १५००) रु० वाला उसके अन्दर ले सकता है। जब वह नहीं है तो वह नहीं ले सकता है। पहले वालों को दिए बगैर उसको नहीं दी जा सकती है। फीजेबिल हो, पहली शर्त तो यह है, दूसरी यह है कि प्रायोरिटी वालों को पहले दे दिया जाता है और उसके बावजूद उसमें उतनी क्षमता है तो उसको प्रायोरिटी दी जायगी।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री महेन्द्रसिंह ! आर्डर प्लीज !

श्री हरिवल्लभ शर्मा : एक इम्पोर्टेन्ट क्वश्चन है।

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय लग गया है इसमें। आर्डर प्लीज !

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या आपके...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिना अनुमति के ही......

श्री हरिवल्लभ शर्मा : इतनी बड़ी लिस्ट मुझे दी गई है इसके लिहाज से ही मैं पूछ रहा हूं। क्या आपके विभाग में यह आवश्यक है कि जो कुछ भी कैपीटल इन्वेस्टमैन्ट है १५ या २० कनैक्शन्स का जो कि एक ही लाईन पर दिए जाते हैं तो उसकी गारन्टी काश्तकारों से लिए जाने का कोई प्रावधान है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मिनिमम कन्जम्पशन का लिया जाता है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : गारन्टी का मतलब क्या है ? क्या कोई जमानत ली जाती है ?

श्री हरिदेव जोशी : गारन्टी से मतलब यह है कि कोई साढ़े सात हार्स पॉवर का अथवा ५ हार्स पॉवर का एक पम्प लगाना चाहते हैं तो उसके ऊपर जो मिनिमम कन्जम्पशन होना चाहिए वह हो अदरवाईज यह पोजिशन होगी की कनैक्शन लेकर उसको चलाये ही नहीं और दूसरे लोगों को न मिले इस लिए यह होता है मिनिमम कन्जम्पशन पर जैसे कि एक आर्डीनेरी कन्जूमर को भी मिनिमम पेमैन्ट करना होता है वैसे ही इनसे भी मिनिमम चार्ज करना होता है।

श्री श्रवणलाल : 'एल फार्म' क्या होता है ?

श्री हरिदेव जोशी : This is a prescribed document.

प्रश्न संख्या १०७२

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेंन्द्रसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०७३

श्री शिवनाथ सिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण !

बाड़मेर, बालोतरा तथा सिवाना क्षेत्र में अव्यवस्थित व अपर्याप्त विद्युत् वितरण।

१०७४. दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या विद्युत् मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राज्य सरकार को यह जानकारी है कि बाड़मेर, बालोतरा, सिवाणा में विद्युत् वितरण (बिजली सप्लाई) बहुत ही अव्यवस्थित और अपर्याप्त है? और इससे नागरिकों को बहुत असुविधा और कष्ट तथा हानि होती है ?

(२) क्या अव्यवस्थित और अपर्याप्त विद्युत् के कारण बालोतरा और सिवाणा के आस पास बिजली लगे हुए सिंचाई के कुओं पर फसल को बहुत हानि हुई है और अनेक कुओं में लगी मोटर जल गई हैं जिससे किसानों को भारी हानि उठानी पड़ी है ?

(३) इन स्थानों पर व्यवस्थित और पर्याप्त विद्युत् देने के लिए राज्य सरकार का क्या कार्यक्रम है और कब तक?

राज्य मंत्री विद्युत् (श्रीजयकृष्ण शर्मा): (१) बाड़मेर में तो पावर हाउस की क्षमता विद्युत् मांग के मुकाबले में कम है, लेकिन बालोतरा और सिवाणा की स्थिति में काफी सुधार है।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(२) इस एरिया में लोड स्टेगरिंग दबाव करना पड़ा लेकिन विद्युत् पॉवर दी गई है। मोटरें जलने की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(३) बालोतरा को तो जोधपुर से कनैक्ट किये लगभग एक साल हो गया है और सिवाणा को भी हाल ही में २०-२-६८ से जोधपुर से कनैक्ट कर दिया है। जोधपुर में ट्रान्सफार्मर की क्षमता कम है अतः वहां पर भी एक और ट्रान्सफार्मर लगाया जा रहा है जिसका कार्य चल रहा है। इससे स्थिति में और भी सुधार होगा। इसके अलावा चम्बल से भीलवाड़ा वाली लाईन से बिजली मिलने पर स्थिति में कुछ सुधार हो जावेगा। बाड़मेर में गत वर्ष तीन ८८ के० डब्ल्यू० के इंजिन लगाये थे लेकिन वहां पर उत्तरलाई हवाई अड्डे के बनने की वजह से बिजली की मांग बहुत बढ़ गई है। जब वहां पर पॉवर हाउस की क्षमता से अधिक बिजली की मांग है। वहां पर १०० किलोवाट का एक और सैट शीघ्र लगाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री विजयसिंह (मकराना): क्या वहां पर कुल ८ के० वी० का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न, श्री रामानन्द अग्रवाल।

करौली के कोतवाल तथा थानेदार के विरुद्ध शिकायतें

१०७५. **रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के पास कोतवाल करौली श्री रामविजयसिंह तथा करनसिंह थानेदार के विरुद्ध १५-१०-६७ को बुद्ध पहलवान नामक एक व्यक्ति के घर में रात्रि के समय जबरदस्ती घुस जाने और पैसे का लालच तथा पिस्तौल का डर दिखाकर उसके घर में लड़की और स्त्री से दुराचार करने के आग्रह करने की शिकायत प्राप्त हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त बुद्ध पहलवान ने इस घटना के सम्बन्ध में २०-१०-६७ को एक लिखित दरख्वास्त नगर कांग्रेस मण्डल, करौली को प्रस्तुत की ?

(३) क्या यह सही है कि कांग्रेस कमेटी करौली ने एक प्रस्ताव के द्वारा इस घटना पर तीव्र रोष प्रकट किया और राज्य सरकार से सम्बंधित अधिकारियों को तुरन्त सस्पैन्ड करने की मांग की ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त बुद्ध पहलवान ने एक दरख्वास्त एस० डी० ओ०, करौली के समक्ष दिनांक १०-११-६७ को प्रस्तुत की है जिसमें उसने कहा है कि उक्त कोतवाल के चाचा ने धोखे से मेरे दस्तखत करा लिए ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां तो क्यों।

उप-मंत्री गृह (श्री खेतसिंह) : (१) जी हां, इस प्रकार की शिकायत जो पुलिस महानिरीक्षक, व पुलिस उप-महानिरीक्षक रेन्ज को भी गई थी की प्रतियां प्राप्त हुई थीं जो अपर महा निरीक्षक, पुलिस

(श्री खेतसिंह)
सी० आई० डी० को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक २५-१०-६७ व २४-११-६७ को भेज दी गई थी।

(२) जी हां।

(३) राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव आना नहीं पाया जाता।

(४) एस० डी० ओ० करोली के पास भी कोई प्रार्थना-पत्र बुद्ध पहलवान द्वारा पेश किया जाना नहीं पाया जाता।

(५) शिकायत प्राप्त होने पर प्रारम्भिक जांच डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस, करौली द्वारा की गई है वह अब डी० आई० जी० रेंज द्वारा विभागीय जांच करने के आदेश दिये जा चुके हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि स्थानीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक प्रस्ताव और कुछ प्रस्ताव जो शिकायत इसमें की गई थी वह दोनों एक परचे के रूप में छपाकर वह छपे परचे के रूप में सरकार के पास शिकायत के रूप में भेजा है, और उस प्रस्ताव में यह कहा है कि यह बात बिल्कुल दुरुस्त है और इस थानेदार को फौरन सस्पेण्ड किया जाय।

श्री खेतसिंह : मैंने आपके प्रश्न के खण्ड दो में जवाब दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें यह जवाब दिया है कि ऐसा प्रस्ताव पेश किया है तो दूसरे में इन्कार किया है कि सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आई कांग्रेस कमेटी से।

श्री खेतसिंह : वह तो हमारे पास विभाग में इस प्रकार का परचा प्राप्त नहीं हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : विभाग के पास परचा प्राप्त नहीं हुआ ?

श्री खेतसिंह : इसलिए तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी नालेज है उस हिसाब से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री रामानन्द के उठने पर) आपकी तैयारी है नहीं इसलिये अगला प्रश्न।

श्री रामानन्द अग्रवाल : परचा छपा मेरे पास मोजूद है। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस कमेटी ने यह परचा छपवाकर भेजा है और इस प्रकार से रखा है अपने दफतर में और स्थानीय मंत्री महोदय गये तो उन्होंने उस परचे को फड़वा दिया, क्योंकि वे थानेदार उनके मरजीदान थे इसलिए उनके खिलाफ एन्क्वायरी नहीं बैठाई गई और आज तक भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, बावजूद इस बात के माने जाने के कि इस शख्स ने यह कार्यवाही की है और इसको सस्पेन्ड किया जाय। इसका कारण भी यही है।

गृहमंत्री (श्रीदामोनरलाल व्यास) : स्थानीय कांग्रेस कमेटी प्रस्ताव पास करे या कम्युनिस्ट पार्टी प्रस्ताव पास करे और सरकार के नोटिस में कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आये वह सरकार की नजर में बराबर है कांग्रेस कमेटी ने एक परचा छपवा दिया तो उसका महत्व नहीं बढ़जाता है। जहां तक शिकायत का सवाल है माननीय मंत्रीजी ने बता दिया कि डी. आई. जी. इसकी क्वायरी करेंगे और

(श्री दामोदर लाल व्यास)
यह एन्क्वायरी के हित में होगा कि माननीय सदस्य इस मामले की जानकारी करने की कोशिश नहीं करेंगे।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मैं, माननीय गृहमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पुलिस के अधिकतर मामले आते हैं वे खास तौर से फेल्योर होते हैं। इस पर अधिक तवज्जह दी जाय और यह देखा जाय कि वास्तविकता क्या है? जवाब आपका आधारपूर्ण नहीं होता है इसलिए इस पर ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : इसका ध्यान रखेंगे।

श्री खेतसिंह : यह बात गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल!

आयुर्वेदिक औषधालय, किशनगढ़-रेनवाल के वैद्य को वेतन का भुगतान

१०७६. **श्री श्रवणलाल (हिन्डौन)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत किशनगढ़-रैनवाल के आयुर्वेदिक औषधालय के वर्तमान वैद्य को करीब १८ हजार रुपया पिछले वर्षों के वेतन के रूप में चुकाये गये हैं?

(२) उक्त वैद्य जिन वर्षों का उन्हें वेतन चुकाया गया है कहां कहां पर कार्य करते रहे हैं?

(३) क्या यह सही है कि उक्त वैद्य ने १९५८, अप्रेल में विभाग को त्याग-पत्र दे दिया था?

(४) क्या यह सही है कि वे जोबनेर पंचायत समिति में सहवृत सदस्य भी रहे हैं?

(५) क्या यह सही है कि उक्त वैद्य किशनगढ़-रैनवाल न्याय पंचायत के सदस्य रहे हैं?

(६) क्या यह सही है कि उन्होंने १९६४-६५ में किशनगढ़-रैनवाल ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव भी लड़ा था?

उपमंत्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती प्रभा मिश्रा): उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आयुर्वेद विभाग से सम्बन्ध रखता है इसलिए वे अपने टर्न पर इसका उत्तर देंगे।

श्री भैरोंसिह : यह प्रश्न दो सत्र से चलता आ रहा है। गवर्नमेंट जान-बूझकर इसका जवाब नहीं देना चाहती है। इसमें इन्फोर्मेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो जवाब नहीं दिया जा सकता हो।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित है।

श्री भैरोंसिह : अयुर्वेद मंत्री से ही पूछा है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : स्वायत्त शासन मंत्री से पूछा है।

श्री भैरोंसिह : यह बात आप आज क्यों कह रही हैं? जिस समय प्रश्न पूछा था उस समय कहना चाहिये था। कई सालों से इसको टाला जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इतना गम्भीर है कि पिछले २ साल से माननीय सदस्य पूछते आ रहे हैं लेकिन किसी न किसी बहाने इसको टलाया जा रहा है यह तीसरी बार है। सन् ६७ के चुनावों से पहले यह प्रश्न पूछा गया था और

(श्री भैरोंसिह)
उसके बाद २ बार पूछ चुके हैं। कभी स्वायत्त शासन के नाम से टाला जाता है कभी दूसरे नाम से टाला जाता है। उपाध्यक्ष महोदय आप यह व्यवस्था करिये कि कल तक इसका जवाब आ जाय।

श्री हरीदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : स्वायत्त शासन विभाग को पूछा क्यों गया ? हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि सही ढंग से प्रश्न पूछा जाय। वैद्य के सम्बन्ध में पूछा है तो आयुर्वेद मंत्री को एड्रेस करना चाहिये था। स्वायत्त शासन विभाग ने उनके पास भेजा है।

श्री भैरोंसिह : पहले स्वायत्त शासन विभाग और आयुर्वेद विभाग एक ही मंत्री के पास था इसलिये उनको एड्रेस किया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न का उत्तर कल या परसों दे दिया जाय।

श्री भीखाभाई : यह स्वायत्त शासन विभाग से संबन्धित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आयुर्वेद विभाग ने यह लिख कर भेज दिया कि इस का संबन्ध स्वायत्त शासन से है। दोनों में से जो भी तय करें, उत्तर अवश्य दिया जाय कल या परसों।

श्री रामकिशन : किसी से संबंधित नहीं है तो नवाब साहब से जवाब दिलवादें।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न संख्या १०७७।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : इसमें यह दिक्कत हो जायगी, यह कम्पलीकैसी का प्रश्न है, इसमें पूछा है :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत किशनगढ़-रैनवाल के आयुर्वेदिक औषधालय के वर्तमान वैद्य को करीब १५ हजार रुपया पिछले वर्षों के वेतन के रूप में चुकाये गये हैं ?

(२) उक्त वैद्य को जिन वर्षों का उन्हें वेतन चुकाया गया है कहां कहां पर कार्य करते रहे हैं ?

इसमें पूछा है क्या यह सही है कि उक्त वैद्य ने १९५८ में अप्रैल में विभाग को त्याग-पत्र दे दिया था ?

क्या यह सही है कि वे जोबनेर पंचायत समिति में सहवृत सदस्य भी रहे हैं ?

क्या यह सही है कि उक्त वैद्य किशनगढ़-रैनवाल न्याय पंचायत के सदस्य रहे हैं ? इसमें आगे पूछा है क्या यह सही है कि उन्होंने १९६४-६५ में किशनगढ़-रैनवाल ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव भी लड़ा था। यह वह वैद्य है जो सरकार की सरविस भी करता है। पंचायत समिति में सहवृत सदस्य भी रहता है। यह चुनाव भी लड़ता है और इसको आप बकाया वेतन का भुगतान भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह निश्चय पहले से ही कर लिया जाय कि इसका जवाब कौन देगा आयुर्वेद विभाग देगा, या स्वायत्त शासन विभाग वाले देंगे या पंचायत विभाग के मंत्री देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष: इस प्रश्न का संबन्ध दोनों विभागों से है इस लिये दोनों मंत्री अपने २ हिस्से की तैयारी करके उत्तर दें।

श्री भीखाभाई : आयुर्वेद .....(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री भैरों सिंह : मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि इस प्रश्न का संबन्ध सीधा आयुर्वेद विभाग से है, इसलिये है कि ये आयुर्वेद विभाग में वैद्य थे, वहां से त्याग-पत्र दिया और चुनाव लड़ा । ३ वर्ष बाद बीच का ब्रेक कंडोन करके फिर अपोइन्ट किया इसलिये पूरा भुगतान आयुर्वेद विभाग को करना पड़ा है पंचायत विभाग बीच में कहीं नहीं आता ।

श्री हरिदेव जोशी: इसका अर्थ यह है कि स्वायत्त शासन विभाग से इसका ताल्लुक नहीं है, आयुर्वेद विभाग से ताल्लुक है ?

श्री उपाध्यक्ष : आयुर्वेद मंत्री इसका जवाब दे दें ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबन्ध में व्यवस्था चाहूंगा कि क्या ऐसा प्रश्न किया जा सकता है जिसमें अलग अलग मंत्री संबन्धित हों? अगर अलग मंत्रियों का संबन्ध प्रश्न से है तो क्या ऐसे प्रश्न के टुकड़े किये जायेंगे या कैसे जवाब दिया जायेगा इस बारे में व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अलग अलग मंत्रियों से उत्तर नहीं चाहा गया है, आयुर्वेद विभाग से उत्तर चाहते हैं क्यों कि फायल उनके पास है, उनको कब अपोइन्ट किया, कब त्याग-पत्र दिया, कब चुनाव लड़ा, कब सस्पैन्ड हुए, कब डिसमिसल हुआ, कब बकाया रकम का भुगतान किया । दिक्कत यह आती है कि पहले आयुर्वेद का महकमा और स्वायत्त शासन का महकमा एक मंत्री के पास था जैसे मुख्य मंत्रीजी के पास जी. ए. डी. है, आपके आपस में झगड़े हैं इसलिये कब कौनसा महकमा किसके पास चला जाता है इसका पता नहीं चलता ।

श्री उपाध्यक्ष : एक प्रश्न २ टुकड़ों में बांटा जा सकता है और अलग अलग हिस्से का उत्तर अलग अलग सम्बन्धित मंत्री दे सकते हैं लेकिन प्रश्नकर्त्ता इस बात से संतुष्ट हैं कि आयुर्वेद मंत्री जी से इसका उत्तर दिला दिया जाय ।

श्री शंकरलाल : अलग अलग विभागों से संबन्धित प्रश्न है तो विधान सभा सचिवालय को अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहिये उस प्रश्न को ।

श्री विजय सिंह (मकराना): यह प्रश्न गृह मंत्री जी से संबन्धित है क्योंकि उसने ४२०.का मामला किया है ।

चिकित्सालयों आदि का बजट

१०७७ श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा-जोधपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(१) राज्य में कुल कितने हॉस्पिटल ग्रेड तृतीय, प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स, सब सेन्टर्स, डिस्पेन्सरीज एवं एड पोस्ट्स हैं?

(२) इनका अमला कितना २ निर्धारित है ?

(३) इनका सालाना बजट कितना है ?

(४) इनके एलोकेशन के क्या आधार हैं ?

(श्री ओमदत्त भाटी)

(५) पंचायत क्षेत्रों में इनके खोले जाने के लिये पंचायत से या अन्य प्राइवेट पार्टी से कितनी-कितनी रकम सरकार को मिलनी चाहिये ?

संसदीय सचिव (श्री मुल्क राज): राज्य में ५ अस्पताल हैं ......

श्री विजय सिंह (मकराना) : ये कौन से मंत्री महोदय हैं ?

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर) : इनका परिचय तो करा दीजिये हम जानते नहीं हैं। नाम तो जानें।

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : ये पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी हैं।

श्री भगवान दास शास्त्री : नाम क्या है इनका ?

श्री दामोदर लाल व्यास : श्री मुल्कराज।

श्री मुल्कराज : (१) राज्य में ५ अस्पताल ग्रेड तृतीय, २३१ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ५०२ उप-केन्द्र, एवं १७८ डिस्पेन्सरियां तथा ३३ एड पोस्ट डिस्पेन्सरियां हैं।

(२) इनका अमला रेशनेलाइज्ड पेटर्न के अनुसार निर्धारित है।

(३) अस्पताल श्रेणी सन् ६७-६८

तृतीय के लिये	.० १३,६००) रु०
प्राथममिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप-केन्द्रों के लिये	४०,२२,०००) रु०
डिस्पेन्सरियों के लिये	५३,४०,०००) रु०
एड पोस्ट डिस्पेन्सिरियों के लिये	४,६५,०२०) रु०

(४) इनका एलोकेशन रेशनेलाइज्ड पेटर्न व पिछले वर्ष के वास्तविक व्यय के आँकड़ों के अनुसार किया जाता है।

(५) १०,०००) रु०

श्री ओमदत्त भाटी.—यह रेशनेलाइज्ड पैटर्न क्या है ?

श्री दमोदर लाल व्यास : रेशनेलाइज्ड....

कई मा० सदस्य : जवाब उनको देने दें, ट्रेनिंग ली होगी कुछ तो इन्होंने।

श्री मुल्कराज : माननीय मंत्री महोदय इजाजत दें तो मैं दे सकता हूँ जवाब। राज्य सरकार के द्वारा एक कमेटी कायम की गई थी जिसने २३-८-६२ को अपनी रिपोर्ट दी। उसके द्वारा तय किये गये आंकड़ों के हिसाब से तय किया जाता है।

श्री ओमदत्त भाटी:बड़े होस्पिटल्स जिस श्रेणी में होते हैं उनको रेशनेलाइज्ड पेटर्न में कितना देना चाहिये।

श्री दामोदर लाल व्यास: यह सूची में दिया हुआ है।

[redacted] Page No. 24

श्री ओमदत्त भाटी : सूची देनी चाहिये थी ।

श्री दामोदर लाल व्यास : उसकी कॉपी चाहिये तो अभी दे दूंगा ।

श्री ओमदत्त भाटी: आपने कहा कि पंचायत क्षेत्र में खोलने के लिये १००,००) मिलने चाहियें तो क्या १०,०००) में अस्पताल खुल सकता है ?

श्री दामोदर लाल व्यास: आज के बदलते हुए जमाने को देखकर ये १० हजार रुपये जो रखें हैं उनको भी बदलना पड़ेगा ।

श्री ओमदत्त भाटी: एड पोस्ट होंगे, या प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स होंगे । ये १० हजार में खोल देंगे क्या ?

श्री दामोदर लाल व्यास : यह आपको किसने कहा ? न तो डिस्पेन्सरीज, न एड पोस्ट, न अस्पताल इस साल में खुलनेवाले हैं । बजट आपके सामने है ।

श्री नत्थीसिंह: किसी ने जमा करा दिये हैं तो उनको वापिस नोटिस देदें कि अपने रुपये उठा ले जावें ।

जयपुर शहर में मकानों एवं दुकानों पर गुलाबी रंग

१०७८. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नगरपरिषद् जयपुर ने जयपुर शहर के परकोटे के भीतर गुलाबी रंग को कायम रखने के लिये नियम बना रक्खे हैं जिसके अनुसार मकानों, दुकानों पर गुलाबी रंग करना अनिवार्य है ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रक्खें ।

(२) क्या यह सच है कि मेन बाजारों व गलियों में कई लोगों ने अपने मकानों व दुकानों को विभिन्न रंगों से रंग रक्खा है? यदि हां तो उनके खिलाफ नियम विरुद्ध कार्यवाही करने पर क्या कार्यवाही की जाती है ?

(३) क्या सरकार जयपुर के गुलाबी रंग को बनाये रखने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं ।

(२) जी हां । प्रश्न के भाग एक के अनुसार कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(३) प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह प्रश्न किस स्टेज पर कब से विचाराधीन है ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : म्युनिसिपल कमेटीज के बाइ लॉज रिवाइज होकर आये हैं । चीफ टाउन प्लानर, नगरपालिका के प्रशासक और अन्य अधिकारियों की कमेटी की मीटिंग २८-३-६८ को हुई थी उसके सामने इनको रखा गया था उनकी रिपोर्ट आने पर विचार किया जायगा ।

Page No. 25

(१२ मध्याह्न)

कनवास ग्राम में बिजली की मांग

१०७९. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या सांगोद तहसील के कनवास गांव द्वारा पिछले कई सालों से बिजली की मांग की हुई है और चीफ इंजीनियर हैल्थ ने भी विभागीय वाटर वर्क्स स्कीम को दृष्टि में रखते हुये बिजली के लिये सिफारिश की थी ? यदि हां, तो कनवास को बिजली देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(२) सांगोद तहसील में उजाड़ नदी पर लगे सरकारी व प्राइवेट पम्प की संख्या को देखते हुये और उनसे होने वाली सिंचाई को ध्यान में रखते हुये क्या विभाग बिजली की लाइन सम्बन्धित गांवों तक पहुंचाने का प्रबन्ध करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, विद्युत् (श्री जयकिशन शर्मा): (१) जी हां । किसी भी स्वीकृत योजना में यह गांव शामिल नहीं था ।

(२) जी हां । योजना बनाने पर लाभप्रद होने और धन राशि की उपलब्धि होने पर ही बिजली दी जा सकती है ।

श्री जुझारसिंह : क्या इसको अगली योजना मे शामिल करने का फैसला किया है कनवास को ?

श्री जयकिशन शर्मा : मैंने कहा है कि इस योजना में पैसा मिलने पर इसको शामिल किया जा सकेगा ।

श्री जुझारसिंह : दो प्रश्न हैं—एक तो नदी का लिफ्ट का है, इसके बारे में कल ही इर्रीगेशन मंत्री महोदय ने फर्माया कि वहां पर सांगोद तहसील में पांच हजार एकड़ में लिफ्ट की सिंचाई के साधन हैं और उसमें से एक हजार एकड़ में सिंचाई हो रही है । इसकी सर्वे आलरेडी उसने करली है तो इसको देखते हुए क्या बिजली देने का प्रावधान फर्मायेंगे ?

श्री जयकिशन शर्मा : हम इसकी सर्वे करा रहे हैं कि जो रिटर्न्स है वह ठीक मिल सकेंगे या नहीं ? हम अपने डिपार्टमेंट का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका रिटर्न भी मिल सकेगा या नहीं—इस बात की सर्वे करा रहे हैं । इर्रीगेशन डिपार्टमेंट ने इर्रीगेशन के लिहाज से सर्वे कराई है । अगर हमारी सर्वे ठीक होगी तो इसको योजना में सम्मिलित करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री जुझारसिंह : कनवास पुराना तहसील हैड क्वार्टर है । इसका इर्रीगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, इस जगह की इम्पोर्टेन्स है । वाटर वर्क्स की दृष्टि से मांग की है नेक्स्ट गांव में हो बिजली लगी हुई है तो इसमें भी क्या आप बिजली लगाने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री जयकिशन शर्मा : मैंने निवेदन किया कि जैसे ही धनराशि मिलेगी इसको योजना में सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ! श्री भैरोंसिंह !

चुंगी कर से मुक्ति

१०८०. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल-जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री भैरोंसिंह)

(१) राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका अधिनियम की धारा १०७ उप-धारा ५ के अन्तर्गत किस-किस व्यक्ति अथवा फर्म या कम्पनी को इस वर्ष उसके द्वारा किस किस प्रकार के सामान का किस किस नगरपालिका क्षेत्र में आयात करने पर चुंगी कर से मुक्त करने के आदेश प्रदान किये हैं ? और किन आधारों पर ?

(२) इस प्रकार के आदेश से किस-किस नगरपालिका की आय में कितना-कितना अन्तर आया है तथा इसकी पूर्ति के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?

(३) क्या इस सम्बन्ध में सम्बन्धित नगरपालिकाओं की राय ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हाँ, तो किन-किन से ? इन नगरपालिकाओं की क्या राय थी ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) उद्योग विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों की सिफारिश पर उद्योगों को प्रोत्साहन देने एवं संस्थाओं को मदद की दृष्टि से वर्ष १९६७ में चुंगी कर में जो छूट दी गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) नगरपालिकाओं की आय में विशेष अन्तर नहीं आता है । अपरोक्ष रूप में आय में वृद्धि होती है । राज्य सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

(३) नगरपालिका अधिनियम, १९५९ के अनुसार नगरपालिकाओं से राय प्राप्त करना आवश्यक नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : यह आपने कहा कि नगरपालिकाओं की आय में विशेष अन्तर नहीं आता है, तो क्या सरकार ने इस बात का कोई असेसमेंट किया है ?

श्री रामकिशन : यह किया है कि विशेष अन्तर नहीं आता है ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जैसा प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया है कि अपरोक्ष रूप में आय में वृद्धि होती है । इसके अलावा माननीय सदस्य को मालूम है कि बजट भाषण के समय मंत्री महोदय ने कुछ घोषणायें की थी कि चुंगी पर और छूट दी जायगी, तो उसके लिए सरकार विचार कर रही है । इससे जो नगरपालिकाओं की आय में कमी होगी उस कमी को कैसे पूरा किया जाय --इसके लिये फार्मूला विचाराधीन है ।

श्री भैरोंसिंह : वह आपने भविष्य की बात कही है, मैं इसके लिए पूछ रहा हूं कि यह जो छूट की घोषणा की, इसका आपने असेसमेंट कराया है या नहीं कि इससे नगरपालिका की आय में कितनी कमी आयेगी ? आपने बताया कि अपरोक्ष रूप से कुछ मदद मिल जायगी । तो अपरोक्ष रूप से मदद मिलने का कितने का अनुमान है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह एग्जेक्ट फिगर्स मेरे पास नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : फिगर्स है या नहीं, आप यह बताइये कि असेसमेंट किया है या नहीं ? फिगर्स मत दीजिये ।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह था...

श्री भैरोंसिंह : नहीं, मेरे सवाल का जवाब आने दीजिये ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: आपने जिन नगरपालिकाओं के क्षेत्र में यह छूट दी है, इस प्रकार की छूट देने की नीति सारी नगरपालिकाओं के लिए है या केवल भवानी मण्डी और कोटा नगरपालिका के लिए ही है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जहां-जहां आवश्यकता है हर एक के लिए है ?

श्री भैरोंसिंह : आवश्यकता का निर्धारण किस आधार पर किया जायगा।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सरकार विचार करती है, जहां पर करने की आवश्यकता समझती है वहीं करती है।

श्री भैरोंसिंह : किन आईटम्स के ऊपर आवश्यकता महसूस की जाती है, मेरा क्वेश्चन यह है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने क्वेश्चन के उत्तर में बताया है कि जहां पर इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देना है वहां विचार विशेषरूप से किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी और नगरपालिकायें हैं जहां पर इस प्रकार की इन्डस्ट्री चल रही है या इन्डस्ट्री इन्स्टालेशन की स्टेज पर है, तो क्या उन नगरपालिकाओं में भी छूट दी है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार तो सब कुछ पर विचार कर रही है, सरकार इस पर विचार वहां इसलिए कर रही है क्योंकि कोटा की नगरपालिका जनसंघ के हाथ में है, इसलिए उसकी आय को घटाने के लिए चुंगी कर से मुक्त कर रही है।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भीखा भाई): यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने सेठों के सामने घुटने टेक दिये जिससे कि कोटा नगर पालिका की आय खत्म हो जाय। सेठों के पैर पकड़कर यह किया है।

श्री भीखा भाई : मैं कह सकता हूं (अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह: आप पूंजीवाद को प्रणाम करते हैं, इस सरकार ने सेठों को शाष्टांग प्रणाम किया है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि कोटा रेअन्स फैक्ट्री को चार साल का रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट देकर कोयले की चुंगी से माफ किया है और ७८ हजार रुपये का उसको फायदा दिया है, जिसकी रिकवरी के लिए कोटा नगरपरिषद् कार्यवाही कर रही थी, डिमाण्ड नोटिस जारी हो चुका था, लेकिन उसको चार साल का रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट देकर माफ किया गया है।

श्री भीखा भाई : यह प्रश्न अलग है माननीय सदस्य ने पूछा कि कितनी रिकवरी थी, कितना एरियर था। यह प्रश्न अलग से है। इस प्रश्न को अलग से पूछें।

श्री भैरोंसिंह : आप यह बता दें कि रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट दिया या नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह प्रश्न अलग से नहीं है, कोटा नगर परिषद् की ऑक्ट्राय की वसूली के लिये उसने जो

Page No. 28

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

डिमाण्ड नोटिस दिया उसको आपने रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से माफ किया है, उस ऑक्ट्राय के पैसे को वापिस उस नगरपालिका को दिलाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार की कार्यवाही आपने कोटा के अन्दर की है क्या राजस्थान की किसी भी म्युनिसिपैलिटी के अन्दर चुंगी कर माफ किया है?

श्री मूलचन्द डागा: सवाल यह है कि चुंगी कर माफ करने का जो आदेश दिया गया है वह किसके ऊपर माफ करने का आदेश दिया है—उद्योग के ऊपर जो कि फायदे के अन्दर चल रहा है और जो जमा हुआ है उसको चुंगी, कर से क्यों माफ किया गया है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह बात अक्ल की है?

श्री नत्थी सिंह: जवाब आने दीजिये।

श्री भीखा भाई: आमतौर पर जहां पर उद्योगों को पनपाने का सवाल होता है वहां करना होता है उसको सब जगह पर लगा नहीं सकते हैं। जहां तक कोटा का सवाल है वहां पर इन्डस्ट्रीयल क्लाइमेट तैयार हुआ है। वहां पर कोई इन्डस्ट्री लगाता है तो स्वाभाविक रूप से जो लगायेगा उसको इस प्रकार की सुविधा देनी पड़ेगी छूट देनी पड़ेगी। चुंगी कर की केवल एक तरह की छूट नहीं है, बिजली में छूट होगी, सिंचाई की दर में छूट होगी, जमीन की बिक्री में छूट होगी।

श्री मूल चन्द डागा: क्यों होगी?

श्री भीखा भाई: हम चाहते हैं कि औद्योगिकरण के जरिये से देश का विकास हो यह उसके पीछे भावना है, उस दृष्टि से जहां २ ऐसी सम्भावना है वहां के लिये विचार करते हैं। माननीय सदस्य कहते हैं कोटा के लिये तो-कोटा के अन्दर इन्डिस्ट्रयलाइजेशन की सम्भावना है। दूसरी जगह यह सवाल पैदा नहीं होता है। (अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह: यह जवाब दें कि रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट दिया या नहीं। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं।

श्री भीखा भाई: जहां भी सम्भावना है वहां यह सुविधा बराबर दी गई है।

श्री भैरोंसिंह: मेरा प्रश्न यह है कि रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से चुंगी कर से मुक्त किया गया है या नहीं? मैं जो पूछना चाहता हूं वह आप नहीं सुनते हैं और जो आप बोलते हैं वह हाउस नहीं सुनता है।

श्री भीखा भाई: मैं निवेदन करूं...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय प्रश्नकर्ता।

श्री भीखाभाई: कोटा में मुक्त किया गया है जोधपुर में मुक्त किया गया है, जिला परिषदों में किया गया है, भीलवाड़ा में मुक्त किया गया है। कई जगह दिया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: प्रश्न यह है, कोयले पर रेअन्स फैक्ट्री का चार साल का चुंगीकर की रिकवरी करना बाकी थी उसके लिए डिमाण्ड नोटिस कोटा नगर परिषद

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
जारी कर चुकी थी। नोटिस जारी हो चुका था। उसके बाद चार साल का रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट दे कर चुंगी कर को माफ किया है और इस तरह से कोटा नगर परिषद् को ७८ हजार रुपये का नुकसान पहुंचाया है।

श्री उपाध्यक्ष: रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से किया है या नहीं ?

श्री भीखा भाई : चार साल की....

श्री कृष्ण कुमार गोयल: उसका डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिया गया था।

श्री भीखाभाई: माननीय सदस्य जो जानकारी चाहते हैं वह इस समय जानकारी मेरे पास नहीं है मैं जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह आपकी जानकारी में है कि रेअन्स फैक्ट्री को ७८ हजार की चुंगी कर की माफी करके १ लाख रुपया कांग्रेस पार्टी ने लिया है ?

श्री भीखा भाई: यह बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिह: इधर तो टैक्स को माफ़ कर दिया और उधर कांग्रेस फंड के लिए पैसा ले लिया, चुनाव के लिए और कहते हैं कि कोटा का इण्डस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं।

श्री जयकिशन शर्मा : ऐसा कोई कारण नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप इसकी जांच करायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह मामला बहुत गम्भीर है, राजस्थान विधान सभा से सरकार अधिकार लेकर टैक्स लगाती है। जो भी टैक्स राजस्थान में लगे हैं वह विधान सभा से पास कराये हैं। लेकिन विधान सभा के पास किये हुए कानून की यह सेंक्टिटि है कि राजस्थान सरकार रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट देकर करों से माफी दे दे और कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव के लिए पैसा ले।

श्री भीखा भाई: गलत है, बिल्कुल गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अगर इसको चेलेंज करते हैं तो जांच करायें भीखाभाई, ७८ हजार रुपया रेअन्स फैक्ट्री पर रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से माफ किया है और एक लाख रुपये की चुनाव फण्ड में मदद ली है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : डूब मरना चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : मन्त्री महोदय ने कहा है कि सब गलत है तो कौन सी बात गलत है। ७८ हजार की चुंगी कर की माफी दी गई है क्या यह बात गलत है ? या यह गलत है कि ७८ हजार की एवज में एक लाख की मदद नहीं दी गई है ? कौनसी बात गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अव्यवधान)

श्री श्रवणलाल : आप पूंजी पतियों के लिए तो टैक्स माफ करते हैं और गरीबों से वसूल करते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया; गवर्नमेंट जहां विरोधी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
दल की उन नगरपालिकाओं के अन्दर इस प्रकार की कार्यवाही करती है।

श्री भीखा भाई : जो माननीय सदस्य कह रहे हैं...

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य भीखा भाई के ऊपर निरर्थक ही उत्तेजित हो रहे हैं। यह भीखाभाई के वश की बात नहीं हैं। मुख्य मंत्रीजी के हुक्म से होता है। इन्हें परेशानी में क्यों डाल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय !

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन यह जो चन्दे की बात करते हैं तो जो दल पावर में होते हैं वह चन्दा ले सकते हैं तो कांग्रेस ने चन्दा लिया हो तो क्या आपत्ति है।

श्री सतीश चन्द अग्रवाल : टैक्स माफ करके हम चन्दा लेंगे तो हम गाली खायेंगे। यह कोई तर्क नहीं हो सकता। हम पावर में आयेंगे और हमें टैक्स माफ करके चन्दा लेंगे तो हमें भर पेट आप गाली दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकर्त्ता ?

श्री नत्थीसिंह: माननीय मंत्री ने यह कहा है कि जो पावर में हैं वह टैक्स माफ करके चन्दा ले सकते हैं। तो क्या यह सही है कि यह चुंगी कर गवर्नमेंट ने माफ किया है, जो स्टेट में कहीं नहीं किया है तो इस चुंगी कर को माफ करके आपने चन्दा लिया है ? क्या यह सही है ?

श्री भीखा भाई : गलत हैं, गलत है, गलत है, निराधार है।

श्री भैरोंसिंह : रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से माफ किया है या नहीं, उपाध्यक्ष महोदय इस प्रश्न का जवाब दिलवाइये ?

श्री हीरा भाई–कांग्रेस पार्टी पावर में है इसलिए वह इस ढंग से टैक्स माफ करके चन्दा वसूल करेगी। क्या आप यह कहना चाहते हैं ?

श्री नत्थीसिंह : कौनसी बात गलत है ? आप कहते है, गलत है, गलत है निराधार है। मैं कहता हूं कि सही है, सही है। जो सवाल रखे हैं उनमें गलत कौनसा है आप बताइये, आप बताइये आपने चुंगी कर में माफी दी यह बात सही है या नहीं ? दूसरा सवाल है, एक लाख रुपये का चन्दा लिया या नहीं ? आप बताइये इन दोनों में से कौनसी बात सही है, और गलत किसको कहते हैं ?

श्री भीखा भाई : इसलिये मैंने कहा कि यह जो पर्टीक्यूलर केस है जो उन्होंने पूछा उसकी मुझे जानकारी नहीं है इस वक्त।

श्री नत्थीसिंह : ये झूठ बोल रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जानकारी करके उत्तर दे दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जो इस संबंध में अधिसूचना निकाली है उसमें चार बरस पूर्व से वह लागू करने की घोषणा की है और इस प्रकार से चार बरस पूर्व की चुंगी माफ की है ?

श्री भीखा भाई : मुझे इस इन्डीवीजुअल केस के बारे में जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इन्डीवीजुअल छोड़ दीजिये।

Page No. 31

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आप थोड़े में कहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं थोड़े में ही कह रहा हूं। क्या यह ही है कि इस फैक्ट्री की चुंगी कर माफ करने का जो सरकारी आदेश निकाला है उसमें सारी फैक्ट्रीज के साथ यह रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट दिया है ?

श्री भीखा भाई : रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट नहीं दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको चैलेन्ज करके कहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, नोटिफिकेशन निकला हुआ है और माननीय उप-मंत्री ने आज से दस-पन्द्रह दिन पहले इसी सदन में स्वीकार किया है और आज मंत्री महोदय इनकार कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री किशनलाल शाह : क्या आप इस की जांच कराने को तैयार हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, नेक्स्ट।

श्री हीरा भाई : जांच कराने को तैयार हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट। क्या यह सही है कि इस चुंगी कर के सम्बन्ध में जब फाइल मंत्री महोदय के पास आई तो उन्होंने अपनी कलम से इस बात पर एतराज किया कि इसको रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट नहीं दिया जाये ? (श्री भीखा भाई से) इसको भी इनकार कर दीजिये।

श्री भीखा भाई : इस वक्त याद नहीं मुझे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : याद नहीं तो दिमाग खराब है।

श्री उपाध्यक्ष : याद नहीं है नेक्स्ट।

श्री हीरा भाई : मंत्री महोदय तो इसके लिये तयार नहीं थे लेकिन सुखाड़िया साहब के प्रभाव में आकर पूंजीपतियों का साथ दिया है। जब आप पर कलंक लग रहा है तो आप जांच कराइये और इसको निराधार साबित करिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री फूलचन्द बाफणा।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सेठों के सामने दण्डवत कर देते हो और लाखों रुपये चन्दा ले आते हो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाडिया : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाडिया : इसका सही उत्तर आना चाहिये। सही स्थिति क्या है। यह हाउस में आनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न पूछ लिया गया है।

श्री किशनलाल शाह : क्या सरकार इसकी जांच कराने को तैयार है ? उपाध्यक्ष महोदय, जांच की व्यवस्था होनी चाहिये कि कौनसी बात सही है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो आरोप लगाये हैं उसकी जांच हेतु कोई भी दो माननीय सदस्य कांग्रेस के ही नियुक्त हो जायें मैं उनके सामने अपने आरोप साबित कर दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह होना चाहिये। आप अक्सर कहा करते है कि सदन में गलत आरोप लगाये जाते हैं तो इसकी जांच कराइये। मामला बहुत सीरीयस है।

एक माननीय सदस्य : जांच की कोई आवश्यकता ही नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हरिदेवजी ने आपको इशारा कर दिया और आप बोलने लग गये। आप बहुत अच्छे आदमी है, बैठ जाइये।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष से हमेशा यही कहा जाता है कि हाउस में निराधार आरोप लगाये जाते हैं, तो कोई तरीका तो होना चाहिये यह मालूम करने का कि आरोप सही हैं या गलत हैं। जांच करने का कोई तरीका तो निकलना चाहिये। आप चन्दा लें यह तो समझ में आ सकता है, लेकिन सरकारी खजाने से रुपया माफ करके कांग्रेस पार्टी के लिये चन्दा लें यह इतना निकृष्ट काम है, इतना निन्दनीय काम है और इतना लज्जाजनक काम है ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सारी फाइल उपाध्यक्ष महोदय को दे दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, आप इसको देखलें और हाउस को सन्तोष दिलावें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, कृपया स्थान ग्रहण करिये। अगला प्रश्न, श्री फूलचन्द बाफणा।

राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित परीक्षाफल

१०८१. **श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि २९ जून, १९६७ के राजस्थान राज-पत्र में हाईस्कूल परीक्षा, सन् १९६१ का रिजल्ट २५२ पृष्ठों में और इन्टरमिजियेट परीक्षा, सन् १९६१ का रिजल्ट ७४ पृष्ठों में प्रकाशित हुआ है ? फुलस्केप साइज के ३२६ पृष्ठों में इन १९६१ के परीक्षाफलों का सन् में १९६७ में प्रकाशित करने का प्रयोजन क्या है और उपयोग क्या है?

(२) इन परीक्षाफलों की ये प्रतियां कितनी छपी हैं और कुल खर्च कितना आया है ?

(३) क्या यह सही है कि २९ जून, १९६७ के राज-पत्र में निम्नलिखित परीक्षाफल प्रकाशित हुए हैं :—

(१) विभिन्न परीक्षाफल १९६२ के २९८ पृष्ठ फुलस्केप साइज।

(श्री फूलचन्द बाफना)

(२) इंटरमीजियेट कक्षाओं के परीक्षाफल, १९६२ के ४८ पृष्ठ फुलस्केप साईज ।

(३) संस्कृत परीक्षाओं के रिजल्ट, १९६२ के ७ पृष्ठ फुलस्केप साईज ।

(४) पिछले वर्षों की किन किन परीक्षाओं के परीक्षाफल और भी १ अप्रेल, १९६७ से लगाकर आज तक राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित हुए हैं ?

(५) क्या ऐसा प्रबन्ध संभव नहीं है कि परीक्षाफलों का प्रकाशन (राज-पत्र में) सम्बन्धित परीक्षाफलों की घोषणाओं के तुरन्त पश्चात् ही किया जाय ?

शिक्षा मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर): (१) जी हां । बोर्ड के विनियमों में परीक्षा-परिणाम राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित कराने का प्रावधान है ।

(२) ३,५०० प्रतियां छपीं व ११,८८८.५० रुपये खर्च हुए जो बोर्ड द्वारा दिये गये ।

(३) जी हां ।

(४) १९६० से १९६४ तक की सारी परीक्षाओं के परिणाम १ अप्रेल, १९६७ से आज तक प्रकाशित कराये गये हैं ।

(५) राज-पत्र में समय पर परीक्षाफल के घोषणा के तुरन्त बाद प्रकाशित न होने के फलस्वरूप बोर्ड ने विनियमों में परिशोधन कर अब ऐसा पावधान कर लिया है कि बोर्ड का परीक्षाफल राज-पत्र में प्रकाशित कराने के स्थान पर परीक्षाफल की घोषणा के तुरन्त बाद वे स्वयं ही इसे प्रकाशित करादें ।

श्री फूलचन्द बाफना : इतने बरसों के बाद इतना रुपया खर्च करने की क्या जरुरत थी ?

श्री शिवचरण माथुर: मैंने निवेदन किया कि बोर्ड के रूल्स के अनुसार प्रॉवीजन है कि सारे परिणाम गवर्नमेंट गजट में प्रकाशित करने होंगे, यह आवश्यक है। इसीलिये प्रकाशित तो करने ही थे, देर से इसीलिये हुआ कि गजट की छपाई का और सामान बहुत था, इसलिये इन परिणामों को छापने में देरी हुई। अब बोर्ड ने फैसला किया है कि गजट में छपाना आवश्यक नहीं होगा और वे स्वयं अलग से छपवा देंगे ।

श्री नत्थूसिंह : छः बरस निकलने के बाद बोर्ड ने इतना खर्चा किया है । अब वे जब स्वयं छपवा देंगे तो क्या इमीजियेटली छपवा देंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : भविष्य में राज-पत्र में प्रकाशित कराना जरूरी नहीं रहेगा, तो जल्द ही छप जायेंगे ।

एक माननीय सदस्य : क्या इसका यही मतलब है कि राज-पत्र में परिणाम नहीं निकलेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : यही मतलब है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। स्थगित प्रश्न ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न हमेशा अन्त में रखे जाते हैं और वे हमेशा स्थगित हो जाते हैं और उनका कोई उत्तर नहीं मिलता। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न को लिया जाये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मेरा भी महत्व पूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा प्रश्न है आपका ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : १०९१।

श्री केसरीसिंह : १०९१ से पहले तो १०९० आयेगा, मेरा प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया।

डाकू अनारसिंह की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु

१०९१. **श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां)** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा जिले की तहसील शाहबाद में डाकू अनारसिंह किस तारीख को किस स्थान पर मुकाबले में मारा गया ?

(२) डाकू अनारसिंह व पुलिस मुठभेड़ के समय कितने पुलिस कर्मचारी व कितने डाकू थे ?

(३) डाकू अनारसिंह व पुलिस मुठभेड़ के समय पुलिस की ओर से कितनी गोलियां चलीं व दोनों के बीच में कितनी दूरी का फासला था ?

(४) डाकू अनारसिंह किस पुलिस अधिकारी की गोली से मारा गया ?

उप-मन्त्री गृह (श्री खेतसिंह) : (१) दिनांक २८-२-६७ को ग्राम सून्डा, थाना कस्बा थाना, जिला कोटा में पुलिस के साथ डकैत अनारसिंह व उसके साथियों का मुकाबला हुआ था जिसमें अनारसिंह डकैत मारा गया।

(२) डकैतों की तादाद लगभग ८-९ की थी, पुलिस की पार्टी के ७ कर्मचारी थे।

(३) पुलिस की ओर से १३५ राउन्ड और डकैतों की ओर से २०-२५ फायर किये गये। पुलिस और डकैतों के बीच का फासला लगभग १४२ कदम का था।

(४) श्री सूरजपालसिंह, मुख्य आरक्षी की गोली से अनारसिंह डाकू मारा गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि राजस्थान के गृह मन्त्री ने जुलाई, १९६७ को मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था कि डाकू अनारसिंह २८-२-६७ को नहीं मारा गया था ?

श्री खेतसिंह : यह तो मेरे पास सूचना नहीं है कि आपने क्या प्रश्न किया और क्या जवाब आपको दिया गया। मैं मालूम कर लूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जुलाई, १९६७ में प्रश्न किया था जिस पर गृह मन्त्री जी ने जवाब दिया था कि २८-२-६७ को डाकू अनारसिंह पुलिस की गोलियों से नहीं मारा गया। मैंने सप्लीमेंटरी पूछा था और उन्होंने जवाब दिया था कि डाकू अनारसिंह नहीं मारा

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

गया, उन्होंने जो सूची दी थी उसमें डाकू अनारसिंह का नाम नहीं था ।

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : ज्यादा मुनासिब यह था कि आप सवाल ही इस तरह का पूछते कि फलां तारीख को ऐसा बयान दिया गया या नहीं, तो उससे उस बयान को देख कर बताया जा सकता था । आपने सुझाव दिया है कि फलां तारीख को ऐसा बयान दिया गया था तो हम देखेंगे कि क्या डिस्क्रिपेन्सीज है ? ऑफ-हैन्ड तो कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सदस्य ने पूछा कि ८-२-६७ को एक प्रश्न पूछा गया था, उस समय तो असेम्बली ही नहीं.........

श्री भैरोंसिंह : जुलाई में पूछा था ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि डाकू अनारसिंह को ग्रामवासियों ने मार कर पुलिस के हवाले उसकी लाश को किया था ?

श्री खेतसिंह : यह सही नहीं है ।

श्री देवीदत गाड़िया : क्या यह सही है कि गांव वालों ने डाकू अनारसिंह को और उसकी एक बन्दूक को पुलिस के सुपुर्द किया था ?

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : जिंदा ही ।

श्री खेतसिंह : डाकू को गांव वालों ने पुलिस के सुपुर्द किया । पुलिस वाले उस डाकू को लेजा रहे थे तो डाकुओं के दूसरे दल ने पुलिस पर फायर किये और डाकू अनारसिंह भी पुलिस से अपने आपको छुड़ा कर भागने लगा तो पुलिस ने उसे भागते हुए को गोली से मारा ।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : यह आपका जबाब फेस पर ही झूठ लगता है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डाकू अनारसिंह डाकुओं की गोली से मारा गया ?

श्री खेतसिंह : यह गलत है ।

श्री भैरोंसिंह : फिर किसके द्वारा मारा गया ?

श्री खेतसिंह : मैंने प्रश्न के भाग ४ के उत्तर में कहा है कि हैड कान्स्टेबल सूरजपालसिंह की गोली से डाकू मारा गया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बात बिलकुल गलत है । डाकू अनारसिंह को घायल अवस्था में गांव वालों ने, जिन्दा अवस्था में पुलिस के सुपुर्द किया था । मैं इस वक्तव्य को चैलेंज करता हूं । यदि यह बात सिद्ध नहीं हो जाय तो मैं सदन से त्याग-पत्र दे दूंगा, वरना गृह मंत्री जी और उप-गृह मंत्री जी त्यागपत्र दें । गांव वालों के लिखित बयान मेरे पास में हैं । कोई फायरिंग नहीं हुआ, न पुलिस वालों की ओर से कोई फायरिंग हुआ और न डाकुओं की ओर से ही कोई फायरिंग हुआ, यह सब वक्तव्य गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, आर्डर, आर्डर, प्लीज ।

(श्री खेतसिंह उत्तर देने के लिये खड़े हुए)

उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय ग्रामीणों ने डाकू अनारसिंह को घायल अवस्था में पुलिस के सुपुर्द किया तो पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में लिया ?

श्री खेतसिंह : घायल का मैंने नहीं कहा यह तो आप अपनी ओर से फरमा रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : किसी भी स्थिति में हो क्या पुलिस वालों ने उसे अपनी कस्टडी में लिया ?

श्री खेतसिंह : यह सही है कि डाकू अनारसिंह ने गांव वालों से राशन मांगा, उस समय उसके पास टोपीदार बन्दूक ही थी, गांव वालों ने झपट कर उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस आई, और डाकू को अपने कब्जे में ले लिया। उसी गांव वालों ने डाकू के दूसरे साथियों को इस बात की इतला दे दी और वे डाकू गांव के बाहर मोर्चा लगा कर बैठ गये। ज्योंही पुलिस वाले डाकू को ले कर गांव से बाहर निकले कि डाकुओं ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरु कर दी, डाकू अनारसिंह भी छुड़ा कर भागा और भागते हुए डाकू को पुलिस ने गोली मारी और उससे वह डाकू खत्म हो गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस डाकू के गोली मारी गई, उस डाकू के पुलिस ने हथकड़ी डाली थी ?

श्री खेतसिंह : हथकड़ी नहीं डाली क्योंकि वह आर. ए. सी. की पोस्ट थी, रस्सी से डाकू के हाथ बांधे थे पर वह छुड़ा कर भाग गया और भागते हुए के पुलिस ने गोली मारी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का बयान हाऊस में दिया है, यह बिलकुल गलत दिया है।........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर! आर्डर! प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें यदि कोई माननीय सदस्य या मन्त्री हाउस में गलत बयान करते है तो उसके लिये नियमों में अलग प्रावधान है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल्स में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री श्रवणलाल : इस प्रकार का नियम लागू हो जाय तो दुबारा कभी इस प्रकार का गलत बयान नहीं दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा अगर प्रावधान नियमों में है तो मै अभी १० मिनट में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन रखता हूं, उसे लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों पक्षों को सुनकर बाद में एडमिट करने का प्रश्न उठेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनके लिये झूठ की सीमा बांध दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपका कहना है कि गांव वालों ने डाकू को जिंदा हालत में पुलिस को सौंपा और वह और परिस्थितियों में मारा गया और मंत्री महोदय का और कहना है, आपके पक्ष और उनके पक्ष की राय में मेल नहीं है। यह किस्सा यहीं समाप्त होता है.....

श्री रामचन्द्र आर्य : यहीं समाप्त नहीं होना चाहिये। इस प्रकार का गलत बयान करना,-इनके लिये शर्म की बात है।

श्री भगवानदास शास्त्री : महिला के घर से जिंदा अवस्था में पकड़ा और थाने में ला कर गोली मार दी.... ...

श्री लालचन्द्र वैद : यहां गलत बयानी हो, उसका इलाज होना चाहिये। गृह मंत्री जी ने यहां सदन में बयान दिया था कि कुछ नहीं निकला राजगढ़ में, पर सारी राजगढ़ की जनता साक्षी है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : रोजमर्रा विरोधी पक्ष की ओर से ट्रेजरी बैंचेज के लिये गलत बयानी, गलत बयानी कहा जाता है, उसका इलाज होना चाहिये।

श्री नत्थीसिंह : मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ कि जो गलत बयानी होती है, उसका इलाज होना चाहिये।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर ! माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : रोज खुद गलत बातें करते हैं और कहते हैं कि गलत बयानी होती है .. ....

श्री नत्थीसिंह : यहां गलत बयानी मन्त्री महोदय ने की है या किसी माननीय सदस्य ने, उसके लिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में हाउस की एक कमेटी बैठाई जानी चाहिये.. ....

श्री प्रद्युम्नसिंह : जिससे कि इनको भत्ता मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! स्थान ग्रहण करें।

हर बात के दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष कहता है कि यह सही है और दूसरा पक्ष कहता है कि यह गलत है, यह बात चलती रहती है। लेकिन सचमुच कोई ऐसी स्थिति हो, जिसमें तथ्यों के बारे में चैलेंज किया जा सके और गलत बयानी सिद्ध होती हो तो उसके लिये नियमों में प्रावधान है, उसके अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। सारे नियम यहां क्वोट किये जाने संभव नहीं हैं आप नियम ढूंढिये, नियमों को पढ़िये, नियमों में ऐसी तजवीज है, जिसके अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकार की तरफ से गलत उत्तर दिये जाँय.......

श्री उपाध्यक्ष : आप कैसे मानते हैं कि गलत उत्तर है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार की गलत प्रवृत्ति को नहीं पनपनें देंगे। यह कोई मजाक थोड़े ही है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री जयनारायण सालोदिया : स्थगित प्रश्न है.........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें, इस प्रकार का वातावरण माननीय सदस्य नहीं बनायें।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह पहले भी स्थगित हुआ था। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

Page No. 38

श्री उपाध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर है, थोड़ा नियमों का ध्यान रखिये। समय समाप्त हो गया। प्रश्नों का समय १२ बजे तक का था। साढ़े बारह बज गये हैं। बहुत अधिक समय हो गया है। मैं तो माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहा पर समय चला गया।

श्री जयनारायण सालोदिया : तो फिर इसको स्थगित कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, कल एक प्रश्न पूछ लिया गया था। मन्त्री महोदय उत्तर नहीं दे सके कल आज के लिये कहा था कि उत्तर दे दिया जायगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टेट के एक्सचेंकर का टोंक का प्रश्न है, बहुत लोगों का कर्जा चुका दिया गया था, कोई गारन्टी नहीं थी, फोर्ज्ड गारन्टी पर पेमेंट किया गया, मन्त्री महोदय उसका उत्तर कल दे नहीं पाये थे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि आज समय ज्यादा हो गया है, अगर सुविधाजनक हो तो कल उत्तर दे दिया जाय।

मेजर श्री फतेहसिंह : मैंने तारीख २९ मार्च को...........

श्री रामानंद अग्रवाल : राजस्व मंत्री तो जबाब के लिए तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समय अधिक हो गया।

मेजर श्री फतेहसिंह : मैंने तारीख २९ मार्च को एक विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें जानकारी मांगी गई है, जानकारी प्राप्त होने पर उस पर व्यवस्था दी जायगी।

मेजर श्री फतेहसिंह : विधान सभा अधिवेशन स्थगित होने वाला है, इसलिए कल आपकी तरफ से व्यवस्था मिलनी चाहिए।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जो यह प्रश्न आपके सामने रखा गया, जब हम आपके सामने निवेदन करते हैं कि हमें उत्तर गलत दिये जाते हैं... ..

श्री उपाध्यक्ष: ५ तारीख तक इस बात पर व्यवस्था दी जायगी।

श्री आलम अली : एक पुरानी बात है। एक आदमी पहले डाक्टर.......

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। आप सदन का समय कैसे ले रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आया, जब चाहें खड़े हो जाते हैं।

श्री आलम अली : आसन से निवेदन है कि सांप को झाड़ो.......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ठ २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मदनगंज में हाई-वे पर दुर्घटनाएं

१०६२. श्री सुमेरसिंह (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नेशनल हाई-वे मदनगंज के मुख्य बाजार में होकर गुजरता है ?

(२) क्या यह सही है कि नेशनल हाई वे की वजह से मदनगंज में अक्सर एक्सीडेन्ट होते रहते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि नेशनल हाई-वे को मदनगंज के बाहर होकर निकालने की योजना है ?

(४) यदि हां, तो इस योजना को अब तक कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) एक्सीडेन्ट की संभावना रहती है।

(३) बाई-पास बनाने की योजना है।

(४) वित्तीय एवम् प्रशासनिक स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर में उद्योग के लिए जमीन

१०६४. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इन्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर में किन किन लोगों को उद्योगों के लिये जमीनें आज तक दी गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इनमें से कितने लोगों ने अपने कारखानें लगा लिये हैं और कितने अभी बाकी हैं ?

(३) इन क्षेत्रों में जमीन दिये जाने के क्या नियम हैं ?

(४) ये सारी जमीनें लीज पर अथवा अन्य नियमों के मुताबिक ही दी गई हैं अथवा किसी पार्टी को कोई विशेष रियायत भी दी गई हैं ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) यह सूचना सूची में दी गई है।

(३) जमीन दिये जाने के नियम को सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) सारी जमीन उपरोक्त नियमों के अनुसार दी गई है।

किसी को कोई विशेष रियायत नहीं दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

इन्द्रगढ़ शहर की नल योजना

१०७२. श्री महेन्द्रसिंह पीपल्दा) :— क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की

Page No. 40

(श्री महेन्द्रसिंह)

कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि कोटे जिले की नायब तहसील इन्द्रगढ़ के म्यूनिसिपल टाऊन में नल लगाये जाने की योजना सरकार की है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा वहां का सर्वे भी किया जा चुका है ? यदि हां, तो इसका कार्य क्यों नहीं चालू किया जा रहा है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां, धनाभाव के कारण यह योजना स्वीकृत नहीं हो पाई है।

अध्यापकों को सैकिण्ड ग्रेड देने का आधार

१०७३. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) झुंझुनूं जिले में १९६७-६८ वर्ष में कितने अध्यापकों को थर्ड ग्रेड से सेकिंड ग्रेड दिया गया है तथा वह जयपुर डिप्टी डाइरेक्टर के क्षेत्र में कुल दिये गये सैकिण्ड ग्रेड की संख्या का कितना प्रतिशत आता है?

(२) डिप्टी डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग, जयपुर के कार्यालय के अधीनस्थ कुल कितने अध्यापक थर्ड ग्रेड के हैं तथा झुंझुनूं जिले में कुल कितने अध्यापक थर्ड ग्रेड के हैं ?

(३) थर्ड ग्रेड से सैकिण्ड ग्रेड किन आधारों पर दिया जाता है ?

उत्तर

(१) केवल १ को जो जयपुर जिले की सेकण्ड ग्रेड की संख्या का ०.५५ है।

(२) जयपुर जिले में १०,०९३ व झुंझुनूं में ९०३ अध्यापक हैं।

(३) द्वितीय श्रेणी में विभागीय आदेश के अनुसार तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती ५० प्रतिशत सीधी भर्ती से तथा ५० प्रतिशत पदोन्नति द्वारा की जाती है। जो सीधी भर्ती की जाती है वह विभाग द्वारा निर्धारित योग्यता (मेरिट) के अनुसार की जाती है।

द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति, योग्यता और वरिष्ठता कम योग्यता के आधार पर की जाती है। जिसका अनुपात १:२ का है। योग्यता (मेरिट) का फार्मूला हाईकोर्ट में चैलेंज किये जाने के कारण मेरिट पर ऑफिशीयेटिंग आधार पर पदोन्नति की जाती हैं।

द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों के पदों के लिए निम्न योग्यता बी० ए०, बी० एड० या समकक्ष परीक्षायें पास हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्राइमरी हेल्थ सेन्टर, बोंली का भवन

५७९. श्री रामप्रसाद बोहरा–(झालरापाटन): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि प्राइमरी हेल्थ सेन्टर, बोली, जिला सवाई माधोपुर, के

(श्रीरामप्रसाद बोहरा)
लिए रकम जमा हो चुकी है ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त सेन्टर का भवन अभी तक नहीं बनाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि बोंली, जिला सवाई माधोपुर के चिकित्सालय में दो-तीन साल से कोई डॉक्टर नहीं है ? यदि हां, तो क्या वजह है ? कब डॉक्टर भेजा जावेगा ?

(४) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त चिकित्सालय में स्टॉफ व दवाइयां आदि की कोई व्यवस्था नहीं होने से जनता बहुत परेशान रहती है ? यदि हां, तो व्यवस्था कब तक होगी ?

उत्तर

(१) जी हां ! १०,०००) रु० दिनांक २६-३-६४ को चालान १५५ मार्फत पंचायत समिति, ट्रेजरी बोंली के जमा हो चुके है।

(२) जी हां ! योजना के बजट में अर्थाभाव के कारण।

(३) जी हां ! राज्य में डाक्टरों का अभाव होने के कारण नियुक्ती नहीं हो सकी है। डॉक्टर उपलब्ध होते ही रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी जायेगी।

(४) जी नहीं ! बोंली में इस समय स्टॉफ में १ द्वितीय श्रेणी व १ तृतीय श्रेणी कम्पाउण्डर कार्य कर रहे हैं। उक्त स्टॉफ को दृष्टि में रखते हुए आवश्यकतानुसार दवाइयां आदि समुचित मात्रा में दी जा रही हैं।

चोरी का अनाज बेचने वाले व्यक्तियों के चालान

५८०. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि खेरवाड़ा तहसील, जिला उदयपुर में ग्राम कनबई सरेरा, पहाड़ा, कतरदास डेरी, रानी झाझारा के गांवों में अनाज गुजरात राज्य में चोरी से जाता रहा है ?

(२) यदि हां, तो जनवरी, १९६७ से फरवरी, १९६८ तक पहाड़ा पुलिस स्टेशन द्वारा किन व्यक्तियों को कहां पकड़ा गया तथा ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें पोटलियों द्वारा अनाज बाहर निकालते हुए पकड़ा गया ? ये लोग कहां कहां के है ? उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि पोटलियों के अलावा राजस्थान के इलाके के बाहर ऊंटों और ट्रकों द्वारा भी अनाज निकाला गया है ?

(४) यदि हां, तो जनवरी, १९६७ से फरवरी, १९६८ तक उक्त पुलिस स्टेशन पर कितने ऊंट व ट्रक पकड़े गये, तथा, जो अनाज पकड़ा गया उसको पुलिस ने अपने तेहवील में लिया या नहीं ?

(५) ऐसे कितने केसेज हैं जिनका अदालत में चालान किया गया है और इस प्रकार के भी कितने केसेज हैं जिनमें मौके

(श्री विद्यासागर)

पर ही निपटा दिया गया है ? नामावली सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) जी हां! ग्राम कनवई, सरेरा, पहाड़ा, कतरदास डेरी रानी भाभारा तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर के गांवों से अनाज चोरी से गुजरात राज्य में जाता हुआ पकड़ा गया।

(२) जनवरी, १९६७ से फरवरी, १९६८ तक पहाड़ा पुलिस स्टेशन द्वारा ५० व्यक्तियों को पकड़ा गया है। इन व्यक्तियों में से ४१ व्यक्ति पोटलियों में अनाज बाहर ले जाते हुए पकड़े गये। ये व्यक्ति कहां के निवासी हैं, कहां पकड़े गये है एवं उनके नाम क्या हैं, इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां ! पोटलियों के अतिरिक्त १८ ऊंटों से भी अनाज राजस्थान के इलाके से बाहर निकालते हुऐ पकड़े गये थे। ट्रकों से अनाज उक्त ग्रामों से होकर गुजरात राज्य में जाते हुए नहीं पकड़े गये। न ही ट्रकों से अनाज बाहर ले जाने की शिकायत प्राप्त हुई।

(४) जनवरी, १९६७ से फरवरी, १९६८ तक पहाड़ा पुलिस स्टेशन द्वारा १८ ऊंट पकड़े गये थे कोई ट्रक नहीं पकड़ा गया। ३,१५९ किलो अनाज जो इनसे पकड़ा गया है वह पुलिस ने कब्जे में लिया है।

(५) उक्त समय में कुल १० अभियोग पहाड़ा थाने में पंजीबद्ध हुए। इनमें से ६ अभियोग में चालान हुआ, ४ अभियोग पुलिस के पास अनुसंधान में विचाराधीन हैं। चालान किये गए ६ अभियोगों में से ३ अभियोगों में अदालत से सजा हुई व ३ अभियोग अदालत मे विचाराधीन हैं। ऐसा कोई अभियोग नहीं है जिसे मौके पर ही निपटा दिया गया हो। नामावली सूची देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट तीन देखिये)

बैलों की चोरी

५८१. श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ता० ३१-१०-६७ की रात्रि को ग्राम पथेना के निवासी श्री दलसिंह जाट के यहां दो बैलों की चोरी हुई थी जिसकी रिपोर्ट थाना भुसावर (जिला भरतपुर) में की गई थी ?

(२) क्या चोरी के बैल बरामद कर लिये गये हैं ?

(३) क्या इस चोरी के सम्बन्ध में किसी की गिरफ्तारी भी हुई है ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है कि दिनांक ३१-१०-६७ की रात्रि को चोरी की रिपोर्ट की गई थी बल्कि दिनांक १०-११-६७ को श्री दलसिंह जाट सा० पथेना ने २ बैलों के चोरी जाने की लिखित रिपोर्ट थाना भुसावर में प्रस्तुत की थी।

(२) दोनों बैल मुस्तगीस दलसिंह ने मौके पर दौराने अनुसंधान ग्राम पथेना में पेश किये थे जो पहले ही यह फिरोती देक

(गृह मन्त्री)

वापिस ले आया था और रिपोर्ट बाद में चोरी की अंकित कराई थी।

(३) जीहां! इस सम्बन्ध में दो मुल्जिमान श्रीअर्जुन पुत्र जवाहरिया मीना, सा० पथेना व दयाल, पुत्र मंगल मीना, सा० खाद रामा को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध चालान अदालत ए० एम० एम०, बयाना में पेश किया जा चुका है जो जेर तजवीज अदालत है।

श्री मोहनलाल ध्यान के विरुद्ध कार्यवाही

५८२. श्री दौलतराम आपरी (देसूरी): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि श्री मोहनलाल ध्यान, आर. आई. व आर. एस. आई., श्री टीकमसिंह पुलिस लाइन पाली, जिला पाली के खिलाफ श्री जोरावरसिंह एक्स. एच. सी. २०४, ने रिपोर्ट एस. पी. पाली को की थी? यदि हां, तो कब की गई? रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई?

(प्रश्न स्थगित किया गया)

दवाइयों का निर्धारित कोटा

५८३. श्री आइदानसिंह (भीनमाल): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अस्पतालों, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों व उनके अन्तर्गत सब-सेन्टर्स को दवाइयां और अन्य सामान दिये जाने के लिये कोई कोटा निर्धारित है? अगर हां, तो उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) यह कोटा निर्धारित करने का आधार क्या है?

(३) क्या यह सही है कि जिला जालोर के अस्पतालों, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों व उनके अन्तर्गत सब-सेन्टर्स में निर्धारित कोटे के अनुसार दवाइयां और सामान नहीं मिलता है? अगर हां, तो क्या कारण है?

उत्तर

(१) जी हां! दवाइयों आदि का कोटा रेशनलाइज्ड पैटर्न के अनुसार (प्रतिलिपि संलग्न है) निर्धारित है, पर अन्य सामान आवश्यकतानुसार ही स्थानीय अधिकारी की मांग एवं बजट प्रावधान के अनुसार दिया जाता है।

(२) उपरोक्त संलग्न प्रतिलिपि में अंकित है।

(३) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

तहसील चित्तौड़गढ़ में चोरियां

५८४. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि माह जनवरी और फरवरी, १९६८ में चित्तौड़गढ़ शहर व तहसील चित्तौड़गढ़ में चोरियां अधिक हुई? यदि हां, तो कुल कितनी हुई व किस किस तारीख को हुई तथा धन एवं जन की हानि कितनी हुई? सूची सदन की मेज पर रखी जावे

Page No. 44

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

(२) १ अप्रेल, १९६७ से अब तक किस माह में कितनी चोरियां चित्तौड़गढ़ जिले के किस किस थाने के अन्तर्गत किस किस तारीख को हुई तथा धन एव जन का कितना नुकसान हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(१) माह जनवरी-फरवरी, सन् १९६८ में चित्तौड़गढ़ शहर में १८ चोरियों की घटनाएें हुई। उनमें से दो अदम पता व ६जेर तफतीश हैं। तथा ४ चोरी बरामद की जाकर उनके मुकद्दमे अदालत में चालान किये जा चुके हैं जहां पर वो विचाराधीन है। उपरोक्त चोरियों मे कुल ५,७८२) रु० कीमतन का माल चोरी गया था जिसमें से कुल १९१९.३५ नये पैसे का माल वापिस बरामद किया गया है, तथा एक व्यक्ति के साधारण चोट आई थी। तहसील चित्तौड़गढ़ में माह जनवरी व फरवरी में कुल ३१ चोरियां हुई उनमें से एक चोरी का मामला अदम बकुवा रहा, ९ चोरियां अदम पता, १४ जेर तफतीश हैं तथा ७ का चालान पेश किया गया है, जो न्यायालय मे विचाराधीन हैं। उपरोक्त चोरियों में कुल १४,९९५ रु० कीमतन का माल चोरी गया था उसमें से कुल ५,२५०) रु० ८५ पैसे की कीमतन का माल बरामदगी किया जा चुका है। केवल एक व्यक्ति की उपरोक्त चोरियों की घटनाओं के दौरान मौत हुई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) १ अप्रेल, १९६७ से अब तक इस जिले में (चित्तोड़) जितनी भी चोरियों की वारदातें हुई हैं उनका पूर्ण विवरण साथ में संलग्न जिले के प्रत्येक थानेवार सूची में प्रस्तुत है। उक्त अवधि में इन वारदातों के दौरान एक व्यक्ति घायल हुआ व एक व्यक्ति की मौत हुई। कुल २,८४,२१९) रु० ३२ पैसे माल चोरी गया जिसमें से १,०६,१९८) रु० ५९ पैसे का माल बरामद किया गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम बायतू में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

५८५. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम बायतू, में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है?

(२) क्या यह सही है कि बायतू पंचायत समिति की जनता ने अपने हिस्से के दस हजार रुपये सरकार के खजाने में जमा करा दिए हैं ?

(३) क्या कारण है कि सरकार ने ग्राम बायतू में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया है?

(४) कब से बायतू में भवन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जावेगा और वहां स्थाई तौर पर डॉक्टर एवं स्टॉफ भेज दिया जायेगा?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(चिकित्सा मंत्री)

(३) योजना के बजट में अर्थाभाव के कारण।

(४) निर्माण के लिए योजना बजट में धनराशि उपलब्ध होने पर ही निर्माण कार्य सम्भव हो सकेगा। राज्य में डॉक्टरों का अभाव १९७० तक दूर होने की सम्भावना है। डॉक्टर उपलब्ध होते ही भेज दिया जायेगा। अन्य स्टॉफ भी समुचित संख्या में उपलब्ध होने पर ही भेजा जा सकेगा।

चौहटन से सड़वा व बाखासर जाने वाली सड़क

५८६. श्री अब्दुल हादी (चौहटन): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चौहटन से सड़वा व बाखासर जाने वाली सड़क यातायात का उक्त इलाके में एक मात्र साधन है?

(२) क्या यह सही है कि उक्त सड़क इतनी टूट गई है कि उस पर यातायात असम्भव सा हो गया है? क्या सरकार इस ग्रेवल रोड़ को डामर रोड बनाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो सरकार इस सड़क की मरम्मत के लिए क्या प्रबन्ध कर रही है?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) सड़क की दशा साधारण है, यातायात असम्भव नहीं है। डामर कार्य तृतीय योजना में स्वीकृत नहीं है। साधारण मरम्मत उपलब्ध धनराशि अनुसार की जाती है।

सड़कों के ठेके में अनियमितताएं

५८७. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि म्याजलार जैसलमेर सड़क पर श्री खजानसिंह नामक ठेकेदार का ठेका था और कार्य पूर्ण नहीं होने से पहले ही ठेका खत्म कर दिया गया है?

(२) क्या यह सच है कि श्री खजानसिंह के खिलाफ ग्राम खुड़ी व बरणा के मजदूरों की मजदूरी नहीं देने की शिकायत है और आज तक १४,००० रु० करीब मजदूरी बाकी है? अगर हां, तो आज तक ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

(३) क्या यह सच है कि जिला जैसलमेर में लोंगवाला पर हेली पेट बन रहा है और वहां पर विभाग द्वारा काम कराया जा रहा है जिसमें अनियमितताएं की गई है और उनकी शिकायतें भी खूब की गई हैं? अगर हां, तो उन अफसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? अगर नहीं की तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(१) जी हां, सही है।

(२) श्री खजानसिंह के खिलाफ मजदूरों को मजदूरी नहीं देने की शिकायत इस विभाग में प्राप्त हुई है। इस कारण ठेकेदार

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

के अन्तिम बिल का भुगतान रोक दिया गया है और जांच की जा रही है।

(३) जी सही है, यह काम विभाग द्वारा कराया गया है व कुछ काम ठेके में भी हुआ है इस कार्य में की गई अनियमितता की जानकारी नहीं है। जानकारी देने से जांच की जा सकती है।

पीपलदा में खाड़ी नदी पर पुल का निर्माण

५८८. **श्री रामकुमार नंदवाना (चित्तौड़-गढ़)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पीपलदा, जिला कोटा में गांव के बाहर कोई नदी है तथा खाड़ी नामक नदी के दूसरी ओर तक सड़क का निर्माण हो चुका है ? यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण कब समाप्त हुआ ?

(२) क्या पीपलदा गांव की खाड़ी पर पुल बनाने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो यह पुल कब तक बन जावेगा ?

(३) क्या यह सही है कि इटावा-पीपलदा सड़क के साथ इस पुलिया का एस्टीमेट बनाया गया है तथा वह स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो इसका कार्य क्यों नहीं प्रारम्भ हुआ ? यदि एस्टीमेट बनाकर स्वीकृति नहीं ली गई तो क्या राज्य सरकार इसे आवश्यक नहीं समझती है ?

(४) खाड़ी में इस समय पानी कितना बह रहा है तथा क्या ग्राम लोगों को आने जाने की पूर्ण सुविधा है ?

(प्रश्न स्थगित किया गया)

नोखा मंडी से पांचूड़ी को जाने वाली कंकरीं सड़क को डामर कराना

५८९. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नोखा मण्डी से पांचूड़ी, जिला नागौर को जाने वाली ककंर रोड़ को डामर करवाने का कार्य कब तक पूरा करवा दिया जायेगा ?

(२) क्या सुजानगढ़ से बीकानेर रोड़ में बहुत ज्यादा खड्डे हो गये हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस रोड़ के बनने के बाद मरम्मत नहीं कराई गई ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या इस रोड को चौड़ी कराने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक करवाई जायेगी ?

(५) रतनगढ़ व लक्ष्मणगढ़ के बीच की सड़क को कब तक पूरा कराया जायगा ? यह सड़क कुल कितनी मील पक्की बनी हुई है व कितनी मील कच्ची है ?

(६) क्या यह सही है कि इस रतनगढ़-लक्ष्मणगढ़ सड़क का कई बार ठेका दिया गया ? यदि हां, तो किन कारणों से उस काम को पूरा नहीं कराया गया ?

उत्तर

(१) डामर कार्य का अभी कोई प्रस्ताव नही है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(२) सड़क की दशा साधारण है।

(३) प्रति वर्ष उपलब्ध धन राशि अनुसार मरम्मत कराई जाती है।

(४) जी नहीं।

(५) सीकर से बीरमसर तक का भाग पूरा हो चुका बीरमसर से रतनगढ़ तक का भाग धन राशि प्राप्त होने पर वर्ष ६८-६९ तक पूर्ण होने की आशा है। १३ मील में से केवल ११॥ मील मिट्टी का कार्य हुआ है।

(६) रतनगढ़ से बीरमसर के भाग का ठेका एक बार किया गया सीकर बीरमसर भाग का कार्य पूरा हो गया है।

टिबी से जाने वाली पक्की सड़कों का निर्माण

५९०. श्री बीरबल (संगरिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि टिबी में रेल्वे स्टेशन, तहसील कार्यालय, सिंचाई विभाग कार्यालय, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस व हायर सैकेण्ड्री स्कूल तथा 'बी' क्लास की सरकार द्वारा स्वीकृत मंडी है और टिबी का किसी भी तहसील मुख्यालय व जिला कार्यालय व किसी भी अन्य मंडी से पक्की सड़क द्वारा सम्बन्ध नहीं है? यदि हां तो सरकार द्वारा इस आवश्यकता को आज तक पूर्ण क्यों नहीं किया गया?

(२) टिबी से संगरिया सड़क सरकार द्वारा किस वर्ष से स्वीकृत की गई और किस वर्ष में निर्माण कार्य चालू किया गया और अब तक कितने मील बन चुकी है और कितने मील न बनना बाकी है? योजनानुसार यह सड़क कब तक पूरी हो जानी चाहिए थी और अब कब तक पूरी हो जावेगी?

(३) टिबी से चाईया पक्की सड़क का निर्माण कार्य कब से चालू किया जा रहा है और कब तक पूर्ण हो जावेगा?

(४) टिबी से हनुमानगढ़ सड़क सरकार द्वारा किस वर्ष में स्वीकृत की गई है और इसका निर्माण कार्य कब तक चालू किया जा सकेगा और कब तक पूर्ण हो जावेगा?

(५) क्या यह सही है कि तहसील टिबी के समस्त क्षेत्र में पक्की सड़क केवल ५-६ मील ही है जब कि राजस्थान में तमाम नहरी तहसीलों के क्षेत्र में इससे कई गुणा पक्की सड़कों का निर्माण हो चुका है? यदि हां, तो क्या इस टिबी तहसील क्षेत्र में पहले उनके बराबर सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाकर पूर्ण कराया जावेगा। यदि नहीं तो क्या कारण है?

उत्तर

(१) टिबी में वर्णित कार्यालय स्वयं शिक्षणसंस्था है। जो सी' श्रेणी की मंडी है, इसका संबंध रोड से नहीं है। 'सी' श्रेणी की मंडी होने के कारण एवम् प्रशासनिक स्वीकृति इस विभाग को प्राप्त न होने के कारण रोड निर्माण नहीं कराया गया है।

(२) यह सड़क द्वितीय पंच वर्षीय योजना में स्वीकृत हुई थी। इस का कार्य ५७-५८ में आरंभ किया गया था। १४ मील ४ फर्लांग सड़क बन चुकी है। ७॥ मील बनना शेष है। यह सड़क ६९-७० तक

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
निरन्तर धन राशि मिलने पर पूरी हो सकेगी।

(३) इस सड़क की स्वीकृति नहीं दी गई है।

(४) भाखरा नहर क्षेत्र कार्यों में यह सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत की गई थी। अर्थाभाव के कारण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है अतएव कार्य कब तक समाप्त हो जावेगा कहा जाना संभव नहीं है।

(५) जी हां! सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तहसीलवार योजना नहीं बनाई गई है बल्कि योजना जिला आधार पर तैयार की गई है। अतएव तुलना का प्रश्न नहीं उठता।

आदर्श नवीन बाल विद्यालय, जयपुर को अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अनुदान

५६१ श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि निरीक्षक, शिक्षा विभाग, जिला जयपुर ने जयपुर के आदर्श नवीन बाल विद्यालय को सन् ६५-६६ में ६ अध्यापकों को रखने की स्वीकृति दी थी ?

(२) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग ने निरीक्षक शिक्षा विभाग के आदेशों के उपरान्त भी ६ अध्यापकों के लिए अनुदान उक्त विद्यालय को नहीं दिया ? यदि हां, तो कितने अध्यापकों के लिए अनुदान दिया गया और बाकी का अनुदान किन कारणों से नहीं दिया ?

(३) क्या सरकार उक्त विद्यालय के बाकी तीन अध्यापकों के बकाया अनुदान की रकम देने का विचार करती है ? यदि हां, तो कब तक दे दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) सत्र १९६५-६६ में नवीन बाल विद्यालय, जयपुर को ६ अध्यापकों को नियुक्ति देने की स्वीकृति दी गई थी न कि ६ अध्यापकों के पदों के अनुदान की स्वीकृति।

(२) सत्र १९६५-६६ के ५ अध्यापक पदों के लिये जो व्यय किया गया है उसे मान्य समझ कर सत्र १९६६-६७ के अनुदान स्वीकृति द्वारा सत्र में दे दी गई है। छात्रों की संख्या को देखते हुये अपर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने ५ अध्यापकों के पद की स्वीकृति दी है इसलिये ६ अध्यापकों के पद का व्यय अमान्य समझा गया।

(३) शाला में छात्रों की संख्या के अनुसार ५ अध्यापक के पद पर अनुदान दे दिया गया है इसलिए छठे पद का अनुदान स्वीकृत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गर्ल्स एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल अलवर का छात्रावास

५६२. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गर्ल्स एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल, अलवर में छात्राओं को होस्टल में रहने के लिए बाध्य किया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
जाता है ? क्या यह नियम राजस्थान के सभी ऐसे स्कूलों में लागू है ?

(२) क्या छात्रावास में रहने का नियम उन छात्राओं पर भी लागू किया जाता है जो अलवर नगर की ही रहने वाली है और उनके परिवार अलवर नगर में ही रहते है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि विशेष परिस्थितियों में छात्रावास में रहने से छूट भी दे दी जाती है ? यदि हां, तो यह छूट किस आधार पर दी जाती है और इस छूट को देने का किसको अधिकार है ?

(४) क्या यह सही है कि ऐसी छात्राओं को, जिन्हें होस्टल में रखने से विशेष कारणों पर छूट दे दी जाती है, उन्हें होस्टल में रहने की फीस देने के लिए फिर भी बाध्य किया जाता है ? क्या यह सही है कि अलवर के गर्ल्स एस.टी.सी. ट्रेनिंग स्कूल में १९६७-६८ के सत्र में दाखिल छात्राओं से इस प्रकार की फीस वसूल की गई है ? यदि हां, तो इस प्रकार की फीस वसूली के क्या कारण है ? फीस की मात्रा कितनी है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में रहना सभी के लिए अनिवार्य है।

(३) छात्रावास में जगह न होने के कारण छूट दी जाती है। इस छूट को देने के अधिकार उप निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को है।

(४) जी हां। उस समय तक जब तक छूट के आदेश प्राप्त नहीं हो जाते हैं। आदेश प्राप्त होने पर जो फीस ली जाती है तुरन्त वापिस कर दी जाती है। जी हां। छूट के आदेश प्राप्त होने पर लौटा दी जावेगी। फीस की मात्रा २ रु० प्रति छात्रा प्रति माह है।

सांडव में हायर सैकेन्डरी स्कूल

५९३. श्री रावतराम (छापर सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सांडवा (जिला चूरू) में अभी तक हायर सैकेन्ड्री स्कूल नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि इस कस्बे के निवासियों ने पर्याप्त स्कूल भवन तैयार किया है और छात्रावास भी बना रहे हैं ?

(३) क्या यह सही है कि चूरू जिले का यह एक महत्वपूर्ण कस्बा है और यहां हायर सैकेन्ड्री स्कूल न होने से हर साल सैंकड़ों छात्रों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है? यदि हां, तो इस कस्बे की उपयोगिता एवं जनसंख्या तथा सैन्टर में स्थित होने के नाते सरकार चालू साल में हायर सैकेन्ड्री खोलने का निश्चय करेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) अगले सत्र में हायर सैकेण्ड्री स्कूल खोलने का बजट में प्रावधान नहीं है।

राजस्थान में स्कूल व कालेज

५९४. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) राजस्थान के सभी जिलों में सबसे अधिक स्कूलों व कालेजों की संख्या वाला जिला कौनसा है और वहां पर कितनी प्राथमिक शालाएं, कितनी माध्यमिक, कितनी हाई स्कूल हैं और कौनसा जिला सबसे कम संख्या वाला है ? सूची सदन की मेज पर रखें

(२) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में १९६५ के बाद में कोई भी नई स्कूल नहीं खोली गई ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(३) क्या सरकार जिला जैसलमेर में १९६८ में कोई नई स्कूल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी हाई स्कूल, कितनी माध्यमिक शालाएं और कितनी प्राथमिक शालाएं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) सबसे अधिक स्कूलों व कॉलेजों वाला जिला जयपुर है जिसमें निम्नलिखित संख्या में शिक्षा संस्थायें हैं:—

१. प्राइमरी	१,६३०
२. माध्यमिक	१६६
३. उच्चतर माध्यमिक	९२

जैसलमेर सबसे कम शिक्षण संस्थाओं वाला है जिसमें निम्नलिखित शिक्षण संस्थायें है:—

१. प्राइमरी	२०१
२. माध्यमिक	१२
३. उच्च माध्यमिक	४

(२) जैसलमेर में १९६६-६७ में एक कन्या माध्यमिक शाला व एक कन्या प्राथमिक शाला खोली गई है।

(३) अगले वर्ष ऐसे स्कूलों को क्रमोन्नत करते समय प्रत्येक स्थान के गुणावगुणों को ध्यान में रखते हुये बजट प्रावधान के अनुसार जैसलमेर जिले का भी ध्यान रखा जावेगा।

चित्तौड़गढ़ में प्लाटों का अलाटमेंट

५९५. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़), : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या चित्तौड़गढ़ में इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित है? यदि हां, तो कितनी भूमि इसके लिये रिजर्व की गई है, कितने प्लाट बनाए गए हैं तथा किस किस को यहां प्लॉट आवंटित किये हैं तथा किस-किस तारीख को आवंटित किए ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) क्या यह सही है कि जिनको प्लॉट आवंटित किए हैं उन्होंने अपने कारखाने वहां नहीं लगाए हैं ? यदि हां तो इसके क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि जो क्षेत्र तय किया है वह उपयुक्त नहीं है ? यदि हां, तो सरकार अन्य स्थान पर इसे बदलना आवश्यक समझती है ?

(४) क्या यह सही है कि इस इण्डस्ट्रियल एरिया में इस कारण कारखाने नहीं लग रहे हैं कि उन्हें बिजली नहीं मिल रही है ? यदि बिजली नहीं मिल रही है तो सरकार इसके लिए क्या विचार कर रही है

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

(५) क्या यह सही है कि कारखानें वालों ने इसके लिए कर्जे की दरख्वास्तें दी हैं यदि हां, तो कितनी धन राशि किस-किस को दी गई? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(१) जी हां। ८९ बीघा ६ बिस्वा भूमि में इण्डस्ट्रियल ऐरिया घोषित किया गया है। २३ प्लॉट बनाये गये हैं जिनको प्लाट अलॉट किये गये हैं उनकी सूची संलग्न है।

(२) जी, नहीं। कुछ व्यक्तियों ने कारखाने लगा लिये हैं।

(३) जी नहीं। यह क्षेत्र टाउन-प्लानर की तकनीकी सलाह के अनुसार चुना गया है, मगर औद्योगिक विकास की सम्भावना को देखते हुए यह क्षेत्र अपर्याप्त है और अन्य औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिये मामला विचाराधीन है।

(४) जी हां। इसके लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(५) जी हां। कर्ज के लिए बजट में प्रावधान न होने कारण कोई कर्ज नहीं दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

भरतपुर एवं अलवर में टरबाइन का उपयोग

५९६. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या भरतपुर में तीन टरबाइन हैं और अलवर में दो टरबाइन हैं और उनमें से १-१ टर्बाइन रेस्ट पर रहती है?

(२) क्या अलवर व भरतपुर के टरबाइन को अलवर को बिजली लाइन को मिला देने से एक और टरबाइन काम कर सकती है?

(३) क्या मालाखेड़ा से नगर को बिजली लाइन से मिलाने की कोई योजना है?

उत्तर

(१) भरतपुर में चार और अलवर में दो टरबाइन हैं एक टरबाइन का रेस्ट पर रहना आवश्यक नहीं है।

(२) जी हां।

(३) फिलहाल कोई योजना नहीं है।

बिजली की रेट

५९७. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय के गत १९६२ के अभिभाषण में विधान सभा में यह घोषणा की गई थी कि किसानों को बिजली १२ पैसे प्रति यूनिट दी जायगी? यदि हां, तो क्या बिजली के बिल १२ पैसे प्रति यूनिट से ही बनाये जाते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। बिल १३ पैसे प्रति यूनिटकी दर से बनाये जाते हैं किन्तु समय पर भुगतान करने वालों से १२ पैसे प्रति यूनिट की दर से लिये जाते हैं। प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No. 52

पंचायत समिति कामां के ग्रामों को बिजली को सप्लाई की योजना

५९८. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर की पंचायत समिति कामां के ग्राम बिलंग-गढ़ अजान और ग्राम कनवाडा को खेती के लिए बिजली सप्लाई करने की योजना स्वीकृत हो चुकी थी ? यदि हां, तो कब और बिजली न मिलने का क्या कारण रहा ?

(२) क्या सरकार उक्त ग्रामों के लिए बिजली देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) (अ) जी हां। सन् १९६५-६६ में।

(ब) धनाभाव के कारण।

(२) आगामी वर्ष के प्रोग्राम में प्राथमिकता देने का विचार रखती है।

नगर सुधार न्यास

५९९. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा): क्या नगर विकास न्यास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगर सुधार न्यास किन किन शहरों में काम कर रही हैं और किस-किस वर्ष से ?

(२) क्या प्रत्येक नगर सुधार न्यास के स्थायी वकील है ? यदि हां, तो उनको स्थायी तौर पर कितना भत्ता दिया जाता है?

(३) क्या इसके अलावा भी वकीलों पर दूसरा खर्चा किया जाता है ?

(४) स्थायी भत्ते के अलावा किस-किस नगर सुधार न्यास ने गत दो वर्षों में कितना कितना और खर्चा किया है ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जहां-जहां नगर सुधार न्यासों द्वारा दूसरा खर्चा किया जाता है, उसकी सूची संलग्न है।

(४) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

गांव मुंडारा में जल वितरण योजना का कार्य

६००. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गांव मुंडारा, तहसील बाली, जिला पाली में जल वितरण योजना का कार्य किस तारीख को संपूर्ण हुआ ?

(२) यह योजना ग्राम पंचायत को किस तारीख से किन-किन शर्तों पर सुपुर्द की गई थी ?

(३) अब इस योजना का कार्य कौन देखता है ?

(४) इस प्रकार की योजनायें प्राय०

(श्री पृथ्वीसिंह)
व्यय के हिसाब से किन-किन सिद्धान्तों पर चलायी जाती हैं ?

(५) क्या मुंडारा की योजना अब विभाग अपने हाथ में लेकर चलाना चाहता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) माह अगस्त, सन् १९६४ में।

(२) माह अगस्त, सन् १९६५ से निम्न शर्तों पर :

१. विद्युत का खर्चा पंचायत जमा करायेगी।

२. पंचायत इस विभाग का स्टॉफ व अन्य विविध खर्चों के लिए २५०) रु० प्रतिमाह जमा करायेगी।

(३) इस योजना का कार्य सरकार द्वारा किया जाता है परन्तु वसूली पंचायत द्वारा की जाती है और पंचायत २५०) रु० प्रति माह इस विभाग को देती है।

(४) इस प्रकार की योजनाएं राज्य सरकार द्वारा बिना लाभ-हानि के चलाई जाती हैं।

(५) यह विचाराधीन है क्योंकि पानी की सप्लाइ बढ़ाई जाने के कारण योजना का संधारण व्यय बढ़ने की सम्भावना है जो लगभग २५०) रु० प्रति माह से बढ़कर ४००) रु० प्रति माह तक हो जावेगा। यदि पंचायत ४००) रु० प्रति माह साधारण व्यय के रूप में विभाग को देने के लिए तैयार हो जावेगी तब तो इसी व्यवस्था के अनुसार योजना चलाई जावेगी अन्यथा इस योजना को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, पंचायत की राय से अपने हाथ में लेकर चलायेगी।

नगर विकास न्यास द्वारा मकानों के नक्शे पास करने में विलम्ब

६०१. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जिन नगरों में नगर विकास न्यास स्थापित है वहां पर मकान बनाने के लिए लोगों को उक्त न्यास से मकान बनने के पूर्व नक्शा पास करवाना पड़ता है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र देने के बाद साधारणतया कितने समय में नक्शा पास कर दिया जाना चाहिये ?

(२) क्या सरकार यह महसूस करती है कि उक्त न्यास नक्शे पास करने में बहुत देरी करते हैं जिससे आम लोगों को बड़ी परेशानी होती है ? यदि हां, तो इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाये और भविष्य में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

उत्तर

(१) जी हां, साधारणतया १ माह की अवधि में प्रस्तावित भवन के मानचित्र अनुमोदित कर दिये जाने चाहिए।

(२) जी नहीं।

सादूलगंज स्कीम, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र के निवासियों के मकान आदि गिराने की कार्यवाही

६०२. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या नगर विकास न्यास मन्त्री यह

(श्री मती कान्ता कथूरिया)
बताने की कृपा करेंगे. —

क्या सादूलगंज स्कीम, बीकानेर व उनके आसपास निवास करने वाले व्यक्तियों की विधान सभा में प्रस्तुत याचिका की विभागीय अधिकारी को जानकारी है ? यदि हां, तो उन्होंने उक्त स्कीम के निवासियों के मकानात इत्यादि को गिराने की कार्यवाही किस उद्देश्य निमित्त जारी कर रखी है ?

उत्तर

सादूलगंज स्कीम, बीकानेर तथा उनके आस-पास निवास करने वाले व्यक्तियों की विधान सभा में प्रस्तुत याचिका की विभागीय अधिकारी को कोई जानकारी नहीं है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि दिनांक १६-१-६८ को इन कार्विजों द्वारा तथाकथित याचिका की एक प्रतिलिपि सीधी ही नगर विकास न्यास, बीकानेर को प्रस्तुत की गई थी, जिन पर नगर विकास न्यास बीकानेर ने इस क्षेत्र के अनाधिकृत कब्जे हटाने की कार्यवाही को स्थगित करने का आश्वासन दिया जो अभी तक स्थगित है।

ग्राम बन्धाला में पेयजल योजना

६०३. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (तोड़ा): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम बन्धाला तहसील तोडा जिला बीकानेर में ग्रामवासियों को पेय जल की समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ग्राम में वाटर सप्लाई योजना लागू करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(२) क्या यह सही है कि इस ग्राम के आस पास के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में जमीन में पानी उपलब्ध है तथा सरकार द्वारा उसका सर्वेक्षण किया गया है ? अगर हां, तो कब किया गया था तथा इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ? अगर नहीं तो सर्वेक्षण कब तक किया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां, ग्राम बन्धाला के निवासियों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान मास्टर प्लान के अन्तर्गत प्रथम प्राथमिकता श्रेणी में लिया गया है। मास्टर प्लान भारत सरकार के विचाराधीन है, मास्टर प्लान की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धि पर कार्य हाथ में लिया जा सकेगा।

(२) पानी इस ग्राम से ४ मील दूर ग्राम जयसिंहदेसर में उपलब्ध है, सर्वेक्षण अभी नहीं हुआ है। इस ग्राम की आबादी सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार ४५१ है। अत: इस ग्राम के लिए पाइप्ड जल वितरण योजना नहीं बनाई जा सकती। मास्टर प्लान के अन्तर्गत इस ग्राम के लिए पम्प एण्ड टैन्क योजना का प्रावधान किया हुआ है और उसके लिए जल स्रोत जयसिंहदेसर जो ४ मील दूर है के कुओं से लिया गया है। मास्टर प्लान भारत सरकार के विचाराधीन है। इसकी स्वीकृति एवं धन की उपलब्धि पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

स्थगित प्रश्न

(२७-३-६८)

ग्राम खेड़ली के खारवाल किसानों द्वारा फसल काटे जाने सम्बन्धी शिकायत

४६५. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील छबड़ा (जिला कोटा) के ग्राम खेड़ली में नवम्बर, ६७ के माह में खारवाल जाति के निर्धन किसानों ने किन्हीं व्यक्तियो द्वारा ८-१० बीघा खेत की खड़ी फसल को काट कर ले जाने सम्बन्धित रिपोर्ट छबड़ा पुलिस में की थी ?

(२) क्या यह सही है कि छबड़ा पुलिस ने खारवाल जाति के किसानों की उक्त रिपोर्ट को समय पर नहीं लिखी और न ही किसी प्रकार की कोई उचित कार्यवाही की? यदि हां, तो किन कारणों को लेकर पुलिस ने कार्यवाही नहीं की ?

(३) क्या यह सही है कि १७ नवम्बर, १९६७ को खारवाल जाति के किसान किसी बदमाश व्यक्ति को रंगे हाथों फसल काटते हुए मय माल के पकड़ कर छबड़ा पुलिस में लाये थे ? यदि हां, तो पुलिस ने उसके ऊपर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(१) जी नहीं। माह नवम्बर सन् ६७ के किसी भी खारवाल किसान निवासी खेड़ली ने ८-१० बीघा अपनी खड़ी फसल को काट कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना छबड़ा पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई।

(२) जी नहीं। उक्त सम्बन्ध में जब कोई रिपोर्ट ही थाने पर नहीं प्रेषित की गई तो फिर उसकी कार्यवाही में देर होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(३) जी हां। दिनांक १७-११-६७ को श्री हीरालाल खारवाल, साकिन खेड़ली ने बन्नेखां नाम के एक व्यक्ति को अपने खेत में से ७५ भुट्टियां ज्वार की तोड़ कर ले जाते हुए पकड़ा और लाकर थाना छबड़ा में पेश किया जिस पर मुकदमा नं० ६७, ता० १७-११-६७, धारा ३७९ भा० द० सं० में कायम किया जाकर तफतीश शुरू की, परन्तु मामला केवल ७५ भुट्टियां ज्वार का, कम कीमतन का होने से अपराधी बन्नेखां के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही न करते हुए दिनांक २४-११-६७ को धारा १५७ व सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत तफतीश बन्द कर दी गई।

(१२.३० म० प०)

वित्तीय समितियों से नामों की वापसी

श्री उपाध्यक्ष: वित्तीय समितियों से नाम वापस लेना। आज माननीय सदस्य ढाई बजे तक नाम वापस ले सकते हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री गिरधारीलाल व्यास : जिन लोगों ने लिखित में अपने नाम वापस ले लिए हैं, उनको स्वीकार कर लिया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : हां। श्री नत्थीलाल ने जन लेखा समिति से, श्री नत्थीलाल ने प्राक्कलन समिति से, व श्री मनफूलाराम ने राज्य उपक्रम समिति से अपने नाम वापस लेने की सूचना दी है।

श्री भैरोंसिंह : मैं जन लेखा समिति से अपना नाम वापस लेता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी से अपना नाम वापस लेता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं प्राक्कलन समिति से अपना नाम वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में भी आप कह सकते हैं ।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री रामचन्द्र आर्य, श्री चुन्नीलाल इंदलिया, श्री केदारनाथ, श्री लालचंद वैद व श्री हीरामाई, सदस्य, विधान सभा, ने बीकानेर डिवीजन की बहुत सी तहसीलों में अकाल होते हुए भी राहत कार्य चालू न करने व अपाहिजों को सहायता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है । अतः इसे सदन में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं होगा ।

माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह उपयुक्त होगा यदि माननीय अकाल सहायता मंत्री इस विषय में स्थिति को स्पष्ट करते हुए ५-४-६८ को एक वक्तव्य देने की कृपा करें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज ही अकाल सहायता की एक्सेस मांगों पर मंत्री महोदय उत्तर दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय चाहें तो आज भी वक्तव्य दे सकते हैं ।

श्री हीरामाई : वह काम चालू नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालसिंह सोढा, श्री पृथ्वीसिंह व श्री आईदान सिंह, सदस्य, विधान सभा, ने ग्राम सांगड़, जिला जैसलमेर में ट्यूब वैल न लगने से वहां पर पीने के पानी का अभाव हो जाने सम्बन्धी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा ग्रामीण क्षेत्रों की पेय जल की समस्या के हल के संबंध में एक गैर सरकारी संकल्प पर कल विचार होने वाला है । उस समय सम्बन्धित सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो सकता है और आशा है कि माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री जी इस विषय पर भी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए अपने उत्तर के दौरान प्रकाश डालने की कृपा करेंगे । अतः इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं होगा ।

इसके अलावा जो दूसरे स्थगन प्रस्ताव है, उन पर जानकारी चाही गई है; प्राप्त होने पर व्यवस्था दी जायगी ।

श्री किशनलाल शाह (नांवा) : नागौर जिले में सहकारी समिति के सम्बन्ध में, जिसको ८ दिन हो गये.. ..

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मैंने जो प्रस्ताव रखा था बीकानेर डिवीजन में अकाल सहायता के लिए आपने व्यवस्था दी है कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, चलो यह तो आपकी परम्परा रही है व्यवस्था देने की लेकिन उस इलाके में ८ महीनों तक....

श्री उपाध्यक्ष : आपने व्यवस्था पूरी सुनी नहीं ।

Page No. 57

श्री रामचन्द्र आर्य: आज तक सहायता न देना और इसको अविलम्बनीय लोक महत्व को न मानना, लोगों की....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रामचन्द्र आर्य : जानें समाप्त हो जाना, आज तक उस पर कोई प्रगति नहीं हुई ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि अकाल सहायता मन्त्री एक वक्तव्य देंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कल मेरे एक स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था देते हुए फलौदी में ताजिया निकालने के सम्बन्ध में जो मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था, आपने कहा था कि उस पर कोई अड़चन नहीं है और इस प्रकार से सरकार की तरफ से आदेश हो गए । मैंने जानकारी प्राप्त की है, उस पर न कोई जांच की है, उसी तरीके के झगड़े वहां पर मौजूद हैं और इसके विरोधस्वरूप माननीय छंगानीजी विधान सभा सदस्य ने कांग्रेस दल से त्याग-पत्र दे दिया है, अखबारों में छपा है, मैंने उनसे जानकारी की है । जो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं वह कांग्रेस लीडर हैं, कांग्रेस लीडर होते हुए भी साम्प्रदायिक रूप अपना कर अनावश्यक रूप से इस प्रकार की फिजा पैदा करते हैं जिसमें अल्पसंख्यकों में और तनाव की स्थिति पैदा हो । तो अभी जो विशेष तौर से केन्द्रीय सरकार की तरफ से इस बारे में हिदायतें की गई हैं और खास तौर से सेक्यूलरिजम को हम स्वीकार कर चुके हैं और भारत में मेजोरिटी कम्यूनिटी के नाते भी हमारा यह फर्ज हो जाता है कि माइनोरिटीज को पूरी तरह से उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाय, इस बात का पक्षपाती नहीं हूं कि....—

श्री दामोदर लाल व्यास: यह कैसा स्टेटमेंट हो रहा है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं नहीं चाहता कि माइनोरिटी कम्यूनिटी अनुचित रूप से जिद्दी हो लेकिन उनके रिलीजियस अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिये । इस सम्बन्ध में जो उनके परम्परागत अधिकार हैं, उस पर और लोग झगड़ा नहीं करते, हिन्दुओं में झगड़ा नहीं है सवाल....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर व्यवस्था कल दे दी गई थी, माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे । उस विषय को दुबारा उठाना उचित नहीं होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन जो जानकारी आपने इस सम्बन्ध में दी, आपने कहा उसमें कोई अड़चन नहीं है । इसका मतलब यह समझें कि सरकार ने इजाजत नहीं दी है आपस में एक झगड़ा निपटा दिया है लेकिन वास्तविकता यह नहीं है । वास्तविकता यह है कि न इजाजत मिली है और न वहां के नगरपरिषद् के जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस लीडर हैं और यह सही है कि श्री छंगानी ने इसी प्रश्न को लेकर कांग्रेस दल से त्याग-पत्र दिया है ।

श्री परसराम नंगाराम (परबतसर) : मारो पशु मेला रो स्थगन प्रस्ताव थो । उनके बारे में कई हुओ ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । आपने शायद किसी प्रश्न का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया होगा । स्थगन प्रस्ताव नहीं होगा ।

श्री परसराम नंगाराम : एक पशु मेला रो दियो हुओ है ।

Page No. 58

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कुछ न कुछ दिया हुआ है, आप देख लीजिए।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : गंगानगर में नगरपालिका में कर्मचारियों को ६ महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे हैं......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हीरा भाई : वहां गन्दगी फैल रही है उपाध्यक्ष महोदय, नहीं मिलने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष : वह विचाराधीन है। ऑर्डर प्लीज।

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव दिया था पुलिस की वर्दी पहन कर....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। उस पर व्यवस्था दे दी है, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा जो स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य देते हैं तो उस पर, जिन पर सूचना प्राप्त हो जाती है, उसके बारे में व्यवस्था दे दी जाती है बाकी के लिए सूचना मंगवाई जाती है। सभी प्रश्न यहां उठाए जायं, यह उचित नहीं है।

श्री हीरा भाई : इसलिए रखना पड़ता है कि....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य।

कृषि मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी कर लूं, उपाध्यक्ष महोदय। अभी श्री रामानन्द जी ने फलौदी के बारे में मेरी जानकारी के अनुसार कोई त्याग-पत्र दिया है। क्या वह आपके पास पहुंच गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री हीरा भाई : एक व्यवस्था का सवाल है — वह कल आयेगा या नहीं। कम से कम उसकी सूचना मंगा लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें जानकारी मंगाई जा रही है। कुछ न कुछ उत्तर आपको मिल जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों के कार्य को स्थगित कर देने सम्बन्धी विषय पर कृषि मंत्री का वक्तव्य

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि विपणन अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत राज्य में ८९ नियंत्रित मंडियां बनाने का प्रस्ताव है और इस सम्बन्ध में दिनांक ३१-३-६८ को स्थिति निम्न प्रकार थी।

(१) मंडियाँ जो कार्य कर रही हैं ४१. (२) मंडियां जिन्होंने कार्य आरम्भ नहीं किया है पर गठित हो गई हैं ६, (३) मंडियां जो उच्च न्यायालय के आदेश के कारण कार्य नहीं कर रही है २५, (४) मंडियां जिनको स्थापित करने की कार्यवाही चालू है १७। इन मंडियों के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय ने कुछ खामियां

(श्री शोभाराम)

बताई थीं। तथा और भी कठिनाइयां नजर आई थीं। जब तक इन सब पर पूर्ण रूपेण विचार नहीं हो जाता है तब तक के लिए एक स्थाई आदेश दे दिया गया था कि अगले निर्णय होने तक कोई नया चालान सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जावे। इन सब विषयों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार ने एक समिति श्री यशवन्तसिंह नाहर, सदस्य, राजस्थान विधान सभा की अध्यक्षता में गठित की उसकी रिपोर्ट अभी आनी है, पर समिति के अध्यक्ष ने हाल ही में सुझाव दिया है कि उक्त निषेधाज्ञा वापिस ले ली जाए। राजस्थान कृषक समाज ने भी अपने हाल के अधिवेशन में ऐसा सुझाव दिया था।

एक माननीय सदस्य: नाहर कमेटी कब तक रिपोट दे देगी?

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री): अतः राजस्थान सरकार उक्त निषेधाज्ञा शीघ्र ही वापिस लेने जा रही है। इसके अलावा माननीय सदस्यों ने जिन और बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है वे आम बातें है जब तक कि स्पसिफिक मामले नहीं बताये जाते तब तक उन पर राय देना मेरे लिए कठिन है। यदि इस प्रकार के स्पैसिफिक मामले माननीय सदस्य मेरे सम्मुख लावेंगे तो मैं उनकी जांच करवा कर आवश्यक कार्यवाही करूंगा और दूसरी बातों के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): एक जानकारी उपाध्यक्ष महोदय, नोहर मण्डी समिति के चुनाव हो चुके, लेकिन उसको कार्यभार नहीं दिलवाया है आज तक। अवैधानिकता बढ़ती जा रही है। एक व्यक्ति को नामजद किया गया है। गंगानगर राजस्थान की सबसे बड़ी कृषि मण्डी समिति है। कार्य चालू नहीं होने से वहां बड़ी परेशानी है। गलत तरीके से वहां के व्यापारी काम कर रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के लिये दो लाख रुपये की योजना बनाकर उस कार्य को स्थगित करने के लिए कोशिश की जा रही है इस प्रकार की गलत नीतियों से राजस्थान का काश्तकार है, वह बड़ा परेशान है......व्यापारी बड़े घोटाले करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप संक्षेप में कहें।

श्री रामचन्द्र आर्य: चुनाव पिटीशन दायर किया। बाहर से यह साजिश चल रही है। किसान बराबर परेशान है। इसके बारे में मंत्री महोदय को क्या उत्तर देना है, मैं यह जानना चाहूँगा।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): उपाध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने निषेध आज्ञा जारी की उसको वापिस लिया है। उसके लिये तो धन्यवाद! लेकिन मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि आखिर आप किसान के हित के लिये घोषणा करते हैं। सरकार ने जो आदेश दिये हैं, कानून में कोई अधिकार नहीं है उन मण्डी कमेटी को यह आदेश दिये जायें कि चालान करें, यह व्यापारियों के सामने घुटने टेकने की नीति साफ है। यह सही है कि वहां चुनाव हुये, चुनावों का जो तरीका है उसमें एक एम० एल० ए० का जा खर्चा आता है, जा मेहनत करनी पड़ती है वह सबको मालूम है उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरे आदमी शायद कांग्रेस वाले विचार नहीं करते। वहां भूतपूर्व जो सदस्य थे श्री मोतीराम जी चुन लिये गये, उनको अनियमित करार दिया जाय। उसमें यह

Page No. 60

(श्री नत्थीसिंह)

कोशिश की जा रही है कि उसको रद्द किया जाय। यह आम चर्चा का विषय है उस इलाके में मैं दूसरी जगह की बात नहीं करता। मै चाहता हूं कि ऐसी चर्चायें न चलें .११ तारीख को कौनसी तारीख थी, तारीख का तो पता नहीं, पी० सी० सी० का अधिवेशन हो रहा था।

श्री गिरधारी लाल : नहीं हो रहा था।

श्री नत्थीसिंह : दो लाख के चन्दे की बात थी। यह चर्चा चलना बहुत बुरी बात है एक तरफ आप मण्डी समिति को चलाना चाहते हैं दूसरी तरफ आपकी इस प्रकार की नीति है। इस तरह के कदम उठाना सबसे बुरी बात है। चुनाव करा दिये जायं और फिर उसको काम नहीं करने दिया जाय। इस लिये मै कृषि मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से आश्वासन चाहूंगा, यह जो आदेश दिये है, आपके विभाग द्वारा जारी करने के अधिकार कानूनन गलत हैं। क्या उनके कानूनी अधिकार में यह है कि उनको कहें कि तुम सब चालान बन्द कर दो ? क्यों दिया गया ऐसा आदेश ? गंगानगर में मंडी समिति की जो काम करने की व्यवस्था है उसके अधीन काम करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार की क्या नीति है।

(१२.४० म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत सभानेत्री पदासीन,

और अगर नहीं है तो इस तरह की जो शंका है, जो आम चर्चा का विषय बना हुआ है। किसान के मन की भ्रान्ति को निकालनी चाहिये। सभापति महोदया, इसके लिये क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : यह जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया था उसका मकसद, गंगानगर के मार्केट को रेगुलेट करने के बारे में था सरकार ने आज से तीन साल पहले सारी मण्डियों को रेगुलेट करने के लिये एक कानून बनाया जो स्वागत योग्य था। लेकिन उसके इम्पलीमेन्ट करने में जिस प्रकार के घृणित मेजर्स इस्तेमाल किये गये वह बहुत ही निन्दनीय बात है।

सभापति महोदया, गंगानगर में मार्केट रेगुलेट नहीं होता है तो एक ही फसल में २२ से २५ लाख रुपये का नुकसान किसान को होता है। वहां कमीशन प्रति सैकड़ा ढाई रुपया लिया जाता है जबकि कानून के तहत बारह आना और एक रुपया से अधिक नहीं होना चाहिये। वहां पर एक व्यापारी ने इलेक्शन पिटीशन कर दी। कानून की धारा का जहां तक इन्टरप्रीटेशन का सवाल है वह अधिकार डाइरेक्टर के हाथ में नहीं होना चाहिये, इस प्रकार के अधिकार मिनिस्टर्स को हों तो कोई आपत्ति नहीं। उसके इन्टरप्रटेशन में सरकार का यह दृष्टिकोण होना चाहिये डाउट का फायदा काश्तकार को मिले न कि व्यापारी को मिले। ऐसी भी चर्चा है कि पैसा तय होगया इलेक्शन को वोइड कर दिये जायेंगे तो पैसे दे दिये जायेंगे। आपकी नॉलेज में यह आजाय तो आप एग्जामिन कीजिये डाइरेक्टर के हाथ में यह अधिकार मत दीजिये।

श्री रामकिशन (बैर) : सभापति महोदया, मुझे भी एक जानकारी लेनी है। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि वे

(श्री रामकिशन)

निषेधाज्ञा वापिस ले रहे हैं, यह तो स्वागत योग्य है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आज्ञा दी थी या विभाग के यहां से जो आज्ञा जारी की थी उसके अन्दर क्या उल्लेख किया गया क्या ? यह कि नाहर कमेटी की रिर्पोट नहीं आने के कारण यह आज्ञा जारी कर रहे हैं। यदि यह बात है तो आपकी मन्शा किसान को सुविधा न देने की वजह से । नाहर कमेटी की रिकमन्डेशन को बदनाम करना है । किसान और व्यापारियों को जो असुविधा होती है उसको ध्यान में । रखते हुए इसको सरल किया जाय और उन तरीकों पर विचार किया जाय । मैं यह जानना चाहता हूं यह कमेटी ने कब रिक्वेस्ट की थी कि अब पर कमेटी का नाम लेकर आज्ञा जारी करें। इसका असर यह हुआ है कि इस कमेटी से सम्बन्धित जो सदस्य हैं उनके बारे में भी चर्चा चल पड़ी है कि उनको भी व्यापारियों ने इन्फलुएन्श किया है। क्या आपने इस कमेटी का नाम लेकर निषेधाज्ञा जारी की है इसकी सूचना दे दें तो फिर आगे कुछ कहा जाय ।

श्री शोभाराम : सभापति महोदया, माननीय सदस्यों ने इस बारे में दो-तीन बातें रखी । पहली बात तो यह कृषि उपज मन्डी गंगानगर के बारे में स्थगन प्रस्ताव आया था उसमें यह लिखा गया था कि श्री गंगानगर में मन्डी उपज कमेटी का विधिवत निर्वाचन के बाद उसको काम न करने देने से जनता में, इस बात की चर्चा है कि व्यापारियों से कांग्रेस अधिवेशन के लिये लाखों रुपयों का चन्दा लेकर विविवत हुए चुनाव को अवैध करार दिया जा रहा है ।

जहां तक इसमें जो बात का उल्लेख किया गया है उसके बारे में तो मुझे कोई सूचना नहीं इसलिये मैं कह नहीं सकता, यह सही है । जब यह सूचना नहीं तो गलत है ।

जहां तक इस बात का सवाल है कि विधिवत निर्वाचन के बाद भी उसको काम न करने देना, इस बारे में मैं इससे सम्बन्धित फाइल को मंगाकर जानकारी हासिल कर लूंगा । विधिवत चालू हो सकता है, कोई रुकावट तो नहीं हैं, यह मैं देखना चाहूंगा ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : शोभारामजी के होते हुये रुकावट नहीं होनी चाहिये ।

श्री नत्थीसिंह : यह तो आप देखो, इसके साथ-साथ आम बात यह भी है अधिकारियों द्वारा यह कह दिया गया है ऊपर का हुक्म है मंडी कमेटियां तोड़नी पड़ेंगी । उसमें आपका नाम नहीं है ऊपर वाले का किसी का नाम है ।

श्री शोभाराम : मैं खुद इस मामले को देखूंगा । नोहर के बारे में जो कहा गया वह किस स्टेज पर है उसमें क्या कार्यवाही हो रही है इस बारे में भी जानकारी करूंगा ।

तीसरी बात आपने कही यह किसका निर्णय था यह राजस्थान मंत्री मण्डल का निर्णय था । नाहर कमेटी का रेफरेन्स दिया गया चूंकि उसकी सिफारिश आनी बाकी है । इसके दो हिस्से हो जाते हैं एक तो एक्ट को लागू करना या नहीं....

एक माननीय सदस्य : ये तो कह रहे हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेन्स है ही नहीं ।

श्री शोभाराम : नाहर कमेटी की परव्यू की बात नहीं है। यह रेफर नहीं किया गया। जहां तक और कठिनाइयों का सवाल है इसके बारे में आवश्यक प्रावधान किया उसमें किसी प्रकार से लॉज और बाई लॉज में किस प्रकार से संशोधन किये जायं ताकि जो बेजा तरीके से कठिनाई हो रही है उसका हल हो सके। यह नाहर कमेटी को रेफर किया गया। छः कमेटियों को छोड़कर २५ के करीब कमेटियों के बारे में हाई कोर्ट में ऐतराजात पेश हुए उस पर स्टे ऑर्डर्स हुए चालान नहीं करने का मतलब कमेटी स्थापित होती है या नहीं, चन्द मिसालें ऐसी थीं राज्य सरकार द्वारा फैसला करना बाकी था। इस लिये जो जजमेंन्ट होते हैं जजमेन्ट इन परसन होते हैं। २५ कमेटियों के बारे में स्थगन आदेश प्राप्त हुए निश्चित रूप से इसमें पांच-छः कमेटियां रह गई इसलिये स्थगन आदेश दिये गये। कमेटियां रहेंगी या नहीं, इसलिये यह आदेश नहीं दिये गये बुनियादी मुद्दा हाई कोर्ट के फैसले के बाद उठा, उसको ध्यान में रख कर यह कदम उठाया गया।

गंगानगर और दूसरी दूसरी जगहों के बारे में अर्ज किया जहां तक इस बात का कि इस कानून में यह अधिकार प्राप्त नहीं था जैसा भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा। कानूनी तरीके से जानकारी नहीं कराई है जानकारी करने में व्यर्थ म समय बरबाद होगा। मैं समझता हूं मंत्रि-मंडल की बैठक जो १५ तारीख के पहले होने वाली है उसमें जरूर इस बात का निर्णय लिया जायगा निषेधाज्ञा जारी की और चालान नहीं करने के संबन्ध में, वह वापिस ले लिया जाय, वह पूरी कमेटियों के लिये होगा, चुनी हुई के लिये नहीं होगा।

श्रीमती सभानेत्री : श्री शिक्षा मंत्री को वक्तव्य देना है

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री बी० एन० जोशी : (राज्य मंत्री) मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं। मैं कुछ पत्र सदन की मेज पर रखना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : आप रख दीजिये।

श्री बी० एन० जोशी : सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान राज्य का विनियोग लेखे— १९६६-६७

राजस्थान राज्य वित्त लेखे-१९६६-६७

१९६६-६७ के लेखाओं के अंकेक्षा प्रतिवेदन

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सदस्यों ने चाहा है कि आफ्टर नून में वक्तव्य दिया जाय अतः मैं उस समय दे दूंगा।

(१ म० प०)

उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६८

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) : सभापति महोदया, कल यहां एक उदयपुर विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, १९६८ का बिल विचारार्थ लिया गया था उसमें बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये।

मैं तीन हिस्सों में उन आम चर्चाओं को रखना चाहता हूं। पहला हिस्सा तो इस बात का कि एग्रीकल्चर विभाग में उनका

Page No. 63

(श्री शोभाराम)

कोई स कार नहीं। दूसरा यह कि बहुत से माननीय सदस्यों ने वित्तीय स्थिति उनकी खराब होने के बारे में बताया जो ठीक होनी चाहिये उस ओर ध्यान आकर्षित किया। तीसरे जो नियुक्तियां होती हैं उनमे भी पक्षपात और गल्तियां होती हैं इसमें सुधार होना चाहिये। इस बारे में भी अपने विचार प्रगट किये।

इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात कही गई वह यह थी कि शिक्षा की जो प्रणाली है और जो नीति है वह गलत है उसमें बहुत कुछ आवश्यक सुधार होना चाहिये इस बारे में भी विचार प्रगट किये गये।

इसके अलावा विद्यार्थियों के अन्दर जो अनुशासनहीनता क्यों आई है क्या उसके बुनियादी कारण हैं ऐसी ऐसी तमाम बातों पर विचार किया गया।

मैं इन सब के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक कृषि विभाग का सम्बन्ध है उसका इस बारे में कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके लिये अच्छा तो यह होता कि शिक्षा विभाग की मांग पर बहस हो रही थी तब इन मुद्दों को उठाया जाता मैं समझता हूं अब भी इस सत्र में या अगले सत्र में जब इस प्रकार की मांग आये तो इन मुद्दों को उठाया जा सकता है और जब भी माकूल समय आवे तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं उस अवसर पर वे इनका उत्तर सरकार से प्राप्त करें।

कृषि मंत्री की हैसियत से इन बुनियादी तथ्यों के बारे में कुछ भी कहने में मैं संकोच का अनुभव करता हूं और मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है और न ये मुद्दे मेरे विभाग से सम्बन्धित भी हैं।

दूसरी बात जो गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य प्रोफेसर श्री केदारनाथ जी ने बुनियादी तौर पर रखी उसका यद्यपि इस विभाग से सीधा सम्बन्ध नहीं है, फिर भी उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि रिसर्च एजूकेशन और एक्सटेन्शन कैसे किया जाय। इस बारे में बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उन्होंने उठाये। और मैं यह मानकर चलता हूं कि जहां ६८ में हिन्दुस्तान की आबादी पचास करोड़ के आसपास है उसके बारे में गणितज्ञों और विशेषज्ञों का ऐसा मत है कि ३० साल बाद २००० तक यह आबादी बढ़कर एक अरब हो जाने की आशा है। तो उस दृष्टि से आज की कृषि सम्बन्धी रिसर्च कहां तक उस आबादी के उपयुक्त बन सकेगी।

मैं भी अनुभव करता हूं कि आबादी का दबाव पड़ेगा जिसका हम सम्भव है ठीक ढंग से मुकाबला नहीं कर सकें।

मैं मानता हूं गंगानगर में रिसर्च का काम हो रहा है और मैं इस बात को भी मानकर चलता हूं कि गंगानगर जिले में जो राजस्थान की अनाज की ग्रेनरी है जहां के प्रगतिशील किसान खेती में और खेती के रिसर्च में काफी दिलचस्पी लेते हैं और जहां रिकार्ड उत्पादन करने की आपस में होड़ लगी है और जहां पास में ही तीस हजार एकड़ का सरकार का कृषि फार्म भी है। ऐसी स्थिति में यह सोचने की बात है कि कौन २ सी ब्रान्चें रिसर्च की वहां खोली जावें।

(श्री शोभा राम)

अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आता है कि रिसर्च का कौनसा आइटम तो विभाग अपने पास रक्खे और कौनसा युनिवर्सिटी को दे। यह बुनियादी सवाल है। इसके लिये सदन की सूचनार्थ निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जहां तक हमारे योजना विभाग का ताल्लुक है कुछ बुनियादी फैसले किये हैं और इसमें इस बात का ध्यान रखा है कि जो विद्यार्थी कॉलेज से निकले खास तौर से कृषि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से निकलें उनके बारे में आगे किस प्रकार से रोजगार प्राप्त करते रहें कहां जाकर वे अपने जीवन निर्वाह के लिये अपना कार्य करेंगे इसकी सुरक्षा, मैं समझता हूं कॉलेज में अध्ययन करते समय प्रत्येक विद्यार्थी के लिये हो जानी चाहिये।

दो तीन एग्रीकल्चर कॉलेजों में मेरा जाने का अवसर आया मैंने देखा प्लानिंग फोरम उन्होंने बना रखे हैं उनको मैंने कहा कि वे भी राजस्थान सरकार को सुझाव दें कि जैसे ही लड़का निकले पढ़कर उनके लिये क्या कार्य कहाँ मिल सकेगा ? कितने एम्पलोयमेन्ट की पोटेन्शियेलिटी कहां-कहां है। इसलिये इन दोनों बातों की इन्टीग्रेटेड प्लानिंग जो कॉलेज चलावें वे अपनी तरफ से खासकर प्लानिंग फोरम के जरिये से सिफारिश करें और वह राज्य सरकार दोनों मिल कर खास तौर से विद्यार्थियों के बारे में इन्टीग्रेटेड एप्रोच करें। यह नहीं होगा तब तक इस बात का समाधान होना कठिन है।

अभी ज्यादा विस्तार में इस समय नहीं जाना चाहता। एग्रीकल्चर कॉलेजों के बारे में प्लानिंग विभाग ने कुछ सुझाव रक्खे हैं और अभी पांच-सात रोज के बाद डॉक्टर महाजनी जो एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर हैं, आये थे। मीटिंग हुई थी। हमने कहा कि आपके जितने फिगर हैं बैठकर कम से कम आपके कॉलेज के शिक्षा के इनटेक हों आप तय करें कि कितने छात्र टैक्निकल में जावें और कितने रिसर्च में जावें और एक्सटेन्शन और रिसर्च का काम कैसे सौंपा जावे इस बारे में चर्चा करने के लिये पन्द्रह-बीस अप्रेल को पहले हम मीटिंग करना चाहते हैं और इसका अन्तिम हल निकालना चाहते हैं।

मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं अब असल संशोधन के बारे में कहना चाहूंगा।

बहुतों ने कहा कि सेक्रेटरी को अधिक काम होने से न जाने पर उसकी जगह कम योग्यता वाला डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी जावेगा तो कम काबलियत का होगा तो दक्ष आदमी की राय से बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स कन्ट्रोल महरूम रह जावेगा और सही निर्णय नहीं लिया जा सकेगा।

माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया कि यह छोटा सा संशोधन है बड़े अमेण्डमेण्ट की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। इस छोटे से अमेण्डमेन्ट से ज्यादा लाभ नहीं हो सकता मैं इसको दो हिस्सों में बांटता हूं।

जहां तक बड़े मुद्दों पर संशोधन करने की बात है वह अलग प्रश्न है इसका भी तरीका हो सकता है। एक तरीका यह हो सकता है कि नॉन ऑफीसियल अमेण्डमेण्ट बिल आकर मेन एक्ट में कोई संशोधन करे।

दूसरा यह हो सकता है कि हम जो

(श्री शोभा राम)

दिलचस्पी रखते हैं चाहें बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के गठन के बारे में हों, चाहे एकेडेमिक कौंसिल या बोर्ड ऑफ स्टडीज के बारे में हों किसी प्रकार के गठन की बात हो तो क्या २ संशोधन रखते हैं अगर मुझे लिखें या मुझसे अलग से चर्चा करें तो मैं निश्चित रूप से सुधार के रूप में आवश्यक संशोधन प्रतीत होता हो तो करने की तरफ कार्यवाही करूंगा। यह तो अलग सा विषय है।

पर आज जिसके लिये आना पड़ा यदि आप उसको पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से मालूम पड़ेगा कि जब भी तारीखें तय होती हैं तो कहीं सेक्रेटरी का पहले से उन तारीखों में कार्यक्रम तय हो जाता है तो वह नहीं जा सकता। मैं जानकारी के लिये सदन को यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि वाइस चान्सलर ही बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल को बुलाने की तारीखें तय करता है। वे सभी सदस्यों को पूछ कर तारीख तय नहीं करते। इस एक्ट को भी आप देखेंगे तो पता लगेगा कि इस में ३३/३५ आदमी हैं। उन सबको पूछ कर तारीख तय नहीं करते। तो जिन तारीखों प वह मीटिंग बुलावें और संयोग से उन्हीं तारीखों में सेक्रेटरी को अन्य बहुत जरूरी काम हो जाय तो निश्चित तौर से परेशानी खड़ी होती है। साथ ही मैं यह भी इतमीनान दिलाना चाहता हूं कि सेक्रेटरी को भेजने की मंशा न हो, यह नहीं है। पर जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो जावे कि लगातार सम्पर्क रखना सम्भव न हो सके तो वह सम्पर्क बना रहे इस दृष्टि से कहा गया है कि पहले से कार्यक्रम तय हो जाता हो तो उस सूरत में नेक्सट जूनियर मैन को वहां पर एक तरह से मनोनीत कर दिया जाये। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डाइरेक्शन्स के तरीके से हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि आम तौर से इस प्रकार की नौबत नहीं आनी चाहिये। दूसरी बात हम यह भी कहना चाहते हैं कि जब कि मीटिंग बुलाई जाती है एजेन्डा की आइटम्स सरकुलेट होती हैं और उस समय वह डिप्टी सेक्रेटरी या ज्वाइन्ट सेक्रेटरी या एडीशनल सेक्रेटरी कोई भी हो वह अपने मुख्य सचिव से बात करके और ब्रीफ करके वह जायें। अब सवाल इतना सा पैदा हो जाता है कि कौनसी क्या क्या मजबूरियां हैं। अगर आप धारा ३० को देखें तो जो कार्य वहां पर सिर्फ बजट के सम्बन्ध में कौनसी सम्पत्ति को ट्रान्सफर करना, रहन करना या बजट को एप्रूव करना इस प्रकार की जनरल बातें हैं दरअसल में नीति निर्धारण करने के लिए और मीटिंग हो, बोर्ड ऑफ स्टेडीज हो, नाना प्रकार की कमेटीज बनी हुई हैं वह फैसला करती हैं। और आप कमेटीज को देखें तो उसमें कोई ऐसी महत्वपूर्ण मीटिंग नहीं है जो राजस्थान सरकार की बुनियादी तरीके से ज्यादा संबंध रखती हों। तो यहां पर इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डरस् जारी किये जायेंगें। इस हद तक कि कोई विशेष काम नहीं हो तब तक डिप्टी सेक्रेटरी या और भी दूसरा जूनियर ग्रेड का आदमी हो सको नहीं भेजा जाये। लेकिन वह इसलिए रखा गया है कि बाजवक्त पर कोई महत्वपूर्ण एजेन्डा आता है और सेक्रेटरी किसी कारण से नहीं जा सके तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या उस मीटिंग में अनुपस्थित रहे या उसको सरकार की तरफ से कोई रिप्रेजेन्ट ही नहीं करे और यह ख्याल माननीय सदस्यों का कि असिस्टेन्ट सेक्रेटरी जायेगा या नीचे के लोग

(श्री शोभाराम)
जायेंगे तो यह बात गलत है। संशोधन में स्वयं इस प्रकार की बात रखी गई है कि नेक्स्ट रैंक का आदमी होगा। मान लीजिए सेक्रेटरी का कोई सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी होता है तो सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी जायेगा और जूनियर डिप्टी सेक्रेटरी नहीं जायेगा और वह भी ब्रीफिंग के बाद जायेगा। तो यह सवाल पैदा होता है कि हम किसी मीटिंग को नहीं छोड़ना चाहते हैं, हमारी जानकारी निरन्तर बनी रहे इसी ख्याल से हमने इस विधेयक को आपके सामने रखा है और मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि आप इस संशोधन को पास करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): मुझे एक बात बताइये। मैं सभापति महोदया, आपके मार्फत से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय से जो अमेरिका में विद्यार्थी और दूसरे लोग गए थे..........

श्री शंकरलाल : संशोधन से सम्बन्धित नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं तो जानना चाहता हूं ....

श्रीमती सभानेत्री: नहीं। प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, १९६८ को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये ?

(अस्वीकृत)

(प्रस्ताव गिर गया)

प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, १९६८ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये ?

(अस्वीकृत)

(प्रस्ताव गिर गया)

प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, १९६८ को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

(विधेयक विचारार्थ लिया गया)

श्री शोभाराम : सभापति महोदया, मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि इस संशोधन विधेयक को पारित किया जाये।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, १९६८ को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

(विधेयक पारित किया गया)

विभिन्न समितियों से नाम वापिस लिया जाना

श्रीमती सभानेत्री : मैं एक-दो अनाउन्समेंट करना चाहूंगी कि श्री लक्ष्मणसिंह विभाजन संख्या १४३ ने अपना नाम जनलेखा समिति से वापिस ले लिया है और इसी तरह से रामानन्द जी ने भी जनलेखा समिति से अपना नाम वापिस ले लिया है।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): सभापति महोदया, मैं भी अपना नाम प्राक्कलन समिति से वापिस लेता हूं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : सभापति महोदया, मैं भी सूचना देना चाहता हूं कि मैं भी अपना नाम प्राक्कलन समिति से वापिस लेता हूं ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा: सभापति मोहदया, मैं भी अपना नाम प्राक्कलन समिति से वापिस लेता हूं ।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १९६८

श्री बरकतुल्ला खां (प्रभारी मंत्री) : सभापति महोदया, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और, सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १९६८ को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि आपको आज्ञा दी जाये ।

(स्वीकृत)

श्री बरकतुल्ला खां : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ । मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १९६८ को विचारार्थ लिया जाये ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाये ।

(स्वीकृत)

श्री शंकरलाल : सभापति महोदया, एक संशोधन है मेरा इस सम्बन्ध में ।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि श्री शंकरलाल जी द्वारा खण्ड २ में जो संशोधन रखा गया है उसको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

(संशोधन स्वीकार किया गया)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १ वगैरह २ पारित किये जायें ?

(स्वीकृत)

(क्लाज १ वगैरह वगैरह पारित किये गये)

श्री बरकतुल्ला खां : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ, (संशोधन) विधेयक, १९६८ को पारित किया जाये ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाये ।

(स्वीकृत)

(विधेयक पारित किया गया)

अधिक अनुदानों की मांगों पर विचार

श्रीमती सभानेत्री : अधिक अनुदान की मांग संख्या ४१ मुख्य शीर्षक ९८, ९९ और १०० के सम्बन्ध में कुछ कटौती प्रस्ताव रखे जा चुके हैं और बाकी माननीय सदस्य जो बोलना चाहें वह बोल सकते हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सभापति महोदया......

Page No. 68

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! आपने कटौती प्रस्ताव नहीं दिये हैं। सूची में आपका नाम नहीं है।

श्री केशरीसिंह : दल की तरफ से बोल सकते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : जिनके कटौती प्रस्ताव हैं उनको पहले बोलने के लिए कहा जायेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरे कटौती प्रस्ताव हैं।

श्रीमती सभानेत्री : मैं अभी पता लगा लेती हूं फिर आपको बोलने दिया जायेगा। जिसको मैं पुकारूं वह बोलेंगे।

श्री रामनारायण

(अनुपस्थित)

श्री पृथ्वीसिंह

श्री पृथ्वीसिंह (बाली):—माननीय सभापति महोदया मैंने १६६५-६६ की सिंचाई की अधिक अनुदानों की मांग के सम्बन्ध में तीन कटौती-प्रस्ताव दिये हैं जिनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

आज हमारे देश के सामने कई प्रकार की समस्यायें हैं। यदि यह कहा जाये कि हमारे सामने समस्याओं का भण्डार भरा हुआ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अन्तर्गत हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आज अन्न की है, और बहुत बड़ी मात्रा के अन्दर हमें भारतवर्ष के बाहर के देशों से अन्न का आयात करना पड़ता है जिसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में मूल्य चुकाना पड़ता है और दूसरे मुल्कों के ऊपर मोहताज रहना पड़ता है। इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। अतः इन समस्याओं का समाधान करने के लिए साधन उपलब्ध किये जायें, कई व्यवस्थाएं की जा सकती हैं उन सारी व्यवस्थाओं के साथ २ सिंचाई के साधनों का पुनरुद्धार और सिंचाई के साधनों को प्रभावशाली ढंग से, ठीक ढंग से व्यवस्थित करने से बहुत बड़ी मात्रा में अन्न की उपज बढ़ेगी।

सिंचाई के साधनों में हमें ट्यूबवैल की योजनाएं लागू करना चाहिए। जालोर जिले के अन्दर २०० ट्यूबवैल की योजना बनी हुई है उस योजना के अन्तर्गत जो ट्यूबवैल खुदने चाहिए थे वे पूरी मात्रा में नहीं खोदे गये हैं। जिनके ऊपर पम्पिंग सेट्स लगने चाहिए थे उन पर पम्पिंग सेट नहीं लगे। अतः उस योजना को प्राथमिकता देकर उसको पूरा किया जाय। उससे सिंचाई की जो समस्या जालोर जिले में है वह हल होगी।

इसके अलावा कई छोटे २ पहाड़ी इलाके हैं उनके अन्दर नदियों पर बान्ध बंधवाना, कुएं खुदवाना चाहिए। बहुत सारी योजनाएं तो हमारे विचाराधीन हैं, उन्हें तुरन्त लागू करके उन योजनाओं को पूरा करवाया जाय जिससे कि सिंचाई की समस्या हल हो सके और सिंचाई की समस्या हल होने से हमारे अन्न की समस्या को बहुत बड़ा लाभ पहुंचने वाला है।

इसके अलावा मैं आपको एक बात और निवेदन करूं कि जो हमारे विभाग के पास में कुछ प्रॉजेक्ट्स आलरेडी मौजूद हैं, उन प्रोजेक्ट्स में अव्यवस्था घर कर गई है। उस अव्यवस्था को हटा कर प्रभावशाली

Page No. 69

(श्री पृथ्वीसिंह बाली)
ढंग से नियंत्रण वहां पर कायम करना चाहिये जिससे वे ठीक ढंग से कारगर सिद्ध हों जिससे उनका खाद्य समस्या पर प्रभावशाली ढंग से असर हो।

मैं आपसे निवेदन करूं कि जवाई बांध को बने हुए लगभग १५ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं लेकिन जवाई बान्ध के लिए मेन्टीनैंन्स की लाखों रुपयों की स्वीकृति भी होती हैं, वह लाखों रुपये उसमें लगने चाहिए, पर असलियत यह है कि जवाई बान्ध का जो मेनडिम है, उसकी जो मेन दीवार है उसकी मरम्मत कारगार ढंग से नहीं की जाती है। उसके फलस्वरूप वहां पर आज सीपेज बहुत बुरी तरह से हो रहा है और उसकी व्यवस्था दिन पर दिन गिरती जा रही है। उसकी कच्ची पाल की मरम्मत भी नहीं की जाती है। आखिर में नतीजा यह होगा कि मरम्मत बराबर नहीं करेंगे तो उसकी हालत खराब हो जायगी। अतः मैं, निवेदन करना चाहता हूं कि जवाई मेनडैम और जवाई की जो दूसरी दीवार है उनकी जबरदस्त ढंग से मरम्मत करवाना चाहिए।

यह बात कहते हुए बड़ा तरस आता है कि जवाई बान्ध की जो सिंचाई की नहरें हैं उन नहरों की हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है। सिंचाई की नहरें आज भी १५ वर्ष के बाद भी कच्ची बनी हुई हैं। उसके कारण आज यह हालत हो गई है कि जगह २ से उनमें पानी फूट जाता है और सीजन के दिनों के अन्दर पानी फूटने के कारण नदियों में बह जाता है और रास्तों पर आ जाता है, और रास्तों में बह जाने के कारण से समय पर खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता है और खेत वाले चिल्लाते हैं कि हमारे खेतों में पानी नहीं पहुंचा है, और पानी इधर-उधर रास्तों में बह जाता है। अतः मेरा आपसे यह निवेदन है कि इन नहरों की मरम्मत कारगर ढंग से करायें और जो पैसा वहां के लिए स्वीकृत करें वह पैसा वही पर लगना चाहिये।

मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि छोटी छोटी जो खालियां आज भी मौजूद हैं सैंकड़ों बीघों के अन्दर उनसे सिंचाई होती है। वे भी आज कच्ची ही बन्धी हुई हैं और उसके कारण से जगह जगह से फूट जाती है और खेतों को पानी नहीं पहुंचता है। उनको ठीक करने से मैं आपको निश्चित रूप से यह निवेदन करूंगा कि पानी की बचत होगी वह पानी जोधपुर के लिए काफी मात्रा में रहेगा और इरीगेशन के कोटा में से पानी जो जोधपुर शहर और अन्य गांवों के लिए दिया जाता है वह नहीं करना पड़ेगा। अतः आपसे निवेदन है कि उन नहरों की व्यवस्था ठीक ढंग से करें।

मैं आपसे एक बात और अर्ज कर दूं कि मैंने एक स्टार्ड क्वेश्चन पूछा था और उत्तर में मुझे यह बताया गया कि जवाई बान्ध पर एक बगीचा लगा हुआ है और उस बगीचे में हजारों रुपये लगाकर उस बगीचे में नाना प्रकार के गुलाब के फूल और नाना प्रकार के पेड़ और पौधे लगाये हैं। मैं उदाहरण के तौर पर अर्ज करूं कि उस बगीचे में ३०० किस्म के गुलाब के फूल लगे हुए हैं और हजारों रुपये लगाये है, तो मैंने यह पूछा था कि यह पैसा कहां से आया? क्या इसके लिए अलग से स्वीकृति दी गई तो उसके जवाब में मुझे यह मिला है कि मेन्टीनैंन्स की

(श्री पृथ्वी सिंह)

मदद से पैसा लगाकर गुलाब के फूल लगवाये हैं। मैं अर्ज करूंगा कि लड्ढाजी दो महीने पहले पधारे थे उन्होंने भी वह बगीचा देखा है और मैंने भी वह बगीचा देखा है। उन्होंने उत्तर में कहा है कि १२ हजार की लागत लगी है। मैं निश्चित रूप से अर्ज करता हूँ कि कम से कम एक लाख रुपये की लागत लगी है और बगीचे के उपयोग के बारे में मन्त्री महोदय द्वारा बताया गया था कि यह बगीचा आमोद-प्रमोद के लिए लगाया है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आमोद प्रमोद के लिए बगीचा लगायें, पर इस बात से सख्त एतराज है कि जवाई नहर और मेनडैम के लिए जो मेन्टीनेन्स का पैसा था उस पैसे का दुरुपयोग करके बगीचा लगाया जाय। वहां पर मछलियों का पॉन्ड बना हुआ है उसमें मैं निवेदन करूंगा कि हजारों रुपये व्यय किये गये। वह भी मेरे ख्याल से मेन्टीनेन्स कीमत से बनाया गया है। इन बातों के लिए मैं सख्त एतराज करता हूँ और निवेदन करता हूं कि इस किस्म से मेन्टीनेन्स से पैसा लगाकर आमोद-प्रमोद के लिए बगीचा लगायें और आमोद-प्रमोद के लिए मछलियों का पालन करें, यह चीज सख्त एतराज के काबिल है।

दूसरी एक बात और निवेदन करूंगा कि जवाई बान्ध का पानी सिंचाई में से रिजर्व करके जोधपुर व अन्य गांवों में पेयजल के लिए दिया जाता है। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है कि उन गांवों के लिए पेय जल के लिए पानी क्यों दिया जाता है। उनको भी दिया जाना चाहिये, लेकिन मेरा एतराज केवल इतना सा है कि जो बेटरमेंट लेवी लगी है वह केवल काश्तकारों से ही वसूल की जाती है तो यह भी नहीं करना चाहिए कि बेटरमेंट लेवी उन गांव वालों से भी वसूल की जाय, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि बेटरमेंट लेवी उनके समान के हिसाब से गांव वालों से वसूल तो नहीं की जाय, लेकिन पर्सेन्टेज के हिसाब से जन-स्वास्थ्य विभाग से वह बेटरमेंट लेवी ली जानी चाहिए ताकि जो वास्तविकता है वह आजायेगी। अगर जन-स्वास्थ्य विभाग से बेटरमेंट लेवी लिया जाना उपयुक्त नहीं समझा जाय तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे बान्धों से जिनसे पेय जल के लिए पानी लिया जाता है उन बान्धों से बेटरमेंट लेवी बिल्कुल माफ कर देना चाहिए ताकि उसका जो परसवार आता है....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया: माननीय सभानेत्रीजी, उपस्थिति कम है। कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

काफी लोग नहीं हैं और काफी समय से नहीं हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : माननीय सदस्य ने जिस समय से देखा है कि कोरम नहीं है उस समय से अब तक जो प्रोसीडिंग्ज हुई है वह इल्लीगल हैं।

श्री पृथ्वी सिंह: माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बेटरमेंट लेवी उन गांव वालों से ली जाये, यह उचित नहीं होगा। मेरे ख्याल से बेटरमेंट लेवी जन स्वास्थ्य विभाग से लेनी चाहिये क्योंकि वे उस पानी का उपयोग

Page No. 71

(श्री पृथ्वी सिंह)
करते हैं और इसका सारा का सारा भार उन काश्तकारों पर नहीं डालना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक सुझाव मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि साही नदी की योजना सरकार के विचाराधीन है काफी अर्से से उसको युद्ध स्तर पर ले लेना चाहिये और काम जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिये ताकि जवाई बांध जो १५ वरस से नहीं बढ़ रहा है वह साही नदी को डाइवर्ट करने से बढ़ेगा और इससे एक लाख बीघा जमीन की सिंचाई और हो सकेगी तो साही नदी की डाइवर्शन स्कीम को जल्दी से जल्दी युद्ध स्तर पर ले कर पूरा कर दिया जाये। इससे एक लाख बीघा जमीन तो सिंचित होगी ही साथ में जोधपुर वगैरा में जो पेयजल की कमी है वह भी ठीक हो जायेगी और ठीक व्यवस्था हो जायेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री:

श्री रामचन्द्र आर्य (अनुपस्थित)

श्री रामनन्द अग्रवाल (अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल दाढ़दार (अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया (अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल (अनुपस्थित)

श्री रामकिशन (अनुपस्थित)

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८ बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत,

९९ सिंचन, नौचालन, तटबंधन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यक)

१०० सिंचन, नौचालन, तटबंधन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यक)

के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७१, ५३, १३० रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १५

राज्य मंत्री वित्त (श्री विशम्भरनाथ जोशी): सभापति महोदया मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा के सम्बन्ध में सघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,३१,६७७ रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

श्रीमति सभानेत्री: श्री गोरधन सोनी।

(अनुपस्थित)

श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): माननीय सभापति महोदया, राजस्थान के शिक्षा विभाग ने छात्रों को छात्रवृत्ति देने के सम्बन्ध में जो मार्च १९६८ में निर्णय किया, उस निर्णय को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आज भी यह कांग्रेस की सरकार जो समाजवादी समाज की बातें करती है, वह वास्तविक रूप से गरीब मजदूर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं देना चाहती है। इस सरकार ने ज

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

इस प्रकार का निर्णय लिया है कि जिन राज्य अधिकारियों की वार्षिक आय १५०० रुपये से कम है उनके बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाये यह बहुत ही खेदजनक बात है।

माननीय सभापति महोदया मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान का शिक्षा विभाग इस प्रकार का निर्णय लेकर उन गरीब और छोटे अल्प वेतन वाले कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। शिक्षा विभाग ने जो छात्रवृत्ति देने के सम्बन्ध में तय किया है कि केवल उन कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी जिनकी आय १५०० रुपये से अधिक होगी, उसका कारण यही है कि आज राजस्थान के सेक्रेटरियेट पर जो सचिव है, जो सहायक सचिव हैं, आइ. ए. एस., आर. ए. एस., आर. जे. एस. और आर. पी. एस के अधिकारी हैं उनके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये और जो राजस्थान के अन्दर गरीब है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जिनको यह राज्य सरकार कम वेतन देती है और जिनको वास्तविक रूप में छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। मैं शिक्षा मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि इन छोटे क्लर्क और चपरासियों ने और सिपाहियों ने क्या पाप किया है जो उनके बच्चों को आप छात्रवृत्ति नहीं देना चाहते ?

इतना ही नहीं सभापति महोदया, राजस्थान के शिक्षा विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि जो बच्चे १ से ५ तक की कक्षा में पढ़ते हैं उनको भी छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। मुझे तो यह देखकर बहुत अफसोस होता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, छोटे क्लर्क और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं जो कि आर्थिक अभाव के कारण अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते जो आर्थिक अभाव के कारण और इस कांग्रेसी सरकार के प्रकोप के कारण अपने बच्चों को केवल पांचवीं, छठी क्लास तक ही पढ़ा पाते हैं, उनको आप छात्रवृत्ति नहीं देना चाहते। मैं, माननीय शिक्षा मन्त्री से पूछना चाहूंगा कि गुजरे दस साल के अन्दर आपने कितने छोटे कर्मचारियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और सिपाहियों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी है। मुश्किल से एक या दो प्रतिशत केस आपको ऐसे मिलेंगे। बाकी सारी रकम बड़े-बड़े अधिकारियों के बच्चों में बांट दी जाती हैं। आज राजस्थान के अन्दर जो सचिवालय हैं और जो मंत्रीमण्डल है उस पर सारा का सारा आइ.ए.एस. और आर.ए.एस. अधिकारी हावी हो रहे हैं। वे लोग मंत्रियों को कठपुतली की तरह नचाते हैं। यही कारण है कि उन्हीं के बच्चों को छात्रवृत्ति मिल जाती है और जो गरीब का लड़का है, जो पटवारी का लड़का है, जो एक मास्टर का लड़का है या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का लड़का है, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। आपने इस प्रकार का नियम क्यों बनाया कि जिन कर्मचारियों की वार्षिक आय १५००) रुपये हैं उनके बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

इतना ही नहीं, सभापति महोदया, आज राजस्थान के शिक्षा विभाग के अन्दर बहुत ही धांधले बाजी चल रही है। हिन्दुस्तान के अन्दर केन्द्र सरकार और राजस्थान विधान सभा, और राजस्थान विधान सभा के माध्यम से राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जो कोई, किसी विश्वविद्यालय से भी बी.एड्. या एम एड्. करके

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

आयेगा उसको मान्यता दी जायेगी। राज्य सरकार ने कोल्हापुर विश्वविद्यालय से जो अध्यापक एम. एड्. करके आये उनको मान्यता दी थी, लेकिन सभापति महोदया मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे राजस्थान के शिक्षा विभाग के जो ऐडीशनल डाइरेक्टर श्री बोदिया साहब, इन्होंने राग द्वेष के आधार पर हमारे यहां पर सैकेन्डरी स्कूल का हैड मास्टर है जिन्होंने कोल्हापुर से एम० एड० किया था उनको एडवान्स ग्रेड इन्क्रीमेन्ट्स मिलनी चाहिये थी उसको नाटकीय ढंग से नहीं दिया। इस नाटकीय ढंग से उसमें मन्त्री महोदय को ही इन्वोल्व्ड नहीं किया बल्कि मुझे यह कहना पड़ता है कि एडीशनल डाइरेक्टर ने राजस्थान के राज्यपाल महोदय को गलत सूचना देकर सम्मिलित किया और उन्होंने फरवरी, १९६८ में राज्यपाल महोदय के माध्यम से ऐसा आदेश जारी कराया कि उप हैड मास्टर को जिसने कोल्हापुर विश्व विद्यालय से एम० एड० किया है उसका दो एडवान्स इन्क्रीमेण्ट्स नहीं मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं कि जब केन्द्रीय सरकार ने और राजस्थान विधान सभा ने मान्यता दी है तो एडीशनल डाइरेक्टर श्री अनिल बोदिया ने किस प्रकार फरजी कार्यवाही की? किस प्रकार हैड मास्टर के अधिकार को चुनौती देकर उसको अपने अधिकार से वंचित किया।

इतना ही नहीं, आज शिक्षा विभाग के अध्यापकों की इन्क्रीमेन्ट्स है, उनकी सीनियोरिटी है इसमें घपला चल रहा है। मैं झुन्झुनूं जिले के अध्यापकों के बारे में सभापति महोदया, आपके माध्यम से मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के शिक्षा विभाग में जैसे जैसे डाइरेक्टर और एडीशनल डाइरेक्टर आते हैं वैसे-वैसे कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और सीनियोरिटी में परिवर्तन होता रहता है और वहां के डिप्टी डाइरेक्टर के कारण झुन्झुनूं के सैकड़ों अध्यापकों को नुकसान उठाना पड़ा। जिनको सीनियोरिटी के आधार पर आज से ५ साल पहले सीनियोरिटी लिस्ट में आना चाहिये था लेकिन जयपुर के भूतपूर्व डिप्टी डाइरेक्टर की गलत नीतियों के कारण और उसकी तानाशाही प्रवृत्तियों के कारण उनको सीनियोरिटी लिस्ट में नहीं लिया गया। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी इसकी जांच करावें। भूतपूर्व डिप्टी डाइरेक्टर अभी अवकाश पर गये हैं उनसे पहले के डिप्टी डाइरेक्टर ने जो आदेश दिये थे उनका पालन क्यों नहीं हुआ। आज एक डिप्टी डाइरेक्टर जाता है, दूसरा आता है उनके कारण नीतियां बनती हैं तो यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी सीनियोरिटी पर असर पड़ता है तो वे रुचि लेकर बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते।

इतना ही नहीं, आज तो हालत यह है कि शिक्षा संस्थाओं में जो सामान की खरीद-फरोख्त होती है उसके लिये यह जो टेन्डर्स कॉल करने की पद्धति है, वह गलत है। यह कोई लोटा, दूसरा सामान फर्नीचर आदि नहीं है जिसके लिये शिक्षा विभाग टेन्डर काल करना है। मैं मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यदि आप एक विषय का पुस्तकें खरीदना चाहते हैं तो जिसका लेखक एक है, पुस्तक एक है और प्रकाशक एक है तो

Page No. 74

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

फिर क्यों आप टेन्डर कॉल करते हैं। टेन्डर कॉल करने में भ्रष्टाचार की बू आती है। प्रकाशकों और लेखकों से सौदा तय किया जाता है उसी के कारण टेन्डर काल किये जाते हैं।

सभानेत्री महोदया, जब से पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया है तब से पहली कक्षा से लेकर हायर सैकेन्डरी तक बच्चों को पढ़ने के लिये पुस्तकें समय पर नहीं मिलती है। दो-दो, तीन-तीन महीनों तक नहीं मिलती है। पिछली बार मेरे माननीय मित्र श्री कृष्णकुमार जी गोयल ने गम्भीर आरोप लगाया था कि राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत जो पुस्तकें प्रकाशित होती हैं उनके प्रति सरकार आंखों पर पट्टी बांधे रहती है। जिस प्रकार नक्शे प्रकाशित किये हमारे देश के भू-भाग को पाकिस्तान में दिखाया था। मैं पूछना चाहता हूं कि उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई। यह पुस्तकें इतनी मंहगी मिलती हैं कि जब से पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया है तब से पुस्तकों की कीमत पहले की अपेक्षा दुगनी हो गई है। जब राज्य सरकार को कागज विदेशों से मुफ्त में मिलता है तो पुस्तकों की कीमत अधिक क्यों है। जो कीमत राष्ट्रीयकृत पुस्तकों की रखी जाती है उनसे आधी कीमत में दूसरे प्रकाशक बेचने को तैयार हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीयकरण के द्वारा हर चीज की कीमत बढ़ाई जाती है उससे जनता को भ्रम होता है। बच्चों को दो-तीन महीनों तक पुस्तकें नहीं मिलेंगी तो बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे। स्कूलों में मास्टर खाली बैठे रहते हैं और विद्यार्थी हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहते हैं और यही कारण है कि आज शिक्षा का स्तर नीचा गिर रहा है। लेकिन हमने इस बारे में चिंतन नहीं किया। हम चिंतन नहीं करते हैं इस कारण से शिक्षा विभाग में धांधली चलती है।

आज हमारे शिक्षा विभाग में जो कार्यवाही चल रही है, हड़तालें आदि हो रही हैं उसका एक मात्र कारण यह है कि हमारे यहां शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर, एडीशनल डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर आदि हैं उन्होंने अपनी मोनोपोली बना रखी है। राजस्थान शिक्षा विभाग के एडीशनल डाइरेक्टर अनिल बोर्दिया ने अपने भतीजे को साइन्टिफिक इन्स्ट्रूमेन्ट्स के नाम से उनकी जो फर्म है उसको ३ साल के लिये टेन्डर मन्जूर कर लिया। यह इस बात का संकेत करती है कि विज्ञान विषय के लिये काम में आने वाला सामान ३ साल के लिये उनसे खरीदा जायगा। टेन्डर की रेट्स अलग अलग है। इतना ही नहीं, जिस कंपनी का सामान उसकी मार्फत खरीदा जायगा उस कंपनी ने यदि टेन्डर मंजूर होने के बाद किसी सामान की कीमत बढ़ादी तो बढ़ी हुई कीमत शिक्षा विभाग को देनी पड़ेगी यह भी उसके टेन्डर में एक शर्त है। तो फिर यह टेन्डर क्या हुआ? यदि रेट कंपनी बढ़ा देगी तो टेन्डर जिस रेट पर स्वीकृत हुआ है उसकी रेट बढ़ी हुई मानी जायगी। इस प्रकार से जो हायर सैकेन्डरी स्कूलों के लिये सामान खरीदा जायगा उसमें सरकार को ३ लाख रुपयों का नुकसान होगा इस प्रकार से सामान की खरीद फरोख्त में जो भ्रष्टाचार होता है उसकी जांच होनी चाहिये। अनिल बोर्दिया ने अपने रिश्तेदार को सन् ६७, ६८ और ६९ के लिये जो टेन्डर मंजूर किया है उसकी जांच होनी चाहिये। यदि इस पर रोक नहीं लगी तो

Page No. 75

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
सामान की खरीद-फरोख्त में घपला होगा ....

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : माननीय सदस्य जो मौजूद नहीं है उनके बारे में नाम लेकर कहा है। शिक्षा विभाग के एडीशनल डाइरेक्टर के बारे में आज कह परसों भी कहा है, यह बात जो आप कह रहे हैं सत्य से परे होगी तो क्या होगा ? मैं दावे के ना कहता हूं कि यह सत्य से परे है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपका अनिल बोर्दिया से अनुचित संबंध हो तो बात दूसरी है।....

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरा कोई अनुचित संबंध नहीं है दावे के साथ कहता हूं कि आप जो कह रहे हैं, वह सत्य से परे है।

श्री विजय सिंह रावत : आपको इससे क्या है ...

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, हो सकता है अनिल बोर्दिया-ने आपको गुमराह किया हो .

श्रीमती सभानेत्री: माननीय सदस्य, इस सदन की परंपरा है कि जो व्यक्ति मौजूद नहीं है उसके खिलाफ आरोप नहीं लगाना चाहिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता: यह परसों भी कहा गया था।

श्री विजयसिंह रावत: मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहूंगा कि आपने जैसा कहा कि कोई अधिकारी जो यहां पर मौजूद नहीं है उसके नाम से कुछ नहीं कहना चाहिये, यह ऐक्सेस डिमान्ड पर बहस चल रही है, इनका अधिकार है कहने का।

श्रीमती सभानेत्री : किसी व्यक्ति का नाम लेकर नहीं कहा जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अधिकारी का नाम ले सकते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : नाम लेकर नहीं कहा जाता है, आपको गलत खयाल है, यह नियम विरुद्ध है।

श्री बी० एन० जोशी: नियम २०९ के अनुसार नहीं कह सकते।

श्री विजयसिंह रावत : बोल सकते हैं।

श्री बी. एन. जोशी : नो नो, किसने कह दिया।

श्रीमती सभानेत्री: माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त कर दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया: जल्दी कर रहा हूं।

जोधपुर जिले के अन्दर एक सुमेरपुर हायर सैकेन्डरी स्कूल है, वह स्कूल दस वर्ष से चल रहा है और उस स्कूल को राजस्थान सरकार के नियमों के अन्तर्गत, शिक्षा विभाग के नियमों के अन्तर्गत, जो हायर सैकेन्डरी स्कूल को शिक्षा विभाग के द्वारा ऐड देनी चाहिए, वह नहीं दी जाती है और वहां के प्राइवेट कुछ व्यक्तियों के द्वारा उस संस्था को चलाया जा रहा है। उन्होंने बारम्बार कई बार शिक्षा विभाग को लिख कर मांग की है कि इस शिक्षण संस्था को

Page No. 76

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

जो सुमेरपुर हायर सैकेन्डरी स्कूल है, अधिक सहायता दी जाय। इसके अन्दर, माननीय सभापति महोदया, सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते हैं। जब इसके सम्बन्ध में लिखापढ़ी की थी तो शिक्षा विभाग ने यह कहा था १९६२ के अन्दर राजस्थान सरकार ने लिख कर यह आश्वासन दिया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर हमारे पास कोई बजट नहीं है इस कारण से हम इस पंचवर्षीय योजना के पांच साल के अन्दर इस हायर सकेन्डरी स्कूल को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के एण्ड के बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के अन्दर इस संस्था को आर्थिक सहायता देने में सक्षम होंगे। लेकिन, माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि ततीय पंचवर्षीय योजना के पांच वर्ष समाप्त हो गये, अब भी इस शिक्षण संस्था को (समय समाप्ति-सूचक घंटी) एक मिनिट ! एक पैसे की भी आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। इतना ही नहीं, इस शिक्षण संस्था का एक लाख रुपये का रिजर्व फण्ड था, वह तीन साल में समाप्त हो गया। इस शिक्षण संस्था को आर्थिक सहायता नहीं दी इस कारण से यह शिक्षण संस्था आर्थिक अभाव के कारण बन्द हो जायेगी। यह शिक्षण संस्था यदि बन्द हो गई तो उस इलाके के अन्दर जो इस शिक्षण संस्था के अन्दर जो पचास प्रतिशत पिछड़ी जाति के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य क्या होगा। उनका भविष्य अन्धकारमय हो जायगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस शिक्षण संस्था की आर्थिक स्थिति को बनाये रखने के लिए जो रिजर्व फण्ड के रूप में एक लाख रुपया था वह खत्म हो गया है, इसलिए कहीं ऐसी स्थिति न आ जाय कि आर्थिक अभाव के कारण, शिक्षकों को वेतन न मिलने के कारण यह बन्द हो जाय। यह बन्द न होने पाये क्योंकि रिजर्व फण्ड खत्म हो गया है, इसके लिए क्या सरकार आश्वासन देगी। और सुमेरपुर हायर सैकेन्डरी स्कूल के लिए जसा आपने पहले आश्वासन दिया था और निरीक्षक ने जो इन्सपेक्शन करने के बाद में रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर उसको तत्काल सहायता दी जाय—ऐसा सरकार आश्वासन देगी, ऐसा मुझे विश्वास है।

श्रीमती सभानेत्री : श्रीहरजीराम बुरड़क ! (श्री डूंगाराम राजोरिया के खड़े होने पर) आप यहीं बोल सकते क्योंकि आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.) : मैं बोल सकता हूं।

श्री हीराभाई : बोल सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आपका कटौती प्रस्ताव नहीं आया।

श्री डूंगाराम राजोरिया : कटौती प्रस्ताव दिया नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : यह डिमाण्ड बहुत पहले की है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मांग संख्या का और मुख्य शीर्षकों का प्रपत्र आया नहीं तो हम कैसे कटमोशन देते। इसलिए मैं इस डिमाण्ड के ऊपर निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिक्षा की अधिक डिमाण्ड पर बहस चल रही है उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि मैं ज्यादा नहीं कह कर कुछ मेरे इलाके की दो-चार बातें कहूंगा। सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिक्षा का स्तर है राजस्थान में वह सबसे गिरा है। इसका मुकाबला दूसरे राज्यों से किया जाय तो मैं कहूंगा कि जो शिक्षा की प्रणाली हमारे यहां है, जो शिक्षा हम देते हैं, यह शिक्षा की प्रणाली ऐसी है कि हिन्दुस्तान में जितने भी प्रदेश हैं और सेन्टर हैं—उस सबसे हमारे यहां शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। इसलिए इसको सरकार को सुधारना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारी शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि दूसरे प्रदेशों के लोगों के मुकाबले में हमारे यहां का कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति जाय तो वह ठहर नहीं सकता है। इसलिए शिक्षा के स्तर की ओर सरकार को ध्यान देकर ठीक करना चाहिये।

दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि जो शिक्षा हमारे यहां दी जाती है उस शिक्षा को प्राप्त करके केवल लोग नौकरी के ऊपर निर्भर होकर रह जाते हैं। गवर्नमेंट ने अब तक इस पर विचार नहीं किया है कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं, जो शिक्षित लोग निकाल रहे हैं शिक्षा देकर वह नौकरी के अलावा कोई दूसरा काम धन्धा नहीं कर सकते। इस कारण से जो हमारा शिक्षित वर्ग है वह नौकरी के लिए मारा-मारा फिरता है। यह प्रणाली शिक्षा की चल रही है यह चलती रही तो मैं कहूंगा कि आखिर नौकरी की भी सीमा है, वह तो आखिर तक पहुँच गई है तो आगे क्या करना है—इसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए और विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, उनको ऐसे धन्धे सिखाने चाहिए, जिस प्रकार कि दूसरे देशों में इस प्रकार के धन्धे सिखाये जाते हैं, जिससे स्कूल में शिक्षित होकर निकलने के बाद कोई वह ऐसा धन्धा अपना ले और नौकरी की तरफ मारे मारे न फिरें। इससे देश का भी काफी सुधार हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि जो शिक्षा की प्रणाली है जिससे विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा प्रणाली में ऐसा कोई परिवर्तन करना चाहिए ताकि जो हजारों लोग नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हैं, वह मारे मारे नहीं फिरें और स्कूल से बाहर निकल कर किसी उद्योग धन्धे में लग सकें और इसलिए आप स्कूलों में उद्योग धन्धे सिखायें। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी स्थिति तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि आप उनको सिर्फ नौकर बनाने के लिए ही पढ़ाते रहेंगे और उसके अलावा जितने उद्योग धन्धे हैं, और दूसरे काम चलते हैं उनकी शिक्षा उनको नहीं देंगे और तब तक देश का विकास भी नहीं हो सकता है।

इसके अलावा मैं स्त्रियों की शिक्षा के बारे में भी निवेदन करूंगा। जो शिक्षा हमारे राजस्थान में है वह स्त्रियों के लिए बहुत कम तादाद में दी जाती है। इसकी ओर सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। अगर आप स्त्री शिक्षा पर बल दें तो घरों के अन्दर लोगों के संस्कार सुधरेंगे। स्त्री का स्थान इतना बड़ा और ऊंचा है, इसलिए अगर आप स्त्री शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान दें तो बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार प्राप्त हो जायेंगे। उनको शिक्षित माता होने से फायदा होगा। शिक्षित माता बच्चों के संस्कार अच्छे बना सकती हैं। मैं

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

कहना चाहूंगा कि स्त्री शिक्षा की बहुत ज्यादा राजस्थान में कमी है। इसलिए स्त्री शिक्षा की ओर राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह हमारे लिए, हमारे देश के लिए, राजस्थान के लिए विकास का रास्ता है। इसलिए स्त्री शिक्षा की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

शिक्षा मंत्री जी की ओर से एक बात आई थी कि सेन्टर से जो पैसा शिक्षा के लिए अनुदान के रूप में मिला करता है, वह हमें कम अनुदान मिलता है। बाकी प्रदेशों से हमें बहुत कम मिलता है। और मैं भी यह मानकर चलता हूं कि राजस्थान सरकार को हर वर्ष सेन्टर से कम अनुदान मिलता है चाहे वह किसी विषय का हो, किसी डिपार्टमेंट का हो, किसी विभाग का हो। और हमारी राजस्थान सरकार का निकम्मापन है। राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रदेश है। जहां ज्यादा मिलना चाहिये वहां सरकार को जितना ज्यादा रुपया मिल सकता है, उससे कम ले पाता है और ज्यादा लेने की ओर ध्यान नहीं देती है। उदाहरण के रूप में मैं कहूंगा कि कुछ महीने पहले हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने राजस्थान के एम.पी.ओं की मीटिंग में कहा था कि हमें जो अनुदान केन्द्र से मिलता है वह कम मिलता है, इसलिए जितने एम.पी. हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि हमें अनुदान की राशि ज्यादा मिले। समाज कल्याण की जो राशि है उसके लिए मैं कहूंगा कि सेन्टर से वह बहुत कम मिलती है, दूसरे प्रदेशों के मुकाबले पचास प्रतिशत मिलती है, ज्यादा नहीं मिलती है। इसलिए इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो अनुदान मिलता है उसमें पहली बात तो यह है कि हमारा राजस्थान पिछड़ा हुआ राज्य है, दूसरी बात यह है कि हमारा पंचवर्षीय योजनाओं में काफी खर्च हो जाता है, इस सब बातों को समझते हुए सेन्टर से ज्यादा अनुदान लाने की कोशिश करनी चाहिए। यह बात भी मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आयन्दा के लिए जितनी भी राशि आये वह ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करें।

दूसरी बात अब मैं मेरे इलाके के बारे में निवेदन करूंगा। दौसा में एक कॉलिज है। कॉलिज को खुले काफी अरसा हो गया लेकिन बिल्डिंग अधूरी है, छात्रों की संख्या के अनुसार पर्याप्त मात्रा में भवन के कमरे उपलब्ध नहीं हैं इसलिए उसके कमरे बढ़ाने चाहिए। दौसा ऐसा कस्बा है, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, और आस-पास के कई गांवों के बच्चे भी उसमें पढ़ने जाते हैं बहुत ज्यादा जनसंख्या के लिए यह कॉलिज होते हुए भी जो बिल्डिंग है वह बहुत छोटी है। बिल्डिंग छोटी होने के नाते जो शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं उनको शिक्षा मिलती नहीं है और उनको घर बैठ जाना पड़ता है। इसलिए इस बारे में निवेदन करूंगा कि जो कॉलेज दौसा का है, इसके लिए शिक्षा विभाग को बिल्डिंग बनानी चाहिए। मैं इसके विषय में निवेदन करूं....

(२ म. प.)

इसके विषय में एक बात और निवेदन करूं कि ५-६ साल पहले मुख्यमन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि अगर जनता ५० हजार रुपया दे दे तो मैं यहां पर स्कूल भवन बनवा दूंगा। उसका राज्य मंत्री जोशीजी को पता है जनता ने २५ हजार का चैक तो दे दिया था और २५ हजार की एक बिल्डिंग

Page No. 79

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

भी बता दी । ५० हजार रुपये देने के बाद भी उस स्कूल की बिल्डिंग का न बनना मैं यह कहूंगा कि यह राज्य सरकार का सौतेला व्यवहार है। मैं यह कहना चाहूंगा कि ५० हजार रुपये जनता द्वारा दिये हुए हैं, ऐसी स्थिति में बिल्डिंग न बनना एक बुरी बात है।

श्री हीराभाई : सभापति महोदया, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : माननीय मंत्री इसके सम्बन्ध मे बतायेंगे।

श्री हीराभाई : सभापति महोदया, मैं व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं ......

श्रीमती सभानेत्री : एक दम व्यवस्था का प्रश्न कौनसा आ गया ?

श्री हीराभाई : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि शिक्षा का प्रश्न देश निर्माण का प्रश्न है।

श्रीमती सभानेत्री : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री हीराभाई : व्यवस्था का प्रश्न है इसलिए बोल रहा हूं। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि शिक्षा विभाग देश का निर्माण करने वाला है, देश के भविष्य का निर्माण करने वाला है। मनुष्य को इन्सान बनाने वाला है। इसके लिए बहुत जरूरी है, कि शिक्षा मन्त्री महोदय को यहां पर हाजिर रहना चाहिए। उनको आदेश होना चाहिए कि वह यहां पर आएं। अगर यहां आयेंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे ?

श्रीमती सभानेत्री : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री हीराभाई : उत्तर कैसे दिया जायगा।

श्रीमती सभानेत्री : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

एक माननीय सदस्य : हम बैठे हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदया, व्यवस्था का प्रश्न तो इसलिए बन जाता है हमने जो मुद्दे रखे हैं उनका जवाब कौन देंगे। मैंने जो स्कूल बिल्डिंग के लिए कहा है उसका जवाब वगैरा भी कैसे मिलेगा। व्यवस्था का प्रश्न बन जाता है। मन्त्री महोदय को यहां उपस्थित रहना चाहिये। यह आसनको व्यवस्था देनी चाहिए।

अब मैं चांदराना हायर सैकेण्डरी स्कूल बिल्डिंग की बात करूंगा। थोड़े दिनों पहले एक बहुत बढ़िया भवन हायर सेकेण्डरी का जनता ने काफी रुपया खर्च करके बनवाया है। शिक्षा मन्त्रीजी ने वहां जाकर बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। वहां लड़कों की संख्या भी ज्यादा है और आस पास प्राथमिक पाठशालाएं भी ज्यादा हैं। आस पास हायर सैकेण्डरी स्कूल नहीं है। इसलिए वहां एक हायर सैकेण्डरी स्कूल खोला जाना चाहिए। शिक्षा मन्त्री ने उस भवन का उद्घाटन किया है, उसका ध्यान रखना चाहिए। बिल्डिंग उनकी देखी हुई है। अच्छी बिल्डिंग है। वह जनता ने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके इस बिल्डिंग को बनवाया है। अगर वहां स्कूल नहीं बनाया जाता तो जो जनता ने पैसा लगाया है उस पैसे का दुरुपयोग समझा जाएगा। इसलिए जो अब

(श्री डूंगाराम राजोरिया)
सरकार इस वर्ष जो स्कूल खोले तो वहां पर भी जरूर खुल जाना चाहिए। मैं सरकार से यह आशा लेकर चलता हूं।

इसके अलावा सेथल हाई स्कूल की बिल्डिंग जनता ने बनाकर शिक्षा विभाग को दे दी है। लेकिन शिक्षा विभाग उस बिल्डिंग को ले नहीं रहा है। वह कहता है कि इस बिल्डिंग का जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करते तब तक ले नहीं सकते। जनता ने भवन बनाकर दिया है, उसका रजिस्ट्रेशन भी वह कराए तो उसमें और खर्च करना पड़ेगा। यह बात नहीं होनी चाहिए। जो बिल्डिंग है, वह शिक्षा विभाग को संभाल लेनी चाहिए। इसमें जो टूट फूट हो गई है, उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। तो उसका आप प्रबन्ध करें वरना जो बिल्डिंग सरकार अपने अन्डर में ले लें। इस ओर शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए।

साथ ही मैं प्राथमिक पाठशालाओं के बारे में निवेदन करूंगा प्राथमिक पाठशालाएं जितनी शहरों में है, उनमें पर्याप्त मास्टर नहीं हैं। एक-एक मास्टर के पास करीब अस्सी-अस्सी छात्र हैं तो अस्सी छात्रों को एक साथ प्राथमिक पाठशाला में एक मास्टर किस तरह से पढ़ा सकता है। इसके बारे में भी निवेदन करूंगा कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, वहां लड़कों की संख्या देखकर मास्टर और बढ़ाने चाहिएं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत): मैं निवेदन करूंगी कि १९६३-६४ की मांगों पर वाद-विवाद चल रहा है और ६८-६९ की डिमांड के ऊपर बहस हो चुकी है कि क्या होना चाहिए। यह होना चाहिए या वह होना चाहिए। उस समय अगर कोई गलती हुई है या कोई गलत खर्च हुआ है और कोई बात हो तो उस बात को कहना चाहिए। नहीं तो यह तो रिपीटीशन हो जायगा। अनावश्यक हो जाएगा, पहले यह समझा जाए कि क्या बोलना है।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): १९६३-६४ में गवर्नमेंट यह मानकर चली थी कि वह स्कूल होंगे यह सब बातें होंगी वह नहीं की तो नहीं करने की वजह से कमियां रही हैं तो हमसे एक्सेस डिमांड पास कराना चाहते हैं तो यह सब पाइंट आउट करना जरूरी है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया: वह पाइंट आउट हो चुका है। १९६८-६९ की डिमांड पर हो चुका है।

श्री दिग्विजयसिंह: पाइंट आउट नहीं हुआ है।

श्री डूंगाराम राजोरिया: ज्यादा खर्च करने से ज्यादा डिमांड आती है और हमसे मंजूर कराते हैं। हमें कहने का अधिकार है। ऐसी बात नहीं है कि हमें कहने का अधिकार नहीं है या इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है......

श्री मूलचन्द डागा: पूरा अधिकार है।

श्री डूंगाराम राजोरिया: पंचायत समितियों के तहत जो हैं उनको स्कूल भवन के बारे में निवेदन करना है कि जो प्राथमिक स्कूल गांवों में हैं उनके भवन नहीं हैं भवनों के लिए पन्द्रह सौ रुपये पहले सरकार देती थी पंचायत के माध्यम से, लेकिन अब देना बन्द कर दिया है। इस कारण कितने ही स्कूल बिना छत के वैसे ही पड़े हुए हैं।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)
इसलिए शिक्षा विभाग को चाहिए कि वह पंचायतों के तहत चलने वाले स्कूलों को अनुदान दे ताकि उन भवनों पर छत डलवाई जाए और जिन स्कूलों में बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं वो भवनों में बैठकर पढ़ सकें। पंचायत समिति को अनुदान की राशि भवनों को सम्पूर्ण कराने के लिए सरकार को देनी चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : वह पिछले साल के हिसाब से बनेंगे नहीं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मन्त्री महोदय को कहना चाहूंगा, कि जो भी मुद्दे आपके सामने रखे हैं, कुछ स्कूलों के और कुछ जो शिक्षा में कमी है, उसके मुद्दे रखे हैं इसके साथ एक बात और निवेदन करूंगा कि आंछी में भी हायर सैकेण्ड्री स्कूल के लिए प्लॉनिंग है तथा तैयार है, वहां भी हायर सैकेण्ड्री खोलने के लिए कई बार कहा जा चुका है। श्री हरिभाऊ उपाध्याय जब मिनिस्टर थे उनके कहने पर गांव वालों ने भवन बनाया था लेकिन वहां अभी तक हायर सैकेण्ड्री स्कूल नहीं खोला है। मैं हायर सैकेण्ड्री स्कूल के लिए निवेदन करूंगा कि इसकी इस वर्ष व्यवस्था की जाये। इन्हीं शब्दों के साथ अपना निवेदन समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय मन्त्री उत्तर देना चाहें तो संक्षेप में दे दें।

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री) : इकट्ठा ही उत्तर दे दें।

श्री दिग्विजयसिंह : उन्होंने सुना नहीं तो क्या जवाब दें।

श्री शिवचरण माथुर : सुन लिया है।

श्रीमती सभानेत्री: प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा के सम्बन्ध में सर्धनित निधि में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल, महोदय को ३,३१,६७७ रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई, आगे की मांग रखिये।

श्री केशरी सिंह : बगैर जवाब दिये ही हो गया। जो बातें कही हैं।

श्रीमती सभानेत्री : काफी जवाब दिया जा चुका है।

श्री केशरी सिंह : फिर भी फॉरमलटी पूरी होनी चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह : यह भी फॉरमेलिटी है पास करने की?

श्रीमती सभानेत्री : वह पास हो चुका है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सब डिमांड ऐसे ही पास कराली जायें। क्यों रखती हैं। हर प्रश्न पर हां, ना करा लीजिए। जितनी डिमांड है उनको एक साथ पास करा लीजिए।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : अधि अनुदान की मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक, २३ विधि विभाग के सम्बन्ध में संचित निधि में से ३१ मार्च १९६६ को समाप्त हुए वर्ष

Page No. 82

(विश्वम्भर नाथ जोशी)
में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,६५,४४१ रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

श्रीमती सभानेत्री : कोई कटौती प्रस्ताव पर बोलेंगे।

श्री डूंगाराम राजोरिया : कटौती प्रस्ताव पर बोलने का नतीजा क्या निकलेगा?

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : जवाब दिया जायेगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : पहले कौनसा जवाब दिया गया।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : अगर आप उसी वर्ष के विषय में बोलेंगे जिसका हिसाब रखा है तो जवाब दिया जायेगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जो शिक्षा पर कटौती के प्रस्ताव थे उनका जवाब कहां आया?

श्री विजयसिंह : वह वैसे ही पास कर दी।

श्री केशरी सिंह : मांग पास कराने के लिए प्रस्ताव मन्त्री महोदय का आना चाहिए बाला-बाला आप कैसे कर सकती हैं।

श्रीमती सभानेत्री : इस मांग पर कटौती प्रस्ताव पर कोई बोलेंगे? कटौती प्रस्तावों पर बोलेंगे कोई?

श्री डूंगाराम राजोरिया : मन्त्री महोदय द्वारा कोई जवाब ही नहीं दिया जाता तो क्या बोलें।

श्री श्रवणलाल : बोलने से क्या फायदा जब कि जवाब ही नहीं दिया जाता।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य! मैंने कहा, वह आपने सुना नहीं। जिस साल के हिसाब में अधिक अनुदान की मांगें हैं, उसके ऊपर बोलेंगे तो अवश्य जवाब दिया जायेगा, अभी जो आप बोले वह उसके ऊपर नहीं था।

मांग संख्या १३ पर आप बोलेंगे?

श्री श्रवणलाल : क्या बोलें जब जवाब ही नहीं दिया जाता, यह तो भैंस के सामने बीन बजाना हुआ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : सभानेत्री महोदया, मांग संख्या १३ पर मैं बोलना चाहूंगा। सभापति महोदया, राजस्थान सरकार ने ६५-६६ के अन्दर जो मंजूर शुदा राशि थी, उससे ज्यादा राशि खर्च की है और २,६५,००० की राशि के सम्बन्ध में विविध खर्च में राज्य सरकार स्वीकृति चाहती है। उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं निवेदन करूं कि ६५-६६ का वह वर्ष था जब राजस्थान के अन्दर पंचायतों और पंचायत समितियों के चुनाव हो रहे थे। इन चुनावों में राजस्थान सरकार के मन्त्रियों ने पंचायत समितियों की जीतों के ऊपर और सरकार की जीपों के ऊपर किस तरह का नाजायज खर्चा किया है, उस नाजायज खर्चे के लिये अब राज्य सरकार अधिक अनुदान की मांग कर रही है, उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

ये कहते हैं कि हमारे कार्यों के अन्दर, विविध खर्चे में राज्य सरकार का अधिक पैसा खर्च हुआ, पर मैं निवेदन करूं कि

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

राज्य की विकास योजनाओं पर वह पैसा खर्च नहीं हो कर राजनैतिक स्टंट के लिये और राजनैतिक स्वार्थों के लिये, राजनैतिक परपज के लिये यह पैसा खर्च किया गया है। एक मंत्री को २७५ गैलन पैट्रोल प्रति माह जलाने का अधिकार था, अब ५०० गैलन प्रति माह पैट्रोल जलाने का एक मंत्री को अधिकार दिया है। इस तरह दो गैलन पैट्रोल हर रोज एक मिनिस्टर खर्च कर के ७०–८० मील रोज घूम सकता है। ६५-६६ में पंचायत समितियों के इलेक्शन में राज्य के मंत्रियों ने किस प्रकार गाड़ियों का दुरुप्रयोग कर के राजनैतिक हथकंडों में उन गाड़ियों का दुरुपयोग किया उसकी दो घटनाएं मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूँ और यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वह क्रम वहीं खत्म नहीं हो गया, अब भी वही क्रम चल रहा है। अभी हमारे झालावाड़ में माननीय श्री कन्हैया लालजी डिप्टी मिनिस्टर हैं, वे महीने में, हफ्ते में दो बार वहां दौरे पर जाते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है ६५-६६ का वह क्रम अब भी चल रहा है।

श्रीमती सभानेत्री : ६६ के बजट पर बोलिये, जो उस समय रखा गया था.......

श्री डूंगाराम राजोरिया : ६५-६६ में नाजायज खर्चा किया उसी तरह से फिर नाजायज खर्चा करेंगे और फिर इस तरह की डिमान्ड आयेगी।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : ६५-६६ में जो इन्होंने किया वही ये आज भी कर रहे हैं। आप कोई जवाब तो देने वाले नहीं हैं, केवल आपको सुनना है. सुन लीजिये, तिलमिला क्यों रहे हैं ?

सभापति महोदया, एक मिनिस्टर साहब इतना पैट्रोल खर्च करें और फिर उस दुरुपयोग के लिए सदन में अधिक अनुदान की मांग रखें यह कहां तक उचित है, यह मैं निवेदन कर रहा था। पिड़ावा की पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव हुआ तो डिस्ट्रिक्ट पूल की गाड़ी को वहां ले जाया गया उसमें सरपंचों को ढोया गया और उन सरपंचों को गांवों में बन्द किया गया, आर० डी० ५५ नं० की गाड़ी थी डिस्ट्रिक्ट पूल झालावाड़ की गाड़ी थी।....

श्री प्रद्युम्नसिंह : किसने ली।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : आपके मिनिस्टर ने।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कौन थे, नाम बताइये ?

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : ये अब आपके डिप्टी मिनिस्टर हैं कन्हैया लाल जी....

श्री प्रद्युम्नसिंह : ये उस समय थे ही नहीं........

श्री भगवानदास : सभापति महोदया, हम में से यदि कोई बोलता है तो आप नम लेती हैं। बैठे-बैठे मंत्री महोदय ऐसे इन्टरप्ट करते हैं तो इस तरह कैसे सदन की कार्यवाही चलेगी ?

श्रीमती सभानेत्री : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भगवानदास : मैं तो स्थान ग्रहण कर रहा हूं पर आपको रिक्वेस्ट करने के लिए खड़ा हुआ था कि आप इस तरह की प्रवृत्ति को रोकिये और हमेशा के लिये सभ्यता का वातावरण बनायें।

Page No. 84

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : १ फरवरी से ८ फरवरी तक गाड़ियों का दुरुपयोग किया, वहां के प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखवाया गया, कन्हैया लाल जी डिप्टी मिनिस्टर, नये मंत्री बनाये गये हैं। वे वहां गये कि अविश्वास प्रस्ताव पास करा दिया जाय। डिस्ट्रिक्ट पूल की गाड़ी ले कर ८ रोज तक झालावाड़ में उस गाड़ी को लिये फिरे. पी० आर० ओ० की गाड़ी को लेकर इलेक्शन का प्रचार किया, खुद सुनेल के विकास अधिकारी की गाड़ी को लेकर गांव-गांव में प्रचार किया। दुर्भाग्य की बात थी कि सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग करके, सरकारी मशीनरी का उपयोग कर के भी प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं करा सके, वह अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया लोगों ने कार्यवाही की और वे वहां से रवाना हुए।

पिछले दिनों गाड़ियों के दुरुपयोग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। पिछले दिनों राजस्थान स्टेट कारपोरेशन ने चैकिंग आॅथेरिटी के लिये देवीसिंह डी० एस० पी० को मुकर्रर किया। वे जयपुर की एक भद्र महिला को जीप में लेकर उस इलाके में गये, मैं भी अपनी कान्स्टीट्युएन्सी से जीप लेकर आ रहा था मुझे मालूम हुआ कि विश्राम गृह में देवीसिंह ठहरा हुआ है और उनके साथ एक महिला है, बाद में मालूम हुआ कि वह उनकी महिला नहीं थी जयपुर की, यहां की औरत थी। इस प्रकार सरकारी जीप को लेकर इस प्रकार का करप्शन करते हैं, खुला व्यभिचार करते हैं।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

एक और निवेदन करूं, १५ फरवरी को नवयुग अखबार में समाचार निकला कि मिनिस्टर साहबान की गाड़ियां सिनेमाघरों के बाहर लगती हैं, इनके अन्दर उनके बाल बच्चे, महिलाएं जाती हैं, महिलाएं जाय, कोई बात नहीं पर सिनेमा के अन्त में राष्ट्रीय गान हो रहा था तो शिष्टाचार के नाते खड़े हो कर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना था पर वे महिलाएं उठ कर चली गई। गाड़ी का नम्बर बताना चाहता हूँ, वह राजस्थान के मोटर ट्रान्सपोर्ट मंत्री जी की थी और उस गाड़ी पर नम्बर आर. एस. एल. १४२५ था, ३ फरवरी का किस्सा है अब आप अन्दाज लगालें कि आर. एस. एल. १४२५ किसकी गाड़ी थी, किनको अलॉट की हुई है।

एक और निवेदन करना चाहता हूँ। पिछले दिनों भीखाभाई की टांग का आॅपरेशन हुआ था तो भीखाभाई से मिलने के लिए परमानन्दजी डाइरेक्टर साहब सफाखाने गये। परमानन्दजी की गाड़ी खड़ी थी तो भीखाभाई के ड्राईवर ने उनकी गाड़ी की की निकल प्लेट चुरा कर भीखाभाई की गाड़ी के नीचे डाल दी। परमानन्द जी चलने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा निकल प्लेट कहां चली गई। देखने पर मालूम हुआ कि भीखाभाई की गाड़ी के नीचे दबी हुई थी। इसमें भीखाभाई का दोष नहीं पर ड्राइवर मिनिस्टरों से संस्कार लेते हैं मिनिस्टर जिस प्रकार के कार्य कलाप करते हैं वैसे ही ड्राइवर सीखते हैं।

मैं यह निवेदन करूं........

श्री रघुनाथ विश्नोई : अब भी बाकी बच गया क्या ?

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : अभी तो बहुत बाकी है। यह जीपों पर अनावश्यक

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

खर्चा करते हैं और जितनी मंजूरी है उसके अलावा एक्सेस डिमाण्ड ले कर राजस्थान का मंत्री मण्डल आता है, इस लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उस पर रोक लगाई जानी चाहिये । क्योंकि इन गाड़ियों के अन्दर पैट्रोल नहीं जलता है । बल्कि राजस्थान की गरीब जनता का खून जलता है । राजस्थान की जनता पर जायज और नाजायज टैक्स लगाकर जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसका अपव्यय होता है ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री विजयसिंह रावत ! कृपया, समय कम लें ।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : जैसे आपकी आज्ञा । मेरा एक्सेस मांगों पर कटौती प्रस्ताव है और वह डिस्ट्रिक्ट पूल की गाड़ियों के दुरुपयोग के बारे में है। राजस्थान में प्रशासन के अन्दर और मंत्रियों के अन्दर यह निश्चित तौर से एक भावना बन गई है कि उनको जनता के पैसे से जो सुविधायें मिली हुई हैं, उनका किस प्रकार से दुरुपयोग करें और उनका नाजायज फायदा उठाया जाय । इसके कई उदाहरण सदन में आ चुके हैं और बहुत सी चीजें यहां पर डिसकस हो चुकी हैं । पिछले सन् १९६६-६७ के चुनाव के दौरान जितनी भी सरकारी गाड़ियां थीं, वह चुनाव के प्रचार के लिए जिला अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक मोटर गेराज की गाड़ियों चुनाव के अन्दर प्रचार के रूप में फिरती थीं । अगर सुखाड़ियां जी कहें कि इस लोकतन्त्र के अन्दर मेरी सरकार राजस्थान की जनता को स्वस्थ्य प्रशासन देती हो और राजस्थान की जनता के हित के लिए आप ढोल पीटते हैं तो इस बात से सिद्ध होता है कि पंचायत समितियों की गाड़ियां लेकर उनका मनमाने तौर पर जहां उनको ड्यूटी भी नहीं होती है, वह दुरुपयोग होता है। उदाहरण के लिए जब पिछले आम चुनाव के अन्दर मैं नोमीनेशन फार्म भरने गया तो २-२ बजे वहां पहुचा और २-३ बजे श्री कौल पहुचे और और वह सरकारी गाड़ी के अन्दर नोमीनेशन फार्म भरने आये थे और नसीराबाद के निर्वाचन क्षेत्र में अन्तिम दम तक, चुनाव १५ को था और १२ व १३ तक उनकी गाड़ियां घूमी. सरकारी गाड़ियों का उनके आदमियों ने प्रयोग किया है । इस सदन में पहले भी बहुत डिस्कस हो चुका है । मैं जानना चाहूंगा कि आज सरकार यह मान कर चले कि जो भी गाड़ियां हमने इसेन्शल ड्यूटीज के लिए दे रखी हैं तो क्या सरकार इस बात की जानकारी रखती हैं कि वे गाड़ियां केवल उनकी अनिवार्य ड्यूटीज के लिए काम में लाई जाती हैं या उनका अधिकारीगण सिनेमा देखने के लिए या सैर सपाटे के लिए दुरुपयोग करते हैं मैंने तो यहां तक सुना है कि आगरा तक अधिकारीगण तीतर लड़ाने के लिए भी सरकारी गाड़ी ले जाते हैं, मेला देखने के लिए, नुमाइश देखने के लिए और अन्य कामों के लिए गाड़ियां ले जाते हैं और टी०ए०, डी० ए० अलग लेते हैं और इस तरह जनता के पैसे का पैट्रोल जलता है । तो, सही परम्परा कायम करने के लिए मैं चाहूंगा कि पंचायत समितियों को जीपें दी हुई हैं, जहां एक्सटेन्शन ऑफिसर्स और विकास अधिकारी रखे हुए हैं, वे जहां जरूरी उपयोग करना चाहें वहां करें लेकिन आज भी राजनैतिक दृष्टिकोण से अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए चाहे पंचायतों का चुनाव हो, चाहे अन्य चुनाव हो,

(श्री विजय सिंह रावत)

उसके अन्दर उन गाड़ियों को प्रयोग में लाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जब भी ग्राम चुनाव आएं उससे तीन महीने पहले जितनी भी गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट पूल की हैं जो मोटर गैराज से जाती हैं उनको सरकार बिल्कुल बन्द कर ले और चुनाव के अन्दर कोई भी सरकारी गाड़ी नहीं ले जायं—चाहे पंचायतों के चुनाव हों चाहे, नगरपालिकाओं के, चाहे विधान सभा के, चाहे संसद के। अब चौमू का चुनाव होने जा रहा है, वहां पर भी सरकारी गाड़ियां काम में आ रही हैं, उनकी किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगी है। अनिवार्य रूप से जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी गाड़ी लेकर वोटर्स को कन्वेस करने के लिए जाते हैं। इससे गाड़ियों का दुरुपयोग होता है उसके साथ-साथ आपके अधिकारियों में भी बुरी आदत पड़ती है। चुनाव के बाद में वे खोटे काम करते हैं तो आप उनके विरुद्ध कोई एक्शन लेना चाहें तो नहीं ले सकते। मान लीजिए उदाहरण के लिए श्री बी० एन० जोशी के साथ एक विकास अधिकारी प्रचार करने के लिए चला जाय और उसी अधिकारी के विरुद्ध बाद में किसी कारण एक्शन लेने का सवाल आ जाय तो कुदरतन श्री जोशी उनको सपोर्ट करेंगे। इसलिए आप इन गाड़ियों को चुनाव में काम में लाने की इजाजत न दें। सिनेमा देखने लिए जाते हैं। पंचायत समिति हैड क्वार्टर से यदि सिनेमा घर २५ मील दूर है तो भी वहां से विकास अधिकारी अपनी पत्नि सहित देखने जाता है, वहां पर कोई ड्यूटी नहीं होती है। इस प्रकार कई चीजें बजट के दौरान सामने आई लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, यह आपके लिए शोभा की बात नहीं है। इसलिए आप सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखें, स्वस्थ परम्परा कायम करें, जिससे जनता को विश्वास हो जाय कि सरकारी गाड़ियां केवल सरकारी ड्यूटी के लिए हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव मूव करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : मैं पहले नाम बोलूंगी कि किस किसको बोलना है।

श्री गोकुल प्रसाद।

श्री दिग्विजयसिंह।

श्री रामनारायण।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन : किस बात के।

श्रीमती सभानेत्री : आपने ४ कटौती प्रस्ताव दिये हैं।

श्री रामकिशन : मैं नहीं बोल रहा हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री श्रवणलाल।

विद्युत मंडल के बजट का उप-स्थापन तथा अल्प-पत्र

श्री जयकिशन शर्मा : (राज्य मंत्री विद्युत) एक मिनिट मैं लेना चाहता हूं। सभानेत्री महोदया, मैं इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, १९४८ की धारा ६१ (३) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत मंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण, आय-व्यय १९६८-६९ सदन की मेज पर रखता हूं।

Page No. 87

(श्री जयकिशन शर्मा)

मैं उक्त अधिनियम धारा ७५ (ए०) के अन्तर्गत विद्युत् मंडल के कार्य के बारे में मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन, १९६७-६८ सदन की मेज पर रखता हूं।

मैं राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल के १९६६-६७ में समाप्त होने वाले वार्षिक लेखे टिप्पणी सहित सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह लिस्ट ऑफ बिजनेस में तो नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : विथ दी सैंक्शन ऑफ दी चेयर रखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चेयर के लिए ऐसी असाधारण बात क्या हो गई ?

नियमों के अनुसार कोई भी बिजनेस सदन की मेजपर मंत्रियों को रखना होता है तो उसकी सूचना सचिवालय को पहले देते हैं, लिस्ट ऑफ बिजनेस में इन्कलूड होता है। ऐसा नहीं है कि बैठे-बैठे नींद खुल गई, डिबेट चल रही है, बीच मे कहां से आ गए ?

श्री परसराम मदेरणा: माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए है। परसों बहस हो रही है आज नहीं रखते है तो माननीय सदस्यों को वितरण नहीं होगा।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल: आप माननीय सदस्यों का इतना ख्याल रखते हैं इसके लिए तो धन्यवाद। कल सूचना दे सकते थे। लिस्ट ऑफ बिजनेस सुबह को ले करने का समय होता है तब ले करते। एक्सेस मांगों पर बहस हो रही है, बीच में मंत्री खड़े हो गए कि मैं ले करना चाहता हूं। यह प्रोसीजर नहीं है, यह सदन के साथ मजाक है।

श्री मथुरादास माथुर: हमें मालूम हो गया कि आप सदन में है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: राज्य मंत्री से पीछे बैठकर आपने बता दिया कि वह कुछ है, आप कुछ नहीं हैं।

अधिक अनुदानों की मांगों पर विचार

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय सभानेत्री जी, मैं आपके माध्यम से देवस्थान विभाग के मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने एक ऐसा देवस्थान से सम्बन्धित मंदिरों का कानून बनाया है कि जिन मंदिरों की जायदाद तीस हजार से अधिक है, उसके ऊपर सरकार ने एक ट्रस्ट कायम किया है और इसके साथ साथ सरकार ने एक ऐसा भी कानून बनाया है सन् १९५१ में कि देवस्थान विभाग से सम्बन्धित जो मंदिर हैं और उसकी जो जायदाद है उस जायदाद को बिना विभाग की स्वीकृति के बेची नहीं जा सकती है। माननीय सभानेत्री जी इन दोनों कारणों की अवहेलना करौली के अन्दर एक मन्दिर बाबू वाला है उस मंदिर की जायदाद एक लाख ५० हजार की है। लेकिन सभानेत्री जी उस मंदिर के जो मुखिया हैं जो पुजारी हैं या जो संरक्षक हैं वह पहले इस मन्दिर का मालिक था हरचरण दास। उनकी मृत्यु होने के बाद उसके वारिस बने श्री घनश्यामदास उनको गद्दी पर बैठाया गया लेकिन सभानेत्री जी उस मन्दिर का मुख्तयार आम जिनके नाम है वे हैं श्री दुर्गादास इन्होंने बड़े नाटकीय ढंग से देवस्थान विभाग से मिलकर करौली के तहसीलदार से मिलकर सरकार के इन दोनों आदेशों की अवहेलना करते

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

हुये ५१ में जो जारी किया कि देवस्थान विभाग से जितने सम्बन्धित मंदिर हैं, उनकी जायदाद बिना विभाग की स्वीकृति के नहीं बेच सकते है और दूसरे जो ३० हजार से अधिक की जायदाद हो उसके लिये विभाग द्वारा ट्रस्ट कायम हो। लेकिन सभानेत्री जी देवस्थान विभाग के मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस मन्दिर की सम्पत्ति १ लाख ५० हजार की है, उसके ऊपर सरकार ने ट्रस्ट कायम क्यों नहीं किया। दूसरा सरकार ने ५१ में ऐसा कानून बना दिया कि किसी भी मन्दिर की जायदाद जब तक विभाग से इजाजत न ली जाय तब तक वेची नहीं जा सकती है तो इस मन्दिर की प्रॉपर्टी किस प्रकार जो मुख्त्यार आम है श्री दुर्गादास जी, उनको किस प्रकार से बेचने की इजाजत है। किस प्रकार करौली के तहसीलदार ने उन बेचानों की रजिस्ट्री की। सभानेत्री जी, इससे वहां की जनता में भारी असन्तोष फैल रहा है। इस मन्दिर की सम्पत्ति को वेचा जाना राज्य की आय का एक बड़ा स्रोत समाप्त हो रहा है। उस मन्दिर की पूजा नहीं हो पा रही है, भोग नहीं लग रहा है और इतना ही नहीं सभानेत्री जी करौली की जनता ने एक पोस्टर जारी किया है वह इस प्रकार से है :

करौली के मन्दिरों की लाखों की जायदाद का गोलमाल। देवस्थान व पंजीयन अधिकारी चुप क्यों ? वासू वाले मन्दिर की सम्पत्ति की जाच हो। करौली के मोहल्ला चोधरी पाड़ा में स्थित मन्दिर वासू वाला की लाखों की चल व अचल सम्पत्ति का गोलमाल हो रहा है किन्तु जनता व अधिकारी चुप्पी साधे हुये हैं। मन्दिर के महन्त श्री घनश्यामदास व एक बाबाजी हरिदास ने मिल कर चल सम्पत्ति के अतिरिक्त लगभग २५,०००) रु० की अचल सम्पत्ति ७०००) रु० में पता नहीं मन्दिर में रखे हुये गृहस्थी दुर्गालाल के लड़के व स्त्री के नाम पंजीयन करादी है जिससे भारी सरकारी राजस्व की हानि हुई है किन्तु पंजीयन अधिकारी चुप है। शनैः शनैः मन्दिर की सारी सम्पत्ति दूसरों के नाम करवा कर के मन्दिर को खोखला किया जा रहा है। करौली की आम धार्मिक जनता को सम्भवतः पता नहीं किन्तु देवस्थान विभाग की चुप्पी अवश्य ही "मिली भगत" का स्पष्टीकरण कराती है। क्या कारण है कि देवस्थान के सहायक कमिश्नर श्री सवाई सिंह जी जब स्वयं गबन के कागजात व मौका देख कर डेढ़ लाख रुपये का गबन होना बड़ी सम्पत्ति का खुर्द बुर्द होना व गलत पंजीयन होना स्वीकार कर गये थे फिर भी मामला खटाई में है। ध्यान रहे मन्दिर की सम्पत्ति से ५०) रु० प्रति दिन की आय का गबन है। इस प्रकार वहां के नगरवासियों ने एक पेम्पलेट जारी किया हैं। इस सम्बन्ध में जो यह लिखा है कि देवस्थान विभाग के अधिकारी श्री सवाई सिंह — मेरे पास ट्रू कापी है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है सभानेत्री जी उनके अन्तिम पैराग्राफ में अपनी कमेन्टरी लिखी है कि—उक्त प्रन्यास की जांच से प्रगट है कि यह प्रन्यास सार्वजनिक है। अतः राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम की धारा २१ के अन्तर्गत पंजीयन किया जाता है एवं रूल १९ के तहत सर्टिफिकेट जारी किया जावे। एक पड़त निरीक्षक देवस्थान करौली के पास भेजी जावे, तथा एक पड़त नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे। इस प्रकार यह फैसला श्री सवाई सिंह जो सहायक आयुक्त, जयपुर

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

डिवीजन है उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट मिसल नं० ६६/६३, निर्णय दिनांक २६-३-६५ के अनुसार है। इतना होने के बाद भी सभानेत्री जी इस मन्दिर की चल-अचल सम्पत्ति को बेचने के बाद भी विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। बार बार जनता ने विभाग के मंत्रियों को लिख कर दिया है, विभाग के अधिकारियों को लिख कर दिया है यह व्यक्ति जो दुर्गालाल इस प्रकार से सम्बन्धित अधिकारियों से मिल कर सांठ-गांठ करके लाखों रुपये की सम्पत्ति बेच दी। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा इस देवस्थान से सम्बन्धित देवस्थान की चल अचल सम्पत्ति को बेचने के लिये शीघ्र ही कोई कदम उठायें। दूसरे सभानेत्री जी कोटा रियासत के जमाने में जो स्त्री बेवा होती थी, जिनकी उम्र ५०-६० या ऐसी उम् की औरतें जिनके कोई परवरिश करने वाला व्यक्ति नहीं होता है और जिस कारण भूखों मरने की नौबत आती थी, कोटा रियासत की ओर से उनके लिये एक सहायतार्थ फण्ड बना हुआ था, उसके अनुसार उनको माहवारी रुपया दिया जाता था। मेरे पास लिस्ट है, कोटा जिले में, आज भी उस रियासत में इस प्रकार महिलाओं का माहवारी के रूप में ३)रु० दिये जाते हैं, एक का नाम लक्ष्मी देवी है जिसको ३)रु०- माहवारी दिया जाता है दूसरी का नाम लाजवन्ती है जिसको ८)रु० दिये जाते हैं और एक का नाम है सूरजबाई जिसको ३)रु०, दिया जाता है। नाथी बाई को १।। रु० उस रियासत के जमाने में सस्ती के जमाने में दिया जाता था। लेकिन रियासतें समाप्त होने के बाद राजस्थान का एकीकरण हुआ और कोटा रियासत राजस्थान में मिली। यह राजस्थान की सरकार आज भी ढिंढोरा पीटती है कि सरकार ने प्रगतिशील कदम उठाये हैं। कहते हैं कि राजस्थान की सरकार ने अपाहिज, लूले, लगड़े जिनकी उम्र ६० वर्ष की है,

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उन पुरुषों को सरकार २५रु०, ३०रु० सहायता देना चाहती है और देती है। सभानेत्री जी ये बेवा औरतें जो कोटा रियासत में हैं ५० जिनको किसी को १।। रु० किसी को ३ रु० किसी को ८ रु०, किसी को ११ रु०, किसी को २१ रु० दिये जाते है, उनको क्यों नहीं बढ़ाया। क्या आप विश्वास करते हैं कि इस प्रकार से ये विधवा औरतें जो ६० वर्ष की हैं और जिनको कोई सहारा देने वाला नहीं है १।। रु० में गुजारा कर सकती हैं? इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा के देवस्थान व वक्फ की ओर से जो सहायता उनको मिलती थी, उसमें वृद्धि करने का कष्ट करें। आप जांच करवायें कि उनको जो सहायता दी जाती है वह अपर्याप्त है। अपर्याप्त होने की वजह से पेट नहीं भरता है। रियासतों के समय में जो सहायता दी जा रही थी उसमें आप वृद्धि करने की चेष्टा करें। मैं सभापति महोदया, मैं दो महिने पहले टूंजरी गया था वहां महिलाओं को देखा उनकी दशा देखकर मुझे तरस आगया उनसे जब मैंने पूछा तो वे कहने लगी रियासत के समय से हमें जो पैसे मिलते आ रहे थे वही मिल रहे हैं अब कि मँहगाई इस कदर बढ़ी हुई है, इससे तो हम एक समय भी पेट नहीं भर सकती। इसलिये मेरा निवेदन है कि इनकी सहायता

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

की रकम कम से कम २५ और तीस रुपये कर दिये जांय यह मेरी मांग है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री गोरधन सोनी (अनुपस्थित)

श्री हरजीराम बुरड़क (अनुपस्थित)

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): सभापति महोदया, मेरा भी कट मोशन देवस्थान विभाग के सम्बन्ध में है खास तौर से राजस्थान के वे मन्दिर जिनकी हालत खराब हो रही है उस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। सभापति महोदया जबसे इन मन्दिरों की भूमियों का रिजम्प्शन हुआ है तब से लेकर आज दिन तक कई मन्दिरों की ऐसी स्थिति नहीं है जो भोग तक की व्यवस्था कर सकें। खास तौर से इस कारण कि उस जमीन को जिन जागीरदारों ने या राजा महाराजाओं ने मन्दिर के नाम से माफी निकाल दी वह उन पुजारियों के नाम दर्ज हो गई। रिजम्प्शन के बाद रेवेन्यू रेकार्डस के अन्दर इनकी खातेदारी हकूक पुजारियों के नाम कर दिये गये उसकी पुजारियों ने एन्युइटी ड्रा कर ली। भोगराग के लिये जो जमीन दी गई उसको फरोख्त कर दी गई। ऐसे मन्दिर भी हैं जिनमें भोग और दिया तक आरती तक नहीं होती। इस तरह से जो अव्यवस्था हो गई है उन मन्दिरों की ७५ प्रतिशत से अधिक ही संख्या है जिनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। माफी जो निकाली गई ठाकुरजी के नाम से निकाली गई किसी महन्त या पुजारी के नाम से नहीं उनको पुजारी के नामान्तरण किया गया रिजम्प्शन के बाद वह जमीन पुजारी की होगई इस कारण मन्दिर की सब व्यवस्था खराब हो गई।

मेरा खुद का अनुभव है, जिला टोंक के सब डिवीजनल ऑफिस में मैं खड़ा हुआ था। वहां के गांव वाले ठाकुरजी को अदालत में लेकर आ गये और एस० डी० ओ० के सामने रख दिया और कहने लगे कि ठाकुरजी के भोगराग की व्यवस्था की जाय आठ दिन हो गये ठाकुरजी के ताले लगे पड़े हैं। इस तरह से जब से मन्दिरों के नीचे की जमीन को पुजारियों के नाम कर दी गई तब से मन्दिरों के यह हाल चाल हैं। देवस्थान विभाग इस सम्बन्ध में अवश्य ध्यान दे। इसके लिये जो जमीन मन्दिरों के नाम पर थी उनको वापिस करना वह किस तरह से किया जाय उसके बारे में राज्य सरकार अपने विधि विभाग से दिखा लें जो इस तरह की माफियां थी जो मन्दिरों के नाम से दर्ज थी, ठाकुरजी के नाम से नामजद माफियां थी पुजारी के नाम से कनवर्ट कर दी गई उससे पुजारियों ने एडवान्टेज उठा लिया। उसको किस तरह से लिगेलाइज करके मन्दिरों की सुव्यवस्था हो सकती है इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा सकती है इस बारे में अवश्य ध्यान दें।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं उणियारा खास के अन्दर रिजम्प्शन हुआ है वहां भी मन्दिर के ताले पड़े हैं। किसी ने दर्शन तक नहीं किये ठाकुरजी मौजूद भी हैं या नहीं कोई उस मन्दिर को खोलता ही नहीं। इसलिये कि सुबह रहता है कि पुलिस मारपीट करके मुकद्दमा न चला दे। इस तरह से सारी व्यवस्था देवस्थान विभाग के मन्दिरों की हो रही है और यह दुर्दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में

Page No. 91

(श्री दिग्विजयसिंह)
अवश्य ध्यान दें और इस तरह की व्यवस्था करे ताकि मन्दिरों की पूजा और भोग में किसी प्रकार की कमी न रहे।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : जिन मन्दिरों में ताले लगे हुए हैं कई वर्षों से, क्या वे मन्दिर देवस्थान विभाग के अन्डर में हैं ?

श्री दिग्विजयसिंह : वे मन्दिर देवस्थान विभाग के अन्तर्गत चले गये हैं वे ही दिक्कत करते हैं। मैं निवेदन करूं देवस्थान विभाग से कोई प्रबन्ध नहीं होता कई मन्दिरों के तो ताले लगाकार पुजारी भाग गये इस प्रकार की मन्दिरों को जो दुर्व्यवस्था हो रही है उसको आप ठीक ढंग से करवायें। देवस्थान विभाग के जो कमिश्नर हैं, उनके पास काफी मामले पड़े हुए हैं स्टाफ पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण वे केसेज का डिसपोज ऑफ कर नहीं पाते। रिजम्पशन के केसेज मन्दिरों की माफियों के हुए तीन चार साल होगये उनके भी मामले पैंडिंग पड़े हुए हैं। इसको तो जल्दी निपटाने की व्यवस्था करें।

दूसरा एन्युइटीज के जो बिल बनते हैं उसके लिए बिल बनाने के लिए लोगों को जिला हैडक्वार्टर पर आना पड़ता है।

इसके बारे में मंत्री जी ने यह अवश्य कहा है तहसीलदारों को यह अधिकार है। इसके बारे में मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहूंगा पेमैन्ट ओथोरिटी सब-रजिस्ट्रार, ट्रेजरी करता है। वही एन्युइटीज के बिल बनाकर के पास करके उसकी लिस्ट तहसीलदार के पास भेज दे। जब कि एन्युइटी की रकम छः महिने में ड्रा करने के लिये आना होता है, तहसील हैडक्वार्टर पर आने में उनका समय भी बरबाद होता है और असुविधा भी होती है वह इससे नहीं होगी। जिसके पचास रुपये एन्युइटी के बने हुए है छः महीने में वह लेने आता है उसमें उसका बीस पच्चीस रुपया खर्च हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बारे में अवश्य ध्यान दें जिला हैडक्वाटर पर बिल बनाकर तहसीलदार को ऑथोराइज कर दिया जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री केसरीसिंह हाडा (हिंडोली) : सभापति महोदया, राजस्थान में तीन प्रकार के देवस्थान के मन्दिर हैं पहले वे हैं जो देवस्थान विभाग से पूर्णतया बजट से काम चलता है। दूसरे वे मन्दिर हैं जो सेल्फ सपोर्टिंग हैं जिनकी जागीरें हैं, दुकानें हैं जिनकी व्यवस्था राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के मैनेजर द्वारा की जाती है।

तीसरे वे मन्दिर हैं जिनको केवल ग्रान्ट दी जाती है। मैं इन तीनों प्रकार के मन्दिरों का उल्लेख करके निवेदन करना चाहूंगा। सर्व प्रथम देवस्थान विभाग के बजट के अन्तर्गत जो मन्दिर आते हैं उसमें बून्दी का श्री रंगनाथजी का मन्दिर भी है। जब राजस्थान का मर्ज हुआ उस मन्दिर का ६ हजार का बजट था। खर्चा जो होता था वह रुपयों से होता था। जैसे कोई उत्सव हो उसमें पैसा लेते थे जैसे फूलडोल है यात्रा है उसके लिये बजट के अन्दर २०,२५ रुपया इस तरह से दर्ज होता था। उसी रुपये में उस उत्सव का काम करना पड़ता था। आज जब कि इतनी मंहगाई बढ़ गई है जो बजट रखा गया है वह पर्याप्त नहीं है उससे काम नहीं चल सकता। फिर जो इन्सपेक्टर रहते हैं वे धार्मिक प्रवृत्ति वाले

(श्री केसरीसिंह हाडा)

नहीं होते, जैन आदि आ जाते हैं तो वे उसमें भी कटौती कर देते हैं। बीस का हो तो १६ में ही चलाने की कोशिश करता है।

इसी तरह रघुनाथजी के मन्दिर का उल्लेख करना चाहता हूँ। सेर भर आटा, पाव भर घी, आधा सेर चीनी इस तरह से किस्म में तै हो तो पैसा अपने आप मंहगाई के हिसाब से बढ़ना पड़ता है। पर वहां का जो बजट है वह रुपयों में तै हुआ, हुआ है जो आज की स्थिति में बहुत छोटा पड़ता है। तो उस बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसको देवस्थान विभाग को देखना चाहिये। आज की मंहगाई के अनुपात से इसमें भी वृद्धि होनी चाहिये।

दूसरा मुझे निवेदन करना है, रंगनाथ जी के मन्दिर में महादेवजी का मन्दिर है। उस में से पार्वती जी के गुम हुए तीन चार साल हो गये, देवस्थान विभाग ने वापिस पार्वतीजी की कोई स्थापना नहीं की।

श्री दिग्विजयसिंह : कोई महादेवजी ले गये।

श्री केसरीसिंह हाडा: गणेशजी को भी ले गये और सर्व धातु की समझ कर ले गये। पीतल की वह मूर्ति थी।

वहां मुखिया होते हैं उनको सौ-सौ रुपया रसोइदार को सौ-सौ रुपया वेतन मिलता है। उसने भगवान के भोग लिये लड्डू बनाये। मोतीचूर के काले कलूटे, जले हुए बहुत गन्दे, फूलडोल के उत्सव पर। अगर अच्छे लड्डू नहीं बना सकते तो बन्द कर दे लड्डू बनाना मिश्री का भोग लागू कर दिया जावे। इन गन्दे काले कलूटे लड्डूओं से तो मिश्री अच्छी रहेगी। मुखिया को, पुजारियों को, इन्सपेक्टरों को और रसोईदार को आप सौ सौ रुपया महवार देदें और भगवान के भोग के लिये सात रुपया से आठ भी न करें यह दुर्व्यवस्था है।

इसी प्रकार रघुनाथजी का मन्दिर है नैनवा में। वहां के मूर्तियों के कपड़े वगैरह जिस प्रकार जीर्ण शीर्ण हो गये हैं वे में लाया था, रह गये मकान पर। यहां ला नहीं सका, इसी तरह लड्डू भी लाया था, याद नहीं रहा। लाया नहीं यहां से तो उनकी हालत यह है कि सौ रुपये मिलते हैं मुखियाजी को, सौ रुपये मिलते है सौ रु० मिलते हैं जल घड़ियाजी को और सौ रुपये मिलते है कीरतनिया को और ठाकुरजी को मिलते हैं केवल सात रुपये। तीन सौ रुपये पुजारियों आदि पर खर्च और ठाकुरजी पर सात रुपये से आठ भी नहीं। और कपड़े भी मांग मांग कर लाते हैं वल्लभपुरजी के मन्दिर से।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : कौनसा मन्दिर ?

श्री केसरीसिंह हाडा : रघुनाथजी का मन्दिर, नैनवा में।

राज सरकार ने मन्दिर के पुजारियों को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एक को दिया ५० हजार, एक को १६ हजार और एक को १५०० । पर ठाकुरजी का एक आना भी नहीं बढ़ाया आज भी सात रुपया मिलता हैं उनको।

इसके अलावा जो वहां नकारची, शहनाईची है उनको पांच रुपया और तीन रुपया मिलता है। बेचारों ने बढ़ोतरी के लिये

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

दरख्वास्त भी दी थी। पर अभी कुछ जवाब नहीं मिला उनको। सात-आठ रुपये में ये अपनी ड्यूटी बराबर तीन टाइम अन्जाम दे रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो इस माफिक व्यवस्था चल रही है।

तीसरा मन्दिर सेल्फ सपोर्टिंग है बारां का। शिवजी का। उसकी जमीन सरकार ने एक्वायर की। पर अभी उसका मुआवजा नहीं मिला। अभी बताया कि १/४ दिया है। अब यह दुर्व्यवस्था होती है मन्दिरों में तो दुख होता है।

मैंने भी देवस्थान में काम किया है। उस समय क्या हालत थी और आज क्या हालत है, दोनों जमानों का अन्तर मैं जानता हूं। और दुर्व्यवस्था देखकर दिल दुख पाता है। और यह कहने तक को बाध्य करता है कि मन्दिरों की व्यवस्था ठाकुरजी की बराबर सेवा पूजा और आप कर सकते हों तो मन्दिर चलावें वरना तो पुजारियों को ही केवल पालने पोसने के लिये मन्दिरों को चलाने का ढोंग करते हैं तो यह जनता के साथ और उन मन्दिरों के साथ मखौल है। इससे तो अच्छा है आप मन्दिर बन्द कर दीजिये। आप आभूषण मत दीजिये पर वस्त्र आदि तो साफ-सुथरे अच्छे दें ताकि मांग कर नहीं लाना पड़े। कोटा में मथुरेशजी के मन्दिर से पोशाकें मांग-मांग कर लाना पड़ता है। मन्त्रीजी चाहेंगे तो नमूना मेरे पास मौजूद है, मैं आपको बता दूंगा कि कैसी ठकुराणीजी की साड़ी है, चोली है, घाघरी है। फटे पुराने, जीर्ण-शीर्ण हो रहे हैं। पर आप अगर करना चाहते हैं तो सही व्यवस्था करें जैसी परम्परा से चली आ रही है वैसी सेवा-पूजा जारी रक्खें, उसमें जो धार्मिक परम्परा चालू है उसकी मखौल न उड़ावें और सही तरीके से देवस्थान में काम चलना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ सरकार से निवेदन करूँगा कि देवस्थान पर ध्यान देना चाहिये।

श्री जगन्नाथ पटेल (टोड़ा रायसिंह) : मन्दिरों को बन्द कर दिया जावे यह कहना ठीक नहीं है। मन्दिरों को बन्द नहीं किया जावे। पुजारीयों को जमीन कैंसिल करके मन्दिरों की भूमि को उनके साथ लगा दिया जावे ताकि उससे आमदनी हो और उससे मन्दिरों की सेवा-पूजा अच्छी तरह से हो जावे।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मेरी बात वे नहीं समझ पाये होंगे। मैंने तो यह कहा कि आप मन्दिरों की व्यवस्था नहीं कर सकें तो बेहतर यह होगा कि बन्द कर दिया जावे। पुजारियों और इन्सपैक्टरों और सरकारी अधिकारियों के भरोसे नहीं रक्खा जावे। होता क्या है आजकल जो परम्परा को नहीं जानते समझते ऐसे लोगों को लगा दिया जाता है जैनियों को लगा दिया जाता है। वे जानते नहीं। मैं खुद धार्मिक-वृत्ति का आदमी हूं। कहने का मतलब मेरा यही है कि ठीक तरह से व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री कल्याणमल : आपने भी वही कहा। उन्होंने भी वही कहा। इसमें अधिक जिम्मेदारी तो स्थानीय जनता की है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : मन्दिरों को पुजारियों के लिये नहीं रक्खा जावे और पुजारियों को जितना लाभ मिलता है वह उनको न मिलकर मन्दिरों की व्यवस्था में खर्च किया जावे। मन्दिरों की व्यवस्था ठीक हो, इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये।

भारत की सरकार ने भी गलती की है। उसने मन्दिरों के नाम से जो राजा राज करते थे और अपने आपको जो शासक नहीं बल्कि दीवान कहते थे, शासक उन मन्दिरों के अधिष्ठाता को मानते थे, उन राजाओं को प्रिवीपर्स दे दी, जो सही माने में शासक नहीं, दीवान मात्र थे, प्रिवीपर्स उन मन्दिरों को देनी चाहिये थी। पर आज वे देवस्थान देवस्थान की तरह बैठे हैं। बीकानेर का राज्य श्री लक्ष्मीनाथ जी का कहलाता था। राजा उनके दीवान कहलाते थे, पर प्रिवीपर्स दीवान ने ले ली।

यहां जयपुर में गोविन्ददेवजी का राज था। प्रिवीपर्स कोई और लेता है यहां भी। गोविन्ददेवजी यों के यों बैठे हैं। कोटा में मथुरेशजी का राज्य था। पर प्रिवीपर्स वहां भी किसी और को मिलती है। जिनका राज था उनको मिलनी चाहिये। जो दीवान की तरह व्यवस्था करते थे उनको पेन्शन मिलनी चाहिये, उदयपुर में एकलिंग जी का राज था, प्रिवीपर्स आज वहां उन के दीवान को मिल रही हैं। जोधपुर में गद्दी पर जालन्धरनाथजी बैठे हैं। ये राजा लोग उनके नाम की चाकरी देते थे। वे प्रिवीपर्स क्यों लें? वे तो जनता के सेवक थे, भगवान के सेवक थे। पर आज इन सेवकों को सरकार ने लाखों की सम्पत्ति दे दी और आज भी देते जा रहे हैं। आप इसको बन्द करिये।

मुझे देवालयों के लिए निवेदन करना है। मैं उस उसूल का आदमी नहीं हूं कि जो भिक्षावृत्ति करते हैं। मैं नहीं कहता आप मन्दिरों में ज्यादा खर्च करिये। यह तो धर्म निरपेक्ष राज्य है। आप मुस्लिमों के वक्फ में कितना इन्टरफीयरेन्स करते हैं? आपने उनका बोर्ड बना रखा है। उनकी व्यवस्था वह बोर्ड शरियत के हिसाब से चलाता है। इसी तरह हिन्दुस्तान के दूसरे दूसरे धर्म स्थान हैं। ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं। उनके मन्दिरों में कोई दिक्कत नहीं। गुरुद्वारों में कोई दिक्कत नहीं। एक दिक्कत है तो सनातन धर्म में है। आपकी दखल है इसमें हर जगह। आप धर्म निरपेक्ष राज्य वाले हैं आपको धर्म में दखलन्दाजी करना बन्द कर देना चाहिये आप अगली दफा यह कर लीजिये कि देवस्थान की डिमाण्ड यहां क्यों लाते हैं, उसे यहां लाना बन्द करिये। आप उसके लिये भी एक कमेटी बना दीजिये। किसी मन्दिर की व्यवस्था अच्छी नहीं है तो उस धर्म के लोग जाने, आपसे क्या लेना-देना, आप तो धर्म निरपेक्ष हैं। आपका मन्दिरों से क्या वास्ता है। मन्दिरों की सम्पति पर आप क्यों कब्जा किये बैठे हैं। क्यों आपने इस पर अपना पंजा डाल रखा है। आप उसका भी बोर्ड बना दीजिए मुस्लिम वक्फ की तरह से और उसके अन्दर एक आदमी रख दें। अगर आपको सार्वजनिक सम्पत्ति के खा जाने का डर हो तो आप एक कमिश्नर बैठा दें आई० ए० एस० ऑफिसर और एक कमेटी बना दीजिए देश के विद्वानों की वह अपने धर्म की व्यवस्था ठीक

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

कर लेंगे परन्तु यह क्या है कि आप अपने अधिकारियों के द्वारा व्यवस्था कराते हैं। इसको बिलकुल बन्द कीजिए और आपका तो एक धर्मनिपेक्ष राज्य है आप क्यों यहां पर देवस्थान पर डिमाण्ड को लेकर आते हो। मैं एक बात मानता हूं कि राजस्थान की सरकार अगर देवस्थान को व्यवस्था अपने आप करती हैं तो यह मेरी मान्यता नहीं है कि पहले से ही क्योंकि यह व्यवस्था देवस्थान विभाग से पुराने राज्य में व्यवस्था थी इसीलिए यह सरकार भी वैसी ही व्यवस्था चला रही है पर मेरी तो मान्यता यह है कि इसका जो धन है वह सरकार चाहती है कि यह हमारे पास हो। तो मैं कहता हूं कि आप सारे वित्त को अपने कब्जे में कर लें, जितना वित्त है सारे वित्त को आप जब्त कर लो और फिर आप एक महिने में ही देख लेना कि जनता फिर उतना ही वित्त इनके अन्दर कर देती है या नहीं। आपने कहा कि पुजारियों को ज्यादा मिलता है, मैं कहता हूं कि पुजारियों को जो आज से ३० साल पहले मिलता था वही आज भी मिलता है। हम उन पुजारियों को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और उनके हाथ से चर्णामृत लेकर उसे स्वीकार करते हैं और माथे पर लगाते हैं और आप उनको फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स कहते हैं। मैं तो कहता हूं कि आपको वित चाहिए तो आप सारे वित को जब्त कर लें लेकिन आप इस विभाग का नामोनिशान मिटा दें। मन्दिरों को लेकर जो गलतफहमी फैल रही है वह यह है कि लक्ष्मीनाथ जी का मन्दिर हमारे शहर बीकानेर में है। उसके साथ में १०० दुकानें हैं जिनका भाड़ा १,००० रुपया भी नहीं आता है और उसके साथ ही लगी बाजार की दुकानों का भाड़ा देख लीजिए। जो बंगले आज दो-दो सौ रुपये पर नहीं आते वह आज १।। रुपया और २ रुपया किराये पर हैं। इस तरह की व्यवस्था कितने दिन तक चलेगी? सार्वजनिक सम्पति को आप कानून से विमुक्त कर दो और सारा वित्त आप ले लो। हमें तो सिर्फ वह मूर्तियां दे दो और मन्दिर दे दो, भक्त लोग अपने आप उनकी सेवा कर लेंगे। इससे सम्पत्ति भी बढ़ेगी और नैतिकता का प्रचार भी होगा। मैं मानता हूं कि सारे धर्मों के आचार्यों का आदर किया जाये और उनसे कुछ शिक्षा ली जाये तो आपके राज्य में नैतिकता का प्रचार बढ़ेगा और वह कुछ न कुछ अपनी बात कहेंगे। पर आप इन आचार्यों को बात नहीं मानोगे। किन आचार्यों की बात मानोगे कि जिन आचार्यों के पांच-सात शिष्य करोड़पति और लखपति आ जायें उनकी बात आप मान लोगे लेकिन गरीब शिष्य आ जायें तो आप पहुंचोगे ही नहीं और यह और कहोगे कि सब ढकोसला है। मेरा निवेदन है कि आप सारी सम्पत्ति को लें और एक बोर्ड बना दें और कुछ नहीं तो वक्फ बोर्ड से कुछ तो शिक्षा लो। बीकानेर में रतनबिहारी जी का मन्दिर है उसकी सम्पत्ति कई करोड़ों की है लेकिन ५०, ६० लाख रुपये के जेवर ताले में बन्द हैं। लालगढ़ में हैं। बताइये लालगढ़ से और मन्दिर का क्या सम्बन्ध लेकिन बन्द पड़े हैं। आपने इन्सपेक्टर बना रखा है ९० रुपये का और उसके जिम्मे लाखों रुपये की सम्पत्ति को छोड़ रखा है। इसी तरह से गोगा मण्डी का मन्दिर है। लोग ५०-५० और ६०-६० हजार रुपया हर साल बांटते हैं। कहां जाता है वह पैसा? आज पब्लिकली आप

Page No. 96

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

बयान ले लें लोग कहेंगे कि एक दिन में १२-१२ हजार रुपया बंटता है। लोग कहेंगे एक दिन मैंने देखा और एक दिन मैंने देखा आपके पास पैसा जमा क्या होता है? श्रीनाथ जी के मन्दिर का तो आपने फट से एक्ट बना दिया पर ये केला देवी के मन्दिर वाले आपके कौन लगते हैं? पुजारियों का नाम लेते हैं पुजारी तो साल भर काम करने के लिए है। एक व्यक्ति रख लेता है और न इनकम टैक्स देता है और न कुछ देता है। आप उनका लिहाज करते हैं करौली के महाराज कुमार का। तो ऐसे धन को तो आप लुटवा दो और जहां श्रीनाथ जी की बात आयेगी तो उसपर आप फौरन कब्जा करने जाओगे कि महाराज श्री पूरा नहीं करें। श्री नाथ द्वारा का मन्दिर है उसमें तो यह व्यवस्था है कि महाराज श्री की आज्ञा से ही पूजा होगी लेकिन वहां पर तो आपका कब्जा हो लेकिन मैं आपको बताऊं कि करौली में यह व्यवस्था नहीं है और न यह मान्यता है। वहां पर शक्ति की सबसे बड़ी मानता है। तो करौली में महाराजकुमार साहब खा जायेंगे—यह माननीय मन्त्री महोदय लिख लें नोट कर लें मेरी तरफ देखने से क्या हो जायेगा। मेरा कहना यह है कि जहां भी सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता है अगर देवालयों में होता है तो आप देखरेख कीजिए लेकिन उनकी व्यवस्था अपने यहां से हटा दें और इसकी कमेटी बनाकर उनके सुपुर्द कीजिए और धर्म की रक्षा के लिए किसी अच्छे ऑफिसर को रखें ताकि धार्मिक लोगों के मन में यह न आवे कि धर्म की मजाक उड़ाई जाती है। मैं मानता हूं कि यहां पर कुछ अनीश्वरवादी भी लोग हैं उनको बुरा लगेगा कि यहां खड़ा होकर मन्दिर मन्दिर क्यों कहता है लेकिन मन्दिरों की करोड़ों और लाखों लोगों में से कुछ ही आदमी विश्वास नहीं करते हैं बाकी सब विश्वास करते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री पृथ्वीराज पटेल

श्री पृथ्वीराज पटेल (बामनवास सु०) : सभापति महोदया! जो देवस्थान की मांग है उस पर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। क्योंकि शहरों में तो जहां राजा महाराजाओं का राज्य था वहां मन्दिर उन्होंने बनाये थे और देहातों में पब्लिक ने बनवाये। अभी पांच-सात दिन हुए जमीन को मन्दिर के नाम रखा गया है। क्योंकि आज जमीन की बहुत चाह है और पुजारी न जाने कहां-कहां से आते हैं और मन्दिर जिनके बनाये हुए हैं, वह बनाकर और जमीन देकर चले जाते हैं और फिर वह पुजारियों के पास आ जाती है। यह मेरा निवेदन है कि क्योंकि मन्दिर में जिस ठाकुर जी का नाम का है उसी के नाम पर जमीन होनी चाहिये और जो शहरों का मन्दिर है तो यहां तो व्यवस्था शहर की तरफ से बहुत सी हो रही है। यहां मन्दिरों में दुकानें हैं और यह अपना प्रबन्ध कर लेते हैं ताकि उसकी पूजा होती रहती है। वहां और कोई बात नहीं है इसलिए जमीन को मन्दिरों के नाम कर दो।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदया, ...

श्रीमती सभानेत्री : आप करौली प्रस्ताव पर बोल रहे हैं क्या? मांग संख्या १३ पर बोलना चाहते हैं?

श्री भैरोंसिंह : मैं इस मांग के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : आपका नाम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो भी बोलना चाहता हूँ। रूल्स में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कटौती का प्रस्ताव नहीं दें तो बोल नहीं सकते।

श्रीमती सभानेत्री : नियम तो नहीं है लेकिन खैर आप बोलिये।

श्री भैरोंसिंह : नियम भंग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ओब्लीगेशन नहीं चाहता। नियम ऐसे नहीं हैं कि कटौती प्रस्ताव न दें तो बोल नहीं सकें।

श्री रामकिशन : आसन को शंका थी कि आप विधान सभा के सदस्य भी हैं या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : इतनी शंका हो जाय यही पर्याप्त है।

सभापति महोदया, देवस्थान विभाग को लेकर इस सदन में काफी चर्चा हुई है। देवस्थान विभाग तो व्यवस्था के अनुसार सरकार के अधिकार क्षेत्र में जितने मन्दिर आते हैं उनकी व्यवस्था करने तक ही सीमित रहता है। उस व्यवस्था में भी देवस्थान विभाग ने मन्दिरों को केटेगराइजेशन कर रखा है, और उस केटेगरी के हिसाब से प्रत्येक मन्दिरों पर कितना खर्च किया जाय, किस प्रकार की व्यवस्था की जाय इस बात के लिए अलग नियम बना रखे हैं। सरकार ने कुछ विज्ञप्तियां जारी कर रखी हैं, और उन सबके माध्यम से उन सबका प्रबन्ध होता है।

जब रियासतों का एकीकरण हुआ उसके पूर्व प्रत्येक रियासत में एक देवस्थान विभाग था, और उस देवस्थान विभाग के साथ-साथ राज्य का पुन्यार्थ विभाग भी काम करता था। पुन्यार्थ सीगे से भी उन व्यक्तियों को जो अपाहिज हैं, जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, जो अन्य प्रकार से गरीब हैं उन लोगों को सहायता दी जाती थी, और इस सहायता देने के काम का संचालन इसी विभाग के माध्यम से होता था। लेकिन रियासतों के एकीकरण के पश्चात एक एकीकृत देवस्थान विभाग बना और इस विभाग के काम अलग अलग हुए। पुन्यार्थ का काम कुछ अंशों में इसी विभाग के अन्तर्गत आज भी चलता आ रहा है। देवस्थान विभाग का काम जहां राज्यों के सब मंदिरों का किस प्रकार से संचालन किया जाय वहां तक ज्योंही एकीकरण हुआ तो जो मंदिर सरकार के अधिकार में आये उन मंदिरों तक इस काम को सीमित रखा। अब ऐसे काम के बाद राजस्थान के मंदिरों की क्या स्थिति बनी इसके ऊपर थोड़ा विचार करना पड़ेगा। बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह बिल्कुल सही है, और हम भी नहीं चाहते हैं कि इस व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाय, लेकिन धर्म निरपेक्ष राज्य का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि राज्य सरकार एक विशेष धर्म के काम में कई प्रकार के रोड़े अटकाये।

सभापति महोदया, यह सदन स्वीकार करेगा कि आज हमारे देश में धर्म और मंदिर इन दोनों की प्रतिष्ठा धीरे धीरे किस प्रकार से गिरती जा रही है। आप किसी भी शहर में चले जायें, किसी भी

Page No. 98

(श्री भैरोंसिंह)

गांवों में चले जायं, एक तरफ आप मस्जिद और मस्जिद के साथ तकिये—छोटी मस्जिद, इन दोनों को आप देखें तो आपको इस बात पर खुशी होगी कि मस्जिदों का पुनःनिर्माण हो रहा है, उन पर रंगरोगन हो रहा है, तकिये के अन्दर सफेदी और बाकी की व्यवस्था हो रही है, और इसी प्रकार गांवों में और शहरों में जाकर जैन मन्दिरों की व्यवस्था भी देखें तो थोड़ी बहुत आपको इस बात की तसल्ली होगी कि जैन मन्दिरों में भी आज व्यवस्था ढंग से चल रही है। इसके साथ-साथ वैष्णव धर्म के जितने मन्दिर हैं चाहे गांव-गांव में चले जायं, चाहे शहरों के अन्दर चले जायं, इनकी व्यवस्था को यदि आप देखेंगे तो पता लगेगा कि कई मन्दिरों की व्यवस्था ठीक नहीं है कई मन्दिरों में पुजारी नहीं है, कई मन्दिरों में ठाकुरजी की मूर्ति असली नहीं है किसी मन्दिर के अन्दर पूजा करने की सामग्री नहीं है, और किसी मन्दिर के अन्दर पूजा की व्यवस्था करने के लिए साधन नहीं हैं और इस सबका परिणाम आज किनको भुगतना पड़ रहा है ? इसका परिणाम व्यापक रूप से सारे हिन्दुस्तान को भुगतना पड़ रहा है। यह सदन शायद इस बात की जानकारी रखता होगा कि राजस्थान में छोटे-मोटे मन्दिर ५ लाख के ऊपर हैं, और इन ५ लाख मन्दिरों की व्यवस्था जो पहले पुजारी के हाथों में थी, जागीरदारों के हाथों में थी, जमीदारों के हाथों में थी, या शहर के जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनके हाथों में थी, आज वह सारी व्यवस्था न उनके हाथों में रही न पुजारी के हाथों में रही, न सरकार के हाथों में रही। माननीय मन्त्रीजी और जो उप मन्त्रीजी आज विराजमान हैं वे धर्म में विश्वास रखते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है. वे स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि मन्दिरों में किस प्रकार से आज दुर्दशा चली जा रही है। जिस समय जागीरदारों के कब्जे में लेकर उनकी जागीरें रिज्यूम की, जमीदारियां रिज्यूम की गई उस समय मुझे याद है कि इस सदन में हमने इस प्रश्न को उठाया था कि जागीरदारों और जमीदारों के अन्तर्गत चलने वाले जितने भी मन्दिर हैं इनकी व्यवस्था किस प्रकार से होगी तो सरकार द्वारा रिज्यूम करते समय यह एश्योरेन्स दिया गया था कि जिनकी जागीरें रिज्यूम की जा रही हैं उनके पीछे सरकार का केवल इरादा यह है कि मन्दिर भी जागीरों के नीचे आने वाले काश्तकारों का किसी प्रकार से मन्दिरों के नाम से पुजारी या महन्त द्वारा कोई एक्स्प्लायटेशन न किया जाय और काश्तकार और सरकार के बीच में डाइरेक्ट कनेक्शन लैण्ड रिफार्म्स के नाम पर जो होना चाहिए वह हो सके और उसके नाम से जागीरें रिज्यूम की गई। खेद की बात है कि जागीर रिजम्शन करते समय जो एश्योरेन्स दिया गया था, कानून में जो व्यवस्था दी गई थी कि कलेक्शन के चार्जेज १० परसेन्ट के काटकर जिसकी जो रेवेन्यू है. वह मन्दिर की व्यवस्था के लिए दे दी जायगी। इस प्रकार का कानून में प्राव-धान रखा और इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन आज राज्य सरकार यह कहने की स्थिति में नहीं है कि जिन मन्दिरों की जागीरें या जिन मन्दिरों की जमीदारियां जागीर और जमींदारी रिजम्प-शन एक्ट्स के मातहत सरकार ने पुनर्ग्रहण की उन जागीरों का कितना पैसा उन

(श्री भैरोंसिंह)

मन्दिरों को दिया गया और कितनों को नहीं ?

आज से एक साल पहले मैं उदयपुर गया था, सभापति महोदया, इस सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि उदयपुर के ऑफिस के अन्दर उस समय २२,००० एप्लीकेशनस ऐसे लोगों की पड़ी थीं जिनको जागीर रिजम्पशन के कारण जो एन्युटी मिलनी चाहिए थी उस एन्युटी को प्राप्त करने के लिए आये दिन देवस्थान विभाग से कोरस्पोन्डेन्स कर रहे थे। देवस्थान विभाग उस समय तक जो एप्लीकेशन्स पेंडिंग थीं वे २२,००० थीं उन एप्लीकेशन्स में से आज तक ४ हजार एप्लीकेशन्स को डिस्पोज ऑफ कर पाया है। १६,००० मन्दिरों की एप्लीकेशन्स आज उस विभाग के पास में पड़ी हुई हैं। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, माननीय मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि हमको एक दिन का वेतन नहीं मिलता है तो उस वेतन के लिए हाईकोर्ट तक जाते हैं मजदूरों को एक दिन का वेतन नहीं मिलता है तो भूख-हड़ताल और घेराव की स्थिति हो जाती है। सरकारी अधिकारियों को एक दिन का वेतन नहीं मिले तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं। किसी व्यक्ति के क्लेम्स का भुगतान न किया जाय तो वह कानून के अन्दर हर प्रकार से संघर्ष करेगा, लेकिन यह स्थिति आज है कि जब तक पुजारियों को पैसा नहीं मिलेगा तो वे मन्दिरों का इन्तजाम नहीं कर पायेंगे, तो मैं राजस्थान की इस निकम्मी हुकूमत से जो एक एक पैसे के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाती है और दुनियाभर के इन्तजाम की गारन्टी करती है उस निकम्मी हुकूमत के २२ हजार मन्दिरों पर ताला किस आधार पर लगाया है ? आखिर सरकार इन्तजाम किसका करना चाहती है ? यह सरकार मन्दिरों को धर्म-निरपेक्षता की आड़ में खत्म करना चाहती है। आप किसी राजस्थान के नगर में चले जायं, सभापति महोदया आपको तो स्वयं को जानकारी है कि आज विदेशी लोग हिन्दुस्तान के अन्दर हमारी गरीबी का शोषण करते हुए धर्म-परिवर्तन की कार्यवाही करते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में और राजस्थान के अजमेर जिले में और राजस्थान के अन्य स्थानों में क्रिश्चियन मिशीनरीज लोगों में आटा बांटकर दूध बांटकर दवा बांटकर, कपड़ा बांटकर उनको क्रिश्चियन बनाने की कार्यवाही करती है। वे इस कार्यवाही को करने में क्यों सफल होती हैं ? क्योंकि हमारे लोगों में धार्मिक ज्ञान नहीं है हमारे लोगों में मन्दिरों के प्रति प्रतिष्ठा नहीं है, हमारे लोगों में मन्दिरों के पुजारी और महन्तों के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए उतनी नहीं है। इस श्रद्धा के गिरने का कारण मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सरकार की अव्यवस्था है। उस अव्यवस्था को दूर करने का सवाल पैदा नहीं होता है।

मन्दिरों के निर्माण के साथ-साथ वहाँ पर एक फण्ड एकत्रित होता था। भूतपूर्व अलवर राज्य में जब मत्स्य संघ बना तो देवस्थान फण्ड नाम का एक फण्ड था। उस फण्ड के अन्दर जो मन्दिरों की जागीरें थीं उन जागीरों से पैसा कलेक्ट होता था और उसमें जमा होता था। उस फण्ड से बेवाओं को, अपाहिजों को पेन्शन दी जाती थी। उस सारे फण्ड की रकम राजस्थान के एक उद्योगपति को राजस्थान की कांग्रेस के लिए चन्दा लेकर कर्जा दिया तो देवस्थान विभाग ने अलवर के इस फण्ड

(श्री भैरोंसिंह)

को भी उसमें शामिल कर लिया। आज हालत यह है कि आज तीन-तीन, चार-चार वर्षों से मन्दिरों के पुजारी इस इन्तजार में बैठे हैं कि हमको इस फंड में से पैसा मिलेगा, हमको इस फंड में से पेन्शन मिलेगी लेकिन हमारी राजस्थान सरकार समय पर भुगतान नहीं करती। भुगतान किया भी जाता है तो पुण्य फंड के रूप में नहीं किया भी जाता या तो राज्य सरकार यह तय करदे कि हमारा धर्म निरपेक्ष का मतलब यह है कि यहां पर क्रिश्चियन्स का प्रचार होता रहे, मुस्लिम धर्म का प्रचार होता रहे, बौद्धों का प्रचार होता रहे जैनों का प्रचार होता रहे लेकिन राजस्थान से वैष्णव धर्म का लोप हो जाय। एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि देश में अनैतिकता का प्रचार हो रहा है उसको नियम या कानून बनाकर नहीं रोक सकते। अनैतिकता को यदि रोकना है तो जिन चीजों का प्रभाव अनैतिकता पर पड़ता है उनको रोकना होगा। आज मन्दिरों का नाम लेते हैं तो मन्दिरों की सम्पत्ति जिनके कब्जे में है उनसे वह लेने की बात सोचते हैं। या मन्दिरों में स्कूल खुलवाने की कोशिश करेंगे या मन्दिरों को धर्मशाला बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया कि जब हमारे मन्दिरों की दुर्दशा हो रही थी उस समय दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थानों में किस प्रकार नयी नयी चीजों का निर्माण किया जा रहा था, नयी नयी मस्जिदों का निर्माण हो रहा था, मैं यह नहीं कहता कि मस्जिदों का निर्माण न हो, लेकिन सरकार उनमें हस्तक्षेप करने में गुरेज करती है। सरकार को इस बात का डर लगता है कि कहीं माइनोरिटी के नाम से सरकार पर रिकोइल नहीं करे और सरकार को बदनाम नहीं करदे। वक्फ के नाम पर लाखों रुपयों की प्रोपर्टी पर नाजायज कब्जा कर लिया। कब्रिस्तान के नाम पर लाखों रुपयों की भूमि पर कब्जा करने की हालत उत्पन्न हो गई लेकिन उसमें सरकार को हस्तक्षेप करने में डर लगता है। इसके विपरीत यदि सरकार को किसी मन्दिर की जागीर, या मन्दिर की प्रोपर्टी, मकान, नोहरा या जमीन नजर आ जाय तो उसको डवलपमेंट के नाम पर लैंड एक्विजिशन के नाम पर एक्वायर करने को तैयार रहती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि यदि वैष्णव धर्म को समाप्त करने का विचार करना है या इस धर्म को समाप्त करना है तो आप कानून बनाइये और कहिये कि हिन्दुस्तान में वैष्णव धर्म नहीं चल सकता। जितने हिन्दू धर्म के मन्दिर हैं उन सबको डिमोलिश करना होगा। आपको यदि यह कहने में संतोष होता है कि ये मन्दिर जागीरदारों, सामन्तों और राजाओं के प्रतीक हैं इसलिये इनको तोड़ना चाहते हैं तो आप यह मान कर चलें कि मन्दिर तो टूटेंगे नहीं लेकिन जो आपकी यह भ्रष्ट व्यवस्था है वह व्यवस्था बिना चुनाव के ही टूट जायगी और सरकार का पत्ता गोल हो जायगा और देश में धर्म तो बदस्तूर कायम रहेगा।

आप मन्दिरों के नाम पर दो-दो, तीन-तीन रुपया बांट कर चलना चाहते हैं वह नहीं चलेगा। क्या आपने मन्दिरों के लिये कभी बजट बनाया है पूजा करने के लिये कितनी सामग्री चाहिये, पुजारियों के पेट भरने के लिये किस प्रकार की चीजें चाहियें, जिस प्रकार की सुविधाएं चाहिये इसकी भी चिन्ता आपने कभी नहीं की। आपको शायद जानकारी होगी कि पुराने हर स्टेट में मन्दिरों के लिये अलग फंड रहता था। राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह)

की सरकार भी अकाल के लिये फंड बनाती है, बाकी चीजों के लिये फंड बनाती है। मैं सरकार से कहूंगा कि आप कांग्रेस पार्टी के लिये चंदा लेने के लिये जाते हैं, हम जनसंघ पार्टी के लिये चन्दा लेने जाते हैं, बाकी के लोग अलग अलग अपनी अपनी पार्टी के लिये चन्दा लेने जाते हैं लेकिन राज्य सरकार मन्दिरों के लिये, मस्जिदों के लिये और अन्य धार्मिक संस्थाओं के लिये अलग फंड क्रियेट करना नहीं चाहती है। मेरे विचार से यदि मन्दिरों को बचाना है तो उनके लिये अलग फंड क्रियेट करना होगा। उनकी इकोनोमिक व्यवस्था को देख कर उनके लिये पूजा की सामग्री उपलब्ध करानी होगी। यदि यह सब नहीं करते हैं तो यह मालूम होता है कि सरकार मन्दिरों को खत्म करना चाहती है।

इतना ही नहीं, मन्दिरों की मूर्तियों की चोरियां होती हैं। बाहर के जो विदेशी आते हैं वे मन्दिरों की मूर्तियों को ले जाने के लिये बड़े उत्सुक रहते हैं। वे इतने उत्सुक रहते हैं कि एक एक मूर्ति के लिये चार-चार पांच-पांच हजार रुपये देते हैं और मूर्तियों को चोरी छिपे इंगलैंड, फ्रान्स और अन्य देशों में ले जाते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व विलाड़ा में दो जीपें घूमी जहां पर सूने मन्दिर पड़े मिले वहां से मूर्तियां ले गये। जहां पर रात को लोग और पुजारी दर्शन करके गये वहां पर दूसरे दिन सुबह मूर्ति का पता नहीं चला उस मूर्ति की तलाश की जा रही है लेकिन पता नहीं चल रहा है। इस तरह से मन्दिरों में मूर्तियों की चोरियां हो रही हैं। मन्दिरों में जो अच्छे अच्छे पत्थर कारीगरी के लगे हुए थे वे चोरी चले जा रहे हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार और चीजों की व्यवस्था करना चाहती हो या न चाहती हो लेकिन मन्दिरों की व्यवस्था तो अच्छी तरह से अवश्य करे। सरकार कहेगी कि मन्दिरों की व्यवस्था ठीक करने के लिये पब्लिक ट्रस्ट एक्ट बना रखा है उसके अन्तर्गत मन्दिरों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। लेकिन उसमें भी सीमा है जिसकी अमुक सीमा तक आमदनी होगी उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा। जिन मन्दिरों की आमदनी नहीं है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनको भी कहेंगे कि हिसाब पेश करो। उनको तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं अगर वे रिटर्न पेश नहीं करें तो उन पर जुर्माना अलग होता है। जिन मन्दिरों की आमदनी नहीं, जिनके पास आमदनी के साधन नहीं लेकिन उन पर बन्धन जरूर लगा दिया। पब्लिक ट्रस्ट एक्ट जिस समय पास कर रहे थे उस समय भी हमने कहा था कि यह लागू नहीं होगा। आपने और भी कितने ही कानून बनाये लेकिन लागू नहीं हुए। आपने जो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट बनाया वह भी लागू नहीं हुआ लेकिन उसका एक उल्टा असर जरूर हुआ। जो लोग मन्दिरों में भेंट स्वरूप कांट्रिब्यूशन देते थे, मकान देते थे, जमीन भेंट करते थे, जेवर भेंट करते थे, पैसा भेंट चढ़ाते थे उन लोगों में आपने भय पैदा कर दिया कि यदि मन्दिर की आमदनी बढ़ गई तो ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत लाजमी होगा कि हिसाब पेश करें और कानून की चपेट में आ जायेंगे इसलिये आज मन्दिरों में भेंट की व्यवस्था समाप्त होती जा रही है।

मैं राजस्थान सरकार से और वित्त मन्त्रीजी से कहूंगा कि आप राजस्थान के मन्दिरों के लिये थोड़ी कीमत का ही सही लेकिन एक फंड क्रियेट करें, अच्छा

(श्री भैरोंसिंह)
कन्सौलीडेटेड फण्ड क्रियेट करें। आप चाहें राजनीतिक आधार पर करें, अपने लोगों को मठाधीश या पुजारी बनाने चाहें तो भी मुझे आपत्ति नहीं लेकिन उनकी मार्फत भी मन्दिर सुरक्षित रहें ऐसी व्यवस्था करें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह है मन्दिरों के कर्मचारियों के बारे में। लेबरर्स के लिये सभापति महोदया, कानून बनाते हैं उसके आधार पर उन लोगों की वेजेज़ तय की जाती है। क्या आपने कभी इस बात को जानने की चिन्ता की कि मन्दिरों के पुजारियों को और देवस्थान के कर्मचारियों को कितनी तनख्वाह देते हैं ? किसी को १७) देते हैं, किसी को १८) रु० देते हैं, किसी को ३०) देते हैं और अधिक से अधिक किसी को ३५) रु० माहवार तनख्वाह देते हैं। आज एक तरफ सेक्रेटेरियट के चपरासी और बाकी विभागों के चपरासी और दूसरी तरफ मन्दिरों के पुजारी और देवस्थान के कर्मचारी, आखिर हैं तो वे भी गवर्नमेन्ट सरवेन्ट्स ही, और रूल्स उन पर भी लागू हैं लेकिन वे गरीब हैं, एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, आन्दोलन कर नहीं सकते, यहां पर उनके द्वारा प्रदर्शन हो नहीं सकता इसलिये हमारी सरकार उनकी मांगों को पूरा करने को तैयार नहीं है। इसलिये मैं कहूंगा कि राजस्थान सरकार एक कमेटी नियुक्त करे, राजस्थान के मन्दिरों का सर्वे करावें। उसके बाद व्यवस्था किस प्रकार से हो सकती है, कितने धन की आवश्यकता है और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, किस किस प्रकार के साधन की आवश्यकता है, इसकी रिपोर्ट तैयार करे और उसको इम्प्लीमेन्ट करने के बाद किस प्रकार के साधन जुटाये जा सकते हैं उनकी राजस्थान सरकार व्यवस्था करें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप दूसरे विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाते हैं उनका लोग विरोध करते हैं उनके खिलाफ आन्दोलन करते हैं, लेकिन मन्दिरों की व्यवस्था सुधारने के लिये यदि आप वालिन्टीयरी कांट्रिब्यूशन करेंगे तो भी लोग देने को सहर्ष तैयार रहेंगे और सरकार को पैसा मिलेगा और मन्दिरों की व्यवस्था सुधरेगी और धर्म निरपेक्षता के नाम पर कानून बनाकर लागू करना चाहती है उसमें भी बचत होगी। लेकिन हमारी चिन्ता उधर नहीं रही। हमारे मन्त्री-गण तो ऐसा समझ कर चलते हैं। मुख्य मन्त्री जी को कुछ सबक मिला है। वह अब अनुष्ठान करने लगे हैं, पूजा पाठ करने लगे हैं, वह ज्योतिष में विश्वास करने लगे हैं, वह धर्मशास्त्रों से किस प्रकार से बच सकते हैं इसकी व्यवस्था करने लगे हैं। लेकिन बाकी के मन्त्रियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव है—मैं व्यक्तिगत रूप से तो नहीं कह सकता। उनमें कई आस्तिक होंगे, कई विश्वास नहीं रखते होंगे। वह विश्वास नहीं रख मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। विश्वास रखने वाले नाकारा हैं—मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। लेकिन सरकार पूरा दायित्व अपने ऊपर ले। अगर दायित्व अपने ऊपर नहीं लेती है तो सदन में सरकार ने जो गारन्टी दी थी कि मन्दिरों के अन्दर अव्यवस्था नहीं होने दी जायगी—उस गारन्टी के प्रति सरकार जनता के साथ धोखा करती है। यह धोखा आज इसलिए नहीं टूट रहा है क्योंकि मन्दिरों के पुजारी चुनाव में अफेक्टिव नहीं हैं। वह चुनाव में अफेक्टिव हो जाय और मन्दिर के पुजारी के

(श्री भैरोंसिंह)
हाथ में सौ सौ वोट हों तो राजस्थान सरकार के मन्त्री उनको शाष्टांग प्रणाम करेंगे। पुजारियों के सामने, जो निर्वाचित होने वाले सदस्य हैं चाहे वह लोक सभा के हों, चाहे इस विधान सभा के हों, शाष्टांग प्रणाम करेंगे.........

श्री परशुराम नदेरगा: आप भी करेंगे।

श्री भैरोंसिंह: हम भी करेंगे। हम आज भी करते हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं करते हैं कि वोट लिये जांय। हमारे साथ यह कारण नहीं है। आप तो केवल एक धर्म मान कर चलते हैं। आपका राजनैतिक धर्म अलग है। आपका धर्म,यह है कि देवता वही है जो वोट दिलाये (समय समाप्ति-सूचक घण्टी) क्या आप नहीं मानती इस बात को ?

श्रीमती सभानेत्री: समय के लिए आपको ताकीद करती हूं।

श्री भैरोंसिंह: मैं यह समझा कि आप इस बात को नहीं मानती हैं। यह तो, सभापति महोदया, राजनैतिक धर्म बन गया है। आप भी गांवों में चुनाव के समय जाती हैं तो मुखिया के घर पर गांव में ठहरेंगी, आप मुखिया की खुशामद करेंगी, गांव में कोई तालाब टूट गया है तो कहेंगी कि इसकी मरम्मत होगी। गांव में स्कूल बन जायगा। गांव में दवाखाना बन जायगा। यह सब कुछ हो जायगा। लेकिन अगर किसी ओर ध्यान नहीं देती हैं तो वह यह कि लक्ष्मीनारायण का जो मन्दिर है उसकी मरम्मत करा दी जाय....

श्री मथुरादास माथुर:--हम तो और किसी को मुखिया नहीं मानते। हम तो आपको मुखिया मानते हैं।

श्री भैरोंसिंह:—मैं जिस दिन मुखिया बनूंगा, उस दिन कई मंदिरों में मिलेंगे :

श्री मथुरादास माथुर: यह मैं मानता हूं।

श्री भैरोंसिंह: इस लिए मैं सभापति महोदया, राज्य सरकार को नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि बाकी की व्यवस्था चाहे करें या न करें लेकिन कम से कम मंदिरों की सुरक्षा किस प्रकार से हो सकती है, कितने मंदिर हैं और उन मंदिरों की कितनी सम्पत्ति है – इसकी सही प्रकार से सर्वे हो सकती है और मंदिरों की व्यवस्था किस प्रकार से ठीक तरह की जा सकती है इसके बारे में किस तरह से साधन जुटाये जा सकते है, मंदिरों के जितने पुजारी हैं और मंदिरों में जितने और भी काम करने वाले लोग हैं, उनका वेतन किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है– इस सम्बन्ध में जितनी भी बातें हैं, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं इसके लिए एक कमेटी बनाई जाय। वह कमेटी सब मामलों की जांच करके राज्य सरकार के समक्ष सुझाव प्रस्तुत करे और उस पर सरकार विचार करके निर्णय करे कि मंदिरों की सुरक्षा किस प्रकार से हो सकती है। मैं यह मान कर चलता हूं कि यह सरकार धीरे धीरे, धीरे, धीरे ऐसे तबके का मंदिरों की व्यवस्था में उदासीन करती जा रही है, जो तबका क्रिश्चियनिटी को समाप्त नहीं कर सकता, जो तबका इस्लाम धर्म को

(श्री भैरोंसिंह)

समाप्त नहीं कर सकता, जो तबका जैन धर्म को समाप्त नहीं कर सकता, जो तबका सिख धर्म को समाप्त नहीं कर सकता लेकिन उस तबके को वैष्णव धर्म को समाप्त करने के योग्य बना कर सरकार चलती आ रही है – यह सबसे बड़ा पाप है। लेकिन आप इसको मानते नहीं हैं, क्योंकि आप पर अभी चोट पड़ी नहीं है। इलेक्शन के टाइम पर आपको तेजाजी और भैरों बाबा याद आते हैं। मैं भैरों बाबा को पांच पैसे का परसाद चढ़ाऊंगा यदि इलेक्शन में कामयाब हो जाऊं इस तरह आप भीलवाड़ा में बोलते हैं........

श्री मथुरादास माथुर : प्रसाद हम चढ़ाते हैं, आप लोग खा जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह: यह सही है। प्रसाद आप चढ़ाते हैं लेकिन आपको प्रसाद की व्यवस्था का पता नहीं है। जो प्रसाद चढ़ाता है वह खुद नहीं खाता है, वह प्रसाद बांट कर खाता है, लेकिन आप बांट कर नहीं खाते हैं। इसलिए लोग छीन लेते हैं। आपको ज्ञान नहीं है इस बात का कि क्या व्यवस्था है। आपको धार्मिक व्यवस्थाओं का ज्ञान नहीं रहा। मैं समझाता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी अपने घर पर पुरखाओं से जाकर पूछें, अपने बुजुर्गों से जाकर पूछें। लेकिन वह तो आपको बुरी तरह से लताड़ते हैं, तुम अच्छे मंत्री बने, मंत्री बनने से धर्म का सत्यानाश हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो सोचते हैं कि ऐसा पूत पैदा नहीं होता तो अच्छा होता।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी स्थिति में सभापति महोदया, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मन्दिरों की व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे मन्दिर सुरक्षित रह सकें, जिससे मन्दिरों में मूर्तियां सुरक्षित रह सकें, जिससे मूर्तियों का खण्डन नहीं हो सके और मन्दिर टूट नहीं सकें, और लोगों में मन्दिरों के प्रति श्रद्धा की भावना बनी रहे, और उस भावना को बनाये रखने के लिए आज पुजारियों के प्रति सरकार की उपेक्षा नहीं रहे। मैने गांवों में जाकर देखा है, मन्दिरों में रामायण की किताब, महाभारत की किताब नहीं है, उनके पास कोई धार्मिक किताब नहीं है। आज राजस्थान सरकार फेमिली प्लानिंग के लिए इतने बड़े-बड़े सेट हमारे पास भेजती है, जिसको कोई पढ़ता नहीं है। सभापति महोदया, आप खुद जानती हैं, उनको कोई नहीं पढ़ता है बल्कि सब के सब लोग उनको रद्दी के भाव बेचते हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार धार्मिक किताबें छाप कर बांटे, राजस्थान की सरकार कुरान की किताब बांटे, बौद्ध धर्म की किताब छाप कर बांटे, जैन धर्म के ग्रन्थों को छाप कर बांटे, वैष्णव धर्म की धार्मिक पुस्तकों को छाप कर बांटे। खास तौर से मैं किसी धर्म के लिए नहीं कहता हूं कि उसकी पुस्तकें ही छाप कर बांटे। जिस तरह से गीता बांट रही है उस तरह से गीता बांटे, रामायण बांटे, महाभारत बांटे, कुरान बांटे—सब कुछ बांटे जिससे कि लोगों में धर्म के प्रति और धार्मिक ग्रन्थों के प्रति प्रेम तो हो। सभापति महोदया, राजस्थान की सरकार के द्वारा प्लानिंग कमीशन के पोथे हमारे पास आते हैं, उसमें जो भी फिगर्स और फैक्ट्स हैं उनको हमने कितनी ही बार पढ़ लिया है कि कितने फेमिली प्लानिंग के सेन्टर खुले

(श्री भैरोंसिंह)
हैं, कितने अस्पताल खुले हैं और कितनी सड़कें खुली हैं। यह सब हम रोज विधान सभा में सुनते हैं और रोज हम अखबारों में इस प्रकार की बातें पढ़ते हैं। आपको भी जहाँ कहीं मौका मिल जाता है उद्घाटन, भाषण और चाटन का तो वहाँ पर जाकर आप इसके बारे में कहते हैं उस सबकी जानकारी हमें मिलती है। इसमें पेपर का खर्च, छपाई का खर्च और समय का खर्च यह सब कुछ होता है। लेकिन कभी यह व्यवस्था करें कि लोगों में धार्मिक भावना और विचार पनपें और इसके लिए जो धर्म ग्रन्थ हैं, जो जटिल भाषा में धार्मिक शास्त्र हैं उनका हिन्दी में अनुवाद करके लोगों के सामने भेजें। कई बार हम कहते हैं कि हरिजनों का मन्दिरों में प्रवेश निषिद्ध नहीं होना चाहिए। इसमें किसी भी व्यक्ति को आपत्ति नहीं है। लेकिन हरिजनों का मन्दिरों में प्रवेश नहीं होता है, उसका कारण क्या है। उसका कारण देश में भयंकर रूढ़िवादिता है उसको हटाने के लिए धर्म ग्रन्थों का ज्ञान नहीं दें, धार्मिक संस्कार उनमें न पनपायें और धर्म के बारे में उनको जानकारी नहीं दें—यही कारण है कि वैष्णव हिन्दू और हरिजनों में समय-समय पर झगड़े होते रहते हैं। यह आपके लिए लाभदायक है, आप राजनैतिक दृष्टि से इसका लाभ उठाना चाहते हैं लेकिन अन्ततोगत्वा हिन्दुस्तान में जो आज वैष्णव और हरिजनों में इस प्रकार का भेद क्रियेट होता जा रहा है वह हिन्दुस्तान को पे करने वाला नहीं, वह हिन्दुस्तान को नुकसान की स्थिति में ले जा कर छोड़ने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसके साथ-साथ हमें धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करना चाहिए, धार्मिक ज्ञान का प्रसारण करना चाहिए, धर्म का प्रचार करना चाहिए—और यह सरकारी स्तर पर करना चाहिए। आप सब धर्मों का प्रचार करिये, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। अगर आप इस काम को हाथ में लें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि लोगों में धार्मिक ज्ञान होगा, लोगों की धर्म के प्रति आस्था होगी और आस्था उत्पन्न होगी तो नैतिक आचरण तमाम लोगों में अद्भुत होकर समाज के और राष्ट्र के ढाँचे को उन्नत करने की कोशिश करें। यह कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री खेतसिंह : बोलो सिया वर रामचन्द्र की जै!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और जो नहीं बोले उसी के दै।

श्रीमती सभानेत्री : (श्री रामकिशन के खड़े होने पर) आप तो इंकार कर चुके थे।

श्री रामकिशन (वैर) : मैंने ना नहीं कहा था, मेरी मन्शा नहीं थी। लेकिन अभी जरूरी सूचना मंगवाई तो बोलना जरूरी हो गया है।

सभापति महोदया, आज जिस मुद्दे पर विचार हो रहा है, यह निश्चित तौर पर अपने तरीके का एक ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं धर्म के बारे में, मन्दिरों के बारे में विशेष कुछ नहीं कह सकता लेकिन ......

श्री भैरोंसिंह : आप पुजारियों के बारे में कहिये?

श्री रामकिशन : न मैं पुजारियों के बारे में, जैसे गोकुलचन्दजी ने कहा है, उस तरह कहूंगा। यह सवाल हिन्दुस्तान ... .

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : गोकुलचन्द नहीं गोकुलप्रसाद !

श्री रामकिशन : मैं गोकुलप्रसाद और गोकुलचन्द में फर्क नहीं करता। मैं हरिजन और द्विज को मिलाना चाहता हूं। मेरे लिए उनमें फर्क नहीं है।

सभापति महोदया, जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है मैं मन्दिरों का इस रूप में समर्थन नहीं कर सकता कि राजस्थान की सरकार धर्म के मामले में हस्तक्षेप करे क्योंकि धर्म का जहाँ तक सम्बन्ध है, धर्म की अलग-अलग व्याख्या नहीं हो सकती, न सनातन धर्म की हो सकती है, न जैन धर्म की हो सकती है, न इस्लाम धर्म की हो सकती है। धर्म का मतलब है, जिसे जनता धारण करे। किसी युग में किसी को धारण कर लेती है, जनता तो वह उस युग का धर्म बन जाता है। मन्दिरों की पुरानी व्यवस्था है, पुरानी मान्यता है और पुरानी परम्परा है, यह हमारी पुरानी संस्कृति के प्रतीक हैं। इस संस्कृति को हमें उसी रूप में रखना है या उसको पुनर्जीवित करना है ? समाज की नई मान्यताओं के अनुसार ढालना है ? इस दृष्टि से इस पर हमें विचार करना होगा। राजस्थान की सरकार केवल राजस्थान में देवस्थान विभाग बना कर और एक मन्त्रालय बना कर, एक संचालक बना कर अपने आपको अलग कर लेती है, तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रही है, अपना धर्म पूरा नहीं कर रही है, वह अपने कर्तव्य से अलग होती जा रही है। माननीय सभापति महोदया, हिन्दुस्तान में जहां तक मंदिरों का सवाल है चाहे राजस्थान हो या चाहे हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्से हों, भिन्न-भिन्न तरह की धार्मिक मान्यतायें सारे मुल्क में हैं और उसी तरह की मान्यतायें राजस्थान के अन्दर भी हैं। हर धर्म अपने प्रतीक रखता है, देवी देवताओं के प्रतीक रखता है, चाहे चित्र के रूप में रखते हों या किताब के रूप में रखते हों। इस सारे विवाद में मुझे नहीं पड़ना है। इस वक्त राजस्थान में मंदिरों की जो हालत है, जैसे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, सचमुच, हमें बड़ा अफसोस होता है, गांवों में मंदिर है, दो-दो तीन तीन मंदिर हैं लेकिन किसी मंदिर की कभी किवाड़ नहीं खुल पाती हैं, पूजा की व्यवस्था नहीं की जाती है। कहीं-कहीं पर जो प्रतिमायें हैं—चाहे राधा की हो या कृष्ण की हो, जो प्रतिमायें हैं, समय पर जिस तरह से नियमानुसार उनकी पूजा होनी चाहिए उस तरह से पूजा नहीं होती है। मैं राज्य सरकार से निवेदन यह करूंगा कि यदि सरकार और कुछ न करे तो जो एक इलाके में पांच-सात मंदिर हैं, जो कि बुरी अवस्था में पड़े हुए हैं उन सबको एक जगह लाकर इकट्ठा कर दें, उन सब मंदिरों का एकीकरण कर दिया जाय। इससे एक लाभ तो यह हो जायगा कि जो मंदिर हैं, उन मंदिरों को धर्म की भावनाओं के आधार पर और जो सरकार के नियम हैं उनके आधार पर देखभाल की जा सकती है। आज जो मंदिरों की दशा है, और जिस तरह के धार्मिक संस्थान हैं—उनकी दशा दयनीय है। तो मैं एक तो यह सुझा

(श्री रामकिशन)
देना चाहूँगा कि जहां चार-पांच मंदिर हैं, जिनकी दशा खराब है उनको एक जगह पर रख दिया जाय। दूसरा निवेदन मुझे यह करना है कि धर्म को जब हम हिन्दुस्तान की धरती से जोड़ते हैं तो धर्म ने हिन्दुस्तान में कुछ खराबियां भी पैदा की हैं और वह खराबियां इसलिए पैदा की हैं कि यह जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था—इसमें हिन्दुस्तान विभाजित रहा है। इसके सम्बन्ध में अलग-अलग राय हो सकती है, कुछ माननीय सदस्यों का सोचना है कि इस्लाम धर्म इसलिए प्रबल हुआ, ईसाई धर्म इसलिए प्रबल हुआ कि उसकी धार्मिक मान्यतायें प्रबल थीं। ऐसी स्थिति नहीं है। बल्कि वह वैष्णव धर्म की वजह से हुआ, जिसके समर्थक इस देश में बहुसंख्यक हैं। इसलिए ही अलग-अलग वर्ग और जाति में देश विभाजित हो गया है। इस विभाजन में जो दोषपूर्ण स्थिति है वह धार्मिक मान्यताओं के ऊपर अन्य भक्ति और उस पर विश्वास करना। मैं सुझाव दूंगा कि सरकार छब्बीस हजार मन्दिरों का प्रबन्ध करती है, उसके लिए निवेदन करदूं कि उसका पुजारी किसी भी जाति का आदमी हो। आज, सभापति महोदया, स्थिति यह है कि ब्राह्मण ही केवल पुजारी बनेगा। ब्राह्मण ही केवल पुजारी बनना चाहिए—इसका मैं विरोध करता हूँ। पूजा का ब्राह्मण से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए जो पूजा के नियम बने हुए हैं, जो पूजा का ढंग बना हुआ है उसके अन्दर जो भी व्यक्ति क्वालीफाईड हो जाय, जो उसमें पास हो जाय, तो भले ही वह हरिजन हो, उसको बनायें। यह बहुत ही बढ़िया होगा। उसके बाद अगर भील हो तो बहुत बढ़िया। इस तरह की व्यवस्था रखेंगे तो इससे दो फायदे हो जायेंगे। एक फायदा तो यह होगा कि जाति और वर्ग की जो व्यवस्था है, उसके बन्धन ढीले पड़ेंगे। इन्हीं बन्धनों की वजह से हिन्दुस्तान पिछले डेढ़ हजार वर्षों में गुलाम होता चला गया है और वह आन्तरिक तरक्की और क्रांति नहीं कर पाया है। क्रांति के लिए रास्ता साफ हो जायगा अगर पिछड़े हुए, दबे हुए वर्ग के लोग हैं उनके लिए इस तरह का कानून बनायें, उनको मन्दिरों में प्रवेश करने दें और पुजारी बनने का मौका दें, मैं नहीं कहता कि ब्राह्मण के संस्कार.......

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : नमाज के लिए मुल्लाको मत रखिये। कोई भी नमाज पढ़ा देगा।

श्री रामकिशन : मैं सबके लिए कह रहा हूं। आप समझे नहीं। इसमें किसी तरह से पक्षपात की बात हो नहीं सकती।

यह गम्भीर मामला है, यह हंसी का मामला नहीं है। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि संस्कार, नियम और कर्म से जो ब्राह्मण है वही केवल पूजा का अधिकारी नहीं हो। सभी जातियों के इसमें पुजारी हों, जातियों का, संस्कृति का जो सिस्टम तय कर लें, उसमें जो परीक्षा पास कर लें, जिसको पूजा का ज्ञान हो, विधान का ज्ञान हो—वह पूजा करने का अधिकारी हो सकता है। मैं चाहूंगा कि यह मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर सब में हों। हमने जो समाज का उद्देश्य घोषित किया है, माननीय सभापति महोदया, हमने यह घोषित किया

(श्री रामकिशन)

है कि हम वर्णविहीन और वर्ग विहीन समाज बनाना चाहते हैं। हमने यह घोषित तो कर दिया, लेकिन इस सरकार को ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से यह वर्ग और वर्ण का कटघरा टूटेगा। मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया मोटा कोई हो नहीं सकता। आप इस बात का प्रयोग करें।

सभापति महोदया, एक दूसरा सुझाव मुझे देना है, कि धर्म की किसी तरह की प्रवृत्तियां हों, उन धार्मिक प्रवृतियों को किसी तरह से बढ़ा कर लोगों का आचरण शुद्ध किया—इसमें विवाद नहीं हो सकता है। यह विवाद की चीज नहीं है। संसार में दो चीजें हैं जो मनुष्य को बांधती हैं—एक तो राज्य और दूसरा है धर्म। राज्य का भय रहता है जब कि धर्म से आपस में प्रेम रहता है, कर्म और वाणी में। मगर तीस-चालीस वर्ष से क्रांतियां संसार में हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, पुराने धर्म की मान्यतायें टूटती जा रही हैं, जिससे राज्य का भय बना नहीं रहा, जगह जगह पर उथल-पुथल हो रही है, राष्ट्र का और समाज का विघटन हो रहा है, टूट रहा है और लोगों में उच्छृंखलता आ रही है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धर्म के बन्धन ढीले हों, अब पुराने धर्म के आधार पर समाज चल नहीं सकता है। जो सोचते हैं कि पुरातन संस्कारों के आधार पर, पुरातन विचारों पुरातन विश्वासों के आधार पर मुल्क का निर्माण कर दें—वह धोखे में हैं। वह अब हो नहीं सकता है। नई परिस्थितियों में हम उनके अनुसार ही आचरण करें। माननीय भैरोंसिहजी ने बोर्ड के लिये कहा वही मैं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने दूसरी दृष्टि से कहा और मैं कह रहा हूं कि धर्म का समाज निर्माण के लिए किस तरह से प्रयोग करें। इसके चिन्तन के लिए एक बोर्ड बनायें, एक कमेटी बनायें। वह कमेटी इस बात की छानबीन करे कि धर्म का समाज निर्माण में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। वह यह भी देखे कि धर्म उसी स्थिति में है क्या? आज से कुछ दिन पहले मैं जब यहां से जा रहा था, मेरी पार्टी के एक सदस्य मुकुटविहारी साथ थे, उनकी कुछ धार्मिक प्रवृति है। उन्होंने कहा कि जरा गोविन्ददेव जी के मन्दिर के दर्शन कर लें। मैंने पिछले बीस वर्षों से मन्दिर, मस्जिद से अपने आपको अलग कर रखा है। मैंने कहा, बहुत देर हो गई है क्या दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि चलो दर्शन कर आयें। मैं उनके साथ गोविन्द-देव जी के मन्दिर में गया। भव्य मन्दिर था। वहां राधा-कृष्ण की तस्वीर लगी हुई है लेकिन मैंने राधा कृष्ण की तस्वीर के बजाय वहां दर्शनार्थियों को देखा कि देखें कौन दर्शन करने जाता है। सभापति महोदया, मुझे यह देखने को मिला कि वहां एक हजार दर्शनार्थी थे, जिनमें तीन चार आदमी थे, बाकी के साढ़े नौ सौ बूढ़ी औरतें थी। अब यह वृद्ध औरतें तो मन्दिरों में जाती हैं, बूढ़े आदमी मन्दिरों में जाते हैं—इसका नये ढंग से चिन्तन करना पड़ेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मन्दिरों में बूढ़ी औरतें ही दिखीं ?

श्री रामकिशन : इस तरह नहीं देखा माननीय सतीशचन्द्र जी यह गम्भीर मामला है। मन्दिरों में बूढ़ी औरतें ही दर्शन करने क्यों आती हैं—इसी संदर्भ में मैं निवेदन करूं कि आजसे पन्द्रह बीस दिन पहले मुझे एक दिन सिनेमा में जाना पड़ा,

(श्री रामकिशन)
वहां पर भैरोंसिंह जी भी मिल गये। वहां पर दूसरी चीज मुझे दिखी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं सिनेमा जाता हूं, लेकिन मुझे वहां देखने में आया कि सिनेमा में सारे युवा पीढ़ी के जाते हैं और मन्दिरों में बूढ़ी औरतें जाती हैं। आखिर बूढ़ी औरतों का धर्म से सम्बन्ध क्या है। जिनकी आस्थायें, जिनके संस्कार और जिनके विचार परिपक्व हो गये हैं उन्हें जाना चाहिये सिनेमा जिससे कि उन पर बुरा असर नहीं पड़े और जिनकी आस्था, संस्कार और विचार ढीले पड़ गये हैं उन्हें जाना चाहिए मन्दिरों में। कहने का मतलब यह है कि हमें प्रचार इसका करना है कि जो जवान आदमी हैं, प्रौढ़ है जिनके संस्कार दृढ़ नहीं हुए हैं और जिनके स्नायु ढीले नहीं हुए हैं वह ईश्वर की शरण में जाय, वह धार्मिक बन्धनों में बन्धे और बंधन में बंध कर चरित्र निर्माण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जैसे आदमी को क्या करना चाहिए?

श्री रामकिशन : जो बूढ़े लोग हैं, जो उत्तेजित नहीं हो सकते, डिग नहीं सकते हैं उन्हें सिनेमा में जाना चाहिए। इस तरह प्रचार नहीं करेंगे तो चरित्र निर्माण नहीं हो सकता है। आप यूरोप के मुल्कों को देखिये, जो यूरोप के मुल्कों को देख कर आये हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि कौन लोग जाते हैं गिरजाघरों में और कौन लोग जाते हैं सिनेमा में। गिरजा-गुरुद्वारे समाज की झलक होतेहैं, वह चरित्र निर्माणका एक तरीका है। तो आप एक तरफ गरीब और अमीर का भेद मिटा कर देश को औद्योगिक नई सभ्यता की तरफ ले जाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ पुराने धर्म और संस्कार की बात करते हैं तो यह दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खास तौर से इसके लिए एक कमेटी गठित हो कि किस तरह से प्रचार करके नौजवानों को मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में भेजें जिससे नौजवान धार्मिक बन्धनों में बंधे, संस्कारों में बंधे और जिनके दिल मुर्झा गये हैं, गरीबी के कारण जो लोग थक चुके हैं कम वेतन और अधिक बच्चों के कारण जो दुखी हो चुके हैं उन लोगों को सिनेमा भेजें जिससे वह एक घड़ी दो घड़ी जीवन का आनन्द ले सकें....

श्री भैरोंसिंह : इस का मतलब यह हुआ कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी, जिनके एक दर्जन बच्चे हैं उनको सिनेमा में नहीं जाना चाहिए और उन्हें मन्दिर में जाना चाहिए।

श्री रामकिशन : उन्हें जाना चाहिए। मेरा मतलब यह था कि धर्म को राज्य में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक, माननीय सभापति महोदया मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से कोई बहुत बड़ा नतीजा नहीं निकल सकता है। यह मेरा दूसरा सुझाव है। तीसरा सुझाव मुझे जो सरकार को देना है, उसके सम्बन्ध में एक जानकारी चाहूंगा, कि बहुत सारे पुरातन मन्दिर पड़े हुए हैं.... ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक दर्जन किस मंत्री के बच्चे हैं। मैं समझता हूं कि किसी के नहीं हैं।

श्री रामकिशन : मंत्री का इसमें सवाल नहीं है। मंत्री ज्यादा बच्चे कर रहे हैं इसका एक कारण मैं समझ पाया हूं, वह इसलिए कर रहे हैं कि इस विधान सभा में हार जायं, लोक सभा में हार जायें तो कम से कम नगरपालिका की सीट तो सुरक्षित

(श्री रामकिशन)

रख सकें। यह बुरी कल्पना नहीं है। लोकतंत्र में अपना परिवार ही काम में आता है। मंत्रियों की यह कल्पना है इस लिए वह बच्चे बढ़ा रहे हैं। मैं इसका बुरा नहीं मानता हूं क्योंकि यह उनकी कल्पना है....

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप बच्चे क्यों बढ़ा रहे हैं ?

श्री रामकिशन : मुझे भी लोकतंत्र में रहना है, इसलिए मैं बच्चे कम नहीं कर सकता मेरा यह विचार है, मैं इसे खुद मानता हूं।

तो मुझे निवेदन करना था कि नई पीढ़ी तो सिनेमा में देखने को मिली खास तौरपर और दूसरी चीज देखने को मिली मंदिरों की मर्यादा के संदर्भ में तो बूढ़ी औरतें देखने को मिली। मैं गोविन्ददेव जी के मन्दिर में गया तो वहां बूढ़ी औरतें और सिनेमा देखने को गया तो वहां नौजवान और भैरोंसिंह जी मिले....

श्री भैरोंसिह : क्या मुझे यह सलाह दे रहे हैं कि मैं सिनेमा देखने नहीं जाऊं ? आपका मतलब यह है ?

श्री रामकिशन : आपको सलाह नहीं दे रहा हूं। आप सिनेमा में मिले तो मुझे प्रसन्नता ही हुई।

इसी तरह से वहां राधा कृष्ण की तस्वीर को देखें।

श्री गोकुलचन्द : मन्दिर में यही देखने पधारे कि कौन आता है और कौन नहीं ?

श्री रामकिशन : मैंने देखा है, वही कह रहा हूं। मैं गलत कहने वाला नहीं हूं। धर्म को गम्भीर दृष्टि से देखने की कोशिश करें।

मैंने राधा कृष्ण को देखा तो कृष्ण का चेहरा मुर्झाया हुआ है, राधा का मन प्रफुल्लित नहीं है। क्यों ? बूढी औरतों को देखते देखते उनका मन मलिन हो गया है। यदि वहां नौजवान जायेंगे तो उनका चेहरा प्रफुल्लित होगा और उनके चेहरे पर आनन्द होगा। इसी तरह से द्वारिकाधीश को मैंने देखने की कोशिश की मन्दिर देखने नहीं गया मीटिंग थी हमारी भावनगर में इसलिये गया था। नई जगह, नई चीज देखने की लोगों में भावना होती है, दूसरे लोग मन्दिर देखने गये, उनके साथ मैं भी गया और मैंने वहां भी इसी तरह से चिन्तन किया। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि यह हल्का सवाल नहीं। हंसी मजाक का सवाल नहीं, यदि आप समाज को बनाना चाहते हैं तो इन पुराने विचारों को नये ढग से नई सोसायटी में किस प्रकार पैदा किया जा सकता है इस पर विचार करके कोई सक्रिय कदम उठायें। चाहे इसे स्टेलिन ने अफीम का नशा बताया हो, हम भी जो अनीश्वरवादी हैं, कुछ और कह सकते हैं, पर यदि समाज को बनाना है तो इसको ले कर नये ढंग की विचारधारा नई पीढ़ी में पैदा करनी होगी। क्योंकि आज आपने धर्म को तो गलत कहना शुरु कर दिया, मन्दिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों के खिलाफ बातें करना शुरू कर दिया पर नई पीढ़ी को नया कोई दृष्टिकोण नहीं दे पा रहे हैं। माननीय हाड़ा साहब जो बूंदी से आ रहे हैं, वे कह रहे थे कि यह कांग्रेस राज एक विलक्षण राज है, अभी उन्होंने एक लड्डू मुझे दिया था, राधा कृष्ण की फटी चोली फटा बागा, फटे कपड़े मुझे दिये हैं।

Page No. 111

(श्री रामकिशन)

मैं अपनी बात को रिजर्व रख कर केसरीसिंह जी से कहना चाहता हूं कि आप यह किनसे कह रहे हैं ? यह आप उनसे कह रहे हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान के सब लोगों के कपड़े फाड़ डाले, जो नग्न थे उनको श्मशान पहुंचा दिया, अर्द्धनग्न थे, उनको नग्न बना दिया और जो मध्यम वर्ग के थे उनको रिक्शेवाला बना दिया, सारे हिन्दुस्तान के लोगों के कपड़े फ़ाड़ डाले। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राधा कृष्ण और राम इतने कमजोर नहीं हैं कि वे फटे कपड़े पहनेंगे। असल में हमें नये ढंग से चिन्तन करना चाहिये। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस मुल्क में राधा कृष्ण, सीता और राम के मन्दिर हैं, दूसरे मन्दिर हैं पर मैंने गान्धारी का कोई मन्दिर नहीं देखा, जो कि बहुत जरूरी है। राजस्थान सरकार उसके लिए कोई कदम उठा सके तो उठाये। जिन्होंने महाभारत पढ़ा है उन्हें पता है कि एक प्रसंग आता है जब अर्जुन को लेकर कृष्ण गान्धारी के पास जाते हैं। उस गान्धारी के पास जाते हैं, जिसके सब पुत्र नष्ट हो गये, पति जिसका अन्धा है, जिसका राज्य छिन गया, उस गान्धारी के पास जाकर कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे पास अर्जुन आया है, इसे कोई बात बताओ तो गान्धारी ने अर्जुन को एक ही बात बताई। मुझे पता नहीं कि हिन्दुस्तान के धर्म शास्त्रियों ने उस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया शायद वह पिछड़े वर्ग की, दूर की महिला थें, इसलिए ध्यान नहीं दिया होगा। गान्धारी ने अर्जुन से कहा, दुनियां में दासता से बढ़ कर कोई दुख नहीं बेशक दीनता से बढ़ कर और कोई दुख नहीं, पर सबसे बड़ा यदि कोई दुख है वह दुख भूख है, इसलिये अर्जुन जब युधिष्ठिर राजा बनें तो उनको कहना कि भूख को मिटाने लिये कोशिश करें। ऐसी नारी का मैंने कहीं मन्दिर नहीं देखा दक्षिण में मैंने देखने की कोशिश की कि शायद यहां इस ओर किसी का ध्यान गया हो पर वहां भी गान्धारी का मन्दिर नहीं देखा।

तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दुस्तान की नस नस में, हिन्दुस्तान की सत्ता में, शासकों में यह बात भर दी जाय कि भूख से बढ़ कर कोई दुख नहीं है, सर्व प्रथम हमारे देश से इस भूख को मिटाया जाय। वह बात दूसरी है कि यह सरकार देश में भूख, गरीबी और बेकारी को बढ़ा रही है, तो वह राधा कृष्ण की क्या परवाह करेगी।

तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारा साहित्य, हमारे ग्रन्थ, जैसा कि भैरोंसिह जी ने कहा, छोटे-छोटे रूप में लिखे जायें, पर उसके दो हिस्से हैं, कौनसे का प्रचार किया जाय और कौनसे हिस्से का प्रचार नहीं किया जाय, यह हमें विवेक से सोचना पड़ेगा कि ५ हजार वर्ष पुरानी चीज है, उसको उसी रूप में लाया जाये या नये ढंग से लाया जाय। यदि हम :

"शूद्र गंवार ढोल पशु नारी"

की बात करने लग गये तो सब सत्यानाश हो जायगा, ब्राह्मण की हमेशा पूजा करनी चाहिये, यह कर दिया तो हमारी यह सभ्यता ही नष्ट हो जायगी। नारी पूजनीय है उसको गंवार में मत रखो, ढोल में मत रखो ब्राह्मण हमेशा ऊंचा है, यदि यह संस्कार डाले तो हमारे आधुनिक समाज का सारा ढांचा ही बिगड़ जायगा। जाति बिरादरी

(श्री रामकिशन)

का वही सारा झगड़ा खड़ा हो जायगा। इस लिए सत्य को, संघर्ष को अन्याय से लड़ने को और अहिंसा को माने और राज्य सरकार इसका प्रचार करे तो न इस्लाम वालों को कोई ऐतराज होगा और न किसी और को.........

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मूल सत्य पर पहुँचना बड़ा मुश्किल है।

श्री रामकिशन : मैं बिश्नोई धर्म की बात भी अभी कहता हूं। मैं कोई धार्मिक गुरु नहीं जो प्रवचन करूं, जो नये संस्कार देख रहा हूं, उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं हम धर्म को इस रूप में लेंगे तब तो निर्माण का कार्य ला सकेंगे वरना धर्म का सच्चा ज्ञान हिन्दुस्तान के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। इसलिये अगर कोई कमेटी या बोर्ड बनाते हैं तो जैसा भैरोंसिंह ने सुझाव दिया इस्लाम की पुरानी पंथियां हैं, उनको दूर करें, जैनों की, सिखों की या और किसी की त्रुटियां हैं तो उनको ठीक किया जाय।

आप प्रदर्शनियां लगाते हैं, जोधपुर में, जयपुर में प्रदर्शनियां लगाते हैं, मेरा सुझाव है कि मन्दिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों के पास आपको नई प्रदर्शनियां लगानी चाहिये ताकि भौतिक सुख और आध्यात्मिक आनन्द दोनों को लोग साथ-साथ देख सकें क्योंकि केवल शरीर भौतिक सुख ही लेते रहें तो आत्मा कुंठित हो जायगी और यदि केवल आत्मा ही आनन्द लेती रही तो शरीर सूख जायगा इसलिये हमारी प्रदर्शनियां, चाहे कैसी ही प्रदर्शनियां हों, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री जाते हैं वहां दिखानी चाहिये। कुछ लोग तो कहते हैं कि केवल आत्मा ही सच है और सारा संसार झूठ है, और हम कहते हैं कि हम बिलकुल सच और सब झूठ। तो आज हम एक पक्षीय बात पर चल रहे हैं। इस लिये मैं राज्य सरकार को सुझाव देता हूं कि हमारी जितनी प्रदर्शनियां हों, जितने प्रदर्शन हों, वह सब धार्मिक स्थानों के पास हों। मैं गोगामेड़ी में गया वहां मुझे बड़ी खुशी हुई, गोगा साहब कौन थे, यह सब इतिहास सुना पर मुझे यह देख कर बड़ी खुशी हुई कि वहां का पुजारी मुस्लिम था। यह हिन्दुस्तान को मिलाने का सबसे बड़ा रास्ता है, मन्दिरों में मुस्लिम पुजारी हों, चाहे नवाब साहब को ही रख दें, वे पूजा करें। यह नहीं करेंगे तब तक केवल भाषणों से काम पूरा नहीं होने वाला है। आपने मन्दिरों का नियोजन किया है, हमें बड़ा अफसोस है कि मन्दिरों का पैसा आप किसी निर्माण के कार्य में नहीं लगा रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इन सुझावों पर गम्भीरता से विचार करें, यदि आप नहीं समझते हैं, और वास्तव में आप नहीं समझते, क्योंकि मैं समझता हूं कि कांग्रेस में समझदार लोग नहीं रहे हैं, जो इसमें समझदार लोग थे वे धीरे धीरे इसको छोड़ कर चले गये। इसलिये आप दूसरों की राय इसमें ले लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने सुझाव दिये हैं, उन पर सरकार विचार करेगी आप यह नहीं सोचें कि ब्राह्मण नाराज होंगे यह विलक्षण जाति है, जिसका राज आता है उस ही की यह आरती उतारने लग जाती है।

इतनी बात कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री दिग्विजयसिंह : उस लड्डू का क्या करेंगे ?

श्री रामकिशन : यह केसरीसिंह जी की तरफ से रखा गया है।

श्री केसरीसिंह : मंत्री जी को दे दें।

श्री रामकिशन : नहीं, मंत्री जी खा जायेंगे।

श्री केसरीसिंह : खाया नहीं जायगा, दांत टूट जायेंगे। (४ म.प.)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (राज्य मंत्री): श्रीमती सभानेत्री महोदया, ने मांग संख्या १३ के विषय में सदन में बहस हुई है, एक से एक बात साफ जाहिर है कि माननीय सदस्यों ने देवस्थान के विषयों की चर्चा करते हुए उन्होंने धर्म के प्रति अपनी प्रगाढ़ रुचि का और आस्था का परिचय दिया, जो उनके कीमती सुझाव आए वास्तव में स्वागत योग्य हैं और उनके बारे में आगे चर्चा करूंगा। दरअसल इस मांग संख्या १३ पर होने वाली बहस का क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं था जितना माननीय सदस्यों ने इस पर बल दिया। वित्तीय वर्ष....

श्री दौलतराम सारण : आपके ज्ञानवर्धन के लिए।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मांग संख्या १३ के द्वारा केवल यह चाहा गया था कि २,६५,४४१) रु० का अतिरिक्त व्यय वित्तीय वर्ष १९६५-६६ के दौरान इन दो परटीक्यूलर हैड्स के तहत हो गया, उसको एक प्रकार से जैसा संविधान की धारा २०४ व २०५ में प्रावधान है, सदन की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित कराना था क्योंकि जन लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस पर एतराज किया है और सिफारिश की है की सदन के समक्ष इसे रखकर सदन की अनुमति प्राप्त की जाय। जहां तक अतिरिक्त धन का सवाल है सिर्फ दो हैड्स के अन्दर एक्सेस हुआ है जिसकी जानकारी ऑडिट रिपोर्ट अकाऊंटस फॉर १९६५-६६, जो सदन के सभी सदस्यों की सेवा में भेज दी गई है और मेज पर रख दी गई है, उसके पृष्ठ ५१ की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसमें साफतौर पर लिखा है—दो हैडस में एक्सेस हुआ है। एक हेड है मिसलेनियस डिपार्टमैंटस का जिसमें....

श्री भैरोंसिंह : हम समझ गए।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : Audit Report on the Accounts for 1965-66 "The excess occurred mainly under 2 group-heads "ख"

7. Expenditure in connection with the pooling of vehicles and "ख" 8 (i) Office of the Commissioner Devasthan and Dharampura. The excess under the former head (Rs. 1.26 lakhs) was due to requisitioning of pool vehicles for famine relief works; in the case of latter group head, an advance from the contingency Fund should be obtained since no provision existed in the budget for the payment of grants-in-aid to 8 temples amounting to Rs.

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

1.02 lakhs sanctioned by Government on the 29th March, 1966.'' तो सिर्फ ८ मन्दिरों को विशेष अनुदान दिया गया १,०२,०००)। इसकी वजह से देवस्थान के हैड में अतिरिक्त खर्च हुआ और सेन्ट्रल पूल व्हीकिल्स में क्योंकि अकाल सहायता के कार्यों के सिलसिले में उन गाड़ियों को काम में लिया। इस बात की पहले कल्पना करके नहीं चला करते थे कि इतने बड़े पैमाने पर राज्य के जिलों अकाल होगा। मौके पर जांच करने के लिए, सहायता पहुचाने के लिए, फाडर देने के लिये, ऑन दी स्पॉट जाकर सेन्ट्रल पूल की जो गाड़ियां काम में ली उनका पेट्रोल इत्यादि का खर्चा हुआ, उस पर कुछ अधिक व्यय हो गया, उसको सदन से नियमित कराना है जो अधिक व्यय हुआ। १२६,०००) का हुआ। इसमें दो राय की गुंजाइश नहीं है कि जो खर्चा था वह वाजिब था, जरूरी था, राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए अत्यन्त आवश्यक था कि उनके अधिकारीयों मौके पर पहुंचे और अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए आवश्यक कार्य करें।

इस सिलसिले में माननीय सदस्यों ने यह कहा कि मन्त्री-गण गाड़ियों का दुरुपयोग करते हैं, चुनाव में सरपच को उठाने के लिए, प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए फलाने मंत्री ने गाड़ियों का उपयोग किया या सिनेमा में जाने के लिए इसे काम में लेते हैं। दरअसल जो यह अतिरिक्त मांग सदन के सामने थी, जहां तक हमारी बहस सीमित रहनी चाहिए थी, उनसे सारी बातों का ताल्लुक नहीं है, इसलिए जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा वाद-विवाद की सीमा से परे था, फिर भी बहुत से ...

श्री गोकुलप्रसाद: वह इस वाद-विवाद की सीमा से परे नहीं था। जब २८ तारीख को इस विभाग की डिमांड थी, उस समय मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया यह आशा करके कि आज देगें। इसलिए जो कुछ कहा गया है, ठीक है। मंत्रीजी बिलकुल चुप रहे थे।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा था दरअसल माननीय सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि जो भी हम कार्य सम्पन्न करें, रूल्स ऑफ बिजनेस के अनुसार करें। रूल १५१ व १५२ में सप्लीमैन्टरी ग्रॉन्टस का प्रोसीजर बताया गया है।

श्री भैरोंसिंह: मान गए।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: खैर, जो विवाद होना चाहिए था उस दायरे में बात नहीं हुई। फिर भी जन प्रतिनिधियों ने किसी वजह से उसको आवश्यक समझा अपने विचार प्रकट किये, देवस्थान के मौजूदा प्रबन्ध के बारे में, मंदिरों की मौजूदा स्थिति के बारे में। मैं उनका संक्षेप में उतर देना चाहूंगा:

माननीय श्री केसरीसिंह ने फरमाया कि रंगनाथजी के मदिर की वहां प्रसाद वगैरहा की व्यवस्था ठीक नहीं हैं और भगवान की मूर्ति के जो कपड़े हैं उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। दूसरे माननीय सदस्य श्री गोकुलप्रसाद जी ने फरमाया कि करौली के मंदिर के बारे में कि बहुत

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)
से रुपये आते हैं, सरकार के खजाने में जमा नहीं होते हैं, पुजारी........

श्री गोकुलप्रसाद : महाराजा ही खा जाते हैं, करौली के राजा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सरकार ने १९५१ में आदेश जारी किये थे कि किसी मंदिर की संपत्ति बिना देवस्थान विभाग की इजाजत से नहीं बिक सकेगी, तो वह कैसे बिक रही है? दूसरी बात ३०,०००) के ऊपर की संपत्ति पर ट्रस्टीज कायम होते हैं, इस पर क्यों नहीं कायम किया है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जहां तक किसी भी एलीगेशन का सवाल है, माननीय सदस्य ने अपनी आपत्ति की थी कि तहसीलदार जो सब-रजिस्टार है, उन्होंने ट्रान्सफर डिड्स रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही कर दी। मैं निवेदन करूं कि लॉ ऑफ दी लैंड जो आज की तारीख में है, उसके अनुसार कोई भी ऐसे स्टेटमैन्टस कानून के अनुसार रजिस्टर्ड होना चाहिए मय कोर्ट-फीस व रस्म के। सब-रजिस्ट्रार इन्कार नहीं कर सकता रजिस्ट्रेशन के लिए लेकिन केवल रजिस्ट्रेशन होने से ही सारे अधिकार, अगर वह ट्रांजक्शन वाईड है या सरकार के निषेधाज्ञा के विपरीत है या इल्लीगल करार देने योग्य है तो केवल रजिस्ट्रेशन हो जाने से ही लीगल नहीं हो जायगा, चुनौती दी जा सकती है, उसको सक्षम कोर्ट द्वारा इल्लीगल घोषित कराया जा सकता है।

मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि करौली के मन्दिर के बारे में उन्होंने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया यदि यह बात वास्तव में सही है कि उसमें काफी तादाद में भेंट के रूप में रुपया आता है और कुछ हिस्सा सरकार के खजाने में जमा होता है और बाकी और लोगों के पास जमा होता है तो इस ओर पूरा ध्यान देने की कोशिश की जायगी। यथा संभव इस बात का प्रयास किया जायगा कि एक-एक पैसा जो भेंट के रूप में आता है मन्दिर के खजाने में जमा कराया जाय और उस रुपये को मंदिर या दूसरे देवस्थान के तहत मंदिरों में यथासंभव पहुंचाया जाय। यह सही है कि जब हम देखते हैं कि बहुत से मंदिरों की सेवा व पूजा की उचित व्यवस्था नहीं है तो लोगों के सेंटीमेंटस को रेकगनाइज करना पड़ेगा। जब हम देखते हैं कि मंदिरों में जाकर, जिसको ईश्वर समझते हैं, जिसके पास जाने से हमारे जन्म-जन्म के पाप खतम हो जाते हैं। वहां पूजा अच्छी नहीं है तो हमारी भावनाओं को आघात पहुँचता है और यह स्वाभाविक भी है। जैसे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य स्वयं ने कहा, राजस्थान में करीब ५ लाख मंदिर हैं और जयपुर में तो यह हाल है कि सड़कों पर दो-दो तीन-तीन मंदिर और शिवालय मिल जायेंगे। राजस्थान के अन्य राज्यों के मुकाबले में यहां ज्यादा मंदिर हैं क्योंकि पहले यहां राजाओं का राज था, धर्म में सबका विश्वास था, इसलिए यहां काफी मंदिरों और शिवालय का निर्माण हुआ। आप जानते हैं कि राज्य सरकार के वित्तीय साधन सीमित हैं और इसके अलावा जिदा लोगों की जरूरतें पूरा करने के लिए प्रशासन को उनकी तरफ तवज्जा देने की जरूरत है। उसके बाद इस मद पर जो रुपया डाईवर्ट हो सकता है, कोशिश की जाती है फिर भी वित्तीय साधनों की सीमाओं को ध्यान में

(विश्वम्भरनाथ जोशी)

रखकर और मंदिरों की तादाद को ध्यान में रखकर समस्या का निराकरण हो सकता है खासतौर से धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी सरकार से अपेक्षा करें कि वह सारे मंदिरों की सेवा अपने साधनों से करेगी तो यह व्यवहारिक नहीं है।

किसी भी धर्म में विश्वास रखने वाले धर्मावलम्बी का कर्त्तव्य है उसका उत्तरदायित्व है, उसको पूरा करना चाहिये। दूसरे प्रकार व्यवस्था करके हाथ बटाये तभी यह काम समाज का पूरा हो सकेगा। केवल सरकार से अपेक्षा की जाय तो सरकार के अपने वित्तीय सीमित साधन होते है। उसमें सरकार बंधी हुई होती है। समाज को भी सरकार के साथ सहयोग करना चाहिये। यह अकेली सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : हम सब कर लेंगे, सरकार छोड़े भी कम से कम।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: सरकार मन्दिरों की आमदनी को साधन बनाकर नहीं चलना चाहती है। किसी भी मन्दिर या शिवालय में वहां के रहने वाले आस पास के लोग इस काम को करें। सरकार को कोई चिन्ता नहीं है कि जबरदस्ती अपने हाथ में ले। सरकार इसे अपनी आमदनी का साधन नहीं मानती है। बल्कि जो कुछ भी उनका सम्पत्ति है, मौजूदा उसमें जो कुछ भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती हैं वह की जाती हैं और भविष्य में भी की जाती रहेगी। भविष्य में जो कुछ प्रावधान कर सकती है, करेगी। भविष्य में किसी मंदिर या किसी धार्मिक संस्था में जो देवस्थान विभाग के अन्तर्गत है और अगर वहां कोई सन्तोषजनक कार्य नहीं है तो उसको किस प्रकार से सन्तोष दिया जा सकता है, इस बारे में पूरी कार्यवाही की जायगी ताकि जनता में और माननीय सदस्यों में जो असन्तोष है वह दूर हो सके। अभी माननीय रामकिशन जी ने बहुत ही मौलिक सुझाव दिये हैं। यह बहुत ही विचारणीय है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस पर बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक और गंभीरता से विचार किया जायगा और यथासम्भव कार्यवाही करने की कोशिश की जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे तो गये।

श्री गोकुलप्रसाद : रामकिशन जी ने शायद सनातनधर्म के बारे में नहीं कहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अकारण ही और अनावश्यक तौर पर यह आरोप लगाया है कि सरकार धर्मनिरपेक्ष राज्य में वैष्णव धर्म पर आघात पहुंचाना चाहती है और दूसरे धर्मों को छूट दे सकती है। मिसाल के तौर पर.......

श्री विजयसिंह रावत : एक प्रश्न सभानेत्री महोदया, क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने किसी भी गिरजेघर को और मस्जिद को अपने देवस्थान विभाग के अन्तर्गत ले रखा है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : वह तो वक्फ में आती है। गिरजाघरों की तादाद राजस्थान में बहुत सीमित है। पर्टीक्यूलरल

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)
क्रिश्चियनों ? जिसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हैं अगर वे आर्थिक सहायता की याचना नहीं करते है ऐसी सूरत में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): आप तो केवल इतना बता दीजिये गिरजों के अन्दर जो रहा है, भारत सरकार को विदेशी सहायता मिलती है वह इसलिये मिलती है कि अकाल राहत के कामों में लें, उसको वे उस काम में न लेकर ईसाई धर्म प्रचार के लिये, उनके साहित्य को बेचने के काम में लिया जा रहा है। खाद्य मंत्री जी को शायद एक दो दिन पहले लेटर मिला होगा। उन्होंने एक अन्तराष्ट्रीय सीमिति बनाई है, जिससे वे धर्म का प्रचार करते हैं और साम्प्रदायिक भावना फैलाकर धर्म विशेष पर कुठाराघात करते हैं। इसके अन्दर सरकार साफ तौर से सनातन धर्म, हिन्दू धर्म पर कुठाराघात कर रही है—

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अन्य धर्म वालों को प्रोत्साहन दे रही है और वे खुले आम इसका प्रचार करते हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: माननीय विजयसिंह जी ने जो आरोप लगाये हैं और जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी आरोप लगाया है मैं उनका खण्डन करता हूँ। राजस्थान सरकार किसी भी धर्म विशेष की रियायत नहीं करती है। भारत के संविधान में यह प्रावधान है. कि यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभी धर्मों को एक निगाह से देखना पड़ता है। धर्म के प्रचार की छूट सबको है। मान लीजिये क्रिश्चियन और मुस्लिम अपने धर्म का पूर्ण प्रचार करते हैं तो उन्हें छूट है। हिन्दू-वैष्णव धर्मावलम्बियों को भी छूट है। उनको किसने रोका है।

श्री भैरोंसिंह: यह तो आज पहली बार पता लगा है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: जो कुछ भी भारत के मूलभूत सिद्धान्त है, उनके प्रति वफादारी की शपथ हमने सबने ली है, उसको तोड़ें यह कोई शोभनीय बात नहीं है। हिन्दू मन्दिरों के लिये कोई विशेष प्रावधान हो, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम ऑऊट ऑफ दी वे जाकर मदद नहीं करते हैं। इसलिये यह कहा जाय कि धर्म विशेष पर आक्षेप किया जा रहा है. गलत है।

श्री विजयसिंह रावत: क्या यह सही है कि माननीय मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है कि यह धर्म प्रचार करते हैं और आपका कोई नियन्त्रण नहीं है। इससे स्पष्ट है कि आप सनातन धर्म पर कुठाराघात करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री रामकुमार (सपोटरा-सु०): इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय ने फरमाया है। करौली के अन्दर मदनमोहन, कैलादेवी का मन्दिर है उसमें हजारों रुपयों की आय होती है। हजारों की आय राजा महाराजाओं के द्वारा वितरण होती है। इसके विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूँ आज मंत्री महोदय यह सब, मंत्री महोदय ही नहीं मुख्य मंत्री

Page No. 118

(श्री रामकुमार)
महोदय भी वहां सालाना जाते हैं इस तरह वहां मंत्री, उप-मंत्री आते जाते रहते हैं—

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उप-मंत्री तो इसलिये जाते हैं कि वे मंत्री बन जायें । मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ इस सम्बन्ध में नोटिस दिये हैं, मैंने एक ज्ञापन मुख्य मंत्री जी को दिया है । लेकिन मुख्य मंत्री जी ने इन देवी जी की आय पर कोई ध्यान नहीं दिया है । वहां के पुजारी की जो समस्या है वह ट्रस्ट के द्वारा अलग हो सकती है लेकिन—

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिये इस विषय में मंत्री महोदय ध्यान नहीं देते हैं, मेरा मानना है कि सरकार पूंजीपति और राजा महाराजा को सपोर्ट करती है । इसलिये उनको डाऊन नहीं करना चाहती है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : शिक्षा मंत्री जी को स्टेटमेंट देना है, समाप्त करें ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : खास खास मुद्दे जो माननीय सदस्यों ने उठाये हैं उनका जवाब दे दिया है । असलियत में जितना वित्तीय प्रावधान है, उसमें से एक पैसा भी अधिक व्यय नहीं किया गया है । यह एक एडजस्टमेंट का सवाल है केवल इधर से उधर करने की बात है । एक्सेस के लिये सदन की अनुमति लेना आवश्यक है । अतः जो भी बातें हैं वह मैंने बता दी है । ८ मन्दिरों को अनुदान दिया गया है । अब मैं सदन के सामने मांग संख्या १३ ....

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोटा में विधवाओं को ....

(व्यवस्था-सूचक क)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभानेत्री महोदया, डेढ़ दो रुपये महीने ......

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य !

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या सरकार बढ़ाना चाहती है.... ..

श्रीमती सभानेत्री : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुझे यह बता दीजिये कि ....

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री देवीदत्त गाड़िया: सभानेत्री जी, आप इस प्रकार से यदि सप्लीमेंटरी क्वेश्चन करने में बाधा डालती हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करती है ।

(अनवरत-व्यवस्था-सूचक घंटी)

आपको आदत पड़ गई है घंटी बजाने की ।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

आपको बार बार घंटी बजाने की आदत पड़ गई है ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज !

देवीदत्त गाड़िया : मुझे एक स्पलीमैन्टरी क्वेश्चन करना है।

अनवरत-व्यवस्था-सूचक घंटी

और वह भी महिलाओं के सम्बन्ध में उसमें आप घंटी बजाकर बाधा डाल रही हैं ! अफसोस है। और वह भी बूढ़ी महिलाओं के बारे में उसमें भी बाधा डाल रही हैं और बार बार घंटी बजा रही हैं मैं एक सप्लीमेंन्टरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : मंत्री जी आप जवाब न दें।

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर !

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

पॉइन्ट-ऑफ-ऑर्डर पर भी घंटी बजाती हैं आप ?

श्रीमती सभानेत्री : मैने सुना नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है जिस समय माननीय मंत्री महोदय उत्तर देते हैं उस समय हम कोई जानकारी करना चाहें तो आपके द्वारा आदेश होते हैं कि भाषण के बीच में बाधा न डाली जाय और कहा जाता है भाषण के बाद आप प्रश्न कर सकते हैं। जब मंत्री महोदय का भाषण समाप्त हुआ तो माननीय सदस्य एक जानकारी करना चाहते हैं उस के बीच में आसन यदि रोड़ा अटकाता है तो उचित नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : आप खुद नियम के जानकार हैं आसन जब पैरों पर हो किसी माननीय सदस्य को नहीं बोलना चाहिये। मैं आप से निवेदन करती हूं कि इस बारे में काफी समय दिया जा चुका है आगे और विधायी कार्य करना है। ऐसी हालत में मैं, मजबूर हूं। आप से मैं अपेक्षा करती हूं कि आप मुझे आसन का कार्य संचालन करने में सहयोग देंगे। माननीय मंत्री महोदय जब भाषण दे रहे थे उस समय भी काफी माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने नहीं पूछा था।

श्रीमती सभानेत्री : आप स्थान ग्रहण करें। जनसंघ दल के नेता से मैं अनुरोध करूंगी कि वे मुझे अनुशासन रखने में मदद करें।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम अनुशासन के पालन करवाने में मदद करते रहेंगे लेकिन माननीय मंत्री महोदय से हम कोई प्रश्न पूछें या जानकारी चाहें तो आप कह देती हैं कि भाषण समाप्त हो जाने के बाद पूछ सकते हैं

श्रीमती सभानेत्री : मैंने काफी समय दिया भाषण के बीच प्रश्न पूछने का। मैं बहुत ज्यादा रेगुलेट करने की कोशिश करती हूं।

श्री भैरोंसिंह : अनुशासन पालन करवाने में हम सहयोग देते हैं लेकिन इस अनुशासन का यह मतलब नहीं हो सकता कि आप माननीय सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात करने की स्थिति पैदा करदें। अनुशासन में रहते हैं जबकि मंत्री बोलते हैं हम चुपचाप बैठे रहते हैं लेकिन जब भाषण समाप्त होने के बाद सप्लीमेन्टरी करते हैं तो आप नहीं करने देती इस तरह से दोनों बातों में तालमेल नहीं बैठ सकता।

श्रीमती सभानेत्री : जिस समय मंत्री महोदय बोल रहे थे उस समय भी काफी प्रश्न पूछे गये उसके बाद नहीं पूछें जांय ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने एक भी प्रश्न नहीं किया । मुझे प्रश्न करना है ।

श्रीमती सभानेत्री : आसन पैरों पर है आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री भैरोंसिंह : मेम्बर खड़े होते हैं उस समय आसन को खड़ा नहीं होना चाहिये इस तरह से आसन बार बार खड़ा होता है तो हम बरदाश्त नहीं करेंगे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदया मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कोटा रियायत के समय में जिन विधवा महिलाओं को जिनके पास आजिविका के कोई साधन नहीं थे । उनको डेढ़ रुपये से लेकर आठ रुपये तक माहवारी भत्ता बान्धा था रियासतों के विलीनीकरण के बाद जब कोटा रियासत राजस्थान में मर्ज हुई महंगाई इतनी बढ़ गई कि उस डेढ़ रुपये आठ रुपये में उनका गुजारा नहीं चलता क्या सरकार आवश्यक नहीं समझती कि जिनको इतनी छोटी मात्रा में आर्थिक सहायता है उसको अधिक बढ़ाने का सरकार विचार रखती है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (देवस्थान मंत्री) : सभापति महोदया, सामान्य जनता के लिये तो यह नियम बनाया गया है कि ६५ वर्ष से ऊपर वाली आयु के लोग जिनकी आजिविका चलाने के कोइ साधन नहीं है ऐसे लोगों की मदद के लिये बीस-पच्चीस रुपये माहवार देने का प्रावधान रखा हुआ है उस कानून के अन्तर्गत इनको कुछ मदद मिल सकती है तो उनको चाहिये कि वे कलेक्टर के पास प्रेसकाइब्ड् फार्म में उस वजीफे के इजाफे के लिये दरख्वास्त दे सकते है उस पर उचित कार्यवाही की जा सकती है । ६५ या उसके ऊपर की आयु जिनकी है उनके लिये इजाफा होना चाहिये यदि वे स्वयं इजाफे के लिये दरख्वास्त दें तो कई प्रार्थना-पत्र आने पर रकम में इजाफ़ा किया है १५ रुपये की सीमा तक ऐसे केसेज हैं रूल्स के अन्तर्गत आते हैं तो देवस्थान विभाग द्वारा भी हो सकते हैं । ६५ वर्ष से ऊपर वालों के लिये कलेक्टर भी किया जा सकता है । उसके अन्तर्गत दरख्वास्त की जानी चाहिये ताकि इस समस्या का हल हो सके ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या १३—मुख्य शीर्षक विविध के सम्बन्ध में संचनित निधि में से ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २, ६५, ४४९ रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : सभानेत्री महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६—मुख्य शीर्षक १४ स्टाम्प्स के संबन्ध में संचनित निधि में से ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १८,३८१ रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री सभानेत्री : प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६—मुख्य शीर्षक १४

(श्रीमती सभानेत्री)

स्टाम्स के सम्बन्ध संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १८,३८१ रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २५

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभानेत्री महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या २५ मुख्य शीर्षक ४२ बहु प्रयोजन नदी योजनायें के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४, ६०१ रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या २५ मुख्य शीर्षक ४२ बहु-प्रयोजन नदी योजनायें के सम्बन्ध संघनित निधि में से मार्च १९६६, को समाप्त हुए वर्ष में किये गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४, ६०१ रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २६

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभानेत्री महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या २६ मुख्य शीर्षक ४३ सिंचन, नौ-चालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)

४४. सिंचन, नौ-चालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)

४४. सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय

के संबन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २, १०, ४३८ रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या २६ मुख्य शीर्षक ४३ सिंचन नौ-चालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)

४४. सिंचन, नौ-चालन, तट-बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)

४४. सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय

के संबन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २, १०, ४३८ रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: सभापति महोदया मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
मांग संख्या ३६ मुख्य शीर्षक ७८ का राष्ट्रीय आपत्काल १९६२ से सम्बंधित व्यय के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,७६,७३४) रुपये तक कि राशि प्रदान की जावे।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ३६ मुख्य शीर्षक ७८ का राष्ट्रीय आपत्काल, १९६२ से सम्बन्धित व्यय के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च १९६६ को समाप्त हुए वर्ष मे किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल मोहदय को ३,७६,७३४) रुपये तक की राशि प्रदान की जावें।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६८

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : सभापति महोदया, में राजस्थान विनियोग संख्या १ विधेयक, १९६८ को पुरस्थापित करने की अज्ञा के लिये मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री: विधेयक को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग संख्या १ विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदया, विनियोग विधेयक जो अभी सदन के समक्ष राज्यमन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मैं, बहुत संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहूंगा

सभापति महोदया, ६५-६६ के लिये जो हमने विनियोग विधेयक पारित किया उसके अन्तर्गत हमने राज्यपाल महोदय को एक अरब ९१ करोड़ और ९ लाख ६३ हजार रुपये की धनराशि खर्च किये जाने हेतु प्रावधान किया था। यह बजट बनाने का तरीका राज्य सरकार का कितना गलत है कितने गलत आँकड़ों के आधार पर राजस्थान सरकार बजट बनाती गई है वह इस बात से साबित होगा कि ६५-६६ में राज्य सरकार ने इस सदन से दो बार सप्लीमैन्टरी ग्रॉन्ट पास कराई, दुबारा सदन के सामने आई और यह कहा कि हमारे आँकड़े कुछ गलत हो गये हमें दुबारा सप्लीमैन्टरी ग्रॉन्ट दी जावे। इन दोनों सप्लीमैन्टरी ग्रॉन्टस के माध्यम से राज्य सरकार ने रिवाइज्ड एस्टीमेट के आधार पर दुबारा विधेयक प्रस्तुत किया। इन दानों के माध्यम से आप अनुमान लगावें कि दुबारा स्वीकृति दी एक अरब नौ करोड़ ८४ लाख ७८ हजार के सम्बन्ध में इन दोनों सप्लीमैन्टरी ग्रॉन्ट्स पर ६५-६६ के एप्रोप्रियेशन बिल आया और तीनों के तहत राज्यपाल महोदय को ३०० करोड़ ९४ लाख ४१ हजार की स्वीकृति प्रदान की।

पर सभापति महोदया, ६५-६६ के साल में राज्य सरकार ने कुल खर्चा किया २ अरब ८९ करोड़ ३१ लाख ६० हजार।

इस प्रकार ११ करोड़ ६२ लाख ८१ हजार रुपया की शुद्ध बचत रही इसके

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पश्चात् यह हिसाब किताब के फेर के कारण राजस्थान की सरकार एक्सेस डिमाण्ड ६५-६६ में बजट सत्र में सदन में पारित किया जो मांगें पारित की उनमें एप्रोप्रियेशन इधर-उधर करने के कारण एक्सेस डिमाण्ड हुई जिसमें खर्चा सदन ने स्वीकृत किया। ज्यादा खर्चा कर दिया । दुबारा एक्सेस डिमाण्ड के रूप में लगभग तीन साल के बाद सदन में यह सरकार फिर आई है।

मैं इस सदन के समक्ष विचार रखते हुए राज्य सरकार के बजट बनाने की नीति तीव्र आलोचना करता हूं, भर्त्सना करता हूं। बजट के आंकड़ों का तरीका इनका कितना गलत है। आंकड़े इसके सही नहीं होते। सही अनुमानों पर आधारित नहीं होते। ऐसा बजट प्रस्तुत करना बजट की सेंक्टीटी को समाप्त करना है। अनुपूरक अनुदानों की मांग पारित कराई और सारा खर्चा राज्य सरकार का न हो यह निन्दनीय कार्य है। इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा यह बताने के लिये कि यह सरकार किस प्रकार खर्चा करती है।

६३-६४ के लिये जितना अलॉट किया उसका ९८ परसेन्ट खर्चा सरकार ने किया। ६४-६५ में ९६.९ परसेन्ट खर्चा किया। ६५ ६६ में जिसकी एक्सेस डिमाण्ड का भी मैं जिक्र कर रहा हूं जो तीसरी योजना काल का अन्तिम वर्ष भी था उसमें जो अलॉट किया उसका ११४ परसेन्ट खर्च किया। और ६६-६७ में जो अलॉटमेन्ट किया उसका १३५ प्रतिशत खर्चा किया।

आप इससे अनुमान लगाइये, यनदसह अन्दाज लगाये कि राज्य सरकार इस सदन से जो बजट पारित कराती है उसका कितने भिन्न तरीके से खर्चा करती है। मैं निवेदन करूंगा सदन के समक्ष कि जो भी खर्चा किया है इन सालों में और जो हमारा खर्चा करने का तरीका रहा है, वह गलत है। यह राजस्थान सरकार प्रारम्भ के नौ महिनो में जितना खर्च करती है उससे कहीं बहुत अधिक खर्चा अन्तिम के तीन महीनों में करती है। इसलिए निवेदन करूंगा कि ६५-६६ का साल तीसरी योजना का आखिरी साल था मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि तीसरी योजना के आंकड़े प्रस्तुत किये गये जो मान्यताएं और मूल लक्ष्य निर्धारित किये गये दुर्भाग्य की बात है अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी तीसरी योजना के लक्ष्यों की उपलब्धि नहीं कर पाये। इसके कारण विकास की दिशा में हम नहीं बढ़ सके। दुख के साथ कहना पड़ता है कि ६५-६६ में राजस्थान सरकार ने जो अलॉटमैन्ट विभिन्न विभागों के लिये किया और जिसका एलोकेशन जहां १०० परसेन्ट खर्च होना चाहिये वहां अलोकेशन अलॉटमैन्ट का किसी मद में ५९ परसेन्ट, किसी में ५० परसेन्ट किसी में १५० परसेन्ट खर्चा हुआ एक में तो ३०० परसेन्ट खर्चा हुआ है। हम खर्चे के लिये तय करें १००) और आप खर्चा करें ५० रु० हम अलोट करें १००) रु० आप खर्चा करें ३००) यह तरीका खर्चा करने का सरकार का निन्दनीय है।

यह खर्चे में जो इतना बड़ा अन्तर आता है इसका बहुत बड़ा कारण है राजनैतिक पक्षपात। राजनैतिक आधार पर क्षेत्रीयता के आधार पर अपने लोगों को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किस तरह फायदा पहुंचाया जाय इन भावनाओं से प्रेरित होकर करते हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि ६५-६६ के साल में एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन के लिये एलोकेशन किया था जो, ताज्जुब करेंगे आप, कि हमने उसमें से केवल ६० परसेन्ट खर्च किया। दूसरे इन्डस्ट्री और माइन्स में ६० परसेन्ट खर्च किया, मिनरल डेवलपमैन्ट में ७६ परसेन्ट खर्च किया। लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम की तहत अल्प आय वर्ग को मकान बनाने के हेतु एलोकेशन किया उसमें से केवल ४३ परसेन्ट खर्च कर पाये। आज विभिन्न मदों के अन्तर्गत सोशल वैलफेयर डिपार्टमैन्ट राजस्थान का ४५ लाख अनुसूचित जन जाति के विकास के काम पर राज्य सरकार ने जितना खर्चा करने का प्रावधान किया था उसमें से केवल ५६ परसेन्ट खर्चा किया। लेबर वैलफेयर में ७० परसेन्ट खर्च कर पाई। इस तरह से राजस्थान सरकार जो अपना खर्चा अनाप शनाप रखती है वह यह खर्च नहीं कर पाई। मैंने उस दिन निवेदन भी किया था। ६६-६७ में सरकार ने पहली तिमाही में खर्च किया ७०६ लाख का। दूसरी तिमाही में ७७६ लाख का और तीसरी तिमाही में ८०५ लाख का और चौथी तिमाही में जब चुनाव आया तो चुनाव वाले क्वार्टर में खर्च करती है २८०० लाख रुपया। पहले में आठ और आखिरी में २८। यह बीस करोड़ का खर्चा ज्यादा करके आपने चुनाव के तीन महीनों में खर्च किया है यह खर्चा करने की आपकी खास नीयत थी। यही कारण है कि राजस्थान सरकार के खजाने से बीस-बीस करोड़ रुपया ज्यादा खर्च करके चुनावों के मौके पर खर्च करके इन कुर्सियों पर विद्यमान हैं। आपको सरकारी खजाने की चिन्ता नहीं अपव्यय की चिन्ता नहीं। आपको चिन्ता केवल इस बात की है चुनावों में पैसा खर्च करके जीत करके कैसे आया जावे। फिर गर्व करते हैं घमण्ड के साथ कहते हैं कि हम सिद्धान्तों के आधार पर जीत कर आये हैं। सिद्धान्तों के आधार पर नहीं जीत रही है यह कांग्रेस, यह जीत रही है सरकारी खजाने के बल पर। आठ करोड़ के बदले २८ करोड़ का खर्चा करके। बीस करोड़ का ज्यादा खर्चा करके। सरकार जनता के धन के बल पर अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में खर्चा करके चुनाव जीत कर आई है। यह उनका काम अत्यन्त निन्दनीय है।

सभापति महोदया, मैं इसी सिलसिले में यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैं इस सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं पर साथ ही यह कहूंगा कि किस प्रकार से तृतीय पंचावर्षीय योजना के लक्ष्यों में राज्य सरकार असफल रही है लेकिन मैं एक बात इस सदन में कहना चाहता हूं और वह बात यह है कि हमने जो एक्सेस डिमाण्ड इस सदन में पेश की हैं वह हमारे आपत्काल के संबंध में पेश की हैं जब चीन ने हिन्दुस्तान पर हमला किया सन् ६२ में और १९६५ में हिदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया। ६५ के सितम्बर में जब पकिस्तान ने हिदुस्तान के ऊपर हमला किया और जिस समय हिन्दुस्तान की फौजें पकिस्तान से लड़ने के लिए लाहौर के सेक्टर में और सियालकोट के सेक्टर में बढ़ रही थी उस समय राजस्थान पकिस्तान सीमा पर कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन उस समय जब संघर्ष होता रहा और और युद्ध में हमारी विजय होती रही मुझे अच्छी तरह से याद है कि राजस्थान के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ने ८ सितम्बर, १६६५ को माणक चौक की चौपड़ पर घोषणा की कि हमारे हिन्दुस्तान के केन्द्रीय गृहमन्त्री और हिन्दुस्तान की सरकार ने इस बारे में निवेदन किया है मैं उन सारी चीजों को कोट नहीं करना चाहता हूं। पाकिस्तान उसका लाभ उठा सकता है और पाकिस्तान हिन्दुस्तान को उस बिना पर अग्रेसर बना सकता है। लेकिन राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने जो उस समय भाषण दिया मैं इस समय इतना ही कहना चाहूंगा कि वह इतना गैर जिम्मेदाराना था कि अगर उसको पाकिस्तान यू० एन० ओ० में पेश करता तो वह साबित करता कि एग्रेसर पाकिस्तान नहीं हिन्दुस्तान था। मुझे अफसोस इस बात का है कि अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी आज हिन्दुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में जिस प्रकार की हार राजस्थान की इस सीमा पर हुई वह राजस्थान के माथे पर कलंक बन कर हमेशा २ के लिए बनी रहेगी। आज पाकिस्तान हिन्दुस्तान के ऊपर चढ़ आये। बाड़मेर और जैसलमेर में आ गया। उस समय का सारा नुकसान हुआ पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में जो भी संघर्ष की स्थिति हुई मैं उस सम्बन्ध में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि उस सारी हार का अगर एक मात्र कोई कारण हो सकता है तो राजस्थान सरकार ने सीमावर्ती इलाकों का विस्तार नहीं किया उस क्षेत्र में सड़कों का निर्माण नहीं किया यह कारण हो सकता है। राजस्थान की सरकार ने जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर या जो बॉर्डर बैल्ट हैं और खास तौर से जैसलमेर और बाड़मेर में पीने को पानी नहीं मिला। नतीजा यह हुआ कि लड़ने वाले सिपाही पानी के अभाव में प्यासे मरते चले जायें। हालत यह हुई कि पीने के लिए पानी नहीं, चलने के लिए सड़कें नहीं और संचार की व्यवस्था नहीं। यह हमारे राजस्थान की सरकार की निष्क्रियता, निकम्मापन है कि इन सारे जिलों में इस प्रकार सड़कों का निर्माण नहीं किया।

सभापति महोदया, मैं इस सदन के समक्ष इस सारी हालात के बाद भी यह राजस्थान की सरकार किस प्रकार से इन जिलों की उपेक्षा कर रही है आज भी मैं उसकी तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदया पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में लाखों और अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी राजस्थान की सरकार जिले जिले के अन्तर्गत किस प्रकार से व्यवहार करती है, कितना सौतेला व्यवहार है यह तो जिलों से आने वाले माननीय सदस्य इस बात के लिए पूछें कि उनके जिलों के अन्दर विकास के अन्तर्गत कितना खर्चा हुआ है। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैं केवल एक छोटी सी तालिका को तीन पंचवर्षीय योजनाओं में आज राजस्थान की सरकार समानता की बात करती है, आज जिलों के हिसाब से राजस्थान की सरकार ने पर व्यक्ति कितना खर्च किया है वह सब एक तालिका में हैं। दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में हर जिले में सभापति महोदया आपको ताज्जुब होगा कि इस प्रकार की हालत है कि उदयपुर जिले में एक व्यक्ति के ऊपर ६३ रुपया खर्च किया है लेकिन इसके मुकाबले में आप अनुमान

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
लगायें जब ६३ रुपया एक व्यक्ति पर खर्चा किया है तो अलवर में ३३ रुपया एक व्यक्ति पर खर्च किया है, बाड़मेर में २८ रुपया खर्च किया है, चूरू में ३१ रु० एक व्यक्ति पर खर्च किया है ४३ रुपया डूंगरपुर में खर्च किया है और जालोर में जो कि एक महत्वपूर्ण जिला हैं २८ रुपया पर व्यक्ति खर्च किया गया। जयपुर में ५५ रुपया खर्च किया, गंगानगर में ८० रुपया, पाली में ३२ रुपया, सीकर में २९ रुपया पर व्यक्ति खर्च किया गया। यह आंकडे हैं....

श्री गिरधारीलाल व्यास : १०० रुपया कौनसा है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ११७ रुपया कोटा का है। सवाई माधोपुर में २७ रुपया प्रति व्यक्ति खर्च किया गया है। अब यह माननीय सदस्यों के सोचने का सवाल है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जरा आप अन्दाज लगाइये।

अब मैं दूसरे सवाल पर आता हूँ। सरकार पिछड़ी जाति के कल्याण के लिए भी रुपया खर्च करती है और उसमें भी हर जिले के लिए पक्षपात करती है। बांसवाड़ा में ४ लाख ६५ हजार रुपया खर्च किया है, बाड़मेर में ४ लाख ९१ हजार है, चूरू में १ लाख ३७ हजार रुपया, गंगानगर में १ लाख ४७ हजार रुपया, जालोर में १ लाख ९ हजार, झुंझुनू में २ लाख ६२ हजार रुपया, अजमेर में १ लाख ९४ हजार रुपया, नागौर में १ लाख ९४ हजार रुपया पाली में २ लाख १५ हजार रुपया, सिरोही में ३ लाख ७१ हजार रुपया और उदयपुर में ३५ लाख ३ हजार रुपया खर्च किया है। यह सब पिछड़ी जाति के कल्याण के लिए विभिन्न जिलों में खर्च किया है।

इसी प्रकार से लघु उद्योगों के सिलसिले में बांसवाड़ा में ६५ हजार, बाड़मेर में ६४ हजार, बूंदी में ४१ हजार, जैसलमेर में केवल १६ हजार, जालोर में ७५ हजार, रुपया और उदयपुर में १० लाख २३ हजार रुपया खर्च किया है तो कहीं पर लाखों और कहीं पर हजारों में यह संख्या है। मैं कहना चाहूँगा कि जरा इन आंकड़ों को देखें कि किस प्रकार से राजस्थान की सरकार करती है।

कृषि उत्पादन के सिलसिले में सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर में ४५ हजार रुपया खर्च किया है, बीकानेर में ४१ हजार रुपया खर्च किया है, चूरू में ७२ हजार रुपया, जैसलमेर में २ लाख ६८ हजार रुपया, जालोर में ३ लाख ९३ हजार रुपया, झुंझुनू में १ लाख २३ हजार, सिरोही में २ लाख ४३ हजार रुपया और उदयपुर में ७४ लाख ३६ हजार रुपया आपने कृषि उत्पादन के सिलसिले में खर्च किया है।

यह आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्रगति विवरण की पुस्तिका है जो मेरे प्रश्न के उत्तर में कल राज्य सरकार ने मुझे दी है। उसमें यह सब आंकड़े दिये हुये हैं। यह थर्ड फाईव इयर प्लान की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। यह योजना का व्यय है और प्रति व्यक्ति योजना का व्यय है, यह आपकी छापी हुई किताब है और सरकार के आंकड़ों के अनुसार ही यह सब है। सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसलिए आप गंभीरता से विचार कीजिये एक २ जिले में इतना २ कम और एक जिले में कई गुना खर्चा सरकार का करना यह तो माननीय सदस्यों के सोचने का विषय है

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
और खास तौर से बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही और बीकानेर जहां एक २ लाख रुपये से भी कम है और दूसरे जिले में ७४ लाख का खर्चा है यह अलग २ जिलों से आये हुए माननीय सदस्यों और प्रतिनिधियों के सोचने की बात है, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है ।

समापति महोदया, मुझे निवेदन करना है कि इस विधेयक के माध्यम से हमने तत्कालीन राज्यपाल महोदय को उनकी सैर गाड़ी, मोटर गाड़ी और सैलून के सिलसिले में खर्च को अनुमति प्रदान करनी है । आज कांग्रेस के माननीय सदस्य तो इस बात से सहमत नहीं होंगे क्योंकि जो व्यक्ति जिसका साथ देता है वह तो उसकी तारीफ किये बिना नहीं रह सकता लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जितनी फिजूल-खर्ची, जितना अपव्यय, जितना सार्वजनिक धन का अपव्यय और जितना गड़बड़ घोटाला और मैं तो कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जितना आघात किसी व्यक्ति ने पहुँचाया जितना तत्कालीन राज्यपाल महोदय श्री सम्पूर्णानन्द ने पहुंचाया उनके दुर्भाग्यपूर्ण और अबुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय और षडयंत्र-कारी निर्णय जो कि उस समय तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया और केन्द्रीय कांग्रेस के नेताओं के इशारे से जो इस प्रकार का निर्णय उन्होंने लिया उसका कारण है, समापति महोदया, इस सम्बन्ध में गंभीरता से विचार करना है कि इस तरह की धनराशि का अनुदान हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए ....

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, माननीय सदस्य ने राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल महोदय के लिए और राज्य में जो सबसे उच्च पद हैं उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया—खैर वह उचित थे या अनुचित उसमें यदि हम न भी जायें लेकिन फिर भी वे सदन की गरिमा के लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते । मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम २७३ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । आपने कहा है कि मुख्य मंत्री महोदय ने षड्यंत्रकारी कार्यवाही करी और कराई, मैं कहता हूँ कि यह एलीगेशन की तारीफ में आता है । जिसमें प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम २७३ के अनुसार पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक था और क्योंकि जिनके लिए यह एलीगेशन लगाये जा रहे हैं वे इस सदन के मेम्बर नहीं हैं इसलिए वह यहां उपस्थित भी नहीं हो सकते और आपकी दलील चाहे सही हो लेकिन वह जवाब देने के लिए नहीं आ सकते इसलिए ऐसे व्यक्ति जो एबसेन्ट हैं वह भी नियम है कि उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाये जायें तो उसके लिए पूर्व सूचना होनी चाहिए । इसके अलावा जो भी शब्द माननीय राज्यपाल महोदय के लिए उपयोग में लाये गये और राज्यपाल का पद जो इस राज्य के लिए महानतम गरिमा का पद है उसके लिए इस प्रकार उपयोग किया जाना भी उचित नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने इस बारे में जो पर्टीकूलर एलीगेशन्स लगाये हैं उनको कन्टीन्यू करने से रोका जाये और जो शब्द राज्यपाल महोदय के लिए उपयोग किये हैं उनको एक्सपन्ज किया जाये ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर सु०): ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, मैडम । मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर पर, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर

(श्री भगवानदास शास्त्री)

है। वह मन्त्री है इसलिए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं कर सकते। किसी अन्य माननीय सदस्य को पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर आक्षेप पर रेज करना चाहिए था। आप इसका रूलिंग दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदया, माननीय सदस्य नये आये हैं सदन में।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बता दूं कि माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी मालूम पड़ती है। मैं इस सदन में जब से राजस्थान में जनतन्त्रीय प्रणाली प्रारम्भ हुई है, उस वक्त से इस सदन का मेम्बर था जब कि शायद माननीय सदस्य कॉलेज में पढ़ते होंगे और चुनाव लड़ने की उमर के नहीं थे, उसकी लीगल क्वालिफिकेशन नहीं रखते थे, उस समय भी मैं इस सदन का सदस्य था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बात बिल्कुल सही है कि जब पहला चुनाव हुआ था तो मैं पढ़ता था और यह बात भी सही है कि उस समय मेरी २५ साल की आयु नहीं हुई थी, और यह बात भी सही है कि मैं उस वक्त चुनाव नहीं लड़ सकता था। लेकिन जब से मैंने चुनाव लड़ा है तब से बदस्तूर इस सदन का सदस्य होता आया हूं, लेकिन आप बीच में कहां चले गये थे ६२-६७ में कहां गये थे ?

श्री श्रवणलाल : जनता ने सरेन्डर कर दिया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आ रहा हूं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : राजाओं और रानियों के संरक्षण में और उनकी महरबानियों से इस सदन की सदस्यता को स्वीकार करना मैंने मुनासिब नहीं समझा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदया, यह जो माननीय सदस्य ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया है और कानून के लिहाज से मैं तो समझता हूं कि मैंने तो कुछ नहीं कहा है पर इस सदन में अनेक बार चर्चा हुई है और खास तौर पर जिस डिमाण्ड पर वोट लेना चाहते हैं उस पर पूरा डिस्कशन होना चाहिए। यह चार्ज्ड डिमाण्ड नहीं है वोटेड है। वोटेड है तो चर्चा करने का हमें अधिकार है और इस सदन में चर्चा हुई है। भूतपूर्व अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा के समय में चर्चा हुई है। पहले भी मामले इस सदन में उठे हैं। जो शायद नये सदस्य हैं उनको मालूम नहीं होगा पर जो पुराने सदस्य हैं उनको मालूम है। आपके पीछे राज्यमन्त्री जो बैठी हुई हैं उनको पता होगा कि राज्यपाल महोदय के सम्बन्ध में और उनके सेक्रेटरी आर० डी० खन्ना के सम्बन्ध में मामले उठाये थे। उस समय भी जिस समय गुरमुखनिहालसिंह जी थे उस समय भी मामले उठाये गये थे। गाड़ी, कारपेट की खरीद और फरोख्तगी के बारे में।

श्रीमती सभानेत्री : आप अपने मुद्दे पर आ जाइये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया है तो मुझे केवल इतना ही कहना है कि नियम और कानून की जानकारी आपकी इतनी ही है कि जब कोई सदस्य वकील बन जाता है और वकालत नहीं करता है तो उसको सनद

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
सरेन्डर करनी पड़ती है। आपने अब तक अपनी सनद सरेन्डर नहीं की है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इस पर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है यह मेरा आउटलुक है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कर चुका हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब की ? नोटिस आने के बाद। अभी नोटिस आया है मन्त्री जी के पास।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : वह मेरे पत्र के जवाब में आया है।

I have done that.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सनद सरेन्डर कर दी क्या ? सदन आने के बाद ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य को वहम हो गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार से राजस्थान के राज्यपाल ने जो उस समय निर्णय लिया तो राजस्थान में विपक्ष का बहुमत होने के बाद भी ९२ को ९१ गिन लिया और कांग्रेस के ९१ को ९२ गिन लिया। लेकिन जो इतनी साधारण गिनती न जाने उसको एक प्रारम्भिक पाठशाला में नहीं रख सकते उस व्यक्ति के लिए आज मोटर गाड़ियों के लिए, सैलून के लिए या कोई भी किसी प्रकार की सुविधाए दें तो यह उन सुविधाओं का दुरुपयोग करवाना होगा। आज सरकार को चाहिये तो यह था कि बजाय सुविधाए देने के लिए यह सदन सब जानता है कि श्रीमान् सम्पूर्णानन्द जी शराब नहीं पीते थे, तो मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान सरकार से कि राजस्थान के राज्यपाल के राजभवन में इन ५ सालों में ढाई लाख रुपये की शराब आई जब कि इनको ६ रुपये बोतल मिलती है और वह बाजार में बिकती है ६० रुपये बोतल, तो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि उस ढाई लाख की शराब के घोटाले का क्या हुआ ? सरकार को चाहिए कि सम्पूर्णानन्दजी के जमाने में जो राज्यपाल महोदय के राजभवन में शराब सस्ती दरों पर आई है, एक्साइज ड्यूटी से एक्जेम्प्ट होकर आई है, ६रु० फी बोतल के हिसाब से आई है जबकि वही बाजार में ६० रु० बोतल के हिसाब से बिकती है तो उसके आधार पर जांच करवाना चाहिए। राजभवन में जो शराब में घोटाला हुआ है, शराब काण्ड हुआ है उस सारे काण्ड की जांच करवाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि इस प्रकार के व्यक्ति जो सरकारी धन का इस तरह से दुरुपयोग राज्यपाल महोदय श्री सम्पूर्णानन्दजी ने राज्य के सबसे बड़े व्यक्ति ने, राज्यपाल के पद पर बैठकर जो शराब के मामले में घोटाला करें, उनकी जानकारी में शराब को बेचने जायें, खाते जायें और उसके लिए सरकार इस सदन में कहे कि उनके लिए सैलून के लिए १५ हजार रुपये दो। कहां गये ? क्यों गये ? खड़े होने की हालत नहीं। आखिर में वर्तमान में भी जो राज्यपाल हैं वे सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं उदयपुर का दौरा कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। विरोधी दल के नेता को बुलाया। सदन के माननीय सदस्यों को बुलाते हैं। किसी को लंच पर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बुलाया, किसी को कोठी पर। सबसे बातें करते हैं। राजस्थान का दौरा करते हैं। कोई जाकर मिलता है तो उससे बात करते हैं। वह भी एक तरीका है और एक वह भी थे कि बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं। पेन्शन देकर उत्तर प्रदेश से लाये गये है। क्या किया उन्होंने राजस्थान थे ? एक अपने भाई परिपूर्णानन्दजी को साहित्य एकेडेमी का चैयरमैन बना दिया। एक वहां के पोलिटिकल रिफ्यूजी थे श्री मोहनलाल गौतम वे पुलिस (जैल) कमीशन के चैयरमैन हो गये। सारे घर वालों को जैसे कि राजस्थान धर्मशाला था, गौशाला थी यहां लाकर भर दिया। यू० पी० के पोलिटिकल रिफ्यूजीज को कहां पर ले आये, कहीं पर अपनी लड़की को लगा दिया, कहीं पर अपनी बहू को लगा दिया आकाशवाणी में। वहां से पोलिटिकल रिफ्यूजीज का लाने का काम उन्होंने किया उनके लिए सलून के लिए रुपया दिया जाय, मोटर गाड़ियों के लिए और रुपया दो जितना निकृष्ट काम, राज्यपाल पद की प्रतिष्ठा को गिराने का हिन्दुस्तान में काम इन्होंने किया है, लोकतन्त्र की कब्र खोदने का काम, लोकतन्त्र का जनाजा निकालने का राजस्थान में राजस्थान की कांग्रेस ने किया राज के उस समयके राज्यपाल श्री सम्पूर्णानन्द ने उसका साथ दिया है राजस्थान में लोकतन्त्र का जनाजा निकालने वाले व्यक्ति के लिए कहें कि मोटर गाड़ियों में खर्चा हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार को चाहिए तो यह था कि उनको इस तरह का इम्पोर्टेन्स नहीं देती।

सभापति महोदया, यह कहा जाता है कि राजस्थान में हम कम्युनलिज्म की बात करते हैं, लेकिन सम्प्रदायवाद के मात फैलाता कौन है ? हम इस सदन में मांग कर रहे हैं कि डा० जाकिरहुसैन की तस्वीर रखना चाहिए। हम मांग करते हैं कि उनको समानता का अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस खुद अखबारों में प्रचार करती हैं। सभापति महोदया, क्या प्रचार करते हैं ? यह करते हैं—

"सीमावर्ती मुसलमानों की समस्याएं—संसद सदस्य श्री अमृत नाहटा" ने राजस्थान पाक सीमा पर बसे मुसलमानों की द्वितीय श्रेणी की नागरिकता की ओर आज प्रातः गृह मन्त्री श्री चव्हाण का ध्यान आकर्षित किया।"

गृह मंत्रालय से सम्बद्ध संसद की अनौपचारिक सलाहकार समिति में नाहटा ने बताया कि इन लोगों को न तो स्कूल बनाने की ओर न मस्जिद बनाने की अनुमति दी जाती है। जो व्यक्ति राहत कार्यों से वापस लौटते हैं उनके बारे में समझा जाता है कि वे पाकिस्तान से लौटे हैं और उन्हें भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार करने की धमकी दी जाती है।

श्रीमती सभानेत्री : सदन की अनुमति से १५ मिनट का समय और बढ़ाया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मै जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

यह अखबार में छपा है। इसके सम्बन्ध में मैंने राज्य सरकार से पूछा है तो राज्य सरकार जवाब देती है वह जवाब मेरे पास में है कि हमें इस बात की सूचना नहीं है। तो आपका पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमैन्ट बैठा बैठा क्या झक मारता है?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

[५ म०प०]

जो संवाद निकलता है कि राजस्थान सरकार मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, उनको अधिकार नहीं देती है, उन सीमावर्ती मुसलमानों को सेकन्ड क्लॉस सिटीजन ट्रीट करती है, उनको झूठे मुकद्मों में फंसाकर पकड़ती है, गिरफ्तार करता है। यदि राजस्थान सरकार यह समझती है कि यह समाचार झूठा है तो इस प्रकार की साम्प्रदायिकता फैलाने वाले, राजस्थान में साम्प्रदायिकता का विष वमन करने वाले, राजस्थान के जन-जीवन पर कुप्रभाव डालने वाले राजस्थान के कांग्रेसी संसद सदस्य श्री अमृत नाहटा को गिरफ्तार करना चाहिये। या तो राजस्थान के उस कांग्रेसी एम. पी. की बात सही है कि राजस्थान में मुसलमानों को स्कूलों में जाने की इजाजत नहीं है, मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है उनको सेकन्ड क्लास सिटीजन मानती है तो बात अलग है वरना अगर दूसरे लोगों की तरह ही उन लोगों को आजादी है यह मानकर अगर राजस्थान सरकार चलती है तो राजस्थान की २ करोड़ जनता के जन-जीवन में विष घोलने वाला चाहे वह कांग्रेस पार्टी का मेम्बर क्यों न हो उसके खिलाफ कदम उठाना चाहिये और उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ आइ. पी. सी. में मुकद्मा चलाना चाहिये। लेकिन उनके खिलाफ कदम उठाने की बात तो दूर रही, आपका पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट इस खबर का प्रतिवाद नहीं निकाल सकता। आपका डी. पी. आर. क्या करता है ? उसके पास समय नहीं है, उसके पास इन चीजों पर खर्च करने के लिये पैसा नहीं है। शायद डी. पी. आर. समझता है कि जो श्री नाहटा ने बताई है वह सही तस्वीर राजस्थान की है इसलिये डी. पी. आर. को प्रतिवाद निकालने की फुरसत नहीं है। उसको हैंड आउट निकालने की फुरसत नहीं है। राजस्थान के डी. पी. आर. को बुलेटिन निकालने की फुरसत नहीं है। वह यह नहीं कहेगा कि श्री अमृत नाहटा ने जो वक्तव्य दिया है वह गलत है और मुसलमानों के साथ कोई भेद-भाव नहीं किया जा रहा है। राजस्थान के डी.पी.आर. को इस बात के लिये तो फुरसत नहीं है लेकिन यह हैंड आउट निकालता है। क्या हैंड आउट निकालता है : ' There was profused bleeding in her nose at about 3 a. m. and the cozing of blood went on for a while. She was soon attended to by local hospital doctors who were later on joined by Dr. P. Chatterji, E.N.T. Specialist from Jaipur.

In order to put a stop to the interminant bleeding it was decided to cotarise the bleeding point in her nose".

इन हर नोज, कौन है यह हर कौन है?

"But on her responding to other treatment the operation has been put off for the time being."

अब मैं पूछना चाहता हूं कि नाक में चोट लग गई है, नाक में से खून आ गया है, खून बंद हो गया, जयपुर से डॉक्टर आ गया, इलाज हो रहा है, नाक में रुई घुसेड़ी जा रही है। यह कौन है ? क्या

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
जरूरत है हैड आउट निकालने की ? यह किसने निकाला ? यह प्राईवेट आदमी है। यह कोई मंत्री होता तो समझ में आता। कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो लेकिन उनके परिवार के व्यक्ति के नाक में चोट आ जाय तो राजस्थान का डी पी आर. इन्दुबाला सुखाड़िया के लिये इस प्रकार का हैड आउट निकलता

"Shrimati Sukhadia's general condition has been described satisfactory by her attendant physician."

ऐसी हालत है। उनको भगवान अच्छा रखे मुझे ऐतराज नहीं लेकिन यह सार्वजनिक खजाना इसके लिये नहीं है किसी की बीवीयों की नाक मे खून आ जावे और उसके लिये हैड आउट निकले तो यह सरकारी धन का दुरुपयोग है यह बड़ा गंभीर मामला है। नाक में खून आ जाय, पैरों में मोच आ जाय तो हैड आउट निकाला जाता है तो यह सरकारी धन का दुरुपयोग है। इस प्रकार के काम एक नहीं अनेक है। इस प्रकार के अपव्यय पर चैक लगाने की जरूरत है। इस तरह का एक नहीं हजारों मामले हैं। इस तरह के मामले सदन में उठाये जाते है।

डिफेन्स फंड का मामला है। नेशनल डिफेन्स फंड का मामला है। सन् ६२ से लेकर सन् ६८ तक राजस्थान में ३ करोड़ रुपये नेशनल डिफेन्स फंड में इकट्ठे किये गये। उनमें से ४० मामलों में सरकार ने मिस एप्रोप्रियेशन होने की बात बताई। मैं कहता हूं कि राजस्थान सरकार एक लिस्ट निकाले और बताये कि किस किस ने मिस एप्रोप्रियेशन किया। आपने मुझे अपने प्रश्न के जवाब में कहा था कि करीब ४० व्यक्तियों के खिलाफ मामला है उनमें से ३० व्यक्तियों के खिलाफ जांच चल रही है। कौन हैं ये उदयपुर के व्यक्ति जिन्होंने पैसा लिया, रसीद दी लेकिन पैसा जमा नहीं कराया, उदयपुर के ये कौन हैं जिन्होने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के धन का ग़बन किया ऐसों पर आप क्यों हाथ रखते है? राष्ट्रीय सुरक्षा कोष का पैसा खा जाय, सोना खा जाय, चाँदी खा जाय। ब्यावर का सोने का मामला सामने आया, क्या हुआ उसका ? हम मांग करते हैं कि कितना सोना गया, किसने लिया, कब लिया, इसकी लिस्ट पेश की जाय। देने वालों की भी लिस्ट पब्लिश कराई जाय जिससे लोगों को भी पता लग सके कि हमारा नाम देने वालों में है या नहीं। यह राजस्थान सरकार सीमा की सुरक्षा नहीं कर सकती। सीमा की सुरक्षा करने के नाम पर जो पैसा इकठ्ठा किया जाय उसको हजम कर जाय तो हमको गम्भीरता से सोचना होगा। राजस्थान सरकार को अनुसूचित जन जाति के कल्याण के लिए खर्च करने के लिए जो धन-राशि दी गई थी उसका ४०.४५ परसेन्ट से अधिक खर्च न हो यह सब चलने वाला नहीं है आज राजस्थान की जनता इस सरकार में विश्वास खो रही है। राजस्थान की सरकार जिस तरह से बनी है, जिस तरह से अल्प मत में होते हुए बहुमत में आई है जो हथकण्डे उसने काम में लिए है। जब तक यह बैठी हैं उसका फर्ज है कि ढाई करोड़ जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं करे। यह सरकार जनता के पैसे की ट्रस्टी है। एक पैसे का भी दुरुपयोग होता है तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। मैं अपना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
भाषण इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभानेत्री महोदया

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं कि ५.१५ तक के लिए ही समय बढ़ाया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं खुद बोलने के मूड में नहीं था लेकिन जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं और राजस्थान सरकार को ऐसा सर्टिफिकेट देने की कोशिश की है, मैं समझता हूं राजस्थान सरकार वह सर्टिफिकेट पाने की अधिकारी नहीं है।

सभापति महोदया, मैं समझता हूं हमने हमारे देश में एक सेकुलर स्टेट कायम की है, किसी भी धर्म के लोग हमारे देश में बसते हैं उनकी चाहें कितनी भी तादाद हो। उन सबके धार्मिक विश्वास की, उनके आर्थिक हितों की, उनके सांस्कृतिक हितों की सुरक्षा करने की हमने अपने विधान में घोषणा की है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान सरकार को इस बात का सर्टिफिकेट देने का प्रयत्न किया है कि राजस्थान सरकार अल्प संख्यकों के प्रति सही नीति अपना रही है, उनके हितों की रक्षा सही रूप से कर रही है, सही ढंग से कार्य कर रही है, जो व्यक्ति आलोचना करते हैं या संसद सदस्य अमृत नाहटा के भाषण का उल्लेख अखबारों के जरिये किया गया उसमें जो आलोचना सरकार की की गई थी उससे सरकार का बचाव करते हुए उन्होंने, माननीय सदस्य ने श्री अमृत नाहटा की आलोचना की है। मुझे बाड़मेर इलाके की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है लेकिन सभापति महोदया मैंने स्वयं सदन के सामने एक स्थगन प्रस्ताव द्वारा, दूसरे समय बहस के दौरान मैंने कुछ तथ्य सदन के सामने रखे है जिसमें मैंने सदन का ध्यान दिलाने का प्रयत्न किया है, सरकार का ध्यान दिलाने का प्रयत्न किया है, कांग्रेस दल का ध्यान दिलाने का प्रयत्न किया है, जिस सेकुलेरिज्म के लिए हम वचन बद्ध हैं, जो सेकुलेरिज्म को नीति चलनी चाहिये उसमें यह सरकार और कांग्रेस दल आज सम्प्रदायिक विचारों की शिकार बनती जा रही है। खुद कांग्रेस सरकार, खुद सरकार के अधिकारीगण साम्प्रदायिक विचारों से ओत-प्रोत हैं और सभापति महोदया, मैं यह तो नहीं कहता कि सभी लोग इसके शिकार हैं, न मैं यह कहता हूं कि कांग्रेस दल के सब लोग इस बात के शिकार हैं लेकिन आज यह प्रवृति जो पहले देखने को नहीं मिलती थी, यह प्रवृति बढ़ती जा रही है। अल्पसंख्यक वास्तव में यह महसूस करें कि वह ईक्वल सिटीजन है, उनके रिलीजिअस राइट्स, उनके कल्चरल राइट्स, उनके इकानामिक राइट्स उसी तरह से महफूज हैं जिस तरह से कि बहुसंख्यक हैं। मैं समझता हूं कि सरकार की नीति की घोषणा कुछ भी हो, घोषणा सिक्यूलर की होती है लेकिन जिस हद तक उस निति पर अमल होता है राज्य में, उसकी ओर से आंख मींच लें, जो कुछ हो रहा हो उसकी ओर से आंख मींच लें, और ऑफिसर जिस तरह से कार्यवाही करते हैं उस पर चुप रह कर स्वीकृत दे दें। इस नीति को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं जिससे कि अल्प संख्यक कुछ जगहों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पर ऐसा महसूस कर रहें हैं, और मैं महसूस करता हूं कि वह जायज तौर पर महसूस करने लगे हैं कि उनके साथ में न्याय नहीं होगा, केवल इस कारण से कि वह अल्पसंख्यक हैं। मैं समझता हूं समापति महोदया, मैंने इस प्रकार के उदाहरण अलवर के आपके सामने रखे हैं। अलवर जिले में, भरतपुर जिले में, बहुत संख्या मेवों की है ...

श्रीमती सभानेत्री : आप कृपया संक्षेप में कहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : समापति महोदया, मैं सुबह से नहीं बोला हूँ किसी बहस में भाग नहीं लिया है। आप इतने महत्वपूर्ण विषय को टाल सकते हैं लेकिन मेरे लिए बहुत उसुल का मुद्दा है, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें पनीराय, जो हम महसूस करते है, अवश्य रखनी चाहिये। मैं निवेदन करूंगा, आपको चाहे थोड़ी देर अधिक बैठना पड़े, वैसे मैं जानता हूं कि बहुत देर से अकेले बैठे हैं लेकिन फिर भी थोड़ा समय और देने की कृपा करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऊपर रहने में दिक्कत नहीं है।

श्रीसतीशचन्द्रअग्रवाल : अलवर-भरतपुर में १९४७ में दुर्भाग्यवश लाखों लोग उजड़ कर इधर से उधर गये और उधर से इधर आये उनमें से आज जो लोग मारे २ फिर रहे हैं. वह बहुत बड़ी तादाद में हैं उनके इन्ट्रेस्ट की बात में कहता हूं। जो लोग यहीं रह गये माननीय सदस्यों को जानकारी होगी बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हजारों लोग रहते हैं जिनके मकान थे, बाप-दादा के बनाये हुए मकान थे, पक्की हवेलियां खड़ी हुई थीं, उनके अन्दर वह आज नहीं रह सकते हैं। उनके अन्दर रिफ्यूजी जाकर रह गये हैं। उनको दुबारा उखाड़ना उचित नहीं है—यह मैं मानता हूं। मैं इस नीति का समर्थक रहा हूं। परन्तु इस सरकार ने, उन पक्के मकानों में जो ओरिजनल रहने वाले थे वह तो बाहर खुले मैदान में पड़े हुए हैं और उन मकानों में जो रिफ्यूजी रह रहे हैं. जिन पक्के मकानों में जो रिफ्यूजी हैं उनसे उसकी कीमत वसूल करली है और जिनके वह पक्के मकान थे, उनको न तो पैसे का चुकारा किया गया है, न उनको पैसा दिया गया है। मेव जिनकी हवेलियां दुमंजली, तिमंजली थी उनको वह देखकर सांस भरा करें, उनको देख लें और वह बाहर पड़े रहें। उन्होंने काश्त के लिए जमीन, खेती के लिए जमीन की कीमत देकर उस पर काबू कर लिया है, उसको अनौथोराइज्ड आकूपेशन मान कर उससे निकालते हैं तो एक तरफ तो उनके मकान की कीमत वसूल करली लेकिन जिनके मकान हैं उनको वह पैसा नहीं दिया है और फिर कहते हैं कि हमारे यहां सेक्युलरिज़्म है। कौनसा सेक्युलरिज्म है, आज इस तरह के हजारों लोग हैं जो अपने मकान से बाहर पड़े हुए हैं और सिर्फ उसांस भर उनकी ओर देख रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि लोकतंत्र में वर्गहीन समाज होना चाहिए और बराबर का बर्ताव अल्प संख्यकों को मिलना चाहिए। इसी तरह से जमीन के सवालात हैं। इस बात में भी बहुत अन्याय हुआ है। हमारे वहां से रिफ्यूजी आकर बस गए और बसने के बाद दुबारा उनको रिहेबिलिटेट करना उचित नहीं होता लेकिन जिन मेवों को जमीन नहीं मिली, जिनकी जमीन थी, जो यहां से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गए नहीं, उनकी जमीन छिन गई और उस पर डिस्प्लेस्ड पर्सन्स बैठ गए—इसमें कोई बात नहीं—लेकिन उनको वापिस रिहेबिलिटेट करना और वापिस जमीन पर उनको बसाना हमारा फर्ज था। आज इतने अर्से के बाद भी काफी फेमिलीज हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ फेमिलीज हैं। मैं समझता हूं कि जितनी भी फेमिलीज ऐसी रहती हैं—वह हमारे माथे पर एक कलंक है, एक ब्लॉट है कि उनकी जमीन पर न बसायें। आखिर वह भी जिम्मेदार हमारे देश के नागरिक है। हमारे देश में दंगे हुए तो बहुत से गुड़गांव चले गए। वह वापिस आकर बसे तो उनको फिर से ठीक तरह से हम बसा सकें और उसमें ईक्वीलिटी का ढंग रहे—इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए।

इसी तरह से मस्जिदों का सवाल है। माननीय सदस्य ने कहा कि मस्जिद बनाने के बारे में नाहटा जी ने जिक्र किया है। वह दुरुस्त हैं या नहीं—यह तो वह जाने लेकिन हमारे जिले में भी यह हो रहा है, जो सरकार की तरफ से दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है वह ईक्विलिटी का नहीं है जस्टिस का नहीं है। लक्ष्मणगढ़ तहसील में एक गांव है....

श्रीमती सभानेत्री : सदन की अनुमति से पन्द्रह मिनिट का टाइम बढ़ा दिया जाता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हम भी बोलेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तिजारा गांव है लक्ष्मणगढ़ तहसील में उसमें हिन्दू-मुसलमान सबने आपस में मिल कर पंचायत में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया कि गांव में एक मस्जिद बनाई जाय। उसके बाद मस्जिद को बनाना शुरु कर दिया। लेकिन रिलीजियस एन्डोमेंट एक्ट के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया और आज गवर्नमेंट उनको घसीटती फिरती है।

इसी तरह से अलवर जिले में सैंकड़ों मस्जिद थी लेकिन लोगों के अन्दर उस समय एक पागलपन आया था और वह तमाम मस्जिदें खत्म कर दी गई थी। वहां पर मेवों का एक बोर्डिंग हाउस है जिसमें मेवों के लड़के स्टुडेन्ट रहते हैं। उसमें एक चबूतरा था जिस पर वह नमाज पढ़ते थे, उसकी मरम्मत उन्होंने शुरु की थी उस चबूतरे की मरम्मत करना शुरु की थी कि रिलीजियस एन्डोमेंन्ट एक्ट के तहत उन पर मुकदमा चला कर उनका चालान कर दिया और आज वह भी घिसटते फिर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप यह बतायें कि और किसी मजहब वालों पर रिलीजियस एन्डोमेंट एक्ट के तहत कितने लोगों ने बगैर इजाजत देकर इस तरह मंदिर आदि बनवाये हैं और उनमें से कितनों के ऊपर मुकदमा चलाया गया है। इनके साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। मेरी जानकारी में है कि जब लोगों में लड़ाई झगड़ा नहीं है, आपस में मेलजोल है उनमें आप जबर्दस्ती झगड़ा कराना चाहते हैं। आपने उनकी जमीन रेगुलेराइज कर दी, उनके मकान रेगुलेराइज कर दिए, वह बाहर खुले मैदान में रहें। तो भी आप कहें कि इजाजत नहीं ली है। आखिर यह टेक्निकल बात है, आप उनसे दरख्वास्त लेकर रेगुलेराइज कर सकते हैं और उनको इजाजत दे सकते हैं। इस तरह की नीति होना उचित नहीं है। इस तरह की नीति ऑफिसरों की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तरफ से है। सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उदयपुर में दंगे हुए, वहां पर अल्प संख्यकों की जितनी दुकानें थी वह जलाई गईं। मैंने मौके पर जाकर देखा, बिल्कुल कांग्रेस दफ्तर के नीचे दुकाने जलाई गईं। मुझे अफसोस होता है मुझे पता लगा कि कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस के वर्कर वहां मौजूद थे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, जबकि हिन्दुस्तान में गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोग थे जिन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए अपनी जान तक दे दी ....

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: उदयपुर कांग्रेस वालों की हिम्मत नहीं हुई तो आप वहां पर गये होंगे और आपने देखा होगा कि कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं वहां बहुत पीछे गया। मैं वहां रहता नहीं हूं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आप वहां रहती नहीं है, बहुत पीछे गये । फिर भी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। और कुछ नहीं तो मगरमच्छ के आंसू ही बहायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय जिस समय मैं गया, मुझे जानकारी मिली कि उस समय कांग्रेस के ऑफिस के अन्दर पदधिकारी मौजूद थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस वालों ने झगड़ा बढ़ाया। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस वालों ने आग लगाई। लेकिन जो आग लगी अल्पसंख्यकों की दूकान पर उसको आप बुझा नहीं पाये। इसमें सन्देह नहीं है। इस तरह जो लोग आग लगाने वाले थे, उनमें से कितने लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है, कितने लोगों के खिलाफ प्रासीक्यूशन हुआ है।

अभी करौली के अन्दर झगड़ा हुआ। क्या यह बात सही नहीं है कि करौली कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी के, क्योंकि उन्होंने प्रवोक किया था, जमानत और मुचलके एक हजार के लिए गये, भगवती प्रसाद नाम है उनका। इस तरह प्रवोकेशन करने के कारण दो हजार के मुचलके जमानत ली गई है। मैं आप से कहता हूं कि ऐसे लोग साम्प्रदायिक दृष्टि वाले इस तरह से आपकी संस्थाओं में घुस कर इस तरह से झगड़ा पैदा करें—यह आपके सेक्युलरिज्म के पूरी तरह से खिलाफ हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज इसलिए यह काम्प्लीसेंट हैं इस तरह का काम्प्लीसेंट होना इस समस्या के बारे में सही तरीके से दुरुस्त नहीं है और यह डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं बनायेगा, बल्कि जो भी उसके अन्दर कमजोरियां हैं, जिस तरह की चीजों को बर्दाश्त किया जाता है उसके खिलाफ हमारी पार्टी लड़ेगी और सही तरिके से लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए मैदान में आयेगी तभी सही तरीके से सेक्युलरिज्म होगा। मैं महसूस करता हूं कि राजस्थान की गवर्नमेंट वीक रही है, कमजोर रही है, उसने कमजोरी दिखाई है वह चुप रहती है और इस तरह से अल्प संख्यकों के राइट्स को सही तरीके से संरक्षण नहीं दे पाती है—इसके भयंकर नतीजे हुए हैं और देश में चारों तरफ रोइट्स हुए हैं। इसलिए हमें आंख खोल कर चलना चाहिए। यह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदया, अमृत नाहटा का उल्लेख आ गया है इसलिए मेरा फर्ज हो जाता है कि इस पर बोलू ...

श्रीमती सभानेत्री : थोड़ा समय ले लीजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मामला संगीन है।

× × ×

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन) ५.३७ म. प.

श्रीमती कान्ता कथूरिया : सदन का समय तो पौने ६ बजे तक था।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से १५ मिनिट के लिए सदन का समय बढ़ाया जाता है। उपयुक्त यह होगा कि माननीय वृद्धिचंद ने जो शब्द आर० ए० सी०के बारे में मानहानि के कहे हैं, उनको सदन की कार्यवाही से हटाया जाय और पक्ष या विपक्ष में जो दलीलें दी गई हैं उनका प्रकाशन किसी प्रेस या और किसी माध्यम से नहीं किया जाय। प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६८ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री रामकिशन : जब आप कहते हैं कि हां पक्ष जीता तो हमें सदमा पहुंचता है, जीता कहां। कह दो हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में समय मिल जाता है ताकि किसी को आपत्ति हो तो ......

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या १) १९६८ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो बाकी स्टेटमेंट रह गया है वह कल सुबह को हो जायगा अब पौने ६ हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्री का वक्तव्य है। अगर सदन की अनुमति हो तो ले लिया जाय।

श्री शिवनाथसिंह : कल हो जाय तो हर्ज नहीं है।

बिड़ला एजूकेशन ट्रस्ट पिलानी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हड़ताल तथा शिक्षण संस्थानों के बन्द हो जाने सम्बन्धी मामले पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री) : उदयपुर वाटी से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था बिड़ला इन्स्टीट्यूट पिलानी के संबंध में। वहां जो हड़ताल चल रही है उसकी जानकारी की है। पिलानी में जो शिक्षा संस्थान हैं वह तीन हैं। पहला तो बिड़ला एजूकेशन ट्रस्ट जिसके अन्तर्गत हायर सैकेन्डरी स्कूल्स और दूसरी संस्थायें चलाई जाती हैं। दूसरा बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस व टेक्नोलोजी जिसके अंतर्गत वहां जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इंजनीरिंग और टेक्नोलोजी के, वे चलाए जाते हैं।

तीसरा है पिलानी इन्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन जो सारी कॉलोनी की जो सर्विसेज है उनकी देखभाल करती है वहां के वाटर वर्क्स

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री शिवचरण माथुर)

पावर हाउस और वहां के जो मुख्य सुविधायें हैं उनकी देख भाल करने के लिए। जहां तक हड़ताल का सवाल है जो तीसरी संस्था है पिलानी इन्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने इस बात पर हड़ताल करने की बात सोची कि उनको जो कुछ वेतन मिलता है कम है और उनका वेतन, दो दूसरे टेक्नोलोजीकल संस्थान हैं भारत में जैसे दिल्ली, खड़कपुर और बम्बई, उन जैसा वेतन दिया जाय। उन कर्मचारियों को आज ११०) वेतन मिलता है उनकी मांग थी कि उनको १३५) किया जाय। वैसे इस सम्बन्ध में तारीख २२ मार्च को चर्चा हुई और श्रम विभाग के प्रतिनिधियों ने वहां जाकर इस बारे में समझौता कराने की कोशिश की और यह तय किया गया कि बिडला जी और दूसरे ऑफिसियल्स थे उनसे सलाह करके ५ अप्रेल को फाइनल निर्णय ले लिया जाय। इसी बीच में २७ तारीख को अचानक इस संस्थान के कर्मचारियों ने फैसला किया हड़ताल पर जाने का और इसकी सहानभूति में जो दूसरे दो संस्थान थे उन्होंने भी हड़ताल कर दी। वहां जो आज हड़ताल चल रही है, वह सारा डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया गया है और जब विवाद ट्रिब्यूनल को रेफर किया जाता है तो हड़ताल बन्द हो जानी चाहिए और वहाँ जो मैनेजमेन्ट है, उसने हड़ताल को अवैधानिक करार देने की बात सरकार से कही है और ५ तारीख को अन्तिम रूप से चर्चा करेंगे, मैनेजमेन्ट के फैसले की बात भी उन्होंने कही है। जहां तक विद्यार्थियों का सवाल है, मेरा ताल्लुक विद्यार्थियों से है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस हड़ताल के कारण विद्यार्थियों को—वहां के रहने वालों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। वहां के वाटर वर्क्स, पावर हाउस को भी काफी नुकसान हुआ है। काफी लाईफ पैरेलाईज हुई है। फर्स्ट ईयर और सेकिन्ड ईयर के विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से गर्मियों की छुट्टी दे दी है। २२ जुलाई को स्कूल खुलने वाले थे, वे अब ९ जून को खुलेंगे। पहले समर वैकेशन दे दी है। अभी जो एग्जामिनेशन में बैठने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिये हॉलटन के आधार पर क्लासेज चल रही हैं। उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ है। अभी ऐसी सूचना भी मिली है कि शायद ५ तारीख को यह विवाद समाप्त हो जायगा। जो कुछ भी आज हालत बनी हुई है, वह पूर्ण रूप से जो पहले थी उसी स्थिति में आ गई है।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : शिक्षा मन्त्री जी ने जो स्टेटमेन्ट दिया है कि ५ तारीख को विवाद सुलट जायगा, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जैसे फैक्ट्स उनको बताये गये हैं, वह सही नहीं हैं। वहां पर क्लासेज पूर्ण रूप से बन्द हैं और दूसरे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिरला इन्स्टीट्यूट में जो हड़ताल चल रही है, वह केवल बिरला जी से सम्बन्धित है। इन्होंने भारत सरकार को काबू में करना चाहा और राजस्थान की सरकार को पलटने में भी बिरला जी का हाथ था। विरोधियों की सरकार कायम करना चाहते थे। इनके पास ब्लैक का जो पैसा है, उसे राजस्थान के चुनावों में लगाया, हिन्दुस्तान के चुनावों में भाग लिया। मैं उसी सन्दर्भ में निवेदन करूंगा कि यह गरीब मजदूरों की हड़ताल है, उन लोगों ने हड़ताल की है और उनकी मांग वाजिब है वे यह चाहते हैं कि दूसरी संस्थाओं में जो काम करते हैं उनके समान ही हमको

(श्री शिवनाथ सिंह)

दिया जाय। मैं आज ही झुंझुनू जाकर आया हूं। बिरला जी केवल अपनी जिद पर टिके हुये हैं और उन्होंने इसे एक प्रस्टीज का सवाल बनाया है। बिरला ब्रादर्स यह बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उनके खिलाफ कोई काम हो। एक प्रेस्टीज का सवाल बना रखा है। हमारी सरकार उदासीनता बरते यह उचित नहीं लगता। वहां एक धारणा बन जाय कि राजस्थान सरकार बिरला जी के प्रभाव में आ गई और गरीबों का समर्थन नहीं कर रही है। सरकार ने हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया है। उनकी हड़ताल गैर कानूनी नहीं है। अपनी वाजिब मांग को लेकर हड़ताल की है, उसको सरकार गैर कानूनी बताये, यह उचित नहीं है। इससे विद्यार्थियों को काफी तकलीफ हुई है। वहां के कुछ स्कूलों को बन्द कर दिया है। पिलानी में आज एक भी छात्र पढ़ने को नहीं है। जिन लोगों के फाइनल एग्जामिनेशन होने है उनको सबसे बड़ी दिक्कत है। जितना जल्दी इस विवाद को सुलझाया जाय, उतना ही अच्छा है। जो सरकार से अपेक्षा करते हैं, कि सरकार मदद करेगी, उलटे सरकार बिरला को मदद दे रही है, यह बेजा बात है। यह हाथी और चींटी की लड़ाई है। इसमें गरीबों का समर्थन करना चाहिये। राज्य सरकार को इसको जल्दी से जल्दी सुलटाने का प्रयत्न करना चाहिये।

श्री गिरधारी लाल व्यास: उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि जो वेतन स्तर बिरला जी का पिलानी में मजदूरों का है इसी प्रकार के संस्थानों में जैसा कि माननीय मंत्री जी खुद ने स्वीकार किया है कि इस प्रकार के दूसरे संस्थानों में वेतन स्तर ऊंचा है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि मजदूरों की मांग न्यायोचित है। लेकिन बिरला एज्यूकेशन ट्रस्ट या दूसरे एज्यूकेशन के व्यवस्थापक लोग हैं वे उनकी बात को मान नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो लाइन ऑफ एक्शन अपनाई है केवल यह कह करके यह हड़ताल गैर कानूनी है। जो भी ट्रेड यूनियन में काम करने वाले मजदूर हैं, उनमें मजदूरों की हालत बुरी नहीं हो सकती है। ये मजदूर लेबर ट्रिब्यूनल में वर्षों फिरते रहे जिनको केवल कोरी रोटी का सवाल है और वह भी हल नहीं हो। मैं समझता हूं मजदूरों की जब बात न्यायोचित है तो वे कम्पलीट कर सकते हैं। उनकी न्यायोचित मांग को किसी तरह हल करने की व्यवस्था करें, यह बात खेदजनक है। यह स्थिति ऐसे समय में पैदा हुई है जब विद्यार्थियों की परीक्षा आ गई है। अलवर के रहने वाले लड़के भी वहां पढ़ते हैं। सब लड़के वहां आ गये हैं। इस तरह का एटीट्यूड लॉक आऊट का एटीट्यूड एक मिल मालिक की इन्डस्ट्री में होता है। एज्यूकेशन के अन्दर इस प्रकार का एटीट्यूट किसी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिये और सरकार को मैं समझाता हूं अधिकार है, उन अधिकारों का उपयोग करके एम्प्लॉयर को मजबूर कर सकते हैं। सरकार को इस मामले को जल्दी ही निपटाना चाहिये।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द): अभी जो स्टेटमेन्ट माननीय मंत्री महोदय ने दिया है। उसमें मेरा निवेदन करना यह है

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कि बिरला एज्यूकेशन ट्रस्ट के जो कर्मचारी हैं और उसी के समान स्तर के जिस प्रकार के दूसरे इन्स्टीट्यूशन हैं हिन्दुस्तान में चलते हैं और जिस प्रकार भेद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बतलाया है कि यहां पर ११० रु० दिया जाता है और दूसरे इसी प्रकार के इन्स्टीट्यूशन्स में १३५ रु० कर्मचारी पाते है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा इस प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिये। यह एक ऐसी शिक्षण संस्था है जहां हिन्दुस्तान में ऊंची चोटी की शिक्षा दी जाती है। अच्छे से अच्छे लड़के आकर शिक्षा पाते हैं—इस प्रकार कर्मचारियों पर शोषण किया जाय और वह किसी बड़े उद्योगपति के द्वारा तो मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं है। जहां तक मैंने सुना है सरकार बिरला जी के प्रभाव में आकर कर्मचारियों को दबा कर इस प्रकार की धमकी दी जा रही है कि अगर आप रिज्यूम नहीं करोगे तो नौकरी से अलग कर दिये जावोगे। लोगों को डरा-धमका कर इस हड़ताल को जो वाजिब मांग है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा सरकार को हस्तक्षेप करके उस इन्स्टीटयूशन में काम करने वाले लोग हैं उन पर इस प्रकार का दबाव डाला जाय कि सही मांग है। मामला श्रम ट्रिब्यूनल में रेफर कर दिया है, उन्हें न्याय प्राप्त करने में वहां कितना समय लगेगा। गरीब कर्मचारियों के लिए मुश्किल बात है। राज्य सरकार को....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय ५ मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ऐसे लोगों के लिए, जिनके जीवन का प्रश्न है अवश्य उन पर दबाव डाला जाय और जो शोषण कर्मचारियों को वे करते हैं

(६ म० प०)

और जहां तक उन्होंने कहा जजमेंट आने वाला है, जहां तक इस प्रश्न का ताल्लुक है बिड़ला जी ने इनको प्रेस्टिज का पॉइन्ट बना लिया है। इस दिशा में जो इस प्रकार के प्रश्न हुये जो उद्योगपति हैं कभी भी लेबरर्स को उनकी मजदूरी का पूरा हक मिले इस बात को पसन्द नहीं करते जब वह फार्मूला अपनाया गया कि उनको ड्यू शेयर दिया जाय, मैनेजमेन्ट को चाहिये कि वे दें और जो लेबर कानून के अन्तर्गत उनको फायदा मिलता है वह भी दें। आज ये उद्योगपति मजदूरों को शोषण कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करूंगा कि उन मजदूरों के जो सही कलेम्स हैं सही मांगें हैं उनको जल्दी से जल्दी मनवाकर बिड़ला एज्युकेशन ट्रस्ट पर दबाव डाल कर जो मांगे हैं उनको स्वीकार कराइये। इससे जहां मजदूर वर्ग को नुकसान हो रहा है उसके साथ साथ बिड़ला इन्स्टीट्यूशन में जो लड़के पढ़ने वाले हैं उनको भी नुकसान न हो उनकी शिक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, समय पर आकर वे इम्तहान दे सकें इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री जी अपनी पुरजोर ताकत के साथ उनकी मांगों को मनवाने की पूरी तरह से कोशिश करें।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय १४ जून, १९६७ को एम्प्लॉयर्स

(श्री केदारनाथ)
और एम्प्लोइज यूनियन के बीच में रीजनल लेबर कमिश्नर बीच में थे बिड़ला एज्यूकेशन ट्रस्ट के संचालकों ने यह माना था कि राजस्थान के टीचर्स के जो स्केल हैं वे स्केल वहां भी लागू होंगे। बिड़ला एज्यूकेशन ट्रस्ट ने युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के ग्रेड्स भी मानना मंजूर किया। यह उनके और यूनियन के बीच रीजनल लेबर कमिश्नर की मौजूदगी में तय हुआ और यह भी कहा गया कि ये ग्रेड्स एक महिने के अन्दर-अन्दर दे दिये जायेंगे। उसके बाद ट्रस्ट के अधिकारियों ने राजस्थान सरकार से मिलकर रजिस्ट्रार द्वारा यह नोटिसेज जारी किये गये इन यूनियन्स का रिकगनीशन कैंसल किया जाय। इसमें राजस्थान सरकार का यह दोष है कि उसके द्वारा एम्प्लोइज को कोई मदद नहीं मिलती। इस प्रकार के नोटिसेज सरकार द्वारा जारी होना यह बताता है कि वहाँ ट्रस्ट के अधिकारियों और सरकार यानि लेबर डिपार्टमेंट में साठ-गांठ है उसी कारण वे उन मांगों को मन्जूर नहीं करवाना चाहते। पहले इस फैसले को इम्पलीमेंन्ट करने की तारीख २३ मार्च दी गई उसके बाद २७ मार्च कर दिया ताज्जुब की बात यह है कि इस बीच डाइरेक्टर ने स्टुडेन्टस की मीटिंग बुलाकर उनसे कहा कि आप खुद ही लोग एम्प्लोइज से अपने आप निपट लें। उनको वायोलेंस के लिए उकसाया गया। यदि उसके बाद ही एम्प्लोयर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता तो यह झगड़ा ही पैदा नहीं होता। सरकार उस यूनियन को मान्यता दे और उनके और एम्प्लोयर के बीच रीजनल लेबर कमिश्नर के सामन जो कन्सीलिएशन का फैसला हुआ उसका पालन सरकार मजबूती से करवाये।

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पिलानी की हड़ताल के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिये गये उसमें कुछ गलत फहमी मालूम देती है। इस हड़ताल को गैर कानूनी होने की बात कही यह सरकार का मन्तव्य नहीं है। वहां के मैनेजमैंट ने कहा है कन्सीलेशन प्रोसीडिंग फेल होने के बाद में एक ही रास्ता रहता है वह ट्रिब्यूनल में दे दिया जाय। उसके बाद हड़ताल होती है तो वह गैर कानूनी है। ऐसे जो विवाद पैदा हो जाते हैं उनका एक ही उपाय से आपसी चर्चा से बातचीत कर सुनझाया जा सकता है या फिर ट्रिब्यूनल को रेफर किया जाता है। इस बारे में भी मजदूरों के लिये कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

जहां तक कर्मचारियों की मांग का सवाल है, मैंने यह नहीं कहा कि वह गैर वाजिब है। मैंने यह कहा कि इसी प्रकार के काम करने वाले व्यक्तियों को इसी प्रकार की इन्स्टीटयूशन्स में जो दूसरे प्रान्तों में हैं उनमें १३५) रु० मासिक वेतन दिया जाता है। इसलिए मैंने यह कहा हो कि यह मांग गैर वाजिब है, यह कभी मैंने नहीं कहा। मैं इस बारे में दो दिन से लगातार कोशिश कर रहा हूं वहां डाइरेक्टर से सम्पर्क स्थापित करने का लेकिन लाइन ऑफ होने के कारण आज मुझे जो जानकारी मिली उसी आधार पर वक्तव्य दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की अनुमति से पांच मिनिट के लिये और सदन बढ़ाया जाता है।

श्री शिवचरण माथुर: वहां से मुझे यह भी जानकारी मिली है कि फाइनल

Page No. 142

(श्री शिवचरण माथुर)

ईयर के जो भी विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई की सुविधा चालू कर रखी है फर्स्ट ईयर सैकेण्ड ईयर के विद्यार्थियों को गर्मियों का अवकाश देकर घर भेज दिया गया है लेकिन जो भी स्थिति है वह वास्तव में चिन्ता जनक है। मेरा जहां तक खयाल है अगर कर्मचारियों की हड़ताल में विद्यार्थियों की सहानुभूति होती है तो ज्यादा सफलता मिलती। यह हड़ताल भी ऐसे मौके पर की गई जब कि विद्यार्थियों की परिक्षाएं होने वाली थीं। इस समय लड़कों को बिजली पानी आदि सुविधायें आवश्यक हैं ऐसे मौके पर यदि कर्मचारियों द्वारा हड़ताल कर दी जाती हैं तो विद्यार्थियों की सहानुभूति प्राप्त उनको हो नहीं सकती।

श्री शिवनाथसिंह : विद्यार्थियों की सहानुभूति है वे मजदूरों के साथ में हैं किन्तु उन सबको बिड़ला शिक्षण संस्थाओं से निकाल दिया गया है।

श्री शिवचरण माथुर: हो सकता है माननीय सदस्य का कहना ठीक हो लेकिन यह हड़ताल अगर विद्यार्थियों की सहमति से होती है तो शायद उनकी हड़ताल में वजन होता। मैं समझता हूं विद्यार्थियों की सहूलियत को देखते हुए यह हड़ताल जल्दी से जल्दी खत्म हो इस बारे में हम अपनी तौर पर बैठकर वहां के प्रिन्सीपल लक्ष्मीनारायण जी से बातचीत कर कोई हल मुझे निकालें यह भी बताया गया कि पांच तारीख को बैठकर इस पर फैसला करना चाहते हैं। अगर वे सीधी तौर पर इनकी मांगे मंजूर कर लेते हैं तो ठीक है और अगर कोई झगड़े की बात सामने आती है तो राज्य सरकार उसको और तरीके से निपटाने की कोशिश करेगी। इस पर यह कहना कि हम बिड़ला जी की मदद करने पर बैठे हैं यह बात गलत है।

श्री केदारनाथ: यूनियन्स के रजिस्ट्रेशन कैन्सिल करने का नोटिस इश्यू हो गया या नहीं ?

श्री शिवचरण माथुर: अगर कर्मचारी युनियन को मान्यता नहीं देने की बात होती तो ट्रिब्यूनल की बात सामने नहीं आ सकती थी।

श्री केदारनाथ: नोटिसेज इश्यू किये गये हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : इस बारे में लेबर डिपार्टमेन्ट से मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं दो दिन से इसी चिन्ता में था कि यह हड़ताल किसी न किसी तरह से समाप्त हो जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कन्सीलियेशन जब तय हो गया था तो उसके बाद उसकी अवहेलना की गई इसलिये डाइरेक्टर का प्रोसीक्यूशन होना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इस बारे में लेबर डिपार्टमेंट से सम्पर्क स्थापित करके जानकारी प्राप्त की जाय कि यह मामला किस प्रकार से तय हुआ था और किसी युनियन की मान्यता को केन्सिल करने के बारे में भी कोई नोटिस जारी हुआ था ?

श्री शिवनाथ सिंह : लक्ष्मीनारायण जी को बुलवाकर कहने से कुछ होने वाला नहीं उनकी कोई चलती नहीं। खास तो बिडला जी अड़े हुए हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जब कन्सीलियेएशन तय हो गया तो डाईरेक्टर हो या अन्य कोई अधिकारी उस आदमी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री शिवचरण माथुर : कन्सीलिएशन क्या तय हुआ है कि इस बारे में लेबर डिपार्टमेंन्ट के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके जानकारी करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मामला लेबर से ताल्लुक रखने वाला हो गया इस बारे में श्रम मंत्री को कहा जाय कि वे प्रकाश डालें। अगर किसी ने कन्सिलियेशन तोड़ा है तो उसके तोड़ने पर सम्बन्धित मालिक या एम्प्लोयर के खिलाफ प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. ६.८ बजे बृहस्पतिवार दिनांक ४ अप्रैल, १९६८ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १
(तारांकित प्रश्न संख्या १०८० की सूची)

सूची

क्र० सं०	व्यक्ति, फर्म या कम्पनी का नाम	आयातित सामान का नाम	नगर पालिका क्षेत्र का नाम
१	२	३	४
१.	मैसर्स फर्टीलाइजर पी० वी० सी० प्रोजेक्ट, कोटा ।	१. नोथा २. राकेफा एश्ट ३. केटेलाईस्टस और क्रेमिकल्स	कोटा
२.	राजस्थान रेयन्स, कोटा ।	वुड पल्प, जिंक और चारकोल (८-२-६७) वुड़ पल्प और जिंक (२८-४-६७) (९-४-६७)	कोटा
३.	राठी सिन्थेटिक्स एण्ड सिल्क मिल्स, भवानीमन्डी ।	(१) सिन्थेटिक्स यार्न जैसे आर्टीफिशियल नाइलोन, टेरेलिन, बाइसकोल ओटेट आदि (२) डाईज एन्ड कैमिकल्स (अ) कलर ऑफ आई० सी० आई० सीबा (ब) कैमिकल्स, एच. सी. एल. (हाईड्रोक्लोरिक एसिड़ सल्फारिक एसिड़ कास्टिक सोडा, सोडा आश, हाईडर सल्फाईड ।	भवानीमंडी
	राठी आयल मिल्स, भवानीमन्डी	अधिसूचना दिनांक (१४-९-६७) द्वारा समयावधि दिनांक ३-९-६७ से ६ माह की बढ़ाई .	भवानीमंडी
४.	कमान्डेन्ट फर्स्ट (राज०) रिजर्व बटालियन की एस. एस. द्वारा चालित यूनिट को-ऑपरेटिव स्टोर्स जोधपुर ।	जवानों के उपयोग के लिये दैनिक आवश्यकता की आयातित वस्तुएें	जोधपुर
५.	राजस्थान को जिला परिषद्	ऐसे साज सामान अर्थात लेखन सामग्री तथा फरनींचर ।	समस्त राज० की नगरपालिका क्षेत्रों में

परिशिष्ट १

(क्रमशः)

१	२	३	४
६	सामान्य स्वीकृति	कन्डम्स ( )	समस्त राज० की नगर-पालिका क्षेत्रों में
७.	सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स इजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पिलानी ।	साईन्टिफिक रिसर्च लेबारेटरी के समान पर	ग्रौर विद्याबिहार
८.	मैसर्स ट्वेन्टियथ सेन्चुअरी फोक्स फिल्म कारपोरेशन, कैलीफोर्नियां	प्रोडक्शन मैटेरियल टाइगर मेव नामक फिल्म के निर्माणार्थ	नाईन जयपुर ग्रौर उदयपुर

Page No. 146

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

नगरपालिका राजलदेसर के गुमाश्ते के विरुद्ध गबन का मामला

१०८२. श्री आईदानसिंह (भीनमाल):— क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि श्री कन्हैयालाल गुमाश्ता, नगरपालिका, राजलदेसर (जिला चूरू) को गबन के आरोप में डी० एल० बी० ने अपने हुक्म द्वारा दिनांक १८-८-५१ को नौकरी से डिसमिस कर दिया? यदि हां, तो डी० एल० बी० के हुक्म की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि नौकरी से डिसमिस के आदेश राजस्थान राज-पत्र में वोल्यूम ३ नं० ८०, अगस्त २५, सन् १९५१, पार्ट २ पेज ४५८ पर जारी किये गये? यदि हां, तो उक्त राज-पत्र में जारी हुक्म की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि डी० एल० बी० ने नं० ५०४८ एफ० १२ (एम० एस० ओ०) (३७) डी० एल० बी० ५२, दिनांक ३१ अक्टूबर, १९५२ को प्रशासक, नगरपालिका, को यह आदेश जारी किया कि कन्हैयालाल भूतपूर्व गुमाश्ता को गबन के आरोप में डिसमिस कर दिया है, अतः भविष्य में किसी सरकारी पद पर उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती और गबन की हुई रकम की वसूली की जाय? यदि हां, तो उक्त हुक्म की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(४) कृपया यह बतावें कि श्री कन्हैयालाल ने कितना गबन किया और सम्बन्धित रकम उससे कब वसूल की गई?

(५) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति को पुनः राजलदेसर नगरपालिका में एस० आई० के पद पर नियुक्त कर दिया गया जो अभी इसी पद पर कार्य कर रहा है? यदि हां, तो डिसमिस शुदा व्यक्ति की नियुक्ति कब और किसके द्वारा की गई और इसके क्या कारण थे?

(६) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(प्रश्न स्थगित किया गया)

अजमेर जिले के अस्पतालों तथा डिस्पेन्सरीज का बजट

१०८३. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अजमेर जिले के अस्पतालों और डिस्पेन्सरीज के लिए गत पांच वर्षों में दवाओं के लिये प्रत्येक वर्ष कितना कितना बजट प्रावधान रखा गया था? इसमें नसीराबाद के लिए रखे गये बजट प्रावधान अलग बताने की कृपा करें।

(२) राज्य के दवाइयों के लिए कुल प्रावधान का यह कितना प्रतिशत है?

(३) दवाइयों के लिए प्रावधान किस आधार पर रखा जाता है?

उत्तर

(१) सूची में अंकित है।

(२) सूची में अंकित है।

(३) राशनलाइज्ड पेटर्न के अनुसार।

प्रश्न संख्या १८८ के भाग १ व २ से सम्बन्धित तालिका

वर्ष	राज्य में दवाईयों का कुल प्रावधान रुपयों में	अजमेर जिले में दवाईयों का प्रावधान (रुपयों में)	नसीराबाद में दवाईयों का प्रावधान (रु० में)	कुल राज्य में प्रावधान का प्रतिशत	
				अजमेर जिला	नसीराबाद
१	२	३	४	५	
१९६३-६४	५४,२४,०००	१,०२,१००.००	६,०००.००	२ प्रतिशत	०.११ शुन्य प्रतिशत
६४-६५	५२,१७,०००	१,००,१००.००	८,०००.००	२ ,,	०.१५ ,,
६५-६६	५७,६६,०००	१,०६,२००.००	६,३००.००	२ ,,	०.१६ ,,
६६-६७	५६,७४,०००	१,५१,०००.००	६,३००.००	[illegible] ,,	०.१५ ,,
६७-६८	६३,५१,७००	१,५१,०००.००	६,३००.००	[illegible]	०.१५ ,,

राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ./१३ (२०)(४६) एम.पी.एच./५८./प्रु प-२- (द्वितीय) दिनांक २३-८-१९६२ के अन्तर्गत स्वीकृत राशनलाइज्ड पेटर्न—

परिशिष्ट: "ऐ"

दवाईयों के लिए बजट प्रावधान निर्धारित करने का आधार

अस्पताल श्रे[illegible]	[illegible]/-	प्रति रोग शैया
अस्पताल श्रेणी द्वितीय	रु० ५००/-	,, ,,
अस्पताल श्रेणी तृतीय	रु० ३००/-	,, ,,
अस्पताल श्रेणी चतुर्थ	रु० २५०/-	,, ,,
अस्पताल श्रेणी पंचम	रु० २५०/-	,, ,,
अस्पताल श्रेणी षष्ठ	रु० १५००/-	जिसका दैनिक आउटडोर रोगी औसत
	रु० २५००/-	,, ,, ,, ५० से ९९ तक
	रु० ४,०००/-	,, ,, ,, १०० से १९९ तक
	रु० ५०००/-	,, ,, ,, २०० से २९९ तक
	रु० ८०००/-	,, ,, ,, ४०० से अधिक

इसके अतिरिक्त जहां पर रोगियों को भरती करने की व्यवस्था है अतिरिक्त धनराशि ५०) रु० प्रति रोग शैया दी जाती है।

डिस्पेंसरियाँ —यथा—

एडपोस्ट	रु० १०००/-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	रु० २,५००/-	जिनका दैनिक औसत १०० से ऊपर
	रु० ४०००/-	,, ,, १०० से १५० तक
	रु० ५०००/-	,, ,, १५० से अधिक

रूरल इन्डस्ट्रीज प्रोजेक्ट चूरू, व नागौर के लिए प्लानिंग कमीशन द्वारा दी गई धनराशि

१०८४. श्री मेघराज पंवार (चूरू): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) रूरल इन्डस्ट्रीज प्रोजेक्ट, चूरू व नागौर में जो धनराशि इम्प्लांट ट्रेनिंग हेतु प्लानिंग कमीशन गवर्नमेन्ट ग्रॉफ इण्डिया से प्राप्त होती है उसके उपयोग हेतु राज्य सरकार ने कोई रूल्स ग्रब तक बनायें हैं ?

(२) यदि हां, तो उक्त रूल्स की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ? यदि नहीं, तो रूल्स के ग्रब तक नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सही नहीं है कि पिछले चार वर्षों में इस कार्य के लिये जितनी धनराशि इन दोनों प्रोजेक्ट्स को प्लानिंग कमीशन से दी गई वह सारी की सारी इन रूल्स के ग्रभाव में उपयोग में न ग्राकर लैप्स हुई है ? यदि हां, तो ऐसी कितनी राशि इन दोनों प्रोजेक्ट्स में सालाना लैप्स हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) ग्रब सरकार का इन रूल्स को बनाकर लागू करने बाबत क्या इरादा है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) नियम राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(३) यह सही नहीं है कि जितनी धनराशि इस कार्य के लिये दी गई वह सारी की सारी लैप्स हुई है। जो धनराशि प्रत्येक वर्ष में उपयोग नहीं की जायगी उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) इन रूल्स को शीघ्रातिशीघ्र लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

परिशिष्ट

सूची

चूरू

बजट प्रावधान	खर्च	राशि जो लैप्स हुई	वर्ष
१५,०००/-	८६/-	१४,९१४/-	१९६३-६४
१०,०००/-	२,४३५/-	७,५६५/-	१९६४-६५
१०,०००/-	२,५८२/-	७,४१८/-	१९६५-६६
३,०००/-	१,२५९/-	१,७४१/-	१९६६-६७

नागौर

बजट प्रावधान	खर्च	राशि जो लैप्स हुई	वर्ष
२,१८०/-	३३६/-	१,८४४/-	१९६३-६४
८,१५०/-	६,१६०/-	१,९९०/-	१९६४-६५
२०,०००/-	—	२०,०००/-	१९६५-६६
३,०००/-	—	३,०००/-	१९६६-६७

अध्यापकों की पदोन्नति के आधार

१०८५. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु०): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या शिक्षा विभाग में अध्यापकों की वरिष्टता के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर भी पदोन्नति की जाती है ? यदि हां, तो वह अधार क्या है ?

(२) गत ३ वर्षों में शिक्षा विभाग में वरिष्टता के आधार पर कितने सहायक अध्यापकों को राजपत्रित पदों (गजेटेड पोस्ट) पर पदोन्नत किया गया है ?

उत्तर

(१) जी हां। वरिष्टता एवं मैरिट के आधार पर पदोन्नति की जाती है। ये पदोन्नति राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, १९६० के आधार पर दी गई।

(२)	१९६५-६६	५२
	१९६६-६७	१४९
तथा	१९६७-६८	१७४

सहायक अध्यापकों को अस्थाई वरिष्टता सूची के आधार पर राजपत्रित पदों पर पदोन्नति दी गई।

राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार पर कार्यवाही

१०८६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) १९-१२-६७ की राजस्थान पत्रिका में "सीमावर्त्ती मुसलमानों की समस्या—नाहटा ने गृह मंत्री का ध्यान दिलाया है" नामक शीर्षक से जो सूचना प्रकाशित हुई क्या वह सही है ? यदि नहीं तो सरकार ने इस प्रकार की साम्प्रदायिक भावना फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ में कार्यवाही क्यों नहीं की ?

(२) क्या सरकार ने उक्त सूचना का कोई खण्डन निकाला ?

उत्तर

(१) राजस्थान पत्रिका दिनांक १९-१२-६७ में इस विषय पर जो कुछ छपा था वह श्री अमृत नाहटा, संसद सदस्य द्वारा संसद की अनौपचारिक सलाहकार समिति में कहा जाना बताकर छापा गया है। यह भी छापा गया है कि केन्द्रीय गृह मन्त्री जी ने श्री नाहटा से कहा कि वे सारे मामले को लिख कर दे देवें, उचित कार्यवाही की जावेगी।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय से इस बारे में अभी तक राज्य सरकार के पास लिखित में नहीं आया है।

(२) लिखित में आने पर ही जैसी भी सूरत होगी कार्यवाही की जावेगी।

नगरपालिका क्षेत्र कुशलगढ़ की नल योजना

१०८७. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ नगरपालिका क्षेत्र (जिला बांसवाड़ा) में नल द्वारा पानी सप्लाई किये जाने की योजना स्वीकृत हो चुकी है ?

(श्री हरीभाई)

(२) क्या यह सही है कि उक्त नल योजना चालू करने के लिए ८ फरवरी, १९६८ को मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा उद्घाटन भी किया जा चुका है ?

(३) क्या यह योजना चालू की जायेगी ? यदि हां तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) स्वीकृति प्राप्त होने व धनराशि की उपलब्धि पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

चम्बल बांध से बिजली

१०८८. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चम्बल बांध से राजस्थान को कुल कितने हजार किलोवाट बिजली मिल रही है ?

(२) यह बिजली किस-किस जिले को कितनी-कितनी मात्रा में दी जाती है ?

(३) क्या इस बिजली का कोटा और बढ़ने वाला है ?

(४) यदि हां, तो कितना और कब तक ?

(५) राजस्थान इस समय चम्बल की कुल मिलाकर कितने हजार किलोवाट बिजली का उपयोग कर रहा है ?

उत्तर

(१) राजस्थान को चम्बल के बांध, गांधीसागर व राणाप्रताप सागर और सतपुड़ा सिस्टम से ६०,००० किलोवाट बिजली मिल रही है।

(२) जिलेवार हिसाब नहीं है।

(३) चम्बल के गांधीसागर बांध और पावरहाउस की उत्पादन क्षमता का बढ़ना आने वाली वर्षा ऋतु के बाद ही ये सम्भव हो सकेगा यदि पानी समुचित मात्रा में आये तो। राणा प्रताप सागर से अभी तक केवल एक मशीन चालू हुई है और दूसरी मशीन सम्भवतः मई, १९६८ में चालू होने की सम्भावना है। लेकिन उससे उत्पादन क्षमता में आने वाली वर्षा से पहले कोई वृद्धि होने की सम्भावना नहीं है। चम्बल योजना के पावर हाउसों से अधिक बिजली का मिलना बांधों में आने वाले पानी की मात्रा पर निर्भर करता है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) प्रश्न एक में दिया गया है।

शिक्षकों को अध्ययन अवकाश

१०८९. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अध्ययन अवकाश देने के लिए शिक्षा विभाग के क्या नियम हैं ?

(२) इन नियमों के अनुसार पिछले दो सालों में कितने शिक्षकों को अवकाश दिया गया ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(३) क्या यह सत्य है कि इन नियमों के तहत पिछले दो सालों में कई शिक्षकों को अध्ययन अवकाश नहीं मिला ? क्या यह भी सत्य है कि कई शिक्षकों को इन सालों में नियमों के विरुद्ध भी अवकाश दिया गया ? अगर हां, तो इन दोनों तरह के शिक्षकों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें तथा ऐसा करने के क्या कारण थे, यह भी बताने की कृपा करें ?

(४) भविष्य में ऐसी अनियमित कार्यवाही खत्म करने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(१) अध्ययन अवकाश राजस्थान सेवा नियम, १११ के अन्तर्गत दिया जाता है।

(२) गत दो सालों में ८६८ शिक्षकों को अध्ययन अवकाश दिया गया है, जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) अध्ययन अवकाश प्रत्येक अध्यापक को नियमानुसार महालेखाकार, जयपुर से अवकाश का समय अनुमोदित हो जाने के बाद ही स्वीकृत किया जाता है अतः यह कहना कि किसी अध्यापक को अवकाश नहीं मिला अथवा नियमों के विरुद्ध किसी को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है उचित प्रतीत नहीं होता।

(४) कोई अनियमित कार्यवाही की ही नहीं गई। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम बालापुरा सीमेन्ट फैक्टरी

१०६०. श्री केसरीसिंह हाडा (हिण्डोली): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला बून्दी के ग्राम बालापुरा, तहसील बून्दी में बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री लगा रहे हैं ?

(२) यदि हां, तो इसकी स्वीकृति किस तारीख को सरकार द्वारा दी गई थी ?

(३) इसका काम कब तक शुरू हो जावेगा और कब तक यह उत्पादन शुरू कर देगी।

(४) इसको कितना वर्ग मील भूमि अलॉट की गई है ?

उत्तर

(१) जी हां। मेसर्स अपर गेंजेज शूगर मिल्स लिमिटेड कलकत्ता जो एक बिरला प्रतिष्ठान है। ग्राम जहरबलपुर (बून्दी) में सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

(२) दिनांक १२-११-६५ को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी।

(३) रेल्वे लाइन के अभाव के कारण कठिनाईयां आ रही हैं जिससे निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(४) अभी तक कोई भूमि अलॉट नहीं की गई है।

कस्बा खण्डार की नल योजना

१०६२. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कस्बा खण्डार जिला सवाई माधोपुर में राज्य सरकार द्वारा किस तारीख को कितनी राशि नल योजना हेतु स्वीकृत की गई?

(२) अब तक स्वीकृत राशि में से इस नल योजना पर कितना व्यय किया जा चुका है और क्या क्या काम पूरा हुआ है?

(३) उक्त नल योजना को पूरी करने हेतु अब कितना काम कब से बाकी पड़ा है?

(४) क्या राज्य सरकार को यह ज्ञात है कि ग्रीष्मावकाल में इस कस्बे में पानी मोल बिकता है और करीब ५०००) रुपये प्रति वर्ष सहायता के रूप में ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति को देने पड़ते हैं ताकि पानी सस्ती दर पर ग्राम निवासियों को उपलब्ध हो सके?

(५) उक्त योजना क्यों अधूरी पड़ी है और उसे कब तक पूरा कर दिया जावेगा?

उत्तर

(१) दिनांक ११-५-६५ को २.३१ लाख रु० की लागत की नल योजना स्वीकृत की है।

(२) माह फरवरी, १९६८ तक रु० १.७८ लाख खर्च हो चुका है। तथा निम्न कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

(१) पानी की टंकी

(२) पम्प ड्राइवर तथा चौकीदारों का आवास गृह

(३) जनरेटिंग सेट का कमरा

(४) कुछ हिस्से में पाईप लाइन डालने का कार्य

(५) पाइप व पाइप फिटिंग खरीदी जा चुकी है वाल्व आदि खरीद किये जा चुके हैं।

(३) नल योजना को पूरा करने के लिए निम्न कार्य करना शेष है।

(i) कुओं पर पम्प का फिटिंग/पम्पस् के लिए आर्डरस् दिये जा चुके हैं और अब १ माह की अवधि में इनके प्राप्त होने की सम्भावना है।

(ii) कस्बे के कुछ भाग में पाइप लाइन डालने का कार्य चल रहा है जो अब १।। माह की अवधि में पूर्ण होने की सम्भावना है।

(४) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(५) योजना का कार्य निर्माणाधीन है आशा है कि ३ माह की अवधि में कार्य पूरा किया जाकर जल वितरण शुरु किया जावेगा।

संस्कृत शिक्षा विभाग के शिक्षकों की वरिष्टता सूची

१०६३. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि संस्कृत शिक्षा विभाग के शिक्षकों की सीनियोरिटी लिस्ट

(श्री हरलालसिंह)
कई बार निकल चुकी है ? यदि हां, तो कब कब ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त सीनियोरटी लिस्ट फाइनल नहीं हुई है ? यदि हां, तो प्रमोशन किस आधार पर दिये गये ?

उत्तर

१. जी हां । यह सही है । केवल दो बार १५-६-६० एवं १७-१०-६५ को निकली है ।

२. हां यह सही है । उपरोक्त सीनियोरिटी लिस्ट फाइनल नहीं हुई है इस कारण केवल प्रोवीजनल प्रमोशन ही दिये गये हैं । कहीं कहीं विशेष परिस्थिति में एडहॉक व्यवस्था हुई है ।

स्थगित प्रश्न

(७-३-६८) व (२०-३-६८) व (२७-३-६८)

अधिदर्शकों की वरिष्ठता सूची एवं पदोन्नति

५१३. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सार्वजनिक निर्माण विभाग में सन् १६५० के बाद नियुक्त हुए अधिदर्शकों में से कितने स्थायी पद पर कार्य कर रहे हैं और कितने अस्थायी पद पर ?

(२) इन में से कितनों को अब तक स्थायी किया जा चुका है ? जिन्हें स्थायी नहीं किया गया है उसके क्या कारण हैं और कब तक करने का विचार है ?

(३) राज्य सरकार के निर्धारित कोटे के अनुसार २५ प्रतिशत अधिदर्शकों की पदोन्नति को ध्यान में रखकर क्या पदोन्नति की गई है ?

(४) जिन अधिदर्शकों का सेवाकाल १० वर्ष से अधिक हो चुका हैं उनकी पदोन्नति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ? अगर नहीं, तो क्या कारण हैं ?

(५) क्या इस प्रकार के कर्मचारियों की कोई वरिष्ठता पंजिका (सीनियोरिटी लिस्ट) तैयार की गई है ? अगर हां, तो अब तक आउट क्यों नहीं हुई ?

(६) क्या ऐसे लोगों की भी पदोन्नति की गई है जिन्हें सरकार द्वारा प्रमाणित डिप्लोमा प्राप्त नहीं है अथवा डिप्लोमा पास किये हुए नहीं हैं ?

उत्तर

(१) सन् १६५० के बाद नियुक्त किये गये अधिदर्शकों में से ३२२ व्यक्ति स्थाई पदों के स्थान पर कार्य कर रहे हैं तथा २६१ व्यक्ति अस्थाई पदों के स्थान पर कार्य कर रहे हैं ।

(२) सन् १६५० के बाद नियुक्त हुए अधिदर्शकों में से केवल तीन को स्थाई किया गया है शेष अभी तक अस्थाई हैं । स्थाईकरण के लिए अधिदर्शकों को विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य है । विभागीय परीक्षा फरवरी १६६५ में लेना निश्चित् हुआ था किन्तु राजस्थान टैक्नीकल एम्प्लाईज एसोसियेशन के अनुरोध पर यह परीक्षा स्थगित करदी गई थी । आगे की परीक्षा लेने की तिथि अभी विचाराधीन है ।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(३) जी हां।

(४) अधिदर्शकों की पदोन्नति करने का १० वर्ष की सेवाकाल का कोई नियम नहीं है।

(५) सन् १९५० के पूर्व वाले अधिदर्शकों की वरिष्ठता सूचि (सीनियोरिटी लिस्ट) पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है। सन् १९५० के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये गये अधिदर्शकों की वरिष्ठता सूची तैयार करली गई है और शीघ्र ही प्रकाशित की जा रही है।

(६) सन् १९५० के बाद नियुक्त हुये अधिदर्शकों में से अभी तक किसी की पदोन्नति नहीं की है।

स्थगित प्रश्न

(२२-३-६८)

स्टेट लेवल को-ऑरडीनेशन कमेटी की बैठकें

७६१. श्री मेघराज पंवार (चूरू): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इन्डस्ट्रीज के प्रोग्राम के सिलसिले में स्टेट लेवल को-ऑरडीनेशन कमेटी का गठन कब हुआ और अब तक इस कमेटी की कुल कितनी और कब कब मीटिंग हुई तथा आखरी मीटिंग कब हुई ?

(२) इस कमेटी में कौन कौन सदस्य हैं ? और साथ ही मीटिंग वार सदस्यों को उपस्थिति बतलाने की कृपा करें ?

(३) मीटिंगों में क्या क्या एजेन्डे रखे गये और उन पर क्या क्या निर्णय लिये गये हैं ? उन निर्णयों में से कितने कार्यान्वित किये गये और कितने लैप्स हुए ? मीटिंग वार बतलाने की कृपा करें।

उत्तर

(१) स्टेट को-ऑरडीनेशन कमेटी का गठन १६-१०-६२ को हुआ। अब तक इस कमेटी की १३ मीटिंग निम्न तारीखों में हुई:—

(१)	पहली मीटिंग	१८-१२-६२
(२)	दूसरी मीटिंग	२२-९-६३
(३)	तीसरी मीटिंग	६-९-६३
(४)	चौथी मीटिंग	१८-१०-६३
(५)	पांचवी मीटिंग	२-१-६४
(६)	छठी मीटिंग	२१-४-६४
(७)	सातवीं मीटिंग	२९-८-६४
(८)	आठवीं मीटिंग	२४-१०-६४
(९)	नवीं मीटिंग	१५-४-६५
(१०)	दसवीं मीटिंग	७-१-६६
(११)	ग्यारहवीं मीटिंग	२८-३-६६
(१२)	बारहवीं मीटिंग	२२-२-६७
(१३)	तेरहवीं मीटिंग	२१-३-६८

आखरी मीटिंग २१-३-६८ को हुई।

(२) इस कमेटी के सदस्य निम्न प्रकार हैं:—

(१)	उद्योग मन्त्री	अध्यक्ष
(२)	उप-मन्त्री सामुदायिक विकास।	सदस्य
(३)	उप मन्त्री उद्योग	,,
(४)	वित सचिव/उप सचिव व्यय।	,,

(उद्योग मन्त्री)

(५) सचिव खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। सदस्य

(६) विकास आयुक्त ,,

(७) सचिव/उप-सचिव उद्योग विभाग। ,,

(८) सचिव स्टेण्डिंग कमेटी रूरल इण्डस्ट्रीज, प्लानिंग कमीशन, भारत सरकार, नई दिल्ली। ,,

(९) उप-सचिव योजना ,,

(१०) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां ,,

(११) संयुक्त विज्ञान आयुक्त विकास ,,

(१२) निदेशक, लघु उद्योग ,,

(१३) निदेशक, उद्योग व रसद विभाग ,,

(१४) प्रमुख जिला परिषद्, चूरू एवं नागौर ,,

(१५) जिलाधीश नागौर ,,

(१६) जिलाधीश चूरू ,,

(१७) निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिक, विभाग ,,

(१८) अध्यक्ष परियोजना समिति नागौर ,,

(१९) अध्यक्ष, परियोजना समिति, चूरू ,,

(२०) श्री जवाहरलाल जैन, क्षेत्रीय निदेशक, खादी व ग्रामोद्योग, कमीशन, जयपुर। ,,

(२१) श्री गोकुलभाई भट्ट, अध्यक्ष भूदान बोर्ड ,,

(२२) श्री बी० सी० देशपाण्डे, उपाध्यक्ष, राजस्थान खादी बोर्ड, जयपुर सदस्य

(२३) संयुक्त निदेशक, (ग्रामीण, सदस्य सचिव उद्योग) उद्योग एवं रसद, विभाग ,,

मीटिंग वार सदस्यों की उपस्थिति की सूची प्रश्न ३ के उत्तर में दी गई मीटिंग के कार्य विवरण (मिनिट्स) की प्रतियों में दी गई हैं।

(३) प्रत्येक मीटिंग के ऐजेन्डे की प्रति और मीटिंग के कार्य विवरण (मिनिट्स) की प्रति संलग्न हैं। मीटिंग में लिए गए प्रायः सभी निर्णयों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया गया।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

२-४-६८

भूतपूर्व जागीरदारों के कर्जों के क्लेम

१०४५. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि फर्म मगनीराम मभूतसिंह टोंक ने कुछ भूतपूर्व जागीरदारों की तरफ अपने पुराने कर्जों का क्लेम राज्य सरकार के समक्ष पेश किया था? यदि हां तो ये कर्ज किस किस जागीरदारों के नाम कितनी कितनी रकमों के थे, कौन कौन सी तारीखों में लिए गए थे किस ब्याज की दर पर लिए गए थे और किस कार्य

(श्री रामानन्द अग्रवाल).

हेतु लिए गए थे ? कृपया पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि उक्त फर्म ने यह भी क्लेम किया था कि उक्त कर्ज भूतपूर्व टोंक राज्य द्वारा अदायगी के लिए गारन्टी शुदा थे ?

(३) क्या राज्य सरकार ने इन कर्जों को राज्य सरकार द्वारा अदायगी करने की गारन्टी की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली ? यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार को ऐसे दस्तावेजात मिले हैं जिसमें भूतपूर्व टोंक राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की गारन्टी दी गई थी ?

(४) राज्य सरकार ने फर्म मगनीराम भभूतसिंह द्वारा जितनी रकमों के कर्जों का क्लेम किया था उनमें से किस किस कर्ज की किस हद तक अदायगी की जिम्मेवारी स्वीकार की और किस किस की नहीं की ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(५) क्या सरकार ने इन कर्जों की अदायगी के क्लेम को स्वीकार करने से पहले यह जांच पड़ताल करली थी कि इन कर्जों की अदायगी सम्बन्धित कर्जदारों द्वारा करदी गई थी अथवा नहीं ?

(६) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने तथाकथित कर्जदारों के वारिसों को केश जागीर उन्मूलन एक्ट के तहत खानदान अलाउन्स के बदले मिलने वाले मुआवजे से उक्त फर्म के कर्ज को काटने के आदेश जारी कर दिये हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार के आदेश किस किस कर्ज के सम्बन्ध में किन किन वारिसान को मिलने वाले मुआवजे के बारे में जारी किये गए हैं ?

(७) क्या यह सही है कि उक्त कर्जदारों के कुछ वारिसान ने राज्य सरकार को प्रतिवेदन किया है कि उक्त कर्जों की अदायगी हो चुकी है तथा इन कर्जों को स्वीकार करने से पूर्व राज्य सरकार ने तथाकथित कर्जदारों के वारिसान को नहीं बुलाया गया ? यदि हां तो क्या उनकी यह शिकायत सही पाई गई, तथा इस प्रकार का ऐतराज किस किस वारिस ने किया था और किस किस का ऐतराज सही पाया गया ?

(८) क्या यह सही है कि राज्य सरकार उक्त फर्म को इन कर्जों के मद में काफी रकम अदा कर चुकी है ? यदि हां, तो कितनी कितनी रकम बकाया रहती है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(९) क्या सरकार ने जिन वारिसों ने नहीं सुने जाने का ऐतराज किया है उनके इन कर्जों की पूर्व अदायगी के बारे में जांच पड़ताल की है ? यदि हां, तो इस जांच पड़ताल का क्या परिणाम निकला ?

(प्रश्न स्थगित किया गया)

परिशिष्ट

परिशिष्ट ३

(अतारांकित प्रश्न संख्या ५८० की सूची)

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६८/गृ० म० द्वारा श्री विद्यासागर, विधायक दिनांक १-१-६७ से २६-२-६८ तक थाना पहाड़ों के क्षेत्र में पकड़े गये व्यक्तियों की सूची ।

मुलजिम के नाम	साकिन	माल जो पकड़ा गया पोटलिया या अन्य सामान	स्थान पकड़ा गया
१. अमरा पुत्र धूला पटेल	मुंदड़ा	पोटला क्षत्र	मुजराल नाला जाबुआनला गुजरात जाते हुये पकड़ा
२. कचरा पुत्र धूला पटेल	,,	,,	,,
३. लालजी पुत्र भागजी भील	ईटावा	पोटला जी	,,
४. मरतो पुत्र मान जी भील	,,	,,	,,
५. कमला पुत्र आवरा भील	सोरा	,,	,,
६. मूस्मी जिवा पुत्र सतला	कनवई	घोटला अन्ने की दाल	माल आर्डर से तोनन इल पर थाना पहाड़ा ।
७. धुलजो			
८. ऊंदा			
९. रामा			
१०. वदा			
११. कातरा			
१२. शंकर			
१३. भान			
१४. नाना			
१५. हकरा			
१६. नेरा			
१७. भानजो			
१८. मोगा	आदिवासी सा० देवल	पोटले चने	नाल लक्ष्मणपुरा रा० गुजरात जाने वाली सड़क
१९. हरूली			
२०. लाला			
२१. बातरा			
२२ शंकर			

१	२	३	४
२३. खुमा			
२४. लालजी			
२५. नाथू			
२६. सवजी			
२७. कमका			
२८. हाजा			
२९. भाना			
३०. रामजी			
३१. सेवकला			
३२. वदा			
३३. नाथा			
३४. बावरा			
३५. चुता पुत्र धावरा	पहाड़	घोटले चने	जंगल कालरवास गुजरात से जाना।
३६. काला पुत्र लाला	लक्षमणपुर	,,	नाम्दुनता से गडना
३७. सिया पुत्र अमरा			
३८. भेरा पुत्र मेवा मीणा			
३९. सोमा पुत्र भोमा मीना	बिजुडा	,,	मौजा कनवई गुजरात में ले जाना
४०. चान्द माई	कनबई	,,	संस्थापक पहाड़ा
ऊंटों द्वारा			
१. तेजा पुत्र नाथू भील	श्यापाड		
२. सिम्वा पुत्र बाना भील	बालिचा	ऊंटो द्वारा	लक्षमणपुरा की चाल
३. नाथू पुत्र कोदरा	तोरा	१३२० किलो	
४. अमोला पुत्र दलजी भील	सथलऐ	१५ ऊंट	
५. रामा पुत्र कोदरा	अमेला		
६. देवा पुत्र लालू	सक्ला		
७. गौतम पुत्र होमा	बलेवडो		
८ रामजी पुत्र दाला	उमोला		
९. करमा			
१०. छगन पुत्र खेमा गेलाड पुत्र कमजी भील	सरेरो	३ ऊंट ६ बोरी पकड़ी	लक्षमनपुरा को नाल

१.	व्यक्ति गिरफ्तार ५१	जेर तफतीश १०	चालान ४१	सजायब ३५	जेर तजबीज अदालत ७

२. १८ ऊंट पकड़े गये।

३. कोई ट्रक नहीं पकडा गया।

४. मक्का ५८५ किलो, जौ १४०७ किलो और चने ११६७ किलो, कुल ३१५९ किलो।

परिशिष्ट ४

(अतारांकित प्रश्न संख्या ५८३ की सूची)

राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ० १३(२०)(४६) एस./पी./एच./५८/
ग्रुप (द्वितीय), दिनांक २३-७-१९६२ के अन्तर्गत स्वीकृत
राशनलाईज्ड पेटर्न

(परिशिष्ट ए)

दवाईयों के लिए बजट प्रावधान निर्धारित करने का आधार

अस्पताल श्रेणी प्रथम	रु० ५०० प्रति रोग शैया
अस्पताल श्रेणी द्वितीय	रु० ५०० प्रति रोग शैया
अस्पताल श्रेणी तृतीय	रु० ३०० प्रति रोग शैया
अस्पताल श्रेणी चतुर्थ	रु० २५० प्रति रोग शैया
अस्पताल श्रेणी पंचम	रु० २५० प्रति रोग शैया
अस्पताल श्रेणी षंठ	रु० १५०० जिस का दैनिक आउट डोर रोगी औसत ।
	रु० २५०० जिस का दैनिक ५० से ९९ तक
	रु० ४००० जिस का दैनिक १०० से १९९ तक
	रु० ५००० जिस का दैनिक २०० से २९९ तक
	रु० ८००० जिस का दैनिक ४०० से अधिक
	इसके अतिरिक्त जहां पर रोगियों को भर्ती करने की व्यवस्था है अतिरिक्त धनराशि ५०) रु० प्रति रोग शैया दी जाती है ।
डिस्पेन्सरी	—यथा—
एडपोस्ट	रु० १०००
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	रु० २५०० जिनका दैनिक औसत १०० से ऊपर
	रु० ४००० जिनका दैनिक औसत १०० से १५० तक
	रु० ५००० जिनका दैनिक औसत १५० से अधिक ।

परिशिष्ट ५

(अतारांकित प्रश्न संख्या ५६५ की सूची)

औद्योगिक क्षेत्र नियोजन में अलॉट किये गये प्लाटों की सूची

क्रम संख्या	नाम नियतगामी	नियतन की तिथि उद्योग लगा है या नहीं	उद्योग लगा या नहीं
१.	दौलतसिंह सुराना	११-६-६५	नहीं
२.	महेन्द्र कुमार	११-६-६५	,,
३.	लोक प्रिय ओरियन्ट वर्क्स	२८-६-६५	,,
४.	विश्वकर्मा सीमेन्ट वर्क्स	२८-६-६५	निरस्त कर दिया गया है।
५.	धुमनपुर	२८-६-६५	,,
६.	भगवानू इन्जिनियरिंग वर्क्स	२८-६-६५	नहीं
७.	मेरा स्टोन	२८-६-६५	नहीं
८.	घनश्याम इण्डस्ट्रीज	२६-६-६५	नहीं
९.	पोदार मार्बल स्टोर कम्पनी	२६-५-६५	नहीं
१०.	भारत मोजक टाइलतन	२६-३-६५	नहीं
११.	विश्वकर्मा ओटो मशीन	२६-३-६५	नहीं
१२.	वी० के० राजोरिया	२६-३-६५	लग गया है।
१३.	चित्तौड़ स्टोन कम्पनी	२६-३-६५	नहीं
१४.	बन्सल मैटल इन्डस्ट्रीज	३-८-६६	लग गया है।
१५.	शिवदानसिंह भण्डारी	७-१०-६७	नहीं
१६.	वेंकटेश्वर हनुमान विष्णु फैक्ट्री	२२-१२-६७	लग गया है।

परिशिष्ट ६

(अतारांकित प्रश्न संख्या ५९९ की सूची)

सूची नं० १

नाम नगर सुधार न्यास १	स्थापन का सन् २	१	२
१. नगर सुधार न्यास जयपुर	१९६०	७. नगर सुधार न्यास बीकानेर	१९६०
२. ,, ,, जोधपुर	१९६०	८. ,, ,, ,, गंगापुर सिटी	१९६४
३. ,, ,, अलवर	१९६१	९. ,, ,, ,, हिन्डौन	१९६४
४. ,, ,, अजमेर	१९६०	१०. ,, ,, ,, भीलवाड़ा	१९६७
५. ,, ,, उदयपुर	१९६०	११. ,, ,, ,, चित्तोड़गढ़	१९६७
६. ,, ,, भरतपुर	१९६१		

सूची नं० २

जिन नगर सुधार न्यास द्वारा भत्ते के अलावा खर्चा किया जाता है उसकी विगत वार नक्शा

नाम न्यास	किन किन मामलों में अन्य खर्चा किया	कितना खर्चा हुआ	
		१९६६-६७	१९६७-६८
१. जोधपुर	पार्ट टाइम वकीलों के अलावा अन्य मामलों में दूसरे वकील पैरवी हेतु नियुक्ति किये	—	३२००-००
२. बीकानेर	स्टाप, कोर्टफीस, फैसलों की नकल तथा मुआवजे की फीस	३६५-००	७४०-००
३. अजमेर	पार्ट-टाइम वकील के क्लर्क को भत्ता	९२१-२०	७७५-६५
	१५) रु० मासिक की दर से तथा वकील को हर पेशी पर ८ रू० दैनिक व १२ रू० दैनिक की दर से भत्ता	२९५७-००	३१६४-००
४. अलवर	हाईकोर्ट में चल रहे मामलों में अलग से वकील की नियुक्ति के आदि पर खर्चा		

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक ३ अप्रैल, १६६८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
५	अंतिम से ३	सहाब	साहब
७	८	न्शन	मेन्शन
१४	१८	सात्रजनिक	सार्वजनिक
१८	अंतिम से २	ह	हो
३८	अंतिम से १	क्वायरी	इन्क्वायरी
४६	१५	ध्या ा	ध्यान
५८	२२	गत	गलत
५६	अंतिम से १२	हमें	हम
६०	४	पर्टी	पार्टी
६१	४	ही	सही
६४	८	सन्तेष	सन्तोष
६४	१०	श्रा	श्री
६४	अंतिम से १०	सन् में १६६७	सन् १६६७
६५	,, ६	िये ये	किये गये
६५	,, १	पावधान	प्रावधान
६६	५	आर्षित	आकर्षित
७५	६	अपकी	आपकी
७६	६	सटर	सेंटर
८०	अंतिम से १	क ां	कहां
८३	१३	अन्तगत	अन्तर्गत
८६	७	मजूरी	मंजूरी
८८	१६	(सर्वजनिक	(सार्वजनिक
६१	शीर्षक	ककर	कंकर
६२	७	मडी	मंडी
६३	अंतिम से ७	न बनना	बनना
६४	२३, २५	मडी	मंडी
१०१	अंतिम से ६	होने कारण	होने के कारण
१०३	६	यति	यदि

१	२	३	४
१०६	२	चलायेगी	चलायेगा
१०७	अंतिम से ७	पयजल	पेय जल
११०	,, ५	श्री मनफूलाराम	श्री मुनफूलराम
१११	६	श्री रमचन्द्र आर्य	श्री रामचन्द्र आर्य
११५	अंतिम से १	स्ताव	प्रस्ताव
११८	,, ६	जा	जो
११६	१०	बत	बात
११६	१५	काय	कार्य
१२२	अंतिम से ११	कायवाही	कार्यवाही
१२३	८	नोहर	नाहर
१२३	१६	जजमेन्इन	जजमेन्ट इन
१२३	अंतिम से ६	म	में
१२६	६	वुनि ादी	बुनियादी
१२७	१	सबस	सबसे
१२७	१४	काय	कार्य
१२६	अन्तिम से १२	प	पर
१३०	,, ६	सको	उसको
१३१	८	क	कि
१३१	२१	जानका ी	जानकारी
१३५	१२	ज येगा	जायेगा
१३७	शीर्षक	(श्री पृथ्वी सिंह बालो)	(श्री पृथ्वीसिंह)
१४५	अन्तिम	मध्यम	माध्यम
१४६	अन्तिम से १५	ा	का
१४६	२	आ ो	आती
१४६	अन्तिम से ६	दो- ीन	दो-तीन
१४६	,, ४	स्कलों	स्कूलों
१४६	६	के	के साथ
१५१	५	शि ा विभा	शिक्षा विभाग
१५२	१०	जसा	जैसा
१५३	अन्तिम से ५	मारा-ामरा,	मारा-मारा
१५७	,, ७	द	देश
१५६	,, ६	मारटर	मास्टर
१६३	२	मह दय	महोदय
१६५	१४	दुरुपयाग	दुरुपयोग

१	२	३	४
१६६	अन्तिम से ११	न म	नाम
१७०	३	ड्टी	ड्यूटी
१७५	५	जायद द	जायदाद
१७५	अन्तिम से ६	जायद द	जायदाद
१७५	अन्तिम से २	मन्त	महन्त
१७७	,, १३८	उ को	उनको
१८०	२२	स बन्ध	सम्बन्ध
१८३	८	वढ़ ना	बढ़ाना
१८३	अन्तिम से १०	ये	गये
१८६	१७	अ प	आप
१६३	५	कटौ ी	कटौती
१६३	१८	विध न	विधान
१६३	अन्तिम से ५	जय	जाय
१६४	३	वि ाग	विभाग
१६४	अन्तिम से ७	र ड़े	रोड़े
१६४	,, ३	द नों	दोनों
१६५	२	क	के
१६५	६	व्यव था	व्यवस्था
१६६	५	र ी	रही
१६६	६	जमीदरा	जमींदारों
१६६	अन्तिम से ७	प्रावध न	प्रावधान
१६८	१३	बां	बांट
१६६	८	किया भी जाता	किया जाता
१६६	अन्तिम से ७	नयो	नयी
२००	२०	प्र ीक	प्रतीक
२००	२१	तो ना	तोड़ना
२०२	७	जि की	जिनकी
२०४	अन्तिम से १२	रख	रखे
२०६	,, ४	धीरे, धीरे, धीरे, धीरे	धीरे-धीरे
२०६	,, ४	का	को
२०७	शीर्षक	अनुद नों	अनुदानों
२०७	अन्तिम से १३	आप ो	आपको
२०७	,, ११	समभाता	समझता

१	२	३	४
२०७	अन्तिम से ११	मननीय	माननीय
२०८	अन्तिम	सन्टर	सेन्टर
२१२	१०	रूप ने	रूप में
२१२	अन्विम	सुझा	सुझाव
२२२	२	मिटाने लिये	मिटाने के लिये
२२२	अन्तिम से ६	म्यता	सम्यता
२२५	शीर्षक	अप्रल	अप्रेल
२२५	१२	ने	जो
२२६	२	की सदन	कि सदन
२२६	१०	ग्रौर	ग्रोर
२२७	१०	जिलों	जिलों में
२२७	२१	अपना	अपनो
२२७	२२	अधिकारीयों	अधिकारी
२२८	अन्तिम से १२	दे	ने
२२९	१८	जौ	जो
२३०	४	लागों	लोगों
२३०	अन्तिम से ११	मैं	में
२३०	अन्तिम	मैं	में
२३१	अन्तिम से ८	उनका	उनकी
२३१ से २४३	शीर्षक	अधिक अनुदानों	अनुदानों
२३३	१४	सीमिति	समिति
२३४	अन्तिम से ६	सपोटरा-सु०	(सपोटरा-सु०)
२३४	अन्तिम	मंत्रा	मंत्री
२३६	३	क)	घंटी)
२३६	१३	रेंटी	करें
२३७	५	अनवरत	(अनवरत
२३७	५	घंटी	घंटी)
२३९	१४	रियायत	रियासत
२३९	अन्तिम से ४	कोइ	कोई
२३९	अन्तिम	अन्तगंत	अन्तर्गत
२४०	२	प्रेसक्रान्डड्	प्रेस्क्राइब्ड्
२४०	२०	का	की
२४०	अन्तिम से ८	अनुदाम	अनुदान
२४१	१८	सम्बन्ध	सम्बन्ध में

१	२	३	५
२४३	२	सम्बधित	सम्बन्धित
२४३	६	कि	की
२४३	अन्तिम से १२	में	में
२४४	शीर्षक	र. वि.	रा. वि.
२४५	११	नीति	नीति की
२४६	१	यनदसह	यह सदन
२४६	८	क	के
२५३	अन्तिम से ४	ल्वीकार	स्वीकार
२५४	,, ३	(अजमेर सु०)	(अजमेर-पश्चिम)
२५५	शीर्षक	शास्ती)	शास्त्री)
२५७	५	आप	आपका
२५८	अन्तिम से १२	कि	के
२५८	,, ३	लो ों	लोगों
२५८	अन्तिम	सदस्यों को बुल ाते हैं	सदस्यों को बुलाते हैं
२५९	८	थे	में
२५९	अन्तिम से ७	हा	हो
२६१	१	सीमाव र्ी	सीमावर्ती
२६१	१२	साप्रदायिक	साम्प्रदायिकता
२६१	अन्तिम से १०	चहिये	चाहिये
२६२	७	व्यक्तव्य	वक्तव्य
२६३	७	डी पी. आर.	डी. पी. आर.
२६३	७	Condi ion	Condition
२६५	अन्तिम से ३	अकबारों	अखबारों
२६६	१३	सम्प्रदायिक	साम्प्रदायिक
२६६	२०	शिकर	शिकार
२६७	१७	पनीराय	अपनी राय
२६७	अन्तिम से १२	श्री रामानन्द अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
२६७	,, १०	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
२६७	,, ९	दुर्भायवश	दुर्भाग्यवश
२६८	,, १	उ ाको	उनको
२६९	१२	आखिं	आखिर
२६९	अन्तिम से १३	लकिन	लेकिन
२६९	,, १०	ा	का
२६९	अन्तिम से ९	तहील	तहसील

१	२	३	४
२७०	२	मीजद को बनाना	मस्जिद को बनाना
२७०	६	तह	तरह
२७०	७	लकिन	लेकिन
२७०	६	मजिदें	मस्जिदें
२७०	६	म	का
२७०	१६	त हत	तहत
२७०	२०	इजजत	इजाजत
२७०	२१	ब वाये	बनवाये
२७०	२१	कि नों	कितनों
२७१	अन्तिम से १५	रहती	रहते
२७१	,, ६	पदधिकारी	पदाधिकारी
२७२	७	भगवती ासाद	भगवती प्रसाद
२७२	अन्तिम से १५	ल गो	लगेगी
२७२	,, १४	अयेगी	आयेगी
२७४	७	अनुनती	अनुमती
२७४	६	श्री िवनाथ सिंह	श्री शिवनाथ सिंह
२७४	१२	कर्मचरियों	कर्मचारियों
२७४	१५	श्री शिवचरण माथर	श्री शिवचरण माथुर
२७४		शिक्ष मंत्री)	(शिक्षा मंत्री)
२७४	अन्तिम से ५	इंजनीरिंग	इंजीनीयरिंग
२७६	१८	तरीख	तारीख
२७७	२०	छ त्र	छात्र
२७८	१०	गवनमेंट	गवर्नमेंट
२७८	१४	हा	हो
२७६	अन्तिम से १६	अप	आप
२७६	,, ११	मंत्र	मंत्री
२७६	,, ६	ि तना	कितना
२८१	५	टीच	टीचर्स
२८१	अतिन्म से ११	डइरेक्टर	डाइरेक्टर
२८१	,, १५	इ ी	इसी
२८१	,, ४	सदग	समय
३८३	शीर्षक	(श्री शिवचरण माथुर	(श्री शिवचरण माथुर)
२८५	८	डिपाटमेंन्ट	डिपार्टमेन्ट
२८७	१३	फियिल	फिनियल

१	२	३	४
२९०	अन्तिम से २	अकित	अंकित
२६२	३	परिशिष	परिशिष्ट
२६७	अन्तिम से २	जाने	जाने
३००	अन्तिम से ३	टता	उठता
३०६	१६	बठकें	बैठकें
३१०	अन्तिम से १०	स्थीकार	स्वीकार
३१०	अन्तिम	को केश	के केस
३१२	८	क्षत्र	क्षेत्र
३१२	१५	वालो सड स	वाली सड़क
३१४	अन्तिम से ३	जिनका	जिनका